योजना विभाग

PLANNING DEPARTMENT



# हिमाचल प्रदेश सरकार के शासकीय क्षेत्र में उपक्रम 1984-85

# HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS 1984-85

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA.

योजना विभाग

PLANNING DEPARTMENT

हिमाचल प्रदेश

# हिमाचल प्रदेश सरकार के शासकीय क्षेत्र में उपक्रम 1984-85

# HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS 1984-85

अर्थ एवं संख्या निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला

DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

## प्रस्तावना

अर्थ एवं संख्या विभाग प्रति वर्ष एक पुस्तिका का प्रकाशन करता है जिसमें सभी वाणिज्यिक उपक्रमों की संस्थापना, पूंजी की संरचना, चालन का विवरण तथा विशेष महत्वपूर्ण बातों के साथ-साथ उनके वार्षिक लेखे भी दिए जाते हैं। इस वर्ष इस पुस्तिका में तीन और उपक्रमों को सम्मिलित किया गया है जिनके नाम हैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातीय विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड। ऐसे सभी उपक्रमों के कार्यकलाप की जानकारी प्राप्त कर लेना उपयुक्त होगा, जिन में राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त पूंजी लगाई गई है तथा जिनके संचालन में राज्य सरकार का नियन्त्रण है। विस्तृत जानकारी इन सभी उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्टों अथवा प्रशासनिक रिपोर्टों में उपलब्ध हैं।

अर्थ एवं संख्या विभाग ने इस पुस्तिका का प्रकाशन बहुत कम समय में किया है, मैं इस कार्य की प्रशंसा करता हूं तथा उन सभी उपक्रमों के प्राधिकारियों का आभारी हूं जिन्होंने इस पुस्तिका के लिए आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाई।

सुरेन्द्र मोहन कंवर<br>
आई०ए०एस०<br>
वित्त आयुक्त एवं सचिव (वित्त एवं योजना),<br>
हिमाचल प्रदेश सरकार।

## PREFACE

The Directorate of Economics and Statistics is bringing out a publication every year giving the constitution, capital structure, operational activities and other special features of interest alongwith annual accounts of various government commercial undertakings in Himachal Pradesh. The scope of the present issue has been enlarged and three more undertakings viz., H.P. Ex-servicemen Corporation, H.P. Scheduled Castes Development Corporation and H.P. Khadi and Village Industries Board have also been covered. It will be worthwhile to go into the working results of all these undertakings in which the State Government has invested substantial amount of money in the form of capital and has assumed varying degree of control towards their direction. For more details, reference will have to be made to the annual reports/administrative reports of the individual undertaking.

I highly appreciate and commend the hard work done by the Directorate of Economics and Statistics in compiling this publication in such a short span of time and I am thankful to the concerned authorities in these public undertakings for the cooperation in making available the necessary details.

S. M. Kanwar<br>
I.A.S.<br>
F. C.-cum-Secretary (Finance & Planning),<br>
Government of Himachal Pradesh.

# विषय सूची



# CONTENTS

हिमाचल प्रदेश सरकार

के

शासकीय क्षेत्र में उपक्रम

1984-85

# हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, शिमला

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1967 को पंजाब पुनर्गठन ऐक्ट, 1966 की धारा 69 के अन्तर्गत पंजाब वित्तीय निगम के पुनर्गठन के फलस्वरूप हुई थी।

निगम का उद्देश्य राज्य में मध्यम तथा लघु उद्योगों को मध्यम तथा दीर्घ अवधि के ऋण देना है। निगम उन औद्योगिक इकाइयों को ऋण की गारण्टी देने के लिए जो अन्य अभिकरणों से ऋण लेती हैं तथा पूंजीगत वस्तुओं के क्रय से सम्बन्धित अस्थगित अदायगियों की गारण्टी देने के लिए प्राधिकृत है। इस के अतिरिक्त निगम अंशों, भण्डारों, बौंडस तथा बन्ध पत्रों का अभिगोपन भी करता है और औद्योगिक इकाइयों को अदायगी की तिथि से 20 वर्ष की अवधि के भीतर लौटाने की शर्त पर ऋण देता है। निगम निम्निलिखित कार्य करने वालों को या करने के इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता देता है :—

(1) वस्तुओं का विनिर्माण, परिरक्षण व विधायन,

(2) खनन,

(3) होटल उद्योग;

(4) यात्रियों या वस्तुओं के पथ, जल तथा वायु मार्ग से परिवहन के लिए;

(5) विद्युत् व अन्य ऊर्जा के उत्पादन व वितरण के लिए;

(6) किसी भी प्रकार की मशीनरी, या वाहन या जलयान, या मोटर बोट, ट्रैलर और ट्रैक्टर के अनुरक्षण, मुरम्मत या परीक्षण के लिए;

(7) मशीनों या विद्युत् की सहायता से किसी भी संग्रहण मुरम्मत या पैकिंग के लिए;

(8) किसी भी संस्पर्शी क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए;

(9) मछली पकड़ने या मछली पकड़ने की सुविधाएं देने तथा पोषण के लिए, और

(10) औद्योगिक विकास में सहायक विशेष तकनीकी जानकारी तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए।

वर्तमान औद्योगिक इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण और कार्यरत पूंजी के रूप में भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

**संसाधन**—निगम की अधिकृत पूंजी वर्ष 1982-83 में 1,000.00 लाख रुपये स्थिर रही। निगम के बराबरी के आधार को सुदृढ़ करने और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाने के विचार से बैंक की पुर्नवित्त योजना के अन्तर्गत 50 लाख रुपये की अतिरिक्त भाग पूंजी न्यूनतम 3-1/2 प्रतिशत लाभांश पर संयुक्त रूप से बराबरी के आधार पर प्रदेश सरकार व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अंशदत्त वर्ष के दौरान बढ़ा दी गई। इस प्रकार पेडअप अंश पूंजी की राशि 292.95 लाख रुपये तक पहुंच गई जिसमें 54.00 लाख रुपये की विशेष पूंजी भी सम्मिलित है जो वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 4ए के अन्तर्गत बढ़ाई गई है।

31 मार्च, 1983 को अंशों का वितरण निम्न प्रकार से था :—

| विवरण | अंशों की संख्या | कुल से अंशों का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. हिमचाल प्रदेश सरकार . . | 1,44,255 | 49.24 |
| 2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक . | 1,44,255 | 49.24 |
| 3. अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कम्पनियां, निवेश ट्रस्ट और अन्य वित्तीय संस्थाएं . . . . . | 4,050 | 1.38 |
| 4. मद 1, 2 और 3 के अतिरिक्त संस्थाएं . | 385 | 0.14 |
| जोड़ . . . | 2,92,945 | 100.00 |

**बौंड**—विचाराधीन वर्ष के अन्तर्गत निगम की तरलता में सुधार लाने हेतु निगम ने 300 लाख रुपये की राशि के दो बौंड जारी किए जिन में यह प्रावधान था कि बन्ध की निर्गमित राशि से 10 प्रतिशत अधिक को राशि को भी रखा जा सकेगा। बन्ध पत्र सममूल्य पर जारी किए गए थे और इन में 7-1/2 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष देय है। बौंड की दोनों श्रेणियां अधिप्राथित हुई और निगम ने 330 लाख रुपये निर्गमित राशि के रूप में प्राप्त किए।

**पुनः वित्त व्यवस्था**—निगम द्वारा ऋण देने के कार्य के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ही धन प्राप्ति का मुख्य साधन है। पुनः वित्त व्यवस्था की उपलब्धता से ऋण लेने वाले भी लाभान्वित होते हैं क्योंकि उन्हें कम दर की ब्याज पर ऋण मिलता है, अतः निगम ने भारतीय औद्योगिक बैंक से अधिकतम वित्त व्यवस्था के विशेष प्रयत्न किए। निगम ने पुनः वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक बैंक से इस वर्ष 727.69 लाख रुपए की राशि प्राप्त की। यह राशि वर्ष 1981-82 में 727.33 लाख रुपये थी। अब तक प्राप्त की गई राशि में यह अधिकतम है। भारतीय

औद्योगिक विकास बैंक से वर्ष के अन्त तक कुल वित्त व्यवस्था 2,266.85 लाख रुपये की प्राप्त की जिसमें से 1,393.29 लाख रुपये देय हैं।

**कार्य समीक्षा**——राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 में निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निगम ने गत 16 वर्षों में प्रशंसनीय प्रगति की है। वर्ष 1967-68 में जब निगम की स्थापना हुई, निगम ने 2.45 लाख रुपये का कारोबार किया था। 31 मार्च, 1983 को निगम ने 16 वर्ष पूर्ण होने पर 4,919.85 लाख रुपये की स्वीकृत राशि का कारोबार किया। अर्थव्यवस्था में सभी प्रकार के सुधार होने पर और राज्य सरकार द्वारा किये गये भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने तथा नये उद्योगों को उदारता से प्रोत्साहन देने के कारण वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या में इस वर्ष के दौरान पर्याप्त वृद्धि हुई। निगम के कार्य क्षेत्र में अब विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। अब शायद राज्य में कोई ही ऐसा उद्योग हो, जो निगम से लाभान्वित न होता हो। निगम ने इकाइयों की जीव्यता का मूल्यांकन जारी रखने हेतु विभिन्न पहलुओं जैसे तकनीकी, वित्तीय, वाणिज्यिक तथा आर्थिक एवं प्रबन्ध सम्बन्धित पहलू को भी यथोचित महत्व दिया है।

**स्वीकृत अवधि ऋण**——विचाराधीन वर्ष में निगम ने 228 आवेदन पत्र (जिन में परिवहन उद्योग के 92 आवेदन पत्र सम्मिलित हैं) प्राप्त किये जिन के अवधि ऋणों की कुल राशि 1,116.92 लाख रुपये हैं। (इन में परिवहन उद्योग के 165.60 लाख रुपये भी सम्मिलित हैं) जिस में 86.56 लाख रुपये के लिए 31 आवेदन पत्र पहले से स्थापित उद्योगों से अतिरिक्त ऋण के लिए प्राप्त हुए। विचाराधीन वर्ष के दौरान तथा गत वर्ष के अन्त में बकाया 1801.10 लाख रुपये के ऋण के लिए 282 आवेदन पत्र (जिन में 39 आवेदन पत्र 108.00 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण के लिए तथा 6 आवेदन पत्र ऋण वृद्धि के लिए जिन की राशि 20.51 लाख रुपये थी, सम्मिलित है) विभिन्न उद्योगों से प्राप्त हुए। प्रचलित वर्ष में निगम ने 1489.51 लाख रुपये की राशि के 250 आवेदन पत्रों पर विचार किया। निगम ने 729.30 लाख रुपये की राशि के लिए 182 आवेदन पत्र (जिन में 56.68 लाख रुपये के 24 आवेदन पत्र अतिरिक्त ऋण के लिये तथा 161.43 लाख रुपये के 90 आवेदन पत्र परिवहन उद्योग के भी सम्मिलित हैं) की स्वीकृति दी। 102.87 लाख रुपये की राशि के 20 आवेदन पत्र (जिन में 1.68 लाख रुपये का एक आवेदन पत्र परिवहन का सम्मिलित है) रद्द किए और 623.27 लाख रुपयों की राशि के 48 आवेदन पत्र (जिन में 17.39 लाख रुपये के 5 आवेदन पत्र अतिरिक्त ऋण के लिए शामिल हैं) आवेदकों ने या तो बन्द करा दिये अथवा वापिस ले लिए। निगम ने परीक्षण के उपरान्त 39 आवेदन पत्रों की 34.07 लाख रुपये की राशि कम कर दी। वर्ष के अन्त में 311.59 लाख रुपये की राशि के 32 आवेदन पत्र (जिन में 9.95 लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण के 5 आवेदन पत्र भी शामिल हैं) विचाराधीन थे। निगम ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक 4,949.15 लाख रुपये की राशि के 1,686 आवेदन पत्र स्वीकृत किए।

विचाराधीन वर्ष तथा अब तक प्राप्त प्रार्थना पत्रों की स्थिति जो वर्ष के अन्त में थी निम्न तालिका में दी गई है :——

(राशि लाख रुपयों में)

| मद | 1981-82 | | 1982-83 | |
|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. वर्ष के आरम्भ में अनिर्णित आवेदन पत्र | 39 | 348.12* | 54 | 684.18@ |
| 2. वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्र | 276 | 1,961.21 | 228 | 1,116.92 |
| 3. वर्ष में निपटाये गए आवेदन पत्र | 315 | 2,309.33 | 282 | 1,801.10 |
| 4. स्वीकृत आवेदन पत्र | 202 | 1,115.50 | 182 | 729.30 |
| 5. निवेदित राशि | — | 1,157.38 | — | 763.37 |
| 6. वापिस लिए गए, कालातीत समाप्त आदि आवेदन पत्र | 41 | 363.78 | 48 | 623.27 |
| 7. अस्वीकृत आवेदन पत्र | 18 | 114.50 | 20 | 102.87 |
| 8. वर्षान्त अनिर्णित आवेदन पत्र | 54 | 663.67 | 32 | 311.59 |
| 9. स्वीकृत ऋण (प्रभावी) | 547 | 3,210.07 | 678 | 3,713.75 |
| 10. भुगताए गए ऋण | 1,158 | 2,344.17 | 1,328 | 3,160.92 |

* वर्ष के दौरान 14 आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में 15.03 लाख रुपए की राशि बढ़ा दी गई।

@ चालू वर्ष में 6 आवेदन पत्रों के सम्बन्धों में 20.51 लाख रुपए की राशि बढ़ा दी गई।

**भुगताए गए अवधि ऋण**—वर्ष 1982-83 में 816.75 लाख रुपयों के अवधि ऋण वितरित किए गए जो कि पिछले वर्ष की राशि 656.59 लाख रुपयों से 24.4 प्रतिशत अधिक थे। कच्चे माल व आधारभूत सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद यह एक सराहनीय उपलब्धि है। इस राशि में से 590.13 लाख रुपये के ऋण पिछले वर्ष स्वीकृत किये गये थे और 159.71 लाख रुपये परिवहन उद्योग के लिये थे। निगम की स्थापना से लेकर वर्ष के अन्त तक अवधि ऋणों की 3,160.92 लाख रुपये की राशि भुगताई गई है। 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष तक निगम के कार्य की एक झलक निम्न तालिका में दी गई है :-

(लाख रुपयों में)

| विवरण | राशि |
|---|---|
| 1. 31 मार्च, 1983 तक स्वीकृत ऋण | 4,949.15 |
| 2. घटाएं : अस्वीकार/रद्द की गई/वापिस की गई स्वीकृतियां . . . . . | 673.35 |
| 3. शुद्ध स्वीकृतियां (1–2) . . . . | 4,275.80 |
| 4. घटाएं : पूर्णतयः भुगताई गई स्वीकृतियां . | 562.05 |
| 5. प्रभावी स्वीकृतियां (3–4) . . . | 3,713.75 |
| 6. शुद्ध स्वीकृतियां उपरोक्त (3) पर लिखित . | 4,275.80 |
| 7. घटाएं : पूर्ण स्वीकृतियों के पक्ष में न भुगताए गए ऋण . . . . . . | 15.97 |
| 8. घटाएं : 1,328 इकाइयों को भुगताए गए ऋण . | 3,160.92 |
| 9. वचनबद्ध ऋणों का शेष (6–(7+8) . . | 1,098.91 |
| 10. 31 मार्च, 1983 को अदत्त ऋण . . | 2,575.58 |

**सुलभ ऋण**—निगम ने वर्ष 1982-83 में 4 उद्यमियों को 2.14 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। निगम ने इस योजना के आरम्भ होने से अब तक 84 परियोजनाओं को 53.84 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी। निगम ने चालू वर्ष में 18 इकाइयों को 12.94 लाख रुपये भुगतान किये। पिछले वर्ष की भुगतान राशि को शामिल करके निगम ने अब तक 76 इकाइयों को 45.54 लाख रुपयों का भुगतान किया है। 1978-79 से लेकर 1982-83 तक सुलभ ऋण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नलिखित है :—

(राशि लाख रुपयों में)

| विवरण | 1978-79 | | 1979-80 | | 1980-81 | | 1981-82 | | 1982-83 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 वर्ष के आरम्भ में बकाया आवेदन पत्र . . . | — | — | 1 | 0.25 | 4 | 4.13 | 13 | 7.17* | 8 | 13.60 |
| 2 वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्र . | 4 | 2.17 | 7 | 8.36 | 49 | 28.97 | 61 | 62.91 | 4 | 3.95 |
| 3. स्वीकृत आवेदन पत्र . | 3 | 1.92 | 2 | 2.11 | 33 | 16.52 | 44 | 30.35 | 4 | 2.14 |
| 4. बंद आवेदन पत्र . . | — | — | 1 | 0.25 | 5 | 5.93 | 8 | 4.48 | 5 | 9.00 |
| 5. कम स्वीकृत आवेदन पत्र . . | — | — | 1 | 0.12 | 8 | 1.32 | 24 | 9.25 | 4 | 1.41 |
| 6. रद्द आवेदन पत्र . . | — | — | 1 | 2.00 | 2 | 2.28 | 14 | 12.40 | 3 | 5.00 |
| 7. वर्ष के अन्त में अनिर्णीत आवेदन पत्र | 1 | 0.25 | 4 | 4.13 | 13 | 7.05 | 8 | 13.60 | — | — |

*वर्ष में तीन आवेदन पत्रों के सबम्न्ध में 0.12 लाख रुपये की राशि बढ़ा दी गई।

**समानान्तर ऋण**—वर्ष 1980-81 के अन्तर्गत निगम ने ऋण लेने वालों को स्वीकृत ऋण के 75 प्रतिशत तक छः से बारह महीने तक समानान्तर ऋण देने की योजना आरम्भ की। वर्ष 1982-83 में निगम ने 30.00 लाख रुपये की राशि के चार आवेदन पत्र समानान्तर ऋण की स्वीकृति के लिए प्राप्त किए तथा इन्हें आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई। इसी वर्ष पांच इकाइयों को 28.70 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया। गत वर्ष के अन्त में समानान्तर ऋण योजना के अन्तर्गत 24.10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देनी बाकी थी। चार इकाइयों की 36.80 लाख रुपये समानान्तर वित्त व्यवस्था को नियमित अवधि ऋण में परिवर्तित किया गया।

**केन्द्रीय निवेश साहाय्य**— प्राप्त करने वाली इकाइयों को केन्द्रीय सहायता के भुगतान के लिए निगम ने अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करना जारी रखा। इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त राज्य स्तरीय समिति ने 118 इकाइयों को 203.89 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की। 31 मार्च, 1983 को केन्द्रीय निवेश साहाय्य की कुल राशि 934.09 लाख रुपये थी। विचाराधीन वर्ष में निगम ने 215.66 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया और जब से यह योजना चली उस समय से कुल 535.70 लाख रुपये भुगताए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने 100.06 लाख रुपये की राशि को छोड़कर शेष केन्द्रीय साहाय्य का भुगतान कर दिया है। बकाया राशि के लिए निगम ने चालू वर्ष में अपने दावे को प्रस्तुत कर दिया है।

**राज्य सरकार साहाय्य**—जिन इकाइयों ने राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की उनको राज्य सरकार साहाय्य का भुगतान करने के लिए निगम राज्य सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता रहा। निगम ने वर्ष 1980-81 में साहाय्य की राशि को अपनी निधि में से ही भुगतान करने का निर्णय लिया और राज्य सरकार से उस राशि को प्राप्त करने के प्रयत्न किए जिस से परियोजना को शीघ्रता से लागू किया जा सके। राज्य सरकार ने 77 इकाइयों को 17.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की जिसमें वर्ष 1982-83 की 16 इकाइयों की 5.38 लाख रुपये की राशि भी सम्मिलित है। चालू वर्ष के अन्त तक 9.60 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जा चुका है जिसमें 3.30 लाख रुपये इस वर्ष के भी शामिल हैं।

**सीमान्त बीज पूंजी योजना**—इस योजना के अन्तर्गत निगम सरकार की ओर से निधि का प्रयोग करता रहा। सीमान्त धन/बीज पूंजी योजना उन इकाइयों के लिए है जो 50,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे हैं और जिनका संयंत्र तथा मशीनों में निवेश 2.00 लाख रुपये से अधिक नहीं। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निगम ने कुल निवेश के 10 प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता, जो अधिकतम 20,000 रुपये हो सकती है, इच्छुक इकाइयों को दी। विचाराधीन वर्ष में बीज पूंजी/सीमान्त धन की 0.64 लाख रुपये की राशि राज्य सरकार ने 5 इकाइयों को स्वीकृति दी। निगम ने 5 इकाइयों को 0.52 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1983 तक 133 इकाइयों को 18.26 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की और 121 इकाइयों को 16.18 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया।

**ब्याज सहायता योजना**—इस योजना के अन्तर्गत सरकार ने अपनी निधि निगम के पास रखी और निगम ने इस वर्ष 0.43 लाख रुपये की राशि दी। इसके अलावा 3.52 लाख रुपये की राशि गत वर्ष दी थी इस प्रकार कुल 3.95 लाख रुपये का भुगतान किया।

**पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सहायता**—अधिसूचित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में स्थित 120 परियोजनाओं को 629.70 लाख रुपये की राशि की सहायता प्रदान की। यह राशि वर्ष 1982-83 में दी गई कुल सहायता का संख्या के आधार पर 86.6 प्रतिशत तथा राशि के आधार पर 76.4 प्रतिशत बनता है।

**वसूलियां**—1982-83 में निगम के भरसक प्रयत्नों के फलस्वरूप 327.20 लाख रुपयों की राशि वसूल की गई जोकि अब तक की वसूलियों में अधिकतम है। 1982-83 के लिए निगम की वसूलियों का लक्ष्य 347.47 लाख रुपये था। यह लक्ष्य मध्यवर्ती समीक्षा के दौरान संशोधित करके 280.00 लाख रुपये निर्धारित किया गया। 31 मार्च, 1983 को उद्योगानुसार भुगतान में चूक करने वालों का ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:—

(लाख रुपयों में)

| उद्योग | इकाइयों की संख्या | मूलधन | ब्याज | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. सीमेंट उत्पादन | 4 | 0.94 | 0.27 | 1.21 |
| 2. रसायन | 18 | 15.03 | 4.31 | 19.34 |
| 3. शीत भंडार तथा हिम निर्माणी | 3 | 7.93 | 1.77 | 9.70 |
| 4. विद्युत तथा इलॅक्ट्रोनिक सामान | 9 | 12.42 | 3.17 | 15.59 |
| 5. इंजीनियरिंग सामान | 27 | 16.14 | 6.58 | 22.72 |
| 6. उर्वरक | 2 | 18.83 | 1.71 | 20.54 |
| 7. खाद्य एवं पेय पदार्थ | 6 | 12.59 | 0.67 | 13.26 |
| 8. होटल | 11 | 3.19 | 1.81 | 5.00 |
| 9. धातु उत्पाद | 16 | 16.60 | 6.95 | 23.55 |
| 10. खनिज उत्पाद | 2 | 8.45 | 1.03 | 9.48 |
| 11. विविध | 41 | 8.05 | 5.14 | 13.19 |
| 12. कागज तथा कागज उत्पाद | 11 | 11.10 | 2.58 | 13.68 |
| 13. मुद्राणालय | 7 | 3.06 | 2.01 | 5.07 |
| 14. रबड़ पी० वी० सी तथा प्लास्टिक | 14 | 18.83 | 3.11 | 21.94 |
| 15. पत्थर तोड़ना | 11 | 2.54 | 0.65 | 3.19 |
| 16. वस्त्र | 3 | 1.73 | 0.59 | 2.32 |
| 17. परिवहन उपकरण | 9 | 1.49 | 4.67 | 6.16 |
| 18. परिवहन प्रचालक | 93 | 16.94 | 3.15 | 20.09 |
| 19. घड़ियां और पुर्जे | 4 | 11.04 | 7.33 | 18.37 |
| 20. चमड़ा उत्पाद | 2 | — | 2.50 | 2.50 |
| जोड़ | 293 | 186.90 | 60.00 | 246.90 |

भुगतान की सूची के अनुसार ब्याज की कुल राशि जो विचाराधीन वर्ष में ऋणों पर बनती थी (अभियोग वाले मामलों को छोड़ कर) वह 223.07 लाख रुपये थी। इस वर्ष के दौरान 187.19 लाख रुपये की राशि वसूल की गई जिसमें गत वर्ष के अन्त में बकाया ब्याज की वसूली (29.58 लाख रुपये) भी शामिल है। विचाराधीन वर्ष में मूलधन की कुल देय राशि 195.60 लाख रुपए बनती है। मूलधन की वास्तविक वसूली 121.28 लाख रुपये है जिस में पिछले वर्ष के अन्त तक मूलधन 25.48 लाख रुपये की आंशिक वसूली भी सम्मिलित है। निम्न तालिका वर्ष के अन्त में वसूली तथा भुगतान में चूक करने वालों के आंकड़ों को दिखाती है :—

(लाख रुपयों में)

| विवरण | मूलधन | ब्याज |
|---|---|---|
| 1. वर्ष के आरम्भ में बकाया राशि | 112.58 | 73.60 |
| 2. वर्ष के अन्तर्गत देय राशि | 195.60 | 223.07 |
| 3. वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त राशि | 121.28 | 187.19 |
| 4. वर्ष के अन्त में बकाया राशि | 186.90 | 109.48 |

चालू वर्ष के अन्तर्गत 5 लेखों से सम्बन्धित 3.23 लाख रुपये (मूलधन) और 3.15 लाख रुपये (ब्याज) के वर्ष के आरम्भ में अशोध्य राशि में शामिल नहीं किया गया क्योंकि यह राशि न्यायालय में चल रहे मामलों के लेखों में हस्तांतरित कर दी गई है। 8.51 लाख रुपये का मूलधन वर्ष के आरम्भ में अशोध्य राशि में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वर्ष के दौरान कुछ मामलों की अनुसूची में परिवर्तन किया गया। 4.48 लाख रुपये और 2.46 लाख रुपये की क्रमश: मूलधन एवं ब्याज की राशि को वर्ष के आरम्भ में अशोध्य राशि में शामिल किया गया है क्योंकि यह राशि पहले न्यायालयों में चल रहे मामलों के 10 लेखों में सम्मिलित की गई थी परन्तु अब इन मामलों पर न्यायालयों ने निर्णय दे दिया है। इसके अलावा 1.23 लाख रुपये मूलधन से सम्बन्धित अशोध्य राशि में से निकाल दी गई हैं और 1.20 लाख रुपये ब्याज से सम्बन्धित अशोध्य राशि में शामिल किए गए हैं क्योंकि इसे पिछली रिपोर्ट में भूल से शामिल किया गया था।

गत वर्ष प्राप्त 0.61 लाख रुपये के चैकों को चालू वर्ष में धनादेश आहरण न होने के कारण ब्याज की अशोध्य राशि में शामिल किया गया है। 0.26 लाख रुपये और 0.10 लाख रुपये क्रमश: मूलधन और ब्याज के वर्ष के आरम्भ में अशोध्य राशि में से निकाल दिया गया है क्योंकि न्यायालय से 2 लेखों को शामिल करने की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

**न्यायालय में चलाए गए मामले**—प्रचलित वर्ष में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पब्लिक मनी (देय राशि का भुगतान) एक्ट 1973 में संशोधन किया ताकि निगम के बकाया ऋणों को भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल किया जा सके। वर्ष के अन्तर्गत निगम ने बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने हेतु 21 इकाइयों के विरुद्ध एक्ट की धारा के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जिसमें 46.14 लाख रुपये की राशि के मामले हैं। चालू वर्ष के अन्तर्गत 11 मामले निपटाये गए, 3 मामले भुगतान करने पर निपटाये गए, 5 मामलों के सम्बन्ध में समझौता हो गया और एक मामला न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया। दो मामले वापिस लिए गए ताकि उन पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक मनी एक्ट, 1973 (देय राशि का भुगतान) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके। विचाराधीन वर्ष के अन्त में 224.98 लाख रुपये के 59 मामले जिनमें से 10.67 लाख रुपये के 23 मामले परिवहन उद्योग से सम्बन्धित हैं, विभिन्न न्यायालयों में बकाया पड़े थे। निम्न तालिका में वर्ष के आरम्भ में और वर्ष के अन्त तक न्यायालयों में चल रहे अभियोगों के बारे में बकाया राशि का विवरण दिया गया है।

(लाख रुपयों में)

| विवरण | मूलधन | ब्याज |
|---|---|---|
| 1. वर्ष के आरम्भ में बकाया राशि | 86.16 | 101.17 |
| 2. वर्ष में देय राशि | 12.18 | 28.64 |
| 3. वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त राशि | 5.60 | 5.05 |
| 4. वर्ष के अन्त में बकाया राशि | 92.74 | 124.76 |

4.48 लाख रुपये मूलधन की राशि और 2.46 लाख रुपये ब्याज की राशि वर्ष के आरम्भ में अशोध्य राशि में शामिल नहीं की गई क्योंकि न्यायालय ने इस पर निर्णय दे दिया था। 3.23 लाख रुपये मूलधन के और 3.15 लाख रुपये ब्याज के अशोध्य राशि में शामिल नहीं किये गये क्योंकि इन्हें पिछली रिपोर्ट में भूल से शामिल किया जा चुका था।

**समय से पहले भुगतान**—इस वर्ष निगम को 8.09 लाख रुपये की राशि समय से पहले प्राप्त हुई जो इस वर्ष में देय नहीं थी।

**शेष राशि का कुल बकाया राशि से प्रतिशत**—31 मार्च, 1983 को बकाया राशि 246.90 लाख रुपये (जिसमें अदालत में चल रहे मामले तथा 49.48 लाख रुपये संलागी मामलों पर ब्याज की राशि जो पिछले वर्ष के लाभ हानि लेखा में शामिल नहीं किए गए थे) जबकि बकाया ऋण की राशि 2,575.58 लाख रुपये है। 31 मार्च, 1983 को न्यायालय में चल रहे अभियोगों की राशि 120.11 लाख रुपये है, जिसमें, 104.87 लाख रुपये की ब्याज राशि सम्मिलित नहीं है जिसे लाभ हानि लेखा में शामिल नहीं किया गया था। बकाया राशि और अदालत में चलाए जा रहे अभियोगों के शेष ऋण की राशि क्रमश: 9.59 प्रतिशत

और 4.66 प्रतिशत है, जबकि पिछले वर्ष यह 11.36 प्रतिशत, 6.75 प्रतिशत थी।

**ब्याज की दर व सीमा**--विचाराधीन वर्ष में बैंक-दर में परिवर्तन हुआ इसलिए ब्याज दर में भी परिवर्तन आया। निगम का ऋण देने का वर्तमान ढांचा 2 जुलाई, 1981 से चला आ रहा है। विचाराधीन वर्ष में निगम ने जमानत की जो सीमा निर्धारित की उसमें परिवहन उद्योग को छोड़ कर कोई परिवर्तन नहीं आया, ब्याज की दरें निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई हैं.---

| ऋणों का वर्गीकरण | वार्षिक दर प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|
| | सामान्य दर (प्रभावी) | प्रभावी दर (संसाधन के बाद) | शीघ्र वापसी के लिए छूट |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. ब्याज की मूल दरें** | 14.50 | -- | 1 |
| **2. लघु पमाने के उद्योगों के लिए रियायती दर** | | | |
| (क) पिछड़े क्षेत्र | 14.50 | 13.50 | 1 |
| (ख) पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त | 14.50 | 14.50 | 1 |
| **3. 25,000 रुपये तक कम्पोजिट ऋण** | | | |
| (क) पिछड़े क्षेत्र | 14.50 | 11.25 | 1 |
| (ख) पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त | 14.50 | 13.50 | 1 |
| **4. निर्धारित पिछड़े क्षेत्रों में लगी नई इकाइयों को रियायती दर** | 14.50 | 13.50 | 1 |
| **5. विश्व बैंक ऋण** | | | |
| (विदेशी मुद्रा भाग) | | | |
| क (i) पिछड़े क्षेत्रों के लघु उद्योग जो क्रेडिट योजना से सम्बन्धित | 14.50 | 13.50 | 1 |
| (ii) गैर पिछड़े क्षेत्रों में लगे लघु उद्योग | 14.50 | 13.50 | 1 |
| ख. अन्य | | | |
| (i) पिछड़े क्षेत्र | 14.50 | 13.50 | 1 |
| (ii) पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त | 15.00 | 15.00 | 1 |
| **6. अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोगों द्वारा चलाई गई इकाइयों के लिए** | | | |
| (i) 25,000 रुपये तक | 14.50 | 11.25 | 1 |
| (ii) 25,000 रुपये से ऊपर तथा 2 लाख रुपये तक | | | |
| (क) पिछड़े क्षेत्र | 14.50 | 12.50 | 1 |
| (ख) पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त | 14.50 | 13.50 | 1 |
| **7. भूतपूर्व सेना कर्मचारियों द्वारा लगाई गई ईकाइयो के लिए 5 लाख रुपये तक (एक व्यक्ति) 6 लाख रुपये (एक व्यक्ति से अधिक)** | | | |
| (i) पिछड़े क्षेत्र | 14.50 | 12.50 | 1 |
| (ii) गैर पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त | 14.50 | 13.50 | 1 |
| **8. अपंग व्यक्तियों द्वारा लगाई गई इकाइयां (25,000 रुपए तक)** | | | |
| (i) पिछड़े क्षेत्र | 14.50 | 11.25 | 1 |
| (ii) पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त | 14.50 | 13.50 | 1 |
| **9. डाक्टर द्वारा एक्स-रे की इकाई के लिए** | 14.50 | 13.50 | 1 |
| **10. परिवहन उद्योग** | | | |
| (i) एक वाहन के लिए | 15.50 | 14.50 | 2 |
| (ii) अन्य | 17.00 | 17.00 | 2 |
| **11. समानान्तर ऋण** | | | |
| (i) पिछड़े क्षेत्र | 14.50 | -- | -- |
| (ii) पिछड़े क्षेत्रों के अतिरिक्त | 15.00 | -- | -- |
| **12 विशेष पूंजी योजना** | 1.00 | -- | -- |
| **13. किन्नौर और लाहौल स्पिति में स्थित इकाइयां** | पिछड़े क्षेत्र के प्रभावी रियायती दर से 1 प्रतिशत कम | | |
| **14. पैनल ब्याज** | | | |
| (i) 6 मास तक न चुकाई गई अशोधन राशि पर | 3 | -- | -- |
| (ii) 6 मास से अधिक न चुकाई गई राशि पर | | | |
| (क) 3.00 लाख रुपये तक | 18.00 | -- | -- |
| (ख) 3.00 लाख रुपये से अधिक | 24.00 | -- | -- |

**संगठनात्मक विकास**—नई चुनौतियों का मुकाबला करने, विकास की दर को बनाए रखने तथा समस्त क्षेत्रों के कार्य में उन्नति लाने हेतु प्रबन्ध विकास संस्थान की सिफारिशें स्वीकार कर के निगम ने अपने संगठन को सुदृढ़ बनाया। सहायता प्राप्त इकाइयों की लगातार मदद करने की आवश्यकता अनुभव कर के निगम ने एक अलग शाखा स्थापित की जिस में तीन प्रबन्धक, एक वरिष्ठ प्रबन्धक तथा उप-महा प्रबन्धक काम कर रहे हैं। प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रबन्धक तथा शाखा प्रबन्धकों को वर्ष के अन्तर्गत और अधिकार सौंप दिए गए।

**जनशक्ति विकास**—वित्तीय संस्थाओं के पदाधिकारियों की कार्यकुशलता के विकास और सुधार को दृष्टिगोचर रखते हुए निगम ने इन को राष्ट्रीय संस्थान में विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए भेजा। इस के अतिरिक्त निगम का प्रस्ताव है कि प्रशासन विकास संस्थान के सहयोग से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान में एक विस्तृत प्रशिक्षण शिविर का प्रबन्ध किया जाए।

**कल्याण योजनाएं**—निगम ने कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा उन की न्यायोचित आंकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कल्याण योजनाओं के क्षेत्र को विस्तृत किया तथा कुछ और नए कल्याणकारी पग उठाए जो निम्नलिखित हैं:—

(i) भविष्य निधि नियमावली को उदार बना दिया गया है और इसकी अनुमति राज्य सरकार तथा भारतीय औद्योगिक बैंक से ले ली गई है।

(ii) उपदान की स्वीकार्य राशि जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने के वेतन के बराबर जो अधिकतम 15 महीने के वेतन के बराबर हो या 20,000 रुपये जो भी कम हो की सीमा बढ़ा कर 16-1/2 मास का वेतन या 36,000 रुपये जो भी कम हो, कर दिया गया है। इसके लिए राज्य सरकार तथा भारतीय औद्योगिक बैंक की अनुमति अभी प्राप्त होनी है।

(iii) निगम के कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर मृत कर्मचारी के परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाने के लिए निगम ने निर्णय लिया है कि तदर्थ अनुग्रहपूर्वक अदायगी कर्मचारी के अन्तिम वेतन से 20 गुणा तथा न्यूनतम राशि 10,000 रुपये और अधिकतम राशि 30,000 रुपये होगी। यदि मृत कर्मचारी के परिवार के पास निगम का मकान हो तो वह उसे एक वर्ष तक उसी किराये पर रख सकता है अथवा मृत कर्मचारी के परिवार को एक वर्ष तक जो मृत कर्मचारी को आवास भत्ता मिल रहा था दिया जाएगा। अराजपत्रित पद पर रोजगार सुविधा परिवार के एक सदस्य को योग्यता के आधार पर दी जाएगी तथा उसे रोजगार कार्यालय द्वारा नाम भिजवाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। यदि कोई सदस्य शिक्षा व आयु के कारण सेवा के योग्य न हो तो उसे नौकरी उस समय दी जाएगी जब वह इन आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो।

निगम के कर्मचारी ने मकान निर्माण मुरम्मत तथा खरीद के लिए अग्रिम राशि का भुगतान पूर्ण न किया हो तो ब्याज सहित उस राशि को अनुग्रहपूर्वक अदायगी राशि में से भी नहीं घटाया जाएगा। यदि मृत कर्मचारी के उत्तराधिकारी में पति, पत्नी, बेटा, बेटी, मां-बाप या अवयस्क भाई-बहिन हो और वह मृत कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो तो सारी बकाया राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

**नया बीस सूत्री कार्यक्रम**—निगम ने नये बीस सूत्री कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए पग उठाए जिन का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

(1) **अपंग व्यक्तियों के लिए आर्थिक सहायता**—निगम ने अपंग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए रियायती आर्थिक सहायता योजना बनाई है ताकि वे आत्म निर्भर हो सकें और उनकी आर्थिक हालत में सुधार आए। हर अपंग व्यक्ति यह आर्थिक सहायता लेने के योग्य होगा और इन से प्रवर्तक अंशदान भी नहीं लिया जाएगा। ऋण की अधिकतम राशि 25,000 रुपये होगी। आर्थिक सहायता संयंत्र व कार्यकारी पूंजी के लिए दी जाएगी। प्रभावी ब्याज दर 10.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी।

(2) **एक्स-रे क्लिनिक के लिए आर्थिक सहायता**—निगम ने डाक्टरों के लिए जो क्ष-रश्मि विज्ञ में विशेषज्ञ हों और जो क्ष-रश्मि क्लीनिक लगाने में समर्थ न हों को आसान शर्तों पर आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई है। यह आर्थिक सहायता क्ष-रश्मि संयंत्र तथा भवन निर्माण जिस में क्ष-रश्मि संयंत्र चालू करना हो, के लिए होगी। स्थिर लागत के 90 प्रतिशत तक के ऋण इस सम्बन्ध में दिए जाएंगे और उसमें से केन्द्रीय निवेश सहाय उपदान का समायोजन कर दिया जाएगा। इस ऋण का भुगतान 5—10 वर्षों के बीच में किया जाएगा और प्रथम दो वर्षों में कोई भी भुगतान नहीं करना होगा।

(3) **संयुक्त ऋण**—बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए निगम ने शाखा प्रबन्धकों को और अधिक अधिकार सौंप दिए हैं जिस के अन्तर्गत वह ऋणों की स्वीकृति भी दें सकते हैं। परन्तु ऋणों का भुगतान अभी तक मुख्यालय से हो रहा है। भविष्य में उद्यमियों की असुविधा को दूर करने के लिए भुगतान करने का अधिकार भी शाखा अधिकारियों को देने का निर्णय भी लिया गया है।

(4) **जिला कार्यालय**—निगम के जिला कार्यालय जो जिला मुख्यालयों नाहन, सोलन, ऊना और धर्मशाला में स्थित थे को जिले के औद्योगिक केन्द्रों पौंटा साहिब, परवाणु

मेहतपुर और डमटाल में उद्यमियों की सुविधा के लिए स्थानान्तरित किया। शाखा प्रबन्धकों को वाहन देने का भी निर्णय लिया गया है जिस से वह घूम सकें और ऋणियों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर सकें।

(5) **केन्द्रीय निवेश सहाय उपदान पर ब्याज**—निगम केन्द्रीय निवेश सहाय उपदान का भुगतान भी उन औद्योगिक इकाइयों को जिन्हें वह आर्थिक सहायता देता है इस योजना के अन्तर्गत करता रहा। इस सहाय उपदान का भुगतान निगम अपनी राशि से करता है और बाद में राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार से वापिस ले लेता है। निगम ने यह निर्णय लिया है कि यदि राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार से यह राशि 30 दिन के भीतर प्राप्त न हो तो उधार ग्रहताओं से ब्याज भुगतान की तिथि से वसूल किया जाएगा। निगम एक विकास संस्था है इसलिए उधार ग्रहताओं को ब्याज के बोझ से राहत दिलवाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

(6) **प्रबन्धक सूचना योजना**—निगम वर्ष के आरम्भ में कार्य योजना तथा संसाधन का पूर्वानुमान लगाता है ताकि विभिन्न निर्धारित लक्ष्यों जैसे समोदन, भुगतान और ऋणों की वसूली पर निदेशक बोर्ड के हर सम्मेलन में समीक्षा की जा सके। बोर्ड मुख्य अदायगी लेखों की समीक्षा करता है और स्थिति में सुधार लाने के लिए निर्देश देता है। जानबूझ कर अदायगी न करने वाले के प्रति यह निर्णय लिया है कि ब्याज की दर को अधिकतम किया जाए जैसा कि बैंक ऐसे ऋणियों के प्रति करता है। प्रचलित वर्ष में वसूली तथा अनुवर्ती शाखा उप-महा प्रबन्धक की देख रेख में स्थापित की गई।

**शक्तियों का सौंपना**—बोर्ड ने आवेदन-पत्र की प्राप्ति तथा समोदन, ऋणों के समोदन तथा भुगतान के समय के अन्तर को कम करने तथा कार्य विधि को सरल एवं सुवाही बनाने के लिए 5 लाख रुपये तक के ऋण देने के अधिकार प्रबन्धक निदेशक और 3 लाख रुपये तक के ऋण मुख्य प्रबन्धक को दे दिए हैं। इन अधिकारों को देने से प्रबन्ध निदेशक को नीति सम्बन्धी मामलों में निर्देशन देने तथा विचार करने पर पर्याप्त समय मिल जाएगा।

31 मार्च, 1983 का सन्तुलन-पत्र तथा 1982-83 का लाभ हानि लेखा क्रमशः तालिका 1.1 और 1.2 में दिया गया है।

# हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, शिमला

## 1.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31 मार्च 1982 को | पूंजी एवं दायित्व | 31 मार्च, 1983 को | 31 मार्च, 1982 को | परिसम्पति एवं सम्पदा | 31 मार्च, 1983 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1. पूंजी— | | | | |
| 1,000.00 | (क) अधिकृत | 1,000.00 | 89.11 | 1. नगद एवं बेंक में जमा | 64.34 |
| 222.95 | (ख) निर्गमित एवं भरी गई तथा चुकाई गई पूंजी | 292.95 | 1,762.17 | 2. ऋण तथा अग्रिम | 2,401.78 |
| | 2. आरक्षिति निधि तथा अन्य आरक्षिति— | | 8.63 | 3. बन्ध पत्र एवं अंश | 8.63 |
| 4.39 | (क) आरक्षिति निधि (धारा 35 के अन्तर्गत) | 3.87 | 2.43 | 4. मोटर गाड़ियां, उपस्कर एवं स्थायक | 2.69 |
| 25.45 | (ख) विशेष आरक्षिति निधि (धारा 35ए के अन्तर्गत) | 29.83 | 73.79 | 5. अन्य सम्पदाएं | 176.80 |
| 27.99 | (ग) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षिति | 27.99 | — | 6. कर के लिए प्रावधान | 6.22 |
| 77.83 | (घ) अन्य आरक्षिति | 84.33 | | | |
| 439.50 | 3. बन्ध पत्र तथा ऋण पत्र | 769.50 | | | |
| | 4. उधार ग्रहण (धारा-7 के अन्तर्गत) | | | | |
| 1,053.53 | (क) भारतीय औद्योगिक बैंक से | 1,393.29 | | | |
| | (ख) राज्य सरकार से | — | | | |
| 69.17 | 5. अन्य दायित्व | 46.51 | | | |
| 9.47 | 6. अदत्त देयता | 4.65 | | | |
| 0.23 | 7. निलम्बित लेखे पर ब्याज | 0.13 | | | |
| | 8. प्रावधान : | | | | |
| 1.10 | (क) आयकर के लिए | — | | | |
| 4.52 | (ख) वर्ष का लाभांश | 7.41 | | | |
| 1,936.13 | जोड़ | 2,660.46 | 1,936.13 | जोड़ | 2,660.46 |

# हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम, शिमला

## 1.2--31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | व्यय | 1982-83 | 1981-82 | आय | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को-- | | | से-- | |
| 79.17 | 1. निक्षेप बन्ध पत्रों तथा उधार पर ब्याज | 87.28 | | 1. ब्याज : | |
| | | | 148.37 | (क) ऋण तथा अग्रिम | 135.29 |
| | | | 0.20 | (ख) निवेश तथा निक्षेप | 2.17 |
| 10.23 | 2. वेतन तथा भत्ते | 10.99 | 0.18 | (ग) कर्मचारियों को अग्रिम | 0.01 |
| 0.94 | 3. यात्रा तथा अन्य भत्ते | 0.57 | — | (घ) बचन बद्ध ब्याज | 0.03 |
| 0.20 | 4. निदेशकों तथा समिति सदस्यों का शुल्क तथा यात्रा भत्ता | 0.08 | -- | 2. अन्य सम्पदाओं के विक्रय से लाभ | 0.01 |
| | | | | 3. अन्य आय : | |
| 0.44 | 5. कर्मचारी अंशदाई भविष्य निधि को अंशदान | 0.51 | 0.11 | (क) विविध आय | 0.10 |
| 0.78 | 6. किराया स्थानीय तथा अन्य कर, बीमा और प्रकाश | 1.17 | 1.07 | (ख) प्रोसैसिंग शुल्क (ऋण) | 0.54 |
| 2.90 | 7. डाक, तार, दूरभाष मुद्रण तथा सामग्री | 2.45 | 0.03 | (ग) प्रार्थना पत्रों का विक्रय | 0.03 |
| 0.52 | 8. प्रचार तथा विज्ञापन | 0.69 | 0.02 | 4. प्रतिलिखित व्यय | 0.01 |
| 0.08 | 9. मुरम्मत तथा नवीकरण | 0.17 | | | |
| 0.08 | 10. बैंक प्रभार, कमीशन तथा लेखा परीक्षा शुल्क | 0.02 | | | |
| 0.12 | 11. विधि व्यय | 0.16 | | | |
| 0.43 | 12. अवमूल्यन | 0.50 | | | |
| 0.20 | 13. अपलिखित बन्ध पत्रों तथा ऋण पत्रों पर छूट | 0.20 | | | |
| 5.20 | 14. बन्ध पत्रों तथा ऋण पत्रों पर स्टैम्पस शुल्क कमीशन एवं दलाली | 1.65 | | | |
| 5.16 | 15. अन्य व्यय | 8.88 | | | |
| 0.33 | 16. बट्टे खाते में डाला अशोध्य ऋण | 0.34 | | | |
| 43.20 | 17. शुद्ध लाभ | 22.53 | | | |
| 149.98 | जोड़ | 138.19 | 149.98 | जोड़ | 138.19 |

निगम ने 1-4-1982 से वाणिज्यिक प्रणाली के स्थान पर नकद लेखा प्रणाली अपना ली है।

# हिमालय उर्वरक सीमित, मंझोली (नालागढ़)

(हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित, शिमला की सहाय कम्पनी)

हिमालय उर्वरक सीमित नवम्बर, 1972 को कम्पनीज अधिनियम 1956 के अधीन पंजीकृत किया गया। कम्पनी की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपए है जो दस दस रुपए के दस लाख साम्य अंशों में विभक्त है। मार्च, 1983 को निगम की 30.00 लाख रुपए की निर्गमित एवं भरी गई पूंजी की तुलना में चुकाई गई पूंजी में 27.56 लाख रुपए थी। चुकाई गई पूंजी में से 15.30 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित तथा 12.26 लाख रुपए जनता द्वारा भरे गए हैं। 2.44 लाख रुपए की वांचित राशि बकाया है।

**1. कार्य समीक्षा:**—वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत कम्पनी ने 11,264 मीट्रिक टन विभिन्न ग्रेडों की एन०पी०के० उर्वरक का उत्पादन किया और 8,606 मीट्रिक टन खाद बेची जिसका विक्रय मूल्य 175.03 लाख रुपए है। इस की तुलना में गत पांच वर्षों का विवरण निम्न है:—

| वर्ष | कुल विक्रय मूल्य (लाख रु०) |
|---|---|
| 1976-77 | 105.00 |
| 1977-78 | 156.00 |
| 1978-79 | 218.00 |
| 1979-80 | 145.00 |
| 1980-81 | 274.15 |
| 1981-82 | 216.29 |

उर्वरक की विक्रय मात्रा तथा उससे प्राप्त मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में घट गया। फलस्वरूप कम्पनी को 21.79 लाख रुपए का घाटा हुआ। इस वर्ष कुल मिलाकर हानि 22.70 लाख रुपए तक पहुंच गई है।

**2. कच्चा माल**—इस वर्ष में निगम को कच्चा माल बिना किसी कठिनाई के प्राप्त हुआ।

3. विपणन—हिमाचल के अतिरिक्त कम्पनी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में भी अपने उत्पादन का विपणन किया। विचाराधीन वर्ष में उर्वरक मार्किट में बहुत मात्रा में आया यद्यपि कम्पनी को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में विक्रय करने की अनुमति है फिर भी सारा माल बेचा न जा सका। वर्ष के अंत में कम्पनी के पास लगभग 60 लाख रुपए का माल बाकी था, जिसके कारण कम्पनी को भारी नुकसान हुआ। वर्ष 1983-84 में कम्पनी ने एन०पी०के० उर्वरक का एक अलग ही मार्किट का प्रबन्ध किया है। आशा है कि यदि इसे कई वर्षों तक एन०पी०के० उर्वरक की अलग मार्किट दे दी जाए तो हिमाचल प्रदेश में ही 8,000 से 10,000 मीट्रिक टन तक यह उर्वरक बेची जा सकेगी। यदि कम्पनी को अनुमति हमेशा के लिए मिल जाए तो यह अपना अतिरिक्त उत्पादन पड़ौसी राज्यों में बेच सकेगी।

4. व्यापार संभावनाएं.—जबकि हिमाचल प्रदेश में एन०पी०के० उर्वरक की खपत केवल 8,000 से 10,000 मीट्रिक टन के बीच है, कम्पनी के प्लांट की उत्पादन क्षमता 30,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की है। इस लिये कम्पनी अपने माल को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर इत्यादि पड़ौसी राज्यों में विक्रय करने पर निर्भर है। इन पड़ौसी राज्यों में माल अनुमति मिलने पर ही बेचा जा सकता है। यह अनुमति हर वर्ष लेनी पड़ती है। कम्पनी यत्न कर रही है कि इन राज्यों से माल बेचने की अनुमति कई वर्षों के लिए एक बार ही मिल जाए। ये प्रयत्न किए जा रहे हैं कि उत्पाद के गुण में अन्तर आये बिना लागत के तत्वों का अधिकतम प्रयोग हो, जिससे उत्पादन के खर्च में कमी हो। कम्पनी यह भी विचार कर रही है कि अन्य क्षेत्रों में भी कार्य किया जाए। प्रबन्धक नमक आयोडाईजेशन प्लांट लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

**5. श्रमिकों से सम्बन्ध**—विचाराधीन वर्ष में श्रमिकों तथा मालिकों के पारस्परिक सम्बन्ध सामान्य रहे और कोई अप्रिय घटना न घटी। कम्पनी का 31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 1982-83 का लाभ-हानि लेखा क्रमशः तालिका 2.1 तथा 2.2 में दर्शाये गए हैं।

# हिमालय उर्वरक सीमित, मंझोली (नालागढ़)

(हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित की सहायक कम्पनी)

## 2.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 31-3-83 को | 31-3-82 को |
|---|---|---|
| **I. निधि के साधन** | | |
| (1) अंशदाताओं की निधि : | | |
| (क) अंश पूंजी . . | 27.56 | 27.45 |
| (ख) आरक्षिति एवं अधिशेष . | 6.17 | 6.17 |
| ऋण निधि : | | |
| (क) प्रतिभूति ऋण . . | 66.06 | 49.03 |
| (ख) अप्रतिभूत ऋण . . | 41.30 | 16.07 |
| जोड़ | 141.09 | 98.72 |
| **II. निधि का प्रयोग** | | |
| (1) स्थिर सम्पदा : | | |
| (क) सकल ब्लाक . . | 69.20 | 68.82 |
| (ख) घटाईये—अवमूल्यन (अब तक की) | | |
| (ग) शुद्ध ब्लाक . . | 29.23 | 26.71 |
| जोड़ | 39.97 | 42.11 |
| (2.) वर्तमान सम्पदा, ऋण और अग्रिम : | | |
| (क) वर्तमान सम्पदा . | 84.02 | 68.81 |
| (ख) ऋण और अग्रिम | 2.56 | 4.31 |
| जोड़ | 86.58 | 73.12 |
| घटाइए—वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान : | | |
| (क) वर्तमान दायित्व . . | 9.53 | 10.42 |
| (ख) प्रावधान . . . | 0.21 | 8.89 |
| शुद्ध वर्तमान सम्पदा . . | 76.84 | 53.81 |
| III विविध व्यय . . . | 1.58 | 1.89 |
| IV लाभ तथा हानि लेखा . . | 22.70 | 0.91 |
| राशि का कुल उपयोग . . | 141.09 | 98.72 |

## 2.2—31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 1982-83 | 1981-82 |
|---|---|---|
| **आय :** | | |
| 1. विक्रय . . . . | 175.04 | 216.38 |
| 2. अन्य आय . . . . | 4.26 | 1.40 |
| जोड़ | 179.30 | 217.78 |
| **व्यय :** | | |
| 1. कच्चे माल की खपत . . | 159.53 | 157.02 |
| 2. ब्याज . . . . | 12.02 | 12.30 |
| 3. अन्य व्यय और अपलेखन . . | 47.29 | 41.83 |
| 4. वियोजित अलाऊंस आरक्षित . | 0.01 | 0.06 |
| 5. अवमूल्यन (पिछले वर्ष के 442 रुपये मिला कर) . . . | 2.83 | 4.19 |
| [illegible] | 221.68 | 215.40 |
| स्टाक में वृद्धि (+)/कमी (-) | (-)20.59 | (-) 5.80 |
| [illegible] | 201.09 | 209.60 |
| संतुलित पत्र में ले जाई गई शुद्ध लाभ/हानि | (-)21.79 | (+)8.18 |
| | 179.30 | 217.78 |

# हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित, शिमला

हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित, शिमला को 25 नवम्बर, 1966 को कम्पनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। कम्पनी की अधिकृत पूंजी पांच करोड़ रुपए है जो सौ सौ रुपये के 5 लाख साम्य अंशों में विभक्त है। वर्ष 1980-81 के दौरान कम्पनी की अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया जो कि सौ सौ रुपये के दस लाख साम्य अंशों में विभक्त है। 30 नवम्बर, 1983 को निर्गमित पूंजी 700.00 लाख रुपए थी जो सौ सौ रुपये के 7 लाख साम्य अंशों में विभक्त थी। इस की तुलना में प्राप्त पूंजी 629.70 लाख रुपए थी। निगम का कार्य निदेशकों की परिषद द्वारा संचालित होता है।

वर्ष 1982-83 में निगम का शुद्ध लाभ (अंकेक्षण होने की शर्त पर) 17.80 लाख रुपए रहा। यह शुद्ध लाभ अवमूल्यन के लिए 4.40 लाख रुपए का प्रावधान करने के पश्चात रहा। निगम की गतिविधियों का ब्यौरा निम्न अनुच्छेदों में दिया गया है:—

**1. उत्पादन तथा विक्रय**—वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में निगम की विभिन्न इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन एवं विक्रय (अंकेक्षण होने की शर्त पर) निम्नलिखित है:—

(लाख रुपयों में)

| इकाई का नाम | उत्पादन | | विक्रय | |
|---|---|---|---|---|
| | 1981-82 | 1982-83 | 1981-82 | 1982-83 |
| 1. देशी शराब बोटलिंग प्लांट, मैहतपुर | 140.50 | 150.20 | 157.81 | 196.21 |
| 2. सिल्क फिलेचर, नुरपुर | 5.50 | 7.50 | 7.86 | 9.03 |
| 3. सिल्क वीविंग, नुरपूर | 3.06 | 3.02 | 3.96 | 3.90 |
| 4. फर्नीचर फैक्टरी, बिलासपुर | 3.80 | 4.10 | 4.54 | 5.45 |
| 5. खनन परियोजना, बिलासपुर | 4.90 | 5.10 | 6.33 | 7.43 |
| 6. टी० वी० ग्रार, सोलन | 70.50 | 64.80 | 82.69 | 72.22 |
| 7. फर्नीचर फैक्टरी, सोलन | 1.00 | 1.05 | 2.34 | 2.02 |
| 8. गलीचा फैक्टरी, नुरपुर | 1.58 | 0.90 | 2.46 | 0.82 |
| 9. होजरी यूनिट, नालागढ़ | 3.55 | 3.70 | 4.14 | 4.47 |
| 10. मोटराईजड यूनिट, नालागढ़ | — | — | 1.19 | — |
| 11. स्टोन-क्रशर, नालागढ़ | 0.30 | — | 0.47 | — |

**औद्योगिक इकाइयों का शुद्ध लाभ/शुद्ध हानि निम्नलिखित है**:—

(लाख रुपयों में)

| इकाई का नाम | शुद्ध लाभ (+) शुद्ध हानि (—) | |
|---|---|---|
| | 1981-82* | 1982-83* |
| 1. देशी शराब प्लांट, मैहतपुर | (+) 15.03 | (+) 24.51 |
| 2. सिल्क फिलेचर, नुरपूर | (+) 1.36 | (+) 1.01 |
| 3. सिल्क वीविंग, नुरपुर | (+) 0.68 | (+) 0.68 |
| 4. फर्नीचर फैक्टरी, बिलासपुर | (—) 0.01 | (—) 0.12 |
| 5. खनन परियोजना, बिलासपुर | (+) 0.89 | (+) 1.73 |
| 6. टी०वी०आर०, सोलन | (—) 1.47 | (—) 0.92 |
| 7. फर्नीचर फैक्टरी, सोलन | (—) 0.48 | (—) 0.59 |
| 8. गलीचा फैक्टरी, नुरपुर | (—) 0.13 | (—) 0.50 |
| 9. होजरी यूनिट, नालागढ़ | (—) 0.49 | (—) 0.60 |
| 10. मोटराईजड यूनिट, नालागढ़ | (+) 0.28 | — |
| 11. स्टोन क्रशर, नालागढ़ | (—) 0.26 | — |

*अंकेक्षण होने की शर्त पर

**2 चालू परियोजनाएं**:—

(क) निगम ने तीन निम्नलिखित सहाय कम्पनियों का प्रवर्तन किया है:—

| कम्पनी का नाम | अंशों में निवेश (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1. हिमाचल वूल प्रोसैसर्ज सीमित | 49.00 |
| 2. हिमाचल वर्स्टेड मिल्ज सीमित | 47.00 |
| 3. हिमालय उर्वरक सीमित | 15.30 |
| | 111.30 |

(ख) निगम अब तक निम्न कम्पनियों को सहायता दे चुका है :—

1. मैं० रिशव इस्पात सीमित —निगम ने इस कम्पनी की समस्त अभिगोपित राशि में से 10 लाख रुपए के एक लाख साम्य अंशों का अभिगोपन किया है। यह कम्पनी नालागढ़, जिला सोलन में इस्पात इनगोट्स के उत्पादन के लिए स्थापित की गई है। इसने अगस्त, 1976 में उत्पादन आरम्भ किया था। कम्पनी सुचारु रूप से कार्य कर रही है और 2.50 लाख रुपये के साम्य अंश प्रवर्तकों ने वापस खरीद लिए हैं।

2. मैं० थिरानी रसायन सीमित—निगम ने 2,58,500 रुपये के दस रुपये प्रति अंश की दर से 25,850 साम्य अंशों का अभिगोपन करके इस कम्पनी को सहायता की है। कम्पनी को समस्त राशि का भुगतान किया जा चुका है। परियोजना पांवटा साहिब में स्थापित है और कैलशियम कार्बोनेट का उपादन करती है। कम्पनी सुचारु रूप से कार्य कर रही है और प्रवर्तकों ने 50,000 रुपये के साम्य अंश निगम से खरीद लिए हैं।

3. मैं० रंगड़ ब्रियुरीज सीमित —निगम ने इस कम्पनी की अंशपूंजी में 3 लाख रुपए का योगदान दिया है। यह कारखाना महतपुर जिला ऊना में माल्ट निस्सारण के उत्पादन के लिए लगाया गया है। मई, 1979 में उत्पादन आरम्भ किया गया था।

4. मैं० हिमाचल पस्टीसाइड एण्ड कैमीकल सीमित, बरोटीवाला —यह कम्पनी मैलाथियान नामक एक आधारभूत कीटनाशक दवाइयां का उत्पदान कर रही है। इस संयंत्र की क्षमता 1,000 मी० टन प्रति वर्ष है। जून 1980 में निगम ने इस की 4.40 लाख रुपए की साम्य पूंजी के रुप में सहायता की।

5. मैं० यूनाइटिड डायमंड सीमित, परवाणु —यह यूनिट घड़ियों के विभिन्न प्रकार के जियुल्ज तैयार करता है जिनकी मांग देश में घड़ियों के कारखानों को है। इस कारखाने के लिए संयंत्र तथा तकनीकी जानकारी फ्रांस से ली गई है। इस कम्पनी का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवर्तन किया गया है। हि०प्र० वणिज एवं औद्योगिक विकास निगम ने साम्य पूंजी के रूप में 4.35 लाख रुपए का योगदान दिया है कम्पनी ने अगस्त, 1980 में उत्पादन आरम्भ किया था। प्रवर्तकों ने निगम से समस्त अंश खरीद लिए हैं।

6. मैं० हिमाचल कनसलटैन्सी आर्गेनाइजेशन —इस संगठन का संप्रेषण भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने किया है। निगम ने इस संगठन के साम्य अंशों में 40,000 रुपये का निवेश किया है। इसकी स्थापना उन उद्यमियों को जो हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करना चाहते हो, को परामर्श सेवा तथा तकनीकी मार्गदर्शन जिस में परियोजना की रिपोर्ट बनाना भी शामिल है, उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त यह संगठन प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद परियोजनाओं के चयन/निर्धारण एवं स्थापना की सम्भावनाओं के बारे में सर्वेक्षण करता है।

7. मैं० प्रोन्टो स्टीयरिंग सीमित —यह कम्पनी परमाणु मेंत स्टीयरिंग वर्मज तथा नट्स जिन का प्रयोग आटोमोबाँइलज उद्योग में किया जाता है, के उत्पादन के लिए लगाई गई है। संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 42,000 नट्स तथा वर्मज बनाने की है। इस कार्य के सहायतार्थ निगम ने 4.00 लाख रुपय की राशि साम्य पूंजी के रूप में लगाई है।

8. मैं० सराओ पेपर्स तथा एलायड प्रोडक्टस —निगम 2.90 लाख रुपए कम्पनी में अंश पूंजी के रूप में लगाए हैं। यह कम्पनी बरोटीवाला में क्राफ्ट पेपर बनाने के लिए लगाई गई है। संयंत्र की उत्पादन क्षमता 7 मी० टन प्रतिदिन है।

9. मैं० सिद्धार्थ सुपर स्पिनिंग मिल्ज सीमित —यह कारखाना नालागढ़ में लगाया गया है। सूती तथा सिंथेटिक्स धागा बनाने के लिए प्रथम चरण में 16,184 स्पिंडलज लगाए जाने का प्रस्ताव है। निगम ने इस कम्पनी में 42.00 लाख रुपय अंश पूंजी के रूप में लगाए हैं।

10. मैं० पन्बीं स्पैशलिटी एण्ड टिशू पेपर्ज सीमित—कम्पनी की सहायतार्थ निगम ने 60.00 लाख रुपये इस कम्पनी में साम्य पूंजी के रूप में लगाए हैं। यह इकाई बरोटीवाला में टिशू पेपर बनाने हेतू स्थापित की गई है। इस की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4,450 मी० टन है।

11. ओगली पेपर्ज प्राइवेट सीमित, काला आम्ब —यह इकाई क्राफ्ट पेपर बनाती है तथा इस की दैनिक उत्पादन क्षमता 7 मी० टन है। इस कम्पनी को साम्य पूंजी के रूप में निगम ने 1.22 लाख रुपए लगाए हैं।

12. युनाइडिड वनस्पति वर्क्स प्राइवेट सीमित, नालागढ़ —यह इकाई नालागढ़ में वनस्पति घी बनाती है। निगम ने इस कम्पनी में 3.90 लाख रुपए साम्य पूंजी के रूप में लगाए हैं। इस कम्पनी का उत्पाद काफी अच्छा है तथा उपभोक्ताओं में प्रचलित है।

13. बरोटीवाला पेपर्स प्राइवेट सीमित, बरोटीवाला—यह इकाई नालागढ़ में क्राफ्ट पेपर बना रही है। निगम ने कम्पनी को 1.57 लाख रुपये साम्य पूंजी के रूप में दिए हैं। इस इकाई ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

14. टिशु एण्ड फाइवर्स सीमित, नालागढ़ —यह इकाई नालागढ़ में ओवरीबोर्ड पेपर बना रही है। निगम ने 4.47 लाख रुपए इस कम्पनी में साम्य पूंजी के रूप में लगाए

हैं। इस इकाई में अगस्त, 1983 से उत्पादन आरम्भ हो गया है।

15. **शैल पेपर्स प्राइवेट सीमित, बरोटीवाला**—यह कम्पनी बरोटीवाला में क्राफ्ट पेपर बनाने के लिए एक इकाई स्थापित कर रही है। निगम ने 2.60 लाख रुपए कम्पनी को साम्य पूंजी के रूप में देने मंजूर किए हैं तथा 1.30 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इस इकाई का परीक्षण के लिए चलना आरम्भ हो चुका है।

16. **कंवर पेपर्ज प्राइवेट सीमित, काला अम्ब**—कम्पनी काला अम्ब में क्राफ्ट पेपर बनाने हेतू एक इकाई स्थापित कर रही है। निगम ने इस कम्पनी को 2.60 लाख रुपए साम्य पूंजी के रूप में देने स्वीकार किए हैं। जिसमें से 1.30 लाख रुपए दिय जा चुके हैं। इकाई परीक्षण के लिए चालू की जा चुकी है।

17. **देसराज पेपर्ज प्राइवेट सीमित बरोटीवाला**— यह कम्पनी बरोटीवाला में एक क्राफ्ट पेपर इकाई लगा रही है। निगम ने 1.37 लाख रुपए साम्य पूंजी के रूप में लगाने स्वीकार किए हैं। जिनमें से 0.70 लाख दिए जा चुके हैं। यह इकाई परीक्षण के लिए चलाई जा चुकी है।

18. **बिनसम टैक्सटाइल्स सीमित, नालागढ़**— यह कम्पनी नालागढ़ में एक टैक्सटाइल इकाई स्थापित कर रही है। इस कम्पनी को अवधि ऋण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया गया है। निगम ने 60.00 लाख रुपए इस कम्पनी को साम्य पूंजी के रूप में देने स्वीकार किए हैं। जिनमें 17.00 लाख रुपए दिए जा चुके हैं।

19. **हिमाचल फाइबर्ज सीमित, बरोटीवाला**— यह कम्पनी बरोटीवाला में एक वस्त्र इकाई स्थापित कर रही है इस कम्पनी की अवधि ऋण केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए हैं। निगम ने 41.00 लाख रुपए साम्य पूंजी के रूप में कम्पनी को देने स्वीकार किए हैं। जिनमें से 2.00 लाख रुपए दिए जा चुके हैं।

20. **हिम ट्यूब्ज सीमित, कन्दरोरी, कांगड़ा**— कम्पनी बिना सीवन की नालियां बनाने की इकाई स्थापित कर रही है। निगम ने 19.95 लाख रुपए की राशि साम्य पूंजी के रूप में देनी स्वीकार की है, और इसमें से 1.00 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। कम्पनी शीघ्र ही लोगों से धन उधार लेने की योजना पर कार्य आरम्भ करने जा रही है।

(ग) अब तक स्वीकृत/दिए गए अवधि ऋण निगम ने निम्नलिखित कम्पनियों को ऋण राशि समोदित कर के भुगतान किया :

(लाख रुपयों में)

| इकाई का नाम | नवम्बर, 1983 तक अवधि ऋण | |
|---|---|---|
| | अनुमोदित राशि | भुगताई गई राशि |
| 1. मै० शिवालिक एग्रोपोली प्रोडक्ट्स लि० | 41.58 | 29.18 |
| 2. मै० खन्ना वाचिज, | 30.00 | 30.00 |
| 3. मै० कान्टीनैन्टल आटो | 60.00 | 60.00 |
| 4. मै० युनाईटिड डायमण्ड | 60.00 | 60.00 |
| 5. मै० आईशर फार्म मशीनरी | 60.00 | 50.53 |
| 6. मै० प्रोन्टो स्टियरिंग | 50.05 | 49.02 |
| 7. मै० प्यूरो लेटर | 13.34 | 2.93 |
| 8. मै० यश पाल गर्ग | 24.70 | 24.70 |
| 9. मै० कालिमा एन्टर प्राईजिज | 30.62 | 27.54 |
| 10. मै० ए० बी० टूलज | 26.00 | 25.22 |
| 11. मै० कुमार सिलैण्डरज | 25.00 | — |
| 12. मै० कमला डायलज | 60.00 | 56.13 |
| 13. मै० हिमाचल पैस्टीसाईडज | 60.00 | 60.00 |
| 14. मै० बरोटी वाला पैपर्ज | 59.00 | 43.66 |
| 15. मै० देश राज पेपर्ज | 50.79 | 43.07 |
| 16. मै० क्राफ्ट पेपर्ज | 27.45 | — |
| 17. मै० सराओ पेपर्ज | 60.00 | 60.00 |
| 18. मै० शैल पेपरर्ज | 19.24 | 11.07 |
| 19. मै० लाल जी पेपर्ज | 40.45 | 39.32 |
| 20. मै० गुप्ता ब्रदर्ज | 7.97 | — |
| 21. मै० उपकार इन्डस्ट्रीसज | 10.68 | 9.29 |
| 22. मै० नवदुर्गा | 48.00 | — |
| 23. मै० शिवालिक कास्टिंगज | 1.71 | — |
| 24. मै० आर० के० भण्डारी | 16.35 | — |
| 25. मै० युनाईटिड वनस्पति | 60.00 | 60.00 |
| 26. मै० टिशू एण्ड फाईबर | 54.36 | 49.68 |
| 27. मै० सोलरसाईन्सिज | 31.00 | — |
| 28. मै० हिम फोजिग | 7.50 | 7.50 |
| 29. मै० अराधना पेपर्ज | 60.00 | — |
| 30. मै० हिमाचल एअर प्रोडक्टस | 60.00 | 52.75 |
| 31. मै० एच०पी० रुबक्लेम | 60.00 | 55.70 |
| 32. मै० औगलो पेपर्ज | 46.00 | 45.21 |
| 33. मै० तेज स्ट्रा | 2.55 | 2.55 |
| 34. मै० कवंर पेपर्ज | 45.37 | 38.95 |
| 35. मै० रुचिरा पेपर्ज | 23.43 | 23.16 |
| 36. मै० थिरानी कैमीकलज | 6.58 | 5.96 |
| 37. मै० इन्ट्रनेशनल सिलैण्डर | 24.80 | — |
| 38. मै० हिमाचल स्पैशल स्टील ट्यूब | 9.71 | — |
| 39. मै० आदम पेपर्ज | 39.60 | — |
| 40. मै० रंगड ब्रूरिरीज | 11.30 | 11.23 |
| 41. मै० विलेज पेपर | 26.48 | 21.11 |
| 42. मै० कटारिया पेपर | 6.04 | — |
| 43. मै० रायल मालडिंगज | 10.00 | — |
| 44. मै० महतपुर पेपर | 5.37 | — |
| 45. मै० जे० के० रैक्सीन | 15.00 | 10.66 |
| 46. मै० केवल सालवेंटस | 18.40 | 8.65 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 47. मै० जी०एस० पुरेवाल | 30.00 | 30.00 |
| 48. मै० एच० पी० टी० डी० सी० शिमला | 13.00 | 13.00 |
| 49. मै० कास्टिन | 13.60 | — |
| 50. मै० गगन रीक्लेमरज | 60.00 | — |
| 51. मै० युनाईटिड डायमण्ड लि० | 29.00 | — |
| 52. मै० एम० एण्ड आई० वाँचिज | 60.00 | 9.84 |
| 53. मै० अतुल कास्टिगज | 25.03 | — |
| 54. मै० सुखचैन एण्ड कम्पनी | 42.87 | — |
| 55. मै० युनिटैक्नो सिलैण्डर | 22.30 | — |
| 56. मै० पी० जी० एन्टरप्राईजिज | 60.00 | — |
| 57. मै० यमुना गैसिस | 10.00 | — |
| 58. मै० हाँलिडे रिजॉर्ट प्रा० लि० | 31.45 | — |
| 59. मै० आँटो ब्रेक्स | 49.90 | — |
| जोड़ | 19,53.57 | 11,27.61 |

निगम का इंजीनियरिंग विंग निम्नलिखित इंजीनियरिंग कार्य में लगा है :—

1. मैहतपुर, पावंटा साहिब, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, नगरोटा वगवां, मण्डी, हमीरपुर, चम्बा तथा बद्दी जैसे स्थानों में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास,
2. ऊपर दिए गए विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक शैडों का निर्माण,
3. केलांग तथा कल्पा को छोड़ कर अन्य सभी जिला मुख्यालयों में जिला औद्योगिक केन्द्रों का निर्माण, तथा
4. केलांग, कल्पा तथा शिमला के अतिरिक्त अन्य सभी जिला मुख्यालयों में आवास भवनों का निर्माण ।

यह कार्य उद्योग विभाग की ओर से डिपाजिट कार्य के रूप में किया जा रहा है। यह कार्य इतनी शीघ्रता से किया गया कि 3/4 वर्षों में ही औद्योगिक क्षेत्रों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया । विभिन्न जिला मुख्यालयों में जिला उद्योग केन्द्रों का निर्माण कार्य प्रगति में रहा । संसारपुर टेरस (कांगड़ा) में औद्योगिक क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य भी किया जा चुका है। इसका निर्माण कार्य खर्च का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने पर आरम्भ कर दिया जायेगा। मण्डी तथा चम्बा में औद्योगिक केन्द्रों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

इस समय चल रहे तथा पहले पूरे हो चुके कार्यों की कुल लागत निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

| निर्माण कार्य | कुल लागत |
|---|---|
| 1. एच०पी०एम०आई०डी०सी०के अपने कार्य | 43.50 |
| 2. एच०पी०एम०आई०डी०सी० की सहाय कम्पनियाँ | 111.00 |
| 3. उद्योग विभाग | 345.05 |
| 4. फल-उत्पादक सीमित, हि०प्र० | 25.00 |
| 5. एच० आर० टी० सी० | 7.59 |
| 6. एच०पी०एस०एस०आई०एण्ड ई०सी०लि० | 33.25 |
| 7. अधिसूचित क्षेत्र कमेटियां | 1.70 |
| 8. हथकर्घा एव हस्तकला निगम | 6.70 |
| 9. हि० प्र० सहकारिता विभाग | 22.85 |
| 10. अन्य कार्य | 99.00 |
| 11. हिमाचल प्रदेश में निविदा कार्य | 57.00 |
| जोड़ | 752.64 |

हिमाचल प्रदेश खनिज एवं उद्योग निगम को 'ए' श्रेणी के सिविल कार्यों के ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किया गया है। परवाणू तथा पालमपुर में 57.00 लाख रुपए से अधिक के कार्य आरम्भ किए गए। परवाणू में एच० पी०एम०सी० तथा पालमपुर में हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य अन्तिम चरण में हैं।

31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र तथा 1982-83 का लाभ-हानि लेखा क्रमशः तालिका 3.1 तथा 3.2 में दिया गया है ।

## हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित, शिमला

### 3.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | सम्पदा | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | I निधि के साधन:— | | | I निधि का प्रयोग:— | |
| 450.20 | 1. अंश पूंजी | 539.70 | 71.31 | 1. स्थिर सम्पदा प्रगति पर पूंजी कार्यों सहित | 70.39 |
| 4.70 | 2. आरक्षिति एवं अधिशेष | 7.84 | 198.08 | 2. निवेश | 248.53 |
| | 3. ऋण: | | | | |
| 27.82 | (क) प्रतिभूत ऋण | 20.26 | 875.62 | 3. वर्तमान सम्पदा ऋण तथा पेशगी | 1254.82 |
| 574.85 | (ख) अप्रतिभूत ऋण | 864.26 | 115.46 | घटाए: वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान | (−) 151.03 |
| | | | 760.16 | शुद्ध वर्तमान सम्पदा | 1103.79 |
| | | | 1.48 | 4. अपलिखित विविध व्यय | 0.61 |
| | | | 26.54 | 5. लाभ तथा हानि लेखा | 8.74 |
| 1057.57 | जोड़ | 1432.06 | 1057.57 | जोड़ | 1432.06 |

## हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित, शिमला

### 3.2—31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | व्यय | 1982-83 | 1981-82 | आय | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| 192.56 | 1. कच्चे माल की खपत (चल रहे कार्यों सहित) | 206.18 | 273.75 | 1. विक्रय/हस्तान्तरण | 301.55 |
| 16.17 | 2. आबकारी कर | 13.85 | 49.17 | 2. अन्य आय | 68.25 |
| 68.93 | 3. उत्पादन, विक्रय एवं प्रशासनिक व्यय | 76.58 | | | |
| 39.15 | 4. ब्याज | 50.99 | | | |
| 3.98 | 5. अवमूल्यन | 4.40 | | | |
| 2.13 | 6. नीचे ले जाया गया शुद्ध लाभ | 17.80 | | | |
| 322.92 | जोड़ | 369.80 | 322.92 | जोड़ | 369.80 |
| — | 1. नीचे लाया गया शेष | — | 2.13 | 1. नीचे लाया गया शेष | 17.80 |
| 0.50 | 2. ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान | — | 26.54 | 2. गत वर्ष का अधिशेष | 8.74 |
| 0.77 | 3. समायोजन से पहले लाभ | — | | | |
| 27.40 | 4. पिछले वर्ष की नीचे लाई गई हानि | 26.54 | | | |
| 28.67 | जोड़ | 26.54 | 28.67 | जोड़ | 26.54 |

# 4

## हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित, शिमला

हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम एक सीमित कम्पनी के रूप में 20 अक्तूबर, 1966 को कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। 31 मार्च, 1983 को निगम की चुकाई गई पूंजी एक करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी की तुलना में 93.67 लाख रुपये थी।

निगम का मुख्य कार्य राज्य को अलॉट किये गये सभी दुलर्भ, नियन्त्रित तथा आयात किये गये कच्चे माल का लघु औद्योगिक इकाइयों में वितरण करके उनका प्रदेश में विकास करना है। पिछले वर्षों की तरह निगम सीमेंट तथा कोयला के आदान एवं वितरण मशीनरी को किराये पर देने, औद्योगिक शैडों तथा सार्वजनिक सुविधा कार्यशाला के निर्माण तथा लघु पैमाने के उद्योगों को विपणन में सहायता देने की गतिविधियों में व्यस्त रहा।

निगम ने औद्योगिक यूनिटों को कच्चे माल के आयात के लिये वित्तीय सहायता देने की उदार योजनायें बनाई हैं। प्रचलित वर्ष में निगम द्वारा किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

### 1. आदान एवं वितरण

**कच्चा माल** —निगम ने अभी तक केवल दुलर्भ, नियन्त्रित तथा आयात किये गये कच्चे माल जैसे कि लोहा एवं इस्पात, पैराफिन वेक्स, एल० डी० पी० ई०, पाम फैटी एसिड, सोडाएश, बैन्जीन एवं सल्फ्यूरिक एसिड का ही आदान एवं वितरण किया है। इन वस्तुओं का आदान एवं वितरण निगम द्वारा परवाणु, मैंहतपुर, कांगड़ा, नाहन तथा मण्डी में स्थित डिपुओं के माध्यम से किया जा रहा है। बैन्जीन तथा सल्फ्यूरिक एसिड का आदान एवं वितरण केवल पांवटा साहिब डिपो द्वारा ही किया जाता है। निगम इस सुविधा को प्रदान करने के लिये नाममात्र का प्रभार लेता है। वर्ष 1982-83 में बेची गई इन वस्तुओं का मूल्य 90.40 लाख रुपये था।

निगम ने कंदरोरी में एक नया डिपो स्थापित किया है जिसने कार्य आरम्भ कर दिया है। ऐसा ही एक डिपो बिलासपुर में स्थापित करने की योजना है। इसके साथ ही नाहन, मण्डी, परवाणु, कांगड़ा और मैंहतपुर में पहले से स्थापित डिपुओं को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना को उद्योग विभाग ने स्वीकृति दे दी है। लघु स्तर की इकाइयों को कच्चा माल प्रदेश के उद्योग विभाग द्वारा उनकी समर्थता आंके जाने के आधार पर ही वितरित किया जाता है।

**सीमेंट**—निगम प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के लिये सीमेंट के आदान एवं वितरण की एक मात्र एजेंसी है। सीमेंट का वितरण नाहन, मण्डी, परवाणु, कांगड़ा, मैंहतपुर, कंदरोरी तथा हमीरपुर में स्थित डिपुओं के माध्यम से किया जाता है। निगम ने वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में क्रमशः 19.34 लाख, 27.96 लाख और 27.84 लाख रुपये के मूल्य का सीमेंट बेचा।

**कोयला**—वर्ष 1977-78 से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को बेचे गये स्टीम एवं कोयला विक्रय की मात्रा तथा मूल्य निम्न प्रकार से हैं :—

| वर्ष | मात्रा (मी० टन) | मूल्य (लाख रुपए) |
|---|---|---|
| 1977-78 | 10,600 | 19.01 |
| 1978-79 | 7,161 | 14.12 |
| 1979-80 | 2,683 | 6.45 |
| 1980-81 | 6,003 | 18.02 |
| 1981-82 | 7,931 | 29.45 |
| 1982-83 | 3,840 | 17.59 |

**2. उत्पादन** —निगम ने परवाणु में प्री-स्टरैस्ड कन्करीट पोल्ज उत्पादन इकाई तथा पेपर कनवरशन इकाई, नाहन और चम्बा में हौजरी यूनिट तथा चम्बाघाट सोलन में टी० बी० टरनर्ज मैनुफैक्चरिंग यूनिट, (हिमट्रोन), स्थापित किये हैं। इन इकाइयों के गत तीन वर्षों के उत्पादन तथा सकल विक्रय का वितरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपयों में)

| इकाई का नाम | उत्पादन | | | सकल विक्रय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 |
| 1. पी० सी० सी० पोल्ज यूनिट | 20.93 | 25.24 | 27.88 | 28.68 | 35.49 | 38.36 |
| 2. पेपर कनवरशन यूनिट | 3.11 | 4.41 | 2.92 | 4.30 | 5.98 | 3.50 |
| 3. नाहन हौजरी यूनिट | 2.59 | 2.89 | 2.50 | 3.54 | 3.83 | 3.72 |
| 4. चम्बा हौजरी यूनिट | 1.42 | 1.54 | 2.22 | 2.18 | 2.38 | 2.94 |
| 5. हिमट्रोन सोलन | 1.90 | 3.37 | 2.46 | 1.18 | 4.73 | 1.56 |

3. **निर्यात** —निर्यात के क्षेत्र में निगम की भूमिका केवल आवश्यक व्यापार जानकारी उपलब्ध करवाना, निर्यात से सम्बन्धित सूचना देना तथा समाशोधन गृह के रूप में कार्य करना है । इस उद्देश्य के लिये निगम ने एफ० आई० ई० ओ० आई० आई० एफ० टी० तथा टी० डी० ए० की सदस्यता ली है जिसके विभिन्न खरीददारों से मिलने वाली व्यापार सम्बन्धी पूछताछ को हिमाचल प्रदेश के निर्यात करने वाले विनिर्माताओं को दी जाती है । निगम कूठ जड़ी के निर्यात के लिये एस० टी० सी० का एजेन्ट था । उत्पादन में गिरावट के कारण अब इसके निर्यात के कार्य को समाप्त कर दिया गया है ।

4. **विपणन** —निगम ने प्रदेश में तथा प्रदेश से बाहर स्थित औद्योगिक इकाइयों को विपणन में सहायता प्रदान करने के लिये एक विस्तृत योजना बनाई है । निगम ने स्वयं को डी० जी० एस० एण्ड डी० के साथ पंजीकृत किया है तथा व्यापार सम्बंधी ब्यौरा प्राप्त करके औद्योगिक इकाइयों को निष्पादन के लिये देता है ।

5. **शैडों तथा सामान्य सुविधा कार्यशाला का निर्माण**— इस परियोजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब में 10 शैडों का निर्माण किया है तथा इनका प्रयोग डैंटरजैंट कम्पलेक्स की इकाइयों के लिये किया जा रहा है । भविष्य में उद्यमियों से मांग आने पर तथा वित्तीय प्रबन्ध के बाद ही ऐसे शैडों का निर्माण किया जायेगा । आजकल इनकी कोई मांग नहीं है अतः इनका निर्माण नहीं किया जा रहा है ।

निगम को विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य सुविधा कार्यशालाओं के निर्माण के लिये 8.00 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं । निर्माण कार्य उद्योग विभाग के विचार-विमर्श के बाद से शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा ।

31 मार्च, 1983 का अस्थायी सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 1982-83 का (अस्थाई) लाभ तथा हानि लेखा क्रमशः तालिका 4.1 तथा 4.2 में दिये गये हैं ।

## हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित, शिमला

### 4.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र*

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | सम्पदा | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. अंश पूंजी : | | | | |
| 100.00 | (क) अधिकृत | 100.00 | 19.07 | 1. स्थिर सम्पदा | 18.70 |
| 100.00 | (ख) निर्गमित | 100.00 | 0.40 | 2. निवेश | 0.40 |
| 83.67 | (ग) भरी गई | 83.67 | | 3. वर्तमान सम्पदा ऋण एवं अग्रिम | |
| | (घ) याचित एवं चुकाई गई | | | (क) वर्तमान सम्पदा : | |
| 83.67 | (अंश पूंजी को अभिदान सहित) | 93.67 | 51.99 | (i) बन्द घोषित स्टाक | 34.75 |
| | 2. आरक्षिति एवं अधिशेष : | | -- | (ii) अन्य भण्डार एवं ओजार | 1.00 |
| 5.50 | (क) पूंजी आरक्षिति | 5.50 | 14.85 | (iii) नकदी तथा बैंक बैलेंस | 3.00 |
| 7.59 | (ख) सामान्य एवं अन्य आरक्षिति | 4.97 | 85.04 | (iv) फुटकर देनदार | 62.00 |
| 1.85 | (ग) निवेश आवंटन आरक्षिति | 1.86 | 0.14 | (v) उपर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं | -- |
| 29.91 | 3. प्रतिभूत ऋण | 5.74 | 54.24 | (ख) ऋण एवं अग्रिम | 47.33 |
| 14.90 | 4. अप्रतिभूत ऋण | 14.70 | 0.05 | 4. विविध व्यय | 0.05 |
| | 5. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान | | | | |
| 71.37 | (क) वर्तमान दायित्व | 30.71 | | | |
| 10.99 | (ख) प्रावधान | 10.08 | | | |
| 225.78 | जोड़ | 167.23 | 225.78 | जोड़ | 167.23 |

*अस्थायी

## हिमाचल प्रदेश राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम सीमित, शिमला

### 4.2—31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा*

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 31-3-83 को | विवरण | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|
| को— | | से— | |
| 1. प्रारम्भिक स्टाक | 49.19 | 1. बिक्री | 147.52 |
| 2. कच्चे माल का क्रय तथा खपत | 118.36 | 2. बन्द घोषित स्टाक | 34.75 |
| 3. वेतन मजदूरी, बोनस, आवश्यक भविष्य निधि | 13.64 | 3. कच्चे माल की बिक्री पर लाभ | 5.24 |
| 4. किराया | 0.52 | 4. ब्याज प्राप्तियां | 0.80 |
| 5. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 0.31 | 5. विविध आय | 0.70 |
| 6. डाक, तार, दूरभाष तथा ट्रंककाल | 0.83 | 6. शुद्ध हानि | 3.92 |
| 7. वाहन चालन एवं अनुरक्षण | 1.48 | | |
| 8. यात्रा प्रभार इत्यादि | 0.93 | | |
| 9. बिजली, पानी तथा ईंधन | 0.40 | | |
| 10. विज्ञापन तथा प्रचार | 0.11 | | |
| 11. बीमा | 0.11 | | |
| 12. मनोरंजन | 0.12 | | |
| 13. वास्तविक पुष्टि | 0.06 | | |
| 14. व्यापार प्रवर्तन | 0.02 | | |
| 15. मरम्मत एवं अनुरक्षण | 0.43 | | |
| 16. भाड़ा, चुंगी तथा कुली प्रभार | 0.04 | | |
| 17. कानूनी प्रभार | 0.07 | | |
| 18. नवीकरण शुल्क | 0.01 | | |
| 19. बैंक प्रभार | 0.10 | | |
| 20. कमीशन एवं छूट | 0.15 | | |
| 21. उधार पर ब्याज | 3.05 | | |
| 22. अंकेक्षण फीस | 0.30 | | |
| 23. अवमूल्यन | 2.70 | | |
| जोड़ | 192.93 | जोड़ | 192.93 |

*अस्थायी

# 5

## हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित, शिमला

हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित, की स्थापना राज्य में हस्तशिल्प एवं हथकरघा उद्योगों की उन्नति तथा विकास के उद्देश्य से 30 मार्च, 1974 को पंजीकरण के उपरान्त अप्रैल, 1974 में हुई । 31 मार्च, 1983 में निगम की अधिकृत पूंजी 1.25 करोड़ रुपये है जबकि चुकाई गई पूंजी 1.02 करोड़ रुपये है ।

इस निगम द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न है :—

**1. लुप्त कलाओं का पुनर्जीवन (शिशुक्षता योजनाएं) --** प्रदेश की कला एवं शिल्प यहां के लोगों की पारम्परिक संस्कृति का प्रतिबिम्ब है । ऐसी शिल्पकलाओं का पुनर्जीवन करना आवश्यक है जिनका कि विलोप होता जा रहा है । इस समय निगम प्राचीन भारतीय "गुरु चेला" पद्धति के अन्तर्गत चम्बा में धातु शिल्प तथा घोड़े के बालों का उत्पाद और मनाली तथा ताबो में थनका चित्रकला की शिशुक्षता की 4 योजनायें चला रहा है ।

**2. शिल्प प्रवीणता उत्पादन**—निगम विभिन्न शिल्प कलाओं में दक्ष कारीगर/शिल्पकार उत्पन्न करने के लिये शिल्प प्रवीणता उत्पादन केन्द्रों का संचालन कर रहा है जो निम्न हैं :—

(1) लकड़ी की खुदाई का प्रशिक्षण केन्द्र सांगला (किन्नौर जिला) तथा गरोला (चम्बा जिला),
(2) गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र गरोला (चम्बा जिला), काजा (लाहौल स्पिति जिला) तथा चांगो (किन्नौर जिला),
(3) गुड़ियां बनाने का केन्द्र गड़खल (सोलन जिला),
(4) हथकरघा बुनाई केन्द्र सिहुन्ता (चम्बा जिला),
(5) कम्बल तथा हस्पताल के बिस्तरों की चादरों की बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र सिहुन्ता (जिला चम्बा),
(6) दरी बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र नाहन (सिरमौर जिला),
(7) कम्बल बुनाई केन्द्र सराहन (सिरमौर जिला),
(8) कम्बल तथा दरी बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र दिगल (सोलन जिला)

**3. हथकरघा बुनकरों और अन्य शिल्पकारों/कारीगरों को लूम लगाने से पहले, लूम लगने पर तथा उस के बाद में सहायता**— निगम अपनी आदान इकाई योजनाओं द्वारा कच्चे माल, बुनाई के उन्नत उपकरण, हस्तशिल्प तथा उन्नत नमूनों को यथा-कर्म मजदूरी योजना के अन्तर्गत बुनकरों को बुनने के लिये देता है । एक बुनकर जो दिन में 8 घण्टे कार्य करता है 15 से 22 रुपये तक प्रतिदिन कमाता है । इस योजना में धातु शिल्प, लाहौल स्पिति जिले के गलीचो की बुनाई, हाथ की बुनी हुई जुराबें तथा दस्ताने भी सम्मिलित हैं । इस समय प्रदेश में ऐसे 9 केन्द्र शिमला, कुल्लू, किन्नौर, हमीरपुर, केलोंग, काजा, पांगी, भरमौर तथा ऊना में कार्य कर रहे हैं ।

**4. कार्यशालाओं में उत्पादन** —कार्यशालाओं में विभिन्न उत्पादन के लिये 51 उत्पादन केन्द्र कार्यरत हैं जिनमें 22 हथकरघा बुनकर केन्द्र, 20 गलीचा बुनाई केन्द्र, 5 फर्नीचर/ लकड़ी के बर्तन/ खिलौने बनाने के केन्द्र तथा जूतों, गुडियों चम्बा में कढ़ाई के रूमाल तथा बांस की चीजें बनाने के एक-एक केन्द्र हैं ।

**5. डिजाइन विकास** —प्रदेश के अपने परम्परागत डिजाइनों के तरीके हैं । आधुनिक ग्राहकों की पसन्द के अनुसार पुराने डिजाइनों पर आधारित नये डिजाइन निकाले जा रहे हैं । ऐसे डिजाइन शिमला में स्थित हस्तशिल्प तथा हथकरघा केन्द्रों में बनाये जाते हैं ।

**6. विपणन स्थल**—विपणन सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से निगम प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर 15 विक्रय केन्द्र चला रहा है जिनके द्वारा निगम अपने उत्पादन एवं बुनकरों और शिल्पकारों/कारीगरों के माल को नकद खरीद कर तथा माल बिकने पर भुगतान द्वारा विक्रय करता है ।

**7. प्रदर्शनी** —निगम ने प्रदेश के हस्तशिल्प एवं हथकरघा के उत्पादन को बेचने के लिये विभिन्न स्थानों में प्रदर्शनियां लगाई तथा एक्सपो एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भी भाग लिया । एक्सपो में साल में 60 दिनों हथकरघा उत्पाद की बिक्री पर 20 प्रतिशत की सरकारी छूट देता है । निगम साल में एक बार लगने वाले अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह में हस्तशिल्प के उत्पादन की बिक्री पर 5 प्रतिशत की छूट देता है । वर्ष 1983-1984 में निगम ने एक्सपो तथा व्यापारिक मेलों में भाग लिया तथा नई दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय मेले हैंडलूम एवं खादी मेला देहली, अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी हैदराबाद, हिल एक्सपो देहली में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया । ऐसी ही प्रदर्शनियां लखनऊ, कानपुर, बरेली, कलकत्ता, शिमोगा, अम्बाला, चण्डीगढ़, पठानकोट, तिरुपति, यमुनानगर, आगरा, बम्बई और बड़ौदा में भी लगाई गई ।

**8. निर्यात**—निगम विदेशी मंडियों में अपने उत्पादन को निर्यात करने के प्रयत्न कर रहा है।

**9. प्रचार**—निगम अपने हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादन के प्रचार का काम हस्तपत्रक, प्रैस विज्ञापनों इत्यादि के द्वारा कर रहा है।

**10. रोजगार**—निगम ने वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में क्रमशः 547 व्यक्तियों, 404 व्यक्तियों तथा 137 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। वर्ष 1983-84 में 219 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

**11. वार्षिक योजना 1983-84 एवं 1984-85**—वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के लिये क्रमशः 43.00 लाख रुपये तथा 46.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

**12. उत्पादन का विकेन्द्रीयकरण**—निगम विकेन्द्रीयकरण के क्षेत्र में उत्पादन का आयोजन करने का प्रयत्न कर रहा है। कुल्लू में एक प्रायोगिक योजना तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत 250 बुनकरों को लाया जायेगा। स्टेट बैंक आफ इन्डिया से इनको भिन्न ब्याज दरों पर ऋण दिलाया जायेगा। निगम उनको कच्चा माल देगा और उन से तैयार माल वापिस लेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष लगभग 39.00 लाख रुपये की हथकरघा वस्तुयें ली जायेंगी।

31 मार्च, 1980 का सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 1979-80 का लाभ हानि लेखा क्रमशः तालिका 5.1 और 5.2 में दिये गये हैं।

# हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित, शिमला

## 5.1—31 मार्च, 1980 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-79 को | दायित्व | 31-3-80 को | 31-3-79 को | सम्पदा | 31-3-80 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. अंशदायी पूंजी | | | | |
| 100.00 | (क) अधिकृत | 100.00 | 7.52 | 1. स्थिर सम्पदा | 8.96 |
| 42.50 | (ख) निर्गमित एवं भरी गई | 60.25 | 150.26 | 2. वर्तमान सम्पदा, ऋण एवं अग्रिम | 194.57 |
| 42.50 | (ग) याचित एवं चुकाई गई | 60.25 | 0.11 | 3. विविध व्यय | 0.18 |
| 17.75 | (घ) अंश आवेदन पत्र राशि | 16.25 | 11.19 | 4. लाभ तथा हानि लेखा | 20.48 |
| 1.42 | 2. पूंजी व्यय के लिए अनुदान | 1.62 | | | |
| 12.32 | 3. आरक्षिति एवं अधिशेष | 12.15 | | | |
| 27.38 | 4. अप्रतिभूत ऋण | 35.62 | | | |
| 67.71 | 5. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान | 98.30 | | | |
| 109.08 | जोड़ | 224.19 | 169.08 | जोड़ | 224.19 |

# हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम सीमित, शिमला

## 5.2—31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1978-79 | विवरण | 1979-80 | 1978-79 | विवरण | 1979-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| 27.94 | 1. निर्मित वस्तुएं | 25.82 | 34.80 | 1. विक्रय | 37.38 |
| 1.10 | 2. चल रहे कार्य | 6.86 | 1.34 | 2. अन्य आय | 2.70 |
| 0.75 | 3. उप-पदार्थ | 0.11 | 25.82 | 3. निर्मित वस्तुएं | 45.12 |
| 8.24 | 4. क्रय | 12.89 | 6.86 | 4. चल रहे कार्य | 2.89 |
| | | | 0.11 | 5. उप-पदार्थ | — |
| 13.58 | 5. कच्चे माल की खपत | 16.08 | 9.98 | 6. सहाय अनुदान | 16.13 |
| 6.88 | 6. उत्पादन व्यय | 13.65 | 1.40 | 7. पूंजी व्यय अनुदान को स्थानान्तरित राशि | 0.24 |
| 23.62 | 7. कार्यालय तथा प्रशासनिक व्यय | 32.30 | 1.52 | 8. सहाय अनुदान केन्द्रों की शुद्ध हानि विशेष आरक्षिति लेखों में स्थानान्तरित | 0.17 |
| 1.99 | 8. विक्रय तथा वितरण व्यय | 2.97 | | | |
| 1.16 | 9. वित्त प्रभार | 1.48 | | | |
| 2.29 | 10. अवमूल्यन | 1.76 | 5.72 | 9. वर्ष की सन्तुलन पत्र में ले जाई गई शुद्ध हानि | 9.29 |
| 87.55 | जोड़ | 113.92 | 87.55 | जोड़ | 113.92 |

# 6

## हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला

हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड का गठन सन् 1972 में किया गया जो जनसाधारण के लिये विभिन्न आवास योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है । अपनी स्थापना के बाद से ही आवास बोर्ड निम्न कार्यों को चलाने में व्यस्त है :—

**1. सामाजिक आवास योजनाएं**—आवास बोर्ड ने शिमला, सोलन, परवाणू, नाहन, ऊना, बिलासपुर, मण्डी, हमीरपुर, पालमपुर, तथा धर्मशाला में सामाजिक आवास कालोनियां स्थापित की हैं । वर्ष 1983-84 में इस योजना की विभिन्न इकाइयों के रूप में 38 आवास पूर्ण करने का लक्ष्य है । जिसकी इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाने की आशा है। वर्ष 1984-85 के लिये 144 मकानों तथा 51 प्लाटों का लक्ष्य रखा है ।

**2. स्वतः वित्तदायी योजनाएं** —इस योजना के अन्तर्गत आवास बोर्ड विभिन्न वर्गों के लिये 478 यूनिट शिमला तथा परवाणू में तैयार कर रहा है । वर्ष 1983-84 के लिये 182 यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा है जिनमें से 104 मकान नोल्सवुड शिमला में बन चुके हैं तथा निर्धारित लक्ष्य के शेष मकान इसी वर्ष के अन्त तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ।

**3. सरकारी कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना**—इस योजना के अन्तर्गत आवास बोर्ड विभिन्न वर्ग के सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता पूरा करने के लिये शिमला, सोलन, नाहन, ऊना, मण्डी, हमीरपुर, तथा धर्मशाला में 364 मकान के निर्माण में व्यस्त है जिन में से 116 मकान वर्ष 1982-83 में बनाये गये । वर्ष 1983-84 के 112 मकानों के लक्ष्य में से 32 मकान बना दिये हैं तथा शेष 80 मकान 31 मार्च, 1984 तक तैयार कर दिये जायेंगे।

**4. पुलिस आवास योजना**—आवास बोर्ड इस योजना के अन्तर्गत पुलिस कर्मचारियों को किराया आवास योजना के अधीन जुनगा, शिमला, सोलन, परवाणू, नाहन, ऊना, बिलासपुर, मण्डी, कूल्लु, हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला, स्कोह (धर्मशाला) तथा चम्बा में मकानों का निर्माण कर रहा है। इस योजना में कुल 461 मकान (जिन में से 223 मकान 7वें वित्तीय आयोग तथा 238 मकान राज्य योजना के अन्तर्गत) आते हैं जिनमें से 87 मकान वर्ष 1982-83 में तैयार किये गये । वर्ष 1983-84 के 140 मकानों के निर्धारित लक्ष्य में से 82 मकान तैयार कर दिये हैं तथा शेष मकान चालू वर्ष के अन्त तक तैयार किये जायेंगे ।

**5. संपरीक्षण आवास योजना**—आवास बोर्ड भारतीय सरकार के 'राष्ट्रीय आवास संगठन' की संपरीक्षण आवास योजना के अन्तर्गत परवाणू में 48 एल० आई० जी० फ्लैटों का निर्माण कर रहा है जिन में से 5 फ्लैट वर्ष 1982-83 में बन चुके हैं । चालु वर्ष के लिये 11 फ्लैटों का लक्ष्य रखा है जिनका कार्य प्रगति प्रवृद्ध अवस्था में है ।

**6. निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क्स)**—बोर्ड विभिन्न संस्थानों के लिये निर्माण कार्य कर रहा है । हमीरपुर तथा शिमला में बचत भवन बनाये गये हैं तथा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान और केन्द्रीय आलु अनुसंधान संस्थान जो शिमला में स्थित है, का कार्य प्रवृद्ध अवस्था पर है ।

**7. आवास मांग सर्वेक्षण**—भविष्य में बनाई जाने वाली योजना के लिये बोर्ड मकानों/प्लाटों की मांग का अनुमान लगाने के लिये "मांग सर्वेक्षण" कर रहा है । जिस में विभिन्न प्रकार के मकानों/प्लाटों के 33,686 प्रार्थना पत्र प्राप्त किये हैं । कार्यन्वयन की दिशा में बोर्ड शिमला, सलोगडा, सोलन, कुनिहार, कसौली, परवाणू, वरोटीवाला, नालागढ़, राजगढ़, नाहन, काला अम्ब, पांवटा साहिब, महतपुर, ऊना बिलासपुर, सुन्दरनगर, मण्डी कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, प्रागपुर, गरली, ज्वालामुखी, धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, नगरोटा, बैजनाथ, जाच्छ, शाहपुर तथा चम्बा में भूमि प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र तथा 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय-व्यय लेखा क्रमशः तालिका 6.1 तथा 6.2, में दर्शाये गये हैं ।

# हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला

## 6.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | निधि एवं दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | सम्पदा | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.58 | 1. पूंजी निधि | (−)14.47 | 7.06 | 1. स्थिर सम्पदा | 8.88 |
| 607.80 | 2. अप्रतिभूत ऋण | 534.60 | | 2. वर्तमान सम्पदा : | |
| | 3. प्रतिभूत ऋण : | | 798.13 | (क) प्रगति पर कार्य | 37.77 |
| 80.94 | (क) हुडको | 152.38 | 129.60 | (ख) स्टाक हाथ में | 63.48 |
| 8.00 | (ख) यूनियन बैंक आफ इण्डिया | 7.00 | | | |
| 14.00 | (ग) यूनाईटिड कर्माशियल बैंक | 10.00 | 7.09 | (ग) ऋण तथा पेशगी | 10.52 |
| 29.62 | 4. अनुदान तथा सहायराशि | 29.62 | 0.55 | (घ) औजार एवं संयन्त्र के पंजीकरण से लाभ | 0.56 |
| | 5. वर्तमान दायित्व : | | | | |
| 22.29 | (क) निक्षेप कर्मान्ति | 28.72 | 67.45 | (ड) अन्य अग्रिम | 72.37 |
| 4.70 | (ख) देय व्यय | 4.32 | 21.10 | (च) नगदी तथा आवधिक निक्षेप | 100.24 |
| 256.05 | (ग) अन्य दायित्व | 290.00 | | | |
| — | (घ) सरकारी आवास किराया योजना के अन्तर्गत बीज राशि | 151.65 | | | |
| 1030.98 | जोड़ | 1193.82 | 1030.98 | जोड़ | 1193.82 |

# हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला

## 6.2—31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय-व्यय लेखा-क्रमशः

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | व्यय | 1982-83 | 1981-82 | आय | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| | (क) मुख्यालय : | | 0.25 | 1. ब्याज | 0.17 |
| 14.34 | 1. वेतन, निवृत्ति वेतन तथा अवकाश वेतन, योगदान | 17.37 | 0.05 | 2. पटबिलेख फार्मों का विक्रय | — |
| 0.74 | 2. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 0.48 | | | |
| 0.16 | 3. डाक व तार | 0.02 | 14.57 | 3. विविध प्राप्तियां | 3.80 |
| 0.99 | 4. यात्रा तथा वाहन | 0.73 | 0.20 | 4. औद्योगिक प्लाटों के विकास प्रभार | — |
| 0.66 | 5. दूरभाष | 0.78 | | | |
| — | 6. अंशदायी भविष्य निधि | — | 0.54 | 5. औद्योगिक वाणिज्यिक प्लाटों का पट्टा प्रभार | 0.29 |
| 1.18 | 7. कार चालन तथा अनुरक्षण | 1.68 | | | |
| 0.06 | 8. लेखा परीक्षा शुल्क | — | 0.09 | 6. मानचित्रों/रुपयों के अनुमोदन पर विविध शुल्क | 0.07 |
| 3.09 | 9. अन्य सभी विविध व्यय | 2.00 | | | |
| | | | 0.17 | 7. आवेदन पत्रों की बिक्री | 0.37 |
| | (ख) शिमला मण्डल : | | | | |
| 6.44 | 1. वेतन, निवृत्ति वेतन तथा अवकाश वेतन योगदान | 8.32 | 0.07 | 8. अभिन्यास अभियोजना/मानचित्रों का विक्रय | 0.07 |
| 0.06 | 2. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 0.06 | | | |
| — | 3. डाक व तार | 0.01 | 0.55 | 9. धर्मशाला/पांवटासाहिब/सोलन मण्डल से मकान किराया | 0.20 |
| 0.17 | 4. दूरभाष | 0.12 | | | |
| 0.06 | 5. यात्रा तथा वाहन | 0.08 | 8.08 | 10. परवाणु मण्डल से जल प्रभार | 6.39 |
| 0.09 | 6. चिकित्सा व्यय | 0.08 | | | |
| 2.15 | 7. अन्य सभी विविध व्यय | 1.61 | — | 11. विश्राम गृह से किराया | 0.03 |
| (−)7.73 | 8. घटाएं–कार्यों को प्रभावित व्यय | (−)13.17 | — | 12. परवाणु से कर्मचारियों से पट किराया | 0.50 |
| | (ग) धर्मशाला मण्डल : | | | | |
| 4.30 | 1. वेतन, निवृत्ति वेतन तथा अवकाश वेतन योगदान | 5.90 | | | |
| 0.02 | 2. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 0.03 | — | 13. रूफटाइल्ज फैक्टरी पांवटा साहिब से विविध प्राप्तियां | 0.16 |
| 0.07 | 3. दूरभाष | 0.11 | | | |
| 0.35 | 4. यात्रा तथा वाहन | 0.41 | | | |
| 0.69 | 5. अन्य सभी विविध व्यय | 0.57 | 8.55 | 14. पांवटा फैक्टरी की विक्रय प्राप्तियां | 6.12 |
| (−)3.68 | 6. घटाएं–कार्यों को प्रभावित व्यय | (−)5.58 | 0.03 | 15. सोलन से ब्याज | 0.01 |

# हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, शिमला

## 6.2—31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय-व्यय लेखा-समाप्त

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | व्यय | 1982-83 | 1981-82 | आय | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| | (घ) परमाणु मण्डल : | | 4.60 | 16. सन्तुलन पत्र को ले जाया गया घाटा | 22.04 |
| 6.28 | 1. वेतन, निवृत्ति वेतन तथा अव-काश वेतन योगदान | 7.87 | 0.09 | 17. जल प्रभार, सोलन | 0.14 |
| | | | — | 18. हृत लेखा | 0.87 |
| 0.15 | 2. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 0.26 | — | 19. दण्ड ब्याज | 2.18 |
| 0.13 | 3. दूरभाष, डाक व तार | 0.12 | — | 20. इच्छित मूल्य | 0.87 |
| 0.32 | 4. यात्रा तथा वाहन | 0.22 | | | |
| 1.00 | 5. अन्य सभी विविध व्यय | 10.75 | | | |
| (−)7.77 | 6. घटाएं—कार्यों को प्रभावित व्यय | (−)10.32 | | | |
| | (ङ) सोलन मण्डल : | | | | |
| 3.04 | 1. वेतन | 4.69 | | | |
| 0.24 | 2. यात्रा तथा वेतन | 0.22 | | | |
| 0.07 | 3. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 0.09 | | | |
| 0.04 | 4. दूरभाष | 0.09 | | | |
| 0.39 | 5. अन्य विविध व्यय | 1.13 | | | |
| (−)3.85 | 6. घटाएं—कार्यों को प्रभावित व्यय | (−)5.29 | | | |
| | (च) रूफ टाइल्स बिक्री फैक्ट्री पांवटा साहिब : | | | | |
| 1.04 | 1. वेतन, निवृत्ति वेतन तथा अव-काश वेतन योगदान | 1.29 | | | |
| 0.01 | 2. यात्रा तथा वाहन | 0.06 | | | |
| 0.30 | 3. दूरभाष, डाक व तार | 0.26 | | | |
| 10.46 | 4. अन्य सभी विविध व्यय | 9.64 | | | |
| | (छ) अवमूल्यन | | | | |
| 0.51 | 1. मुख्यालय | 0.57 | | | |
| 0.51 | 2. शिमला मण्डल | 0.19 | | | |
| 0.42 | 3. परवाणु मण्डल | 0.55 | | | |
| 0.27 | 4. धर्मशाला मण्डल | 0.22 | | | |
| 0.02 | 5. सोलन मण्डल | 0.02 | | | |
| 0.05 | 6. बिक्री / टाईल्ज फैक्टरी पांवटा साहिब | 0.04 | | | |
| 37.84 | जोड़ | 44.28 | 37.84 | जोड़ | 44.28 |

# 7

## हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित, शिमला

हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित की स्थापना अप्रैल 1974 में इस उद्देश्य को ले कर की गई कि वनों से इमारती लकड़ी का निकास वैज्ञानिक ढ़ंग से किया जाए तथा ठेकेदारों को वनों की बिक्री की प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाए। यह निगम कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 25 मार्च, 1974 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से पंजीकृत किया गया। निगम ने एक अप्रैल, 1974 को 58 लाख रुपए की चुकाई गई पूंजी के साथ कार्य आरम्भ किया। 21 मार्च, 1983 तक निगम की चुकाई गई पूंजी 332.12 लाख रुपए है जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 250.12 लाख रुपये नकद तथा 82 लाख रुपए परिसम्पत्ति के रूप में जुटाई गई है।

उद्देश्य—वनों के कार्य का पूर्ण राष्ट्रीयकरण, वनों पर आधारित उद्योगों का विकास तथा छठी योजना के अन्त तक निजी ठेकेदारों को वनों के बेचे जाने की प्रथा को क्रमशः समाप्त करना निगम के मुख्य उद्देश्य है।

**उपलब्धियां**—निगम की उपलब्धियां संक्षेप में नीचे दी गई है।

1. **विरोजा तथा तारपीन के तेल के कारखाने**—11 000 टन क्षमता वाले नाहन तथा बिलासपुर में सरकारी वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विरोजा तथा तारपीन के तेल के दोनों कारखाने अप्रैल, 1974 से निगम के अधिकार क्षेत्र में आ गए हैं। सरकारी जंगलों के विरोजे का समस्त उत्पादन तथा निजी जंगलों के विरोजे के उत्पादन के कुछ भाग का विधायन इन दोनों कारखानों में किया जाता है। निजी क्षेत्र में भी विरोजे तथा तारपीन के पांच कारखाने कार्य कर रहे हैं। वनों से प्राप्त गन्दा विरोजा इन कारखानों को वन विभाग द्वारा निगम के माध्यम से विधायन के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।

2. **गन्दा विरोजा च्यावन का पूर्ण राष्ट्रीयकरण**

(क) **सरकारी वन**—चील के पेडों से गन्दा विरोजा निकालने का कार्य निगम द्वारा 1975-76 से क्रमशः अपने अधिकार में लिया जा रहा था और 1978-79 तक इस कार्य का पूर्ण राष्ट्रीयकरण हो चुका था। वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान क्रमशः लगभग 30.65 लाख तथा 25 लाख पत्तियों का च्यावन किया गया। तेज हवाओं के कारण चील के पेडों के गिरने, अधिकार धारियों को पेड दिए जाने तथा अत्याधिक च्यवित वनों को विश्राम देने की नीति अपनाने के कारण पत्तियों की संख्या में कमी आई है।

(ख) **निजी क्षेत्र के पेड़ों का च्यावन**—हिमाचल प्रदेश विरोजा तथा विरोजा उत्पाद (व्यापार का नियमन) अध्यादेश 1981 जिस के पश्चात एक अधिनियम भी लागू किया गया था के अधीन वर्ष 1981-82 में वन निगम ने निजी वन के गन्दे विरोजे के समस्त उत्पादन को 4.25 रु० प्रति किलोग्राम की दर से सड़क के किनारे पहुंचने पर खरीद लिया। इस के अतिरिक्त 4.00 रुपये से 6.00 रुपये रुपये तक टीन की कीमत भी दी गई। वर्ष 1982-83 में वन निगम द्वारा गन्दे विरोजे का दिया जाना वाला मूल्य 5.40 रुपये प्रति किलोग्राम सरकार ने निश्चित किया है। इस के अतिरिक्त 4.00 रुपये से 6.00 रुपये तक प्रति टीन का मूल्य भी दिया जाएगा। यही दर 1983-84 के लिए भी निश्चित किए गए हैं।

(ग) **अनुसंधान**—च्यावन तकनीक में सुधार लाने तथा पेड़ों को कम से कम हानि हो, यह सुनिश्चित करने हेतु वन अनुसन्धान संस्थान देहरादून द्वारा विकसित "रिल च्यावन विधि" परीक्षण के आधार पर चालू सत्र में सरकारी वन में अपनाई जा रही है। आर्थिक तथा अन्य दृष्टिकोणों से इस का अध्ययन करने के पश्चात 1984 सत्र से इसे बड़े पैमाने पर परीक्षण के तौर पर अपनाया जाएगा ताकि पेड़ों को कम से कम हानि हो।

3. **सरकारी वन में इमारती लकडी का निस्सारण**—

(i) वन के कार्य का उत्तरोतर राष्ट्रीयकरण सुनिश्चित करने हेतु अब तक निम्नलिखित पग उठाए जा चुके हैं:-

(क) आरम्भ में कोटगढ़ वन मण्डल में वर्ष 1976-77 में एक देवदार कैल के लाट पर निगम द्वारा कार्य किया गया।

(ख) कुल्लू तथा सावड़ा में स्थित विभागीय निस्सारण मण्डल 8-6-1978 से निगम को दिए जा चुके हैं।

(ग) निचले क्षेत्रों में स्थित वन में कार्य करने हेतु निगम के नाहन वन मण्डल में साल के लाट तथा नूरपुर एव हमीरपुर वन मण्डलों में चील के वनों का कार्य वर्ष 1979-80 से आरम्भ कर दिया है। इस के अतिरिक्त निगम ने चौपाल तथा डलहौजी वन मण्डलों में ऊचे क्षेत्रों में स्थित शंकुधर वन में कार्य आरम्भ किया।

(घ) 1981-82 में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश में बिखरे रूप से वनों में कार्य करने के बजाए वन मण्डलों का राष्ट्रीयकरण आरम्भ करना चाहिए। इस प्रकार कुल्लू, सिराज, नाहन, रोहड़ु,

चौपाल, शिमला, राजगढ़, नाहन और सोलन वन मण्डलों में नये वन कार्य के लिए ले लिए गए। इस प्रकार कार्य करने से इमारती लकड़ी का निस्सारण वर्ष 1980-81 के 20,615 घन मी० की तुलना में वर्ष 1981-82 में 1,33,000 घन मी० हो गया।

(ङ) वर्ष 1982-83 के दौरान सरकार ने कोटगढ़, रेणुका, सिराज, डलहौजी एवं सुन्दरनगर वन मण्डलों का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया। तत्पश्चात पांच अन्य मण्डलों (करसोग, मण्डी, अपर रावी, नूरपुर कांगड़ा) में शंकुधर वनों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया। अब प्रदेश में 27 वन मण्डलों में से 19 राष्ट्रीयकृत है। वर्ष 1982-83 में 2,95,000 घन मीटर इमारती लकड़ी का निस्सारण हुआ। इसमें 83,000 घनमीटर "गेलटु" लकड़ी भी शामिल है जो के फलों की पेटियां बनाने के काम आती है।

(ii) सेब की पेटियां बनाने के कारखानों को लकड़ी की पूर्ति वर्ष 1982-83 के दौरान निगम ने गेलटू तथा डिमडिमा के लिए 83,000 घन मीटर लकड़ी का निस्सारण किया तथा 220 रुपये प्रति घन मीटर की दर से गेलटू तथा 270 रुपये प्रति घन मीटर दर से डिमडिमा कारखानों को उपलब्ध करवाई। यह पूर्ति हिमाचल सरकार के आदेशानुसार बिना लाभ हानि के आधार पर की जा रही है। प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में मोटर की सड़क पर स्थित लकड़ी की मशीनों के मालिकों की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निगम ने चालू वर्ष में इन गतिविधियों का प्राप्त मात्रा में प्रसार किया।

(iii) निजी भूमि से लकड़ी का निस्सारण---लकड़ी को अनाधिकृत रूप से काटने की प्रथा को दूर करने, निजी वनों से अत्याधिक लकड़ी की कटाई तथा समीपस्थ सरकारी वनों से निजी विक्रय के रूप में लकड़ी को काटने की बुराईयों को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1982-83 में हिमाचल सरकार ने हिमाचल प्रदेश वन उत्पाद (व्यापार का नियमन) अधिनियम, 1982 लागू किया। इस अधिनियम के अधीन निजी क्षेत्रों में लकड़ी के काटने तथा बेचने पर नियत्रण हो जाएगा।

(iv) इमारती लकड़ी तथा विरोजा निस्सारण में उपयुक्त प्रक्रिया---वनों के राष्ट्रीयकरण का आधारभूत उद्देश्य निजी ठेकेदारों को पेड़ों के बेचे जाने की रीति को समाप्त करना है। इस रीति से ठेकेदार अवैध कटाई कर के, उनको सरकार द्वार बेचे गए पेडों की लकड़ी के साथ, अवैध काटी गई लकड़ी को ले जाते हैं। निगम वनों में कार्य करने हेतु यथा पेड़ों का काटना, चीरना, ढ़ोना, रोपवे तथा चाल द्वारा लकड़ी का लाना, तथा ट्रकों द्वारा सड़क पर स्थित डिपो से विक्रय डिपो तक लकड़ी को लाने में विशिष्ट मजदूरों/छोटे छोटे मजदूरों के ठेकेदारों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है।

4. **कार्य परिणाम**--निगम की पिछले कुछ वर्षो की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां संक्षेप में नीचे दी जा रही हैं :-

| विवरण | इकाई | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | 31-3-83 तक |
|---|---|---|---|---|---|
| (क) विरोजा इकाई : | | | | | |
| (i) पत्तियां जो अधिकार में ली गई | लाख | 34.09 | 32.12 | 30.66 | 24.92 |
| (ii) गन्दा विरोजा जो निकाला गया | मी० टन | 7,544 | 7,754 | 6,648 | 4,909 |
| (ख) विरोजा के कारखाने : | | | | | |
| (i) शोधित विरोजा | मी० टन | 6,901 | 8,476 | 7,245 | 6,736 |
| (ii) उत्पादित विरोजा | " | 5,286 | 6,520 | 5,517 | 5,152 |
| (iii) तारपीन का तेल | लाख लीटर | 13.66 | 16.68 | 14.47 | 13.48 |
| (iv) सहायक उत्पाद (वारनिश एवं फिनाइल) | " | 2.25 | 2.92 | 3.30 | 3.32 |
| (ग) निस्सारण : | | | | | |
| (i) इमारती लकड़ी | लाख घन मी० | 0.369 | 0.206 | 1.30 | 2.14 |
| (ii) गेलटू | " | — | — | — | 0.81 |
| | योग | 0.369 | 0.206 | 1.30 | 2.95 |
| (घ) सकल विक्रय : | | | | | |
| (i) विरोजा तथा सहायक उत्पाद | लाख रुपयों में | 384.52 (60.60 तारपीन का तेल) | 528.75 | 481.33 | 586.60 |
| (ii) इमारती लकड़ी | " | 66.84 | 293.63 | 372.91 | 703.06 |
| (iii) गेलटू | " | — | — | — | 67.37 |
| कुल विक्रय | | 451.36 | 822.38 | 854.24 | 1,357.03 |

5. **उत्पादन का विक्रय**

(क) **इमारती लकड़ी**---इमारती लकड़ी के विक्रय के लिए निगम ने परवाणू कन्द्रोडी, बिलासपुर, मन्टरूवाला (पांवटा), भद्रोया, बेहडाला (ऊना) तथा यमुनानगर में हिमकाष्ठ विक्रय डिपों खोले हैं। इन डिपूओं में मासिक निलामी के द्वारा

इमारती लकड़ी बेची जाती है। मध्य प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर वन निगमों की तरह हिमाचल वन निगम भी देहली में एक विक्रय डिपो खोलने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहा है। निगम रेलवे, रक्षा संगठनों तथा सरकारी उपक्रमों को भी पूर्व निश्चित दरों पर इमारती लकड़ी उपलब्ध करवा रहा है।

(ख) **बिरोजा (रोजिन)**—बिरोजा प्रेषण डिपो बराड़ा और कीरतपुर रेलवे स्टेशनों पर स्थित हैं। उपभोक्ताओं (पेपर, रंग, साबुन इत्यादि) को सीधे रोजिन बेचने के लिए मूल्य का निर्धारण हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मु एवं कश्मीर सरकार के निगमों द्वारा मिल कर किया जाता है। समस्त भारत में निगम के उत्पादों को बेचने के लिए तथा अधिकाधिक बिक्री के लिए निगम ने विभिन्न राज्यों में वर्ष 1982-83 में 14 एजेन्ट नियुक्त किए।

(ग) **तारपीन का तेल**—हिमाचल राज्य में स्थित टरपीन के दो कारखानों (मै० टरपीन इन्डसट्रीज प्राईवेट लि०, महतपुर तथा मै० हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस प्राइवेट लि०, काला अम्ब) को निगम के दोनों कारखानों में उत्पादित समस्त तारपीन के तेल की पूर्ति पूर्व निश्चित दरों पर की जाती है। अब हिमाचल टरपीन प्रोडक्टस, प्राईवेट लि० काला अम्ब के साथ किया गया समझौता की कालावधि समाप्त हो चुकी है। इस फर्म के साथ नया समझौता करने के लिए बातचीत चल रही है।

(घ) **सहायक उत्पादन**—नाहन में स्थित कारखाना उच्च कोटि के फीनाईल तथा वारनिश का उत्पादन करता है। इन उत्पादों की निजी क्रेताओं और हिमाचल, पंजाब एवं हरियाणा सरकार के विभागों में बहुत मांग है।

(ङ) **निर्यात निष्पादन**—निगम ने विभिन्न विकसित एवं विकासशील देशों यथा पूर्वी जर्मनी, अमेरिका इटली, कीनिया, इंगलैंड, सिंगापुर ताईवान, आस्ट्रेलिया तथा पाकिस्तान को रोजिन का निर्यात किया तथा 31-3-1981 तक 132.22 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा कमाई। देश की मण्डियों में रोजिन का आधिकय घटाने तथा देश व विदेश में रोजिन की मण्डियां स्थिर रुप में बनाये रखने के उद्देश्य से वर्ष 1982-83 में निगम ने 17 लाख रुपये मुल्य का बिरोजा रोमानिया को निर्यात किया।

6. **वनों पर आधारित उद्योग**—निगम चील की पत्तियों पर आधारित तीन मीट्रिक टन प्रति दिन क्षमता वाला रेशे के बोर्ड बनाने का कारखाना पालमपुर उपमण्डल में स्थापित करने जा रहा है। इनके निर्माण से फर और सप्रूस की लकड़ी पर सेब की पेटिया बनाने के कारण पड़ने वाला बोझ कम किया जा सकेगा। यह परियोजना भारत जर्मन धोलाधार परियोजना की वित्तीय सहायता से चलाई जा रही है तथा क्षेत्रीय अन्वेशन प्रयोगशाला जम्मु द्वारा विकसित तकनीक पर आधारित है। कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति की व्यवस्था करने के लिए एक अलग सहाय (हिमाचल प्रदेश स्टेट फ्रूट पैकिंग केसिज प्राईवेट लि०) नामक एक परियोजना 25 लाख रुपये अधिकृत पूंजी से स्थापित की गई है। इस परियोजना के सफलता पूर्वक पूर्ण होने पर तथा इसके उत्पाद को सेब उत्पादकों द्वारा स्वीकार किये जाने पर इसी प्रकार की अन्य इकाईयां प्रदेश के चील के वनों के क्षेत्र में स्थापित की जाएगी जिससे सेबों के बाक्स बनाने के लिए इमारती लकड़ी की मांग और घटाई जा सके।

7. **लाभ**—वर्ष 1974-75 में निगम ने 1.48 लाख रुपये का लाभ (कर से पहले) कमाया। उसके बाद 1977-78 तक निगम की कुल 96.91 लाख रुपये की हानि हुई। वर्ष 1978-79 से निगम को पुनः लाभ हुआ है तथा इससे पिछली हानि को पूरा किया जा सका है वर्ष 1974-75 से 1982-83 तक का लाभ / हानि नीचे दिया गया है:-

| वर्ष | सकल विक्रय (लाख रुपयों में) | कर से पूर्व लाभ हानि (लाख रुपयों में) | |
|---|---|---|---|
| 1974-75 | 254.38 | (+) 1.48 | |
| 1975-76 | 203.06 | (—) 29.01 | |
| 1976-77 | 350.84 | (—) 52.63 | |
| 1977-78 | 315.51 | (—) 15.27 | |
| 1978-79 | 307.21 | (+) 25.00 | |
| 1979-80 | 444.01 | (+) 50.00 | अंकेक्षण अधीन |
| 1980-81 | 841.12 | (+) 60.00 | |
| 1981-82 | 974.70 | (+) 30.00 | अनन्तिम |
| 1982-83 | 1285.10 | (+) 15.00 | |

8. **पूर्ण राष्ट्रीयकरण**—1983-84 के बाद वनों का समस्त कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित द्वारा किया जायेगा। इसके लिए काफी जनशक्ति एवं धन जुटाने की आवश्यकता होगी अतिरिक्त कार्य करने के लिए नये निदेशालय एवं मण्डल खोलने पड़ेगें। धन की आवश्यकता को प्राप्त करने हेतु एन० ए० बी० ए० आर० डी० से 20 करोड़ रुपए का ऋण लेने के प्रस्ताव पर वार्तालाप जारी है। आरम्भ में वर्तमान विक्रय डिपूओं में लकड़ी बेचने के कार्य का आयोजन करने हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह निदेशालय रेलवे, डी० जी० एस० डी०, अन्य सरकारी विभागों तथा रक्षा उद्योगों को लकड़ी की पूर्ति करने के कार्य को करेगा। वर्तमान दो क्षेत्रीय निदेशालय क्षेत्र में लकड़ी निस्सारण के कार्य की गहन रूप से देख-रेख करेंगे।

31 मार्च, 1980 का सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 1979-80 का लाभ-हानि लेखा क्रमशः तालिका 7.1 तथा 7.2 में दिए गए हैं।

# हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम सीमित, शिमला

## 7.1—31 मार्च, 1980 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 31 मार्च, 1980 को | 31 मार्च, 1979 को |
|---|---|---|
| I. निधि के स्त्रोतः | | |
| 1. अंश पूंजी | 279.95 | 279.95 |
| 2. अप्रतिभूत ऋण | 0.47 | — |
| कुल | 280.42 | 279.95 |
| II. निधि का प्रयोग : | | |
| 1. स्थिर सम्पदा | | |
| (क) सकल ब्लाक | 100.48 | 89.27 |
| (ख) घटाएं—अवमूल्यन | 34.68 | 25.61 |
| शुद्ध | 65.80 | 63.66 |
| 2. निवेश | 0.05 | 0.05 |
| 3. (क) वर्तमान सम्पदा, ऋण एवं अग्रिम | 1081.86 | 809.60 |
| (ख) घटाएं—वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान | 878.95 | 665.59 |
| (ग) शुद्ध वर्तमान सम्पदा | 202.91 | 144.01 |
| 4. विविध व्यय | 11.66 | 72.23 |
| जोड़ | 280.42 | 279.95 |

## 7.2—वर्ष 1979-80 का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 1979-80 | 1978-79 |
|---|---|---|
| I. आयः | | |
| 1. विक्रय (प्राप्तियों से शुद्ध) | 371.88 | 296.38 |
| 2. साहाय्य (तारपीन का तेल) | 57.72 | 16.10 |
| 3. अन्य आय | 28.50 | 23.52 |
| कुल | 458.10 | 336.00 |
| II. व्यय : | | |
| 1. सामग्री, निर्माण एवं अन्य खर्च | 327.62 | 307.43 |
| 2. अवमूल्यन | 4.74 | 3.57 |
| 3. हिमाचल सरकार को ब्याज | 60.00 | — |
| कुल | 392.36 | 311.00 |
| कर से पहले लाभ | 65.74 | 25.00 |
| कर के लिए प्रावधान | 5.25 | — |
| सन्तुलन पत्र को ले जाया गया शेष | 60.49 | 25.00 |

# हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना विद्युत पूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 5 (1) के अधीन हुई थी तथा इसने अपना कार्य पहली सितम्बर, 1971 से करना आरम्भ कर दिया था । बोर्ड के मुख्य उद्देश्य हैं –(क) विद्युत उत्पादन (ख) विद्युत प्रेषण एवं वितरण तथा (ग) अन्वेषण योजना तथा विद्युत परियोजनाओं का चलाना ।

बोर्ड की पूंजी के मुख्य स्त्रोत हैं – प्रदेश सरकार के योजना ऋण, निवेशक जैसे जीवन बीमा निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, खुले बाजार में बन्धपत्रों को जारी करके, प्राप्त ऋण एवं उपभोक्ताओं से प्राप्त जमा राशि इत्यादि ।

हिमाचल प्रदेश को अपार जल विद्युत उत्पादन क्षमता का प्राकृतिक वरदान प्राप्त है क्योंकि चनाव, रावी, व्यास, सतुलज तथा यमुना पांचों मुख्य नदियां जिनकी उत्पत्ति पश्चिमी हिमालय से होती है, हिमाचल प्रदेश से होती हुई बहती हैं । बर्फानी क्षेत्रों से निकलने वाली ये तथा इनकी सहायक नदियां सारा वर्ष बहती हैं तथा अपने पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे स्थानों से गिरती हैं । प्रारंभिक जल विज्ञान, तलरूप तथा भौमिकीय अन्वेषण के अनुसार इन पांचों नदी क्षेत्रों से 12,345 मैगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता आंकी गई है जिसमें से 3,307.5 मैगावाट पहले ही तैयार की जा चुकी हैं जिसमें से 126.52 मैगावाट क्षमता के प्रोजैक्ट हिमाचल प्रदेश के अधीन हैं ।

प्रदेश की शेष उत्पादन क्षमता के विदोहन का भार मुख्यतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पर है । इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई तथा तब से प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए गहन कार्यक्रम तैयार किए हैं । ऊर्जा के अत्याधिक प्रयोग के लिए हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने साथ-साथ विद्युत प्रेषण एवं वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा पम्प सैटों के ऊर्जायन का कार्य भी चालू किया हुआ है ।

### 1. चालू परियोजनाएं

इस समय विद्युत उत्पादन के चार प्रोजैक्ट-संजय जल विद्युत परियोजना (भावा) 120 मैगावाट, आन्ध्रा परियोजना (15 मैगावाट) बिनवा विद्युत परियोजना (6 मै० वा०) तथा रौंग-टौंग विद्युत परियोजना (2 मै० वा०) जारी हैं । इनके पूर्ण हो जाने पर 562 मि० यू० वार्षिक उत्पादन होगा, जिससे हिमाचल प्रदेश की बढ़ती हुई ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने में तथा कुछ सीमा तक पड़ौसी राज्यों को विद्युत देने में मदद मिलेगी । ये चारों प्रोजैक्ट वर्ष 1986-87 तक पूर्ण हो जाएंगे ।

इन प्रोजैक्टों का मुख्य विवरण निम्नलिखित है :—

**(क) संजय जल विद्युत परियोजना (भावा) (120 मै० वा०)**

यह परियोजना किन्नौर जिले में सतलुज नदी की सहायक भावा खड्ड पर स्थित है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 125.62 करोड़ रुपए है । इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 120 मै० वा० है तथा इससे 435 मि० यू० वार्षिक बिजली उत्पन्न होगी । इस प्रोजैक्ट को वर्ष 1986-87 में चालू करने का लक्ष्य है ।

**(ख) आन्ध्रा विद्युत परियोजना (15 मै० वा०)**

यह प्रोजैक्ट शिमला जिला की रोहड़ू तहसील में आन्ध्रा खड्ड पर स्थित है तथा इसकी उत्पादन क्षमता 15 मै० वा० है । इसकी अनुमानित लागत 25.40 करोड़ रुपए हैं । यह प्रोजैक्ट 89 मि० यू० वार्षिक बिजली का उत्पादन करेगा । इस परियोजना पर कार्य वर्ष 1978-79 में आरम्भ किया गया तथा इसे वर्ष 1985-86 में चालू करने का लक्ष्य है ।

**(ग) बिनवा विद्युत परियोजना (6 मै० वा०)**

यह प्रोजैक्ट कांगड़ा जिले में व्यास नदी की सहायक बिनवा खड्ड पर स्थित है । इस प्रोजैक्ट की उत्पादन क्षमता 6 मै० वा० है तथा यह 29 मि० यू० वार्षिक बिजली का उत्पादन करेगा । इस परियोजना की अनुमानित लागत 11.76 करोड़ रुपए है । इस परियोजना पर कार्य वर्ष 1977-78 में आरम्भ किया गया तथा इसके मार्च, 1984 में पूर्ण होने की आशा है ।

**(घ) रौंग-टौंग विद्युत परियोजना (2 मै० वा०)**

यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के जन जातीय जिला लाहौल स्पिति में स्थित है । यह प्रोजैक्ट पूर्ण हो जाने पर जिले की स्पिति घाटी को बिजली प्रदान करेगा । इस परियोजना की अनुमानित लागत 10.01 करोड़ रुपए है । 2 मै० वा० क्षमता का यह प्रोजैक्ट 9 मि० यू० वार्षिक बिजली प्रदान करेगा । इस प्रोजैक्ट का कार्य वर्ष 1977-78 में आरम्भ किया गया तथा इसे वर्ष 1985-86 में चालू करने का लक्ष्य है ।

उपरोक्त चार परियोजनाओं के अतिरिक्त 720 लाख रुपए की लागत का बनेर (6 मै० वा०), 12,86 लाख रुपए की लागत का गज (10.5 मै० वा०), 434 लाख रुपए की लागत का थिरोट (8 मै० वा०) तथा 42,68

लाख रुपए लागत की चम्बा आवर्धन योजना (250 कि० वा०) चार अन्य प्रोजैक्टों को भी हाथ में लिया गया है ।

2. **लघु परियोजनाएं**— नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अब न केवल बड़ी परियोजनाओं के विकास की ओर ही ध्यान दिया जा रहा है अपितु लघु परियोजनाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है । जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है वर्ष 1982-83 के दौरान गज, बनेर तथा थिरोट नामक परियोजनायें हाथ में ले ली गई हैं । चम्बा आवर्धन योजना (250 कि० वा०) भी इसी वर्ष के दौरान हाथ में ले ली गई है ।

इसके अतिरिक्त और भी अन्य लघु परियोजनाओं का पता चला है जिन पर अन्वेषण परियोजनाओं की स्वीकृति तथा धन की उपलब्धि पर कार्य आरम्भ किया जाएगा। जिन परियोजनाओं की प्रतिवेदना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई है वे निम्नलिखित हैं:—

| | |
|---|---|
| 1. खौली | 10.5 मै० वा० |
| 2. साल-I | 8.5 मै० वा० |
| 3. साल-II | 2.25 मै० वा० |
| 4. पांगी | 3 मै० वा० |
| 5. गनवी | 15 मै० वा० |
| 6. शोल्डींग | 15 मै० वा० |
| 7. सरवाड़ी | 10.5 मै० वा० |
| 8. नौटी | 4 मै० वा० |
| 9. मीनसं | 7.5 मै० वा० |

इसके अतिरिक्त होली (4.5 मै० वा०) तथा न्योगल (4.5 मै० वा०) की प्रोजैक्ट प्रतिवेदनायें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचाराधीन है । इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में लघु परियोजनाओं को आरम्भ करने तथा नए प्रोजैक्ट का पता करने के लिए एक संगठित कार्यक्रम है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1995 तक 5,300 मै० वा० विद्युत उत्पादन के लिए जिस पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है एक दीर्घ अवधि योजना तैयार की गई है ।

इस योजना में निम्नलिखित परियोजनायें सम्मिलित हैं:—

| | |
|---|---|
| 1. नायपा झाखड़ी | 1020 मै० वा० |
| 2. कोल डैम | 600 मै० वा० |
| 3. बास्पा | 400 मै० वा० |
| 4. चमेरा-II | 240 मै० वा० |
| 5. पार्वती | 1900 मै० वा० |
| 6. कर्चम वांगटू | 600 मै० वा० |
| 7. लारजी | 120 मै० वा० |
| 8. ग्यास्पा | 240 मै० वा० |
| 9. बस्सी स्टेज-III | 68.4 मै० वा० |
| 10. धनवाड़ी मुन्दा | 60 मै० वा० |
| 11. अलैन | 48 मै० वा० |
| जोड़ | 5300 मै० वा० (लगभग) |

हिमाचल प्रदेश का लघु विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण कार्य स्वयं आरम्भ करने का प्रस्ताव है तथा बड़ी परियोजनाओं पर आपसी सहयोग से कार्य करने पर पड़ौसी राज्यों में वार्तालाप जारी है ।

वर्ष 1983-84 के 592 मि० यू० उत्पादन की क्षमता के मुकाबले में दिसम्बर 1983 तक 517.92 मि० यू० बिजली का उत्पादन किया जा चुका है ।

3. **प्रेषण एवं वितरण**—हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने बिजली की लाइनें विछाने एवं उप स्टेशन बनाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया है ताकि वह भाखड़ा बोर्ड से प्राप्त बिजली, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम से प्राप्त राज्य के भाग एवं अपने बिजली घरों में संचित विद्युत का प्रेषण कर सके । राज्य के परिणाह में विकसित हो रहे औद्योगिक केन्द्रों को बिजली पहुचाने के लिए प्रेषण लाइनों को बिछाने में प्राथमिकता दी जा रही है ।

वर्ष 1983-84 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रेषण लाइनों/उपस्टेशनों पर कार्य प्रगति पर रहा :—

(क) जसूर में 220 के वी० उपकेन्द्र का जसूर से बथेड़ी तक 132 के०वी० लाईन के साथ निर्माण ।

(ख) सोलन एवं गिरी में 132 के०वी० लाईन एवं उपकेन्द्रों का निर्माण।

(ग) गगल में 132 के०वी० उप स्टेशन का डैहर से हमीरपुर तक प्रेषण लाईन के साथ निर्माण।

(घ) 132 के०वी० उप स्टेशन पांवटा, 132 के०वी० गिरी-पांवटा लाईन के सहित ।

(ङ) 66 के०वी० जतोग भावा लाइन, 66 के०वी० उपस्टेशन गुम्मा एवं सुंगरा सहित।

(च) 66 के०वी० भाखड़ा से रकड़ (ऊना) प्रेषण लाईन

बोर्ड की उपलब्धियां निम्न हैं:—

(क) 132 के०वी० गिरी से सोलन तक की प्रेषण लाईन पर 12-12-83 को सफलता पूर्वक विद्युत का संचार कर दिया गया और गिरी बिजली घर से सोलन क्षेत्र को बिजली पहुंचाई जा रही है।

(ख) 132 के०वी० गगल, पर विद्युत का संचार कर दिया गया और 3.7.83 को सिमेंट फक्टरी को बिजली दे दी गई ।

(ग) गुम्मा उप केन्द्र में 18 एम०वी०ए०, 66 के०वी० बैंक को चालू कर दिया गया और 66 के० वी० गुम्मा से सुंगरा लाईन बिछाने का कार्य समाप्त कर दिया गया तथा 22 के०वी० पर विद्युत का संचार किया गया ।

(घ) रोहतांग से आगे 33 के०वी० लाईन में से 11 के० वी० लाईन पर विद्युत का संचार कर दिया गया । यह बोर्ड की एक अनुपम उपलब्धि है ।

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड ने प्रेषण तथा वितरण के घाटे को कम करने के लिए विभिन्न पग उठाए हैं । इसमें ऊर्जा मीटर को मुहरबंद करना, खराब मीटरों को बदलना, औद्योगिक / कृषि उपभोगताओं के पावर फैक्टर का निरीक्षण, सर्कल/फीडर-वार लाईनों के घाटे को मौनिटर करना, 33/11 के० वी० ग्रिडजस/स्टेश्नों के कार्य को तेजी से पूर्ण करना, तथा बिजली के कनेक्शनों का उड़नदस्तों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण करना सम्मिलित है । वर्ष 1982-83 में प्रेषण तथा वितरण के घाटे को 17.5 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य था, जो लगभग पूरा कर लिया गया है ।

विद्युत प्रेषण एवं वितरण परियोजनाओं के लिए वर्ष 1984-85 के अन्तर्गत निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:—

(क) 220 के०वी० जसूर उप स्टेशन को पूरा कर दिया जाएगा ताकि बैरास्यूल प्रौजेक्ट की बिजली का उपयोग किया जा सके। इससे जिला कांगड़ा की नूरपुर तहसील में विद्युत की आपूर्ति में सुधार होगा।

(ख) 132 के०वी० जसूर-बथेरी लाईन पर प्रर्याप्त कार्य किया जाएगा।

(ग) 66 के० वी० भाखड़ा से रकड़ (ऊना) लाईन पूरी कर दी जाएगी। 66 के०वी० रकड़ उप-स्टेशन चालू कर दिया जाएगा ताकि जिला ऊना में विद्युत स्थिति में सुधार हो सके।

(घ) 132 के०वी० सोलन शिमला लाईन के सभी मुख्य कार्य पूरे कर दिए जाएंगे।

(ङ) 132 के०वी० गगल उपकेन्द्र में 33 के०वी० स्विच यार्ड को चालू कर दिया जाएगा जिससे मण्डी और बिलासपुर लाईन में हो रही विद्युत हानि कम हो सके।

(च) गिरी प्रौजेक्ट और यमुना बिजली घर, उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त बिजली के अधिक संचार के लिए 132 के० वी० सोलन उपकेन्द्र में 66 के०वी० बैंक को चालू कर दिया जाएगा।

(छ) प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो 1982-83 में 76 यूनिट थी, वर्ष 1983-84 में 90 यूनिट से भी अधिक होने की आशा है। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति उपभोग (1981-82) 140.65 यूनिट है।

**4. ग्रामीण विद्युतीकरण**—हिमाचल प्रदेश में कुल 16,916 बसे हुए गांवों में से 12,794 गांवों में मार्च, 1983 के अन्त तक बिजली पहुंचाई जा चुकी थी दूसरे शब्दों में 75.63 प्रतिशत गांवों या 82.8 प्रतिशत कुल ग्रामीण जनसंख्या को बिजली पहुंचाई जा चुकी है । जनवरी, 1984 के अन्त तक 13,519 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिससे 79.2 प्रतिशत गांवों को बिजली प्राप्त करवाई जा चुकी है । वर्ष 1983-84 के 100 पम्प सेटों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में दिसम्बर, 1983 के अन्त तक 122 पम्प सेटों का उर्जयन किया जा चुका था ।

**5. हरिजन घरों का विद्युतीकरण**—बोर्ड ने प्रदेश में 512 लाख रुपये की लागत से 27,000 हरिजन घरों के विद्युतीकरण की योजना सरकार को सहाय अनुदान देने हेतु प्रस्तुत की है। वर्ष 1980-81 में 2,000 घरों के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए और 2,268 घरों को बिजली दी गई । वर्ष 1981-82 में 5,000 घरों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 5,147 घरों में और 1982-83 में 5,500 घरों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 5,980 घरों को बिजली दी गई । वर्ष 1983-84 में 3,200 घरों को बिजली पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है और दिसम्बर 1983 तक 4,487 घर विद्युतीकरण किये जा चुके थे।

31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र एवं 1982-83 का समेकित राजस्व लेखा क्रमशः तालिका 8.1 और 8.2 में दर्शाया गया है।

# हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला

## 8.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | संपदा | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. पूंजी दायित्व : | | | 1. स्थिर संपदा : | |
| 10,393.38 | (क) राज्य सरकार से ऋण | 11,562.38 | 8,118.60 | (क) स्थिर संपदा पर किया गया पूंजी व्यय | 8,160.27 |
| 5,478.66 | (ख) अन्य संस्थानों से ऋण | 7,516.29 | (—)5.79 | (ख) पुराने एवं निकम्मी संपदाओं की उपलेखित लागत | (—)7.76 |
| | 2. आरक्षित एवं अधिशेष : | | | | |
| — | (क) सामान्य आरक्षिति | — | 736.92 | (ग) घटाएं : अवमूल्यन | 752.45 |
| 675.51 | (ख) पूंजी आरक्षिति | 854.97 | 8,685.20 | (घ) प्रगति पर पूंजी कार्य | 12,354.64 |
| 39.83 | (ग) उपभोक्ता अंशदान | 46.77 | 417.80 | 2. निवेश | 560.44 |
| — | (घ) अन्य आरक्षिति | — | | 3. वर्तमान संपदा : | |
| | 3. वर्तमान एवं अन्य दायित्व : | | | | |
| 2,994.69 | (क) विविध लेनदार | 3,756.79 | 519.73 | (क) अन्य परिचालन भंडार | 537.99 |
| 162.20 | (ख) बोर्ड की स्थापना से पहले दायित्व | 162.13 | 603.72 | (ख) पूंजी भंडार | 589.73 |
| 784.90 | (ग) अन्य विविध दायित्व | 1,096.60 | 541.43 | (ग) ऋण एवं अग्रिम | 648.55 |
| | | | 1,200.36 | (घ) विविध देनदार (संदिग्ध एवं अशोध्य ऋण का प्रावधान घटा कर) | 1,611.63 |
| | 4. प्रावधान : | | | | |
| — | (क) देय आय कर के लिए | — | | | |
| — | (ख) अंशपूंजी पर लाभांश | — | 1,274.48 | (ङ) अन्य प्राप्य | 1,617.94 |
| 610.42 | (ग) अन्य प्रावधान | 826.26 | (—)472.87 | (च) नकदी एवं बैंक शेष | (—)207.86 |
| | | | 993.86 | 4. विविध व्यय | 709.07 |
| 21,139.59 | जोड़ | 25,822.19 | 21,139.59 | जोड़ | 25,822.19 |

# हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, शिमला

## 8.2—31 मार्च, 1983को समाप्त होने वाले वर्ष का राजस्व लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| 16.09 | 1. उत्पत्ति एवं परिचालन केन्द्रों पर व्यय | 0.44 | 1761.58 | 1. विद्युत विक्रय | 2376.15 |
| 87.07 | 2. उत्पादन पर आबकारी शुल्क | 117.16 | 91.68 | 2. उपभोक्ताओं से विविध राजस्व | 120.05 |
| — | 3. ईंधन लागत | — | 4.55 | 3. वाणिज्य से राजस्व | 27.94 |
| 269.54 | 4. विद्युत क्रय | 386.13 | 34.57 | 4. ऋणों एवं निवेश पर ब्याज | 55.20 |
| 531.01 | 5. वेतन एवं भत्ते | 657.08 | 33.37 | 5. विविध प्राप्तियां | 61.02 |
| 275.97 | 6. मुरम्मत एवं अनुरक्षण | 353.26 | | | |
| 421.68 | 7. सामान्य प्रशासन व्यय | 517.99 | | | |
| — | 8. अवमूल्यन | — | | | |
| 324.39 | 9. पूंजी की पूर्ति गत वर्ष में चालन एवं अनुरक्षण पर किए गए व्यय में कमी के कारण | 608.30 | | | |
| — | 10. राजस्व एवं विनियोजन लेखे को ले जाया गया शुद्ध अधिशेष | — | | | |
| 1925.75 | जोड़ | 2640.36 | 1925.75 | जोड़ | 2640.36 |

शुद्ध राजस्व एवं विनियोजन लेखा

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490.68 | 1. गत वर्ष के लेखे से लाई गई हानि (608.30 लाख रुपये की पूर्ति के पश्चात्) | 261.81 | — | 1. राजस्व लेखे से लाया गया शुद्ध अधिशेष | — |
| 379.43 | 2. राजकीय ऋणों से अतिरिक्त ऋणों/बंधपत्रों इत्यादि पर ब्याज | 520.31 | — | 2. राज्य सरकार से अर्थ साहाय्य | 226.00 |
| | | | 870.11 | 3. अगले लेखे में ले जाई गई हानि | 556.12 |
| 870.11 | जोड़ | 782.12 | 870.11 | जोड़ | 782.12 |

# नाहन फाउंड्री सीमित, नाहन

नाहन फाउंड्री की स्थापना सन् 1875 में तत्कालीन सिरमौर रियासत के महाराजा ने की थी। आरम्भ में फाउंड्री तोलने के बाट बनाने के लिये प्रसिद्ध थी। तत्पश्चात् इसने बैलों तथा विद्युत से चलाएं जाने वाले गन्ने के बेलन (केनक्रशर) बनाने में विशेषता प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त फाउंड्री में कृषि यन्त्र, विद्युत मोटरें, मोनो ब्लाक पम्पिंग सैट, मैनहोल कवर, सी० आई० सॉयल पाइप, जी० आई० ड्रम्ज, व्हील बैरोज, हाईड्रेंट पोस्टस इत्यादि भी बनाए जाते हैं। 15 अप्रैल, 1948 को सिरमौर रियायत के हिमाचल प्रदेश में विलय होने पर भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि फाउंड्री पर भारत सरकार एवं महाराजा का 50:50 के अनुपात से स्वामित्व होगा। मार्च, 1952 में महाराजा का भाग भी भारत सरकार ने खरीद लिया। 25 अक्तूबर, 1952 को नाहन फाउंड्री सीमित की स्थापना कम्पनीज एक्ट के अधीन की गई। सितम्बर, 1964 में एक समझौते के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस फाउंड्री का प्रशासनिक नियन्त्रण हिमाचल प्रदेश सरकार को दे दिया गया।

25 जनवरी, 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर फाउंड्री पूर्णतया हिमाचल प्रदेश सरकार की सम्पत्ति बन गई तथा अब इसका संचालन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त एक निदेशक मण्डल के द्वारा किया जाता है।

1. पूंजी —इस कम्पनी की अधिकृत पूंजी 3.00 करोड़ रुपये है जो कि एक-एक हजार रुपये के 30,000 साम्य अंशों में विभाजित है। 31 मार्च, 1983 में कम्पनी की चुकाई गई पूंजी 216.50 लाख रुपए थी जोकि एक-एक हजार रुपए के 21,650 साम्य अंशो में विभक्त है।

2. कार्य परिणाम —लेखा परीक्षा के अधीन रहते हुए 1981-82 की 12.70 लाख रुपए की शुद्ध हानि की तुलना में वर्ष 1982-83 में 36.87 लाख रुपए की शुद्ध हानि होने की सम्भावना है। यह हानि 1982-83 में 10.66 लाख रुपए अवमूल्यन तथा 15.21 लाख रुपए ब्याज के प्रावधान के पश्चात् गत वर्ष की तुलना में 11.03 लाख रुपए अवमूल्यन तथा 14.63 लाख रुपए ब्याज के प्रावधान के पश्चात् हुई है। फाउंड्री की संचित हानि वर्ष 1981-82 की 146.50 लाख रुपए की तुलना में इस वर्ष 183.06 लाख रुपए हो गई है। गत तीन वर्षों में इस कम्पनी द्वारा निर्मित कुछ मुख्य वस्तुओं के आंकड़े निम्न हैं:—

| मद | संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 |
| 1. गन्ने के बेलन (बैलों से चलाए जाने वाले) | 901 | 1,881 | 1,399 |
| 2. गन्ने के बेलन (विद्युत द्वारा चलाए जाने वाले)] | 222 | 176 | 108 |
| 3. जूस उबालने के पात्र | 59 | 50 | — |
| 4. विद्युत मोटरें | 507 | 332 | 235 |
| 5. मोनो ब्लाक तथा सैंट्री फ्यूगल पम्पस | 837 | 418 | 89 |
| 6. व्हील बैरोज | 386 | 285 | 184 |
| 7. सी०आई० सांयल पाइप | 2,021 | 763 | 794 |
| 8. हाईड्रैंट पोस्टस | 2,292 | 1,447 | 85 |
| 9. मैनहोल कवरज | 367 | 342 | 386 |

वर्ष 1981-82 में 1409 टन लोहे के ढलान की तुलना में 1982-83 में 1032 टन लोहा ढाला गया। वर्ष 1981-82 के 116.56 लाख रुपए के उत्पादन मूल्य की तुलना में वर्ष 1982-83 में 92.74 लाख रुपए के मूल्य का उत्पादन हुआ। दिसम्बर के अन्त तक फाउंड्री का उत्पादन स्तर एक करोड़ रुपए का हो गया था तथा बिक्री 80 लाख रुपए की थी। इस गति से वर्ष 1983-84 में फाउंड्री घाटे को कम करने में समर्थ हो जाएगी। फाउंड्री ने राजस्थान सरकार के साथ मध्यम रेंज के पावर मोटर बेचने का समझौता किया है।

3. अवक्रय—गन्ना बेलने तथा जूस उबालने वाले पात्रों के अवक्रय से वर्ष 1981-82 में 41.54 लाख रुपए की आय की तुलना में इस वर्ष 29.05 लाख रुपए की आय हुई।

4. विक्रय —इस वर्ष विक्रय से 68.04 लाख रुपए की आय हुई जबकि वर्ष 1981-82 में यह आय 85.20 लाख

रुपए थी। गत तीन वर्षों में विक्रय का मदवार विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत है :—

| मद | 1980-81 | | 1981-82 | | 1982-83 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा (संख्या) | मूल्य (लाख रुपयों में) | मात्रा (संख्या) | मूल्य (लाख रुपयों में) | मात्रा (संख्या) | मूल्य (लाख रुपयों में) |
| 1. गन्ना बेलन | 1495 | 24.45 | 2162 | 51.34 | 1206 | 33.35 |
| 2. अतिरिक्त पुर्जे | — | 5.25 | — | 5.28 | — | 3.51 |
| 3. विविध मदें एवं संविदा सेवाएं | — | 14.96 | — | 17.56 | — | 19.98 |
| 4. विद्युत मोटरें | 452 | 9.43 | 261 | 6.05 | 336 | 6.84 |
| 5. मोनो ब्लाक तथा सैंट्री फ्यूगल पम्पस | 621 | 8.70 | 223 | 4.97 | 272 | 4.36 |
| जोड़ | | 62.79 | | 85.20 | | 68.04 |

5. **रोजगार**—31 मार्च, 1983 को फाउंड्री में 674 स्थायी कर्मचारी कार्यरत थे। इस वर्ष भी प्रबंधकों एवं मजदूरों के संबंध सद्भावनापूर्ण रहे।

6. **कर्मचारी कल्याण**—फाउंड्री ने अपने कर्मचारियों को एक औषधालय, जिसमें एक प्रशिक्षित चिकित्सक कार्यरत है का प्रावधान किया है। जो कर्मचारी सख्त कार्य तथा बड़ी-बड़ी मशीनों पर कार्यरत हैं उनको फाउंड्री सुरक्षात्मक उपायों के अधीन एप्रन, सुरक्षात्मक जूते तथा वर्दियां प्रदान करती है। फाउंड्री योग्य पात्र कर्मचारियों के बच्चों को वृत्तिका, सख्त काम करने वाले कर्मचारियों को दूध तथा विपत्ति में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। फाउंड्री कर्मचारी सहकारी समिति चलाने में भी सहायता करती है। इसके सभी कर्मचारी भविष्य निधि सहायता के अन्तर्गत लाए गए हैं।

31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा तथा उत्पादन एवं विक्रय व्यापार लेखा वर्ष 1982-83 का क्रमश: तालिका 9.1 से 9.3 में दिया गया है।

## नाहन फाउंड्री सीमित, नाहन

### 9.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | दायित्व | 31-3-1983 को | 31-3-82 को | संपदा | 31-3-1983 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.50 | 1. अंश पूंजी | 216.50 | 16.67 | 1. स्थिर संपदा | 17.63 |
| 60.04 | 2. प्रतिभूत ऋण | — | 0.08 | 2. प्रगति पर पूंजी कार्य | 0.08 |
| 14.00 | 3. अप्रतिभूत ऋण | 97.26 | 0.30 | 3. निवेश | 0.30 |
| 53.06 | 4. चालू दायित्व तथा प्रावधान | 54.35 | | 4. वर्तमान संपदा : | |
| | | | 81.22 | (क) तालिका गत सामान | 86.82 |
| | | | 36.70 | (ख) देनदार | 26.87 |
| | | | 9.62 | (ग) नकद एवं बैंक जमा | 11.25 |
| | | | 34.89 | (घ) अन्य वर्तमान संपदा | 30.27 |
| | | | 9.89 | 5. ऋण एवं अग्रिम | 11.63 |
| | | | 149.23 | 6. विविध व्यय | 183.06 |
| 338.60 | जोड़ | 368.11 | 338.60 | जोड़ | 368.11 |

## नाहन फाउंड्री सीमित, नाहन

### 9.2—वर्ष 1982-83 का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | व्यय | 1982-83 | 1981-82 | आय | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| 10.10 | 1. उत्पादन तथा विक्रय व्यापार लेख से लाई गई हानि | 28.32 | 10.31 | 1. विक्रय एवं व्यापार लेखा से सकल लाभ | 0.60 |
| — | 2. विक्रय व्यापार खाते की हानि | — | 0.15 | 2. किराया | 0.15 |
| | | | 0.02 | 3. ब्याज (सकल) | — |
| 13.34 | 3. बैंक का ब्याज तथा प्रतिभूतियां | 13.92 | 0.37 | 4. संपदा के विक्रय से लाभ | 0.01 |
| 0.06 | 4. निदेशकों को शुल्क तथा यात्रा भत्ता | 0.05 | | | |
| 0.04 | 5. भंडार का बीमा | 0.05 | 0.09 | 5. विविध आय | 2.10 |
| 0.23 | 6. ऋण गारण्टी पर सरकारी शुल्क | — | — | 6. भंडार की नीलामी | 2.27 |
| — | 7. अपलिखित विविध व्यय | 2.73 | 0.06 | 7. विक्रय के बाद सर्विस | 0.05 |
| | | | 0.07 | 8. भंडार विक्रय | — |
| | | | 12.70 | 9. नीचे ले जाई गई शुद्ध हानि | 36.87 |
| | | | — | 10. भूमि विक्रय से लाभ | 3.02 |
| 23.77 | जोड़ | 45.07 | 23.77 | जोड़ | 45.07 |
| 133.82 | 1. गत वर्ष का आगे लाया गया शेष | 146.50 | 0.02 | 1. फालतू प्रावधान का प्रति लेखन | 0.31 |
| 12.70 | 2. नीचे लाई गई शुद्ध हानि | 36.87 | 146.50 | 2. अगले वर्ष में ले जाई गई शुद्ध हानि | 183.06 |
| 146.52 | जोड़ | 183.37 | 146.52 | जोड़ | 183.37 |

# नाहन फाउंड्री सीमित, नाहन

## 9.3 --31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का उत्पादन एवं विक्रय व्यापार लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को — | | | से— | |
| 53.46 | 1. आरम्भिक भंडार | 61.50 | 85.20 | 1. विक्रय | 68.04 |
| 2.09 | 2. निर्मित माल का क्रय | 4.08 | 0.26 | 2. बैंकिंग एवं बीमा (शुद्ध) | 0.22 |
| 0.75 | 3. प्रवक्रय भंडार से | 0.10 | 17.37 | 3. अवक्रय भंडार को स्थानांतरित निर्मित पदार्थ व उपकरण | 9.81 |
| 50.46 | 4. कच्चे माल एवं भंडार की खपत | 37.88 | | | |
| 1.35 | 5. विद्युत एवं ऊर्जा प्रभार | 1.42 | — | 4. दुकानों को हस्तांतरित निर्मित पदार्थ | — |
| 3.88 | 6. विक्रय एवं वितरण प्रभार | 3.91 | | | |
| 45.35 | 7. वेतन, मजदूरी एवं सुविधाएं | 49.92 | 1.11 | 5. पूंजी बढ़ाने एवं विकास पर ऊपरी व्यय | 1.40 |
| 1.26 | 8. अवधि ऋण पर ब्याज | 1.26 | | | |
| 5.13 | 9. अन्य व्यय | 4.35 | 61.50 | 6. बन्द घोषित स्टाक | 67.45 |
| 0.17 | 10. लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय | 0.25 | 10.10 | 7. लाभ-हानि लेखे में ले जाई गई हानि | 28.32 |
| 3.14 | 11. अनुरक्षण एवं मुरम्मत | 2.78 | | | |
| 3.32 | 12. बोनस | 3.51 | | | |
| 2.26 | 13. स्थिर संपदा एवं उपकरणों पर अवमूल्यन | 3.05 | | | |
| 0.38 | 14. भंडार प्रतिलेखन | — | | | |
| 1.49 | 15. दैनिक भत्ते का प्रावधान | 0.61 | | | |
| 1.05 | 16. अशोध्य ऋण प्रावधान | 0.61 | | | |
| 175.54 | जोड़ | 175.24 | 175.54 | जोड़ | 175.24 |

10

# हिमाचल प्रदेश उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित, शिमला

(कृषि उद्योग निगम सीमित की सहाय इकाई)

हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित को भारतीय कंपनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 10 जून, 1974 को हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित की सहाय इकाई के रूप में अधिकृत पूंजी 2.00 करोड़ रुपए सहित पंजीकृत किया गया जिसे अब बढ़ा कर 4.00 करोड़ रुपए कर दिया है। 31 दिसम्बर, 1983 को चुकाई गई पूंजी 3.27 करोड़ रुपए थी। निगम की स्थापना हिमाचल प्रदेश सेब विपणन एवं विधायन प्रोजैक्ट नं० 456-आई० एन० के अन्तर्गत वाणिज्यिक घटकों के निष्पादन के लिए की गई थी।

**विश्व बैंक परियोजना**—विश्व बैंक की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक कार्यों के लिए आरम्भ में परियोजना का उद्व्यय 16.31 करोड़ रुपए था। जब कि वास्तविक व्यय 17.26 करोड़ रुपए हुआ जिसका मदानुसार विवरण निम्न है :—

(करोड़ रुपयों में)

| क्रम संख्या | मद | राशि |
|---|---|---|
| 1. | पैंकिग/ग्रेडिंग गृह, शीत भंडार तथा विधायन संयंत्र | 6.33 |
| 2. | देहली शीत भंडार का पुनः प्रतिष्ठापन | 0.27 |
| 3. | तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण | 0.27 |
| 4. | विकास कार्यक्रम | 0.02 |
| 5. | परियोजन का मूल्यांकन | 0.09 |
| 6. | सड़क सम्बन्धी कार्य | 7.42 |
| 7. | सड़क के मुरम्मत के उपकरण | 0.86 |
| 8. | एच० पी० एम० सी० की स्थाई कार्यरत अंशपूंजी | 2.00 |
| | जोड़ | 17.26 |

विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त हिमाचल प्रदेश सेब विधायन एवं विपणन परियोजना-आई० डी० ए० क्रेडिट संख्या 456-आई० एन० को सफलता पूर्वक संपूर्ण कर दिया गया है। वाणिज्यिक दिशा में परियोजना के अन्तर्गत सेब के मौसम में 36,000 टन सेबों की पैंकिग/ग्रेडिंग की क्षमता वाले 10 पैंकिग गृह, 5 शीत गृह जिन में प्रत्येक की 1,000 टन फल रखने की क्षमता तथा जो कि विशेषतया फल रखने के लिए बनाए गए, 18,000 टन सेबों को विधायन करने वाला एक फल विधायन संयंत्र, 400 टन आड़ू, नाशपाती तथा सब्जियों के विधायन की क्षमता वाला डिब्बे बन्द संयंत्र, देहली शीत भंडार का पुनः प्रतिष्ठापन और एक कुंडली में ट्रांशिपमेंट केन्द्र स्थापित किए गये। सभी संयंत्र उचित जांच पड़ताल के उपरांत स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना के अतिरिक्त एच० पी० एम० सी० के पास फलों के उत्पादन के बाद उनको सम्भालने तथा उनका विधायन एवं विक्रय करने की सुविधायें भी प्राप्त हैं।

इंडो जर्मन एग्रीकल्चरल एसिसटैंस प्रोग्राम के अन्तर्गत डेढ़ टन सेब प्रति घण्टा विधायन संयन्त्र करने की क्षमता वाला एक विधायन संयत्र जड़ोल में स्थापित किया गया। सिरमौर जिले के 2 केनिंग यूनिट सरकार द्वारा एच० पी० एम० सी० को दिए गए जिन की मौसंम के दौरान कार्य क्षमता 50 टन नाशपाती तथा आड़ू को सम्भालने की है। एच० पी० एम० सी० 2 शीत भंडार संभाल रहीं है इन में से एक सरकार द्वारा किराए पर दिया गया (विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत पुनः प्रतिष्ठापित) और दूसरा बंबई में निगम का अपना है। यह दो ट्रांजिट गोदाम भी चला रहा है। निगम ने सोलन में खाद का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। उपरोक्त आधारभूत सुविधाओं के अतिरिक्त 2 पैंकिग/ग्रेडिंग गृह जिन में से एक किन्नौर के रिकौंग पिओ में निर्माणाधीन है तथा एक अन्य पैंकिग गृह के लिए भी भरमौर (जिला चम्बा) में स्थान ले लिया गया है। टाटरा पैक प्रणाली द्वारा फलों के रस को डिब्बा बन्द करने के लिए एक आधुनिक फल विधायन संयंत्र परवाणु में लगाया जा रहा है। इस से पैंकिग लागत कम करने में सहायता मिलेगी। थानाधार व रोहड़ू में 11 किलोमीटर लंबी केबल बेज का निर्माण प्रगति पर है।

गैर वाणिज्यिक कार्यों से संबंधित सड़कों के निर्माण इत्यादि का कार्य राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया और देहली के शीत भंडार का पुनः प्रतिष्ठापन करने, तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण, मूल्यांकन अध्ययन तथा विकास कार्य, उद्यान विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया है।

भारत सरकार ने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए वित्तीय एवं अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा आई डी० एं० के 13.00 मीलियन यू० एस० डालर के ऋण का पूरा उपयोग करने के लिए प्रादेशिक सरकार की सराहना की है। भारत सरकार की इच्छानुसार द्वितीय चरण की परियोजना बनाने के लिए तथा प्रारंभिक कार्य आरम्भ करने के लिए पग उठाए गए हैं। परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत पैकटिन बनाने की इकाई, केबल बैज, नियंत्रित वातावरण शीत भंडार, खुम्ब विकास, शीत वाहन, तकनीकी सहायता,

सेब उगाने वाले क्षेत्रों तथा नीची पहाड़ियों में अतिरिक्त पैकिंग/ग्रेडिंग गृहों का बनाने तथा वर्तमान पैकिंग/ग्रेडिंग गृहों में, पैकिंग/ग्रेडिंग का आधुनिकीकरण करने के लिए अतिरिक्त यन्त्रों को लगाये जाने का प्रस्ताव है।

**जनजातीय विकास योजना**—एच० पी० एम० सी० जन जातीय क्षेत्रों में पैकिंग गृहों को बना रहा है। आने वाले सेब के मौसम में जिला किन्नौर में रिकांग पिओ में एक 50,000 पैटियों की क्षमता वाला पैकिंग गृह कार्य करने के लिए तैयार हो जायेगा। यह पैकिंग गृह केबल बेज से जोड़ा जाएगा। एक अन्य पैकिंग गृह चम्बा जिला के भरमौर में स्थापित किया जा रहा है, जो कि अगले सेब के मौसम में बन कर तैयार हो जाएगा। यह गृह भी केबल बेज से जोड़ा जाएगा। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने 18.32 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर ली है।

**यू० एन० डी० पी० बटन खुम्ब परियोजना**—इस परियोजना के अन्तर्गत निगम ने बटन खुम्ब के उत्पादन के लिए प्रयोग में आने वाली खाद का उत्पादन शुरू किया है और इसको बचने का कार्य भी आरम्भ किया है। निगम खुम्ब विपणन का कार्य भी कर रहा है।

**फल विपणन एवं विधायन**—निगम सेब, आड़ू, नाशपाती इत्यादि फलों को ग्रेडिंग/पैकिंग का कार्य भी करता है तथा फल उत्पादन क्षेत्रों में शीत भंडारों की सुविधा भी उपलब्ध करवाता है। इन इकाइयों में ग्रेडिंग/पैकिंग विज्ञानिक ढंग से की जाती है। निगम फलों को मंडियों में पहुंचाने एवं अस्थाई भंडारण की सुविधाएं देना है तथा देश की टर्मिनल मंडियों में निगम ने विपणन संबंधित आधारभूत सुविधाओं का विकास किया है। विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत स्थापित विधायन संयंत्र परवाणु तथा जड़ोल में स्थित भारतीय-जर्मन परियोजना के सयंत्र में निगम ने 5,000 मीट्रिक टन सेबों का विधायन किया है तथा 74 टन आड़ू डिब्बों में बन्द किए हैं।

**फल उत्पाद का विपणन**—निगम ने विपणन के लिए सारे देश में आधारभूत सुविधाएं जुटा ली हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, चिकित्सालयों, अन्तर्राज्य बस अड्डों तथा अन्य बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों में फलों के रस को कम कीमत पर बेचने के लिए 131 छोटी-छोटी दुकानें स्थापित की गई हैं।

फल उत्पाद का समस्त विक्रय दिसम्बर, 1983 तक 88.45 लाख रुपए रहा जब कि यह विक्रय पिछले वर्ष 91.77 लाख रुपए था। निगम द्वारा गत वर्ष तथा प्रचलित वर्ष में किए गए फल तथा उत्पाद के विपणन का संक्षिप्त विवरण निम्न है :—

| क्र०सं० | विवरण | इकाई | 1982-83 | 1983-84 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | निगम द्वारा हस्तक पेटियां : | | | |
| | (क) मंडियों में | लाख पेटियां | 1.28 | 1.76 |
| | (ख) फारवडिंग केन्द्रों में | " | 5.45 | 9.82 |
| | (ग) पैकिंग/ग्रेडिंग केन्द्रों में | " | 0.35 | 1.04 |
| 2. | फल उत्पादन क्षेत्रों में शीत भंडारित पेटियां | " | 0.09 | 0.35 |
| 3. | विधायित फलों का विपणन : | | | |
| | (क) घटिया किस्म के फल | टन | 3,000 | 5,000 |
| | (ख) कुल विक्रय | लाख रुपए | 91.77 | 88.45 (दिसम्बर, 83 तक) |
| 4. | खुम्ब की खरीद | किलो ग्राम | 1,323 | 12,542 |
| 5. | खुम्ब का विक्रय | " | 1,018 | 7,204 |
| 6. | खुम्ब का विधायन | " | 300 | 5,215 |
| 7. | तैयार की गई खुम्ब खाद की ट्रेज | संख्या | 7,239 | 8,136 (दिसम्बर, 83 तक) |

31-3-82 का सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 1981-82 का लाभ-हानि लेखा क्रमश: तालिका 10.1 तथा 10.2 में दर्शाए गए हैं।

# हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित, शिमला

## 10.1—31 मार्च, 1982 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 31-3-82 को | 31-3-81 को |
|---|---|---|
| I. निधि के साधन | | |
| 1. अंशधारियों की निधि : | | |
| (क) अंश पूंजी | 300.00 | 240.00 |
| (ख) अंश पूंजी के बदले अग्रिम | 14.00 | — |
| (ग) आरक्षिति एवं अधिशेष | 73.33 | 73.33 |
| 2. ऋण निधि : | | |
| (क) प्रतिभूत ऋण | 760.06 | 387.92 |
| (ख) अप्रतिभूत ऋण | 50.13 | 5.08 |
| जोड़ | 1197.52 | 706.33 |
| II. निधि का प्रयोग | | |
| 1. स्थिर संपदा : | | |
| (क) सकल ब्लाक | 503.75 | 140.72 |
| (ख) घटाएं—अवमूल्यन | 95.47 | 37.75 |
| (ग) शुद्ध ब्लाक | 408.28 | 102.97 |
| (घ) प्रगति पर पूंजी कार्य | 325.02 | 417.23 |
| जोड़ | 733.30 | 520.20 |
| 2. निवेश | 0.01 | 0.01 |
| 3. वर्तमान-संपदा एवं अग्रिम : | | |
| (क) तालिकागत सामान | 185.20 | 92.27 |
| (ख) विविध देनदार | 55.33 | 43.52 |
| (ग) नगद एवं बैंक अधिशेष | 43.29 | 25.95 |
| (घ) ऋण एवं अग्रिम | 200.58 | 62.38 |
| जोड़ | 484.40 | 224.12 |
| घटाएं—वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान | | |
| (क) दायित्व | 178.15 | 108.45 |
| (ख) प्रावधान | 1.00 | — |
| शुद्ध संपदाएं | 305.25 | 115.67 |
| 4. (क) विविध व्यय | 5.71 | — |
| (ख) लाभ-हानि लेखा | 153.25 | 70.45 |
| जोड़ | 1197.52 | 706.33 |

## 10.2—31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ तथा हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 31-3-82 को | 31-3-81 को |
|---|---|---|
| I. आय : | | |
| 1. विक्रय . . . | 119.42 | 76.96 |
| 2. अन्य व्यय . . . | 63. 17 | 35.76 |
| | 182.59 | 112.72 |
| II. व्यय : | | |
| 1. कच्चे माल की खपत . . | 93.18 | 22.23 |
| 2. प्रगति पर कार्य, विक्रय एवं निर्मित वस्तुएं (—) | 55.53 | 27.97 |
| 3. उत्पादन, विक्रय एवं प्रशासनिक व्यय | 76.00 | 37.08 |
| 4. कर्मचारियों के खर्चे . . | 44-38 | 24.94 |
| 5. ब्याज . . . | 59.57 | 3.42 |
| 6. अन्य व्यय एवं प्रभार . . | 3.28 | 0.12 |
| 7. उत्पादन शुल्क . . . | 13.18 | 6.29 |
| 8. पटराशि . . . | 0.01 | 0.01 |
| 9. अवमूल्यन . . . | 58.78 | 11.23 |
| 10. यू० एन० डी० पी० खुम्ब परियोजना से शुद्ध हानि | 0.53 | (—) 0.28 |
| | 263.38 | 133.01 |
| वर्ष में हानि . . . | 80.79 | 20.29 |
| गत वर्ष से संबंधित समायोजन . | 2.01 | 1.62 |
| वर्ष का शुद्ध घाटा . . | 82.80 | 21.91 |
| गत वर्ष का घाटा . . | 70.45 | 48.53 |
| संतुलन पत्र में ले जाया गया शेष | 153.25 | 70.44 |

11

## हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, शिमला

यह निगम एक करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 24 सितम्बर, 1970 को पंजीकृत किया गया। निगम की 31 मार्च, 1983 को अधिकृत पूंजी 6.50 करोड़ रुपये थी जो एक एक सौ रुपये के 6.5 लाख साम्य अंशों में विभक्त है।

आलोच्य वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के निगम की अंश पूंजी में 19.00 लाख रुपये के साम्य अंश और बढ़ाए हैं। भारत सरकार के अंशधारियों से 24.50 लाख रुपये की बकाया देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। 31 मार्च, 1983 को निगम की प्रदत्त राशि 615.00 लाख रुपये थी। 31 मार्च, 1983 को अधिकृत और प्रदत्त अंशों का विवरण निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

| क्रम संख्या | अंशधारी | धारित अंश संख्या | धारित अंश मूल्य | प्रदत्त पूंजी | बकाया अंश राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | हिमाचल प्रदेश सरकार | 4,54,000 | 454.00 | 419.00 | 35.00 |
| 2. | भारत सरकार | 1,96,000 | 196.00 | 196.00 | — |
| | जोड़ | 6,50,000 | 650.00 | 615.00 | 35.00 |

वित्तीय उपलब्धियां—वित्तीय उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 1982-83 | 1981-82 |
|---|---|---|
| 1. अवमूल्यन को छोड़कर सभी खर्च करने के बाद लाभ | 21.45 | 13.69 |
| 2. घटाएं—अवमूल्यन | 18.96 | 11.04 |
| 3. कराधान से पूर्व लाभ | 2.49 | 2.65 |
| 4. करों के लिए प्रावधान | — | — |
| 5. शुद्ध लाभ | 2.49 | 2.65 |
| 6. प्रस्तावित लाभांश | — | — |
| 7. सामान्य आरक्षिति निधि में ले जाया गया | 4.50 | 3.00 |
| 8. अगले वर्ष में ले जाया गया | 0.52* | 2.53** |

*इस राशि में गत वर्ष के 2.53 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

**इस राशि में गत वर्ष के 2.88 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

गत वर्ष के 2.65 लाख रुपये की तुलना में कराधान से पूर्व शुद्ध लाभ 2.49 लाख रुपये था। गत वर्ष के 3.00 लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष 4.50 लाख रुपये सामान्य आरक्षिति निधि में ले जाने का प्रस्ताव है। कार्यों के पूरा हो जाने के बाद 13.37 लाख रुपये की राशि अनुदान और आर्थिक सहायता राशि से पूंजी आरक्षिति निधि में लेखान्तरित कर दी गयी है।

बिक्री आय तथा अन्य प्राप्तियां —आलोच्य वर्ष के दौरान अन्य स्रोतों से आय को मिलाकर कुल बिक्री से प्राप्त आय 732.70 लाख रुपये थी जबकि गत वर्ष यह 724.62 लाख रुपये थी। वर्ष के दौरान बिक्री आय में 8.08 लाख रुपये की वृद्धि हुई। बिक्री आय का मुख्य विवरण निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 1982-83 | 1981-82 |
|---|---|---|
| 1. बिक्री | 556 59 | 545 86 |
| 2. वर्ष के अन्त में स्टाक | 105.64 | 155 26 |
| 3. अन्य आय | 65.47 | 18.65 |
| 4. किराया और आर्थिक सहायता | 4.53 | 4.10 |
| 5. अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ | 0.47 | 0.75 |
| जोड़ | 732.70 | 724.62 |

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विक्रय में वृद्धि हुई। मदवार विक्रय निम्नलिखित है:—

(लाख रुपयों में)

| क्र०सं० | मद | कुल बिक्री | |
|---|---|---|---|
| | | 1982-83 | 1981-82 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | लोहा और इस्पात | 186.10 | 165.59 |
| 2. | ट्रैक्टर और बिजली चालित हल | 38.73 | 63.28 |
| 3. | टायर और ट्यूबें | 80.44 | 66.54 |
| 4. | उर्वरक | 6.29 | 18.87 |
| 5. | कीट नाशक और रोग नाशक दवाइयां | 13.86 | 1.75 |
| 6. | उपकरण और फालतू पुर्जे | 29.23 | 31.31 |
| 7. | बैटरी | 5.30 | 3.72 |
| 8. | सीमेंट और अकुआप्रूफ | 47.36 | 37.92 |
| 9. | पशु और मुर्गी चारा | 76.80 | 95.23 |
| 10. | ए० सी० चादरें | 4.73 | 3.10 |
| 11. | पशु चिकित्सा की दवाइयां | 12.37 | 15.04 |
| 12. | कीलें | 0.20 | 0.05 |
| 13. | उपकरण आदि (विनिर्मित) | 30.56 | 31.79 |
| 14. | चारा/अन्य | 5.47 | 11.67 |
| 15. | प्लाण्ट संरक्षण उपस्कर | 11.04 | — |
| 16. | चीनी | 8.03 | — |
| 17. | शीरा | 0.08 | — |
| | जोड़ | 556.59 | 545.86 |

कार्यकलाप—आलोच्य वर्ष के दौरान निगम द्वारा निम्नलिखित कार्य जारी रहे:—

(i) **ट्रैक्टरों का क्रय और वितरण**—निगम के पास पूरे प्रदेश के लिए एच० एम० टी० जैटर ट्रैक्टर की एजेन्सी रही। वर्ष के दौरान निगम ने 61 ट्रैक्टर और बिजली चालित हलों का वितरण किया जो गत वर्ष 99 था। बेचे गए ट्रैक्टरों तथा बिजली चालित हलों का मूल्य 38.73 लाख रुपये था जो पिछले वर्ष 63.28 लाख रुपये था।

(ii) **समान उपकरण और फालतू पुर्जे**—समान उपकरणों और फालतू पुर्जों की 29.23 लाख रुपये की बिक्री हुई। गत वर्ष यह बिक्री 31.31 लाख रुपये की हुई थी।

(iii) **टायर और ट्यूब**—निगम ने 80.44 लाख रुपये के टायर और ट्यूबों की बिक्री की जबकि पिछले वर्ष 66.54 लाख रुपये की बिक्री हुई थी। बिक्री में वृद्धि वाणिज्यिक वाहनों के टायरों की बिक्री को मिला कर हुई है।

(iv) **कृषि सेवा और कस्टम हायरिंग केन्द्र**—निगम जाच्छ, अम्ब, पांवटा साहिब, नालागढ़, कुल्लू, हमीरपुर और ज्वालामुखी में कृषि सेवा और कस्टम हायरिंग केन्द्र चला रहा है। कस्टम कृषि और मुरम्मत तथा परिवहन से 4.67 लाख रुपये की आय हुई जबकि गत वर्ष 3.70 लाख रुपये की आय हुई थी। इन केन्द्रों से सीमेंट इस्पात और व्यापार की अन्य वस्तुओं के विक्रय का कार्य भी होता है।

(v) **लोहा और इस्पात के माल की अभिप्राप्ति और वितरण**—वर्ष के दौरान लोहा और इस्पात के माल की अभिप्राप्ति और वितरण कार्य चलता रहा। निगम ने 186.10 लाख रुपये के मूल्य का लोहा और इस्पात माल विशेषतया जी० सी० चादरों की बिक्री की जबकि पिछले वर्ष 165.59 लाख रुपये की बिक्री हुई थी।

(vi) **सीमेंट**—प्रतिबंध रहित विक्रय के अधीन निगम ने सीमेंट प्राप्त करना और विक्रय करना चालू रखा। निगम ने 47.36 लाख रुपये के मूल्य के सीमेंट और अकुआप्रूफ की बिक्री की जबकि पिछले वर्ष 37.92 लाख रुपये की बिक्री हुई थी।

(vii) **पशु और मुर्गी चारा**—निगम ने संतुलित पशु और मुर्गी चारा मिश्रित किया और उसे 76.80 लाख रुपये में बेच दिया जबकि पिछले वर्ष परवाणु और जाच्छ इकाइयों से 95.23 लाख रुपये की बिक्री हुई थी।

(viii) **बैटरियां**—निगम ने हिमाचल प्रदेश के लिए व्यापारी के रूप में मुख्यतः ट्रैक्टरों के लिए एक्साइड बैटरियों का विक्रय जारी रखा। आलोच्य अवधि के दौरान 5.30 लाख रुपये की बैटरियों का विक्रय किया गया जबकि पिछले वर्ष के दौरान 3.72 लाख रुपये की बिक्री हुई थी।

(ix) **गोदाम**—परवाणु और जाच्छ पर स्थित गोदाम भारतीय खाद्य निगम के पास किराये पर चलते रहे।

(x) **पशु चिकित्सा संबंधी दवाइयां**—निगम ने चारे के साथ विभिन्न औषध कम्पनियों की पशु चिकित्सा की दवाइयों को बेचना जारी रखा आलोच्य वर्ष के दौरान 12.37 लाख रुपये मूल्य की दवाइयों की बिक्री हुई जबकि पिछले वर्ष 15.04 लाख रुपये की बिक्री हुई थी।

(xi) **कीलें**—निगम ने इस वर्ष 0.20 लाख रुपये की कीलों का विक्रय किया जबकि गत वर्ष यह 0.05 लाख रुपये था।

(xii) **कृषि कर्मशाला**—निगम ने आलोच्य वर्ष के दौरान 30.56 लाख रुपये के निर्मित उपकरणों का विक्रय किया। वर्ष 1980-81 के दौरान मशीनों के परिवर्तन के लिए प्राप्त किए गए 1.00 लाख रुपये के अनुदान का उपयोग चालू वर्ष में किया गया।

(xiii) **कृषि सेवा और विक्रय केन्द्र**—निदेशक मण्डल ने जिला मुख्यालयों और महत्वपूर्ण उप-मण्डलीय मुख्यालयों पर कृषि सेवा एवं विक्रय केन्द्रों को खोलने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। सबसे पहले निगम ने ज्वालामुखी, हमीरपुर, मोरण्डा (पालमपुर), कुल्लू तथा चम्बा में कृषि सेवा

केन्द्रों की स्थापना की । वर्ष 1982-83 के दौरान निगम ने बिलासपुर, सैंज, रामपुर बुशहर तथा नगरोटा बगवां में कृषि सेवा तथा विक्रय केन्द्र खोले ।

**ऋण** तथा सार्वजनिक जमा—निगम ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार तथा वाणिज्य बैंकों से 236.00 लाख रुपये के सावधि ऋण प्राप्त किए हैं :—

(i) जाच्छ में उपकरण निर्माणी;

(ii) कन्दरौरी में तार खींचने की इकाई;

(iii) कलकत्ता में शीत संग्रहगार;

(iv) मद्रास में शीत संग्रहगार;

(v) सेबों की अन्य प्रकार से पैकिंग के लिए प्रारम्भिक व्यय;

(vi) गोदामों का निर्माण तथा धातु भण्डारण बिनों क निर्माण ।

चालू पूंजी की आवश्यकताओं की कमी को पूरा करने के लिए निगम ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से भण्डारों पर 80.00 लाख रुपये ऋण लिया है ।

इसके अतिरिक्त निगम ने सार्वजनिक जमा की एक योजना चालू कर रखी है । इस योजना में जमाकर्ताओं ने 31.3.83 तक 25.80 लाख रुपये तक अंशदान दिया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(लाख रुपयों में)

| विवरण | जमाकर्ताओं की संख्या | राशि |
|---|---|---|
| 1. एक वर्ष की अवधि के लिए | 59 | 3.29 |
| 2. दो वर्ष की अवधि के लिए | 29 | 2.08 |
| 3. तीन वर्ष की अवधि के लिए | 361 | 20.43 |
| जोड़ | 449 | 25.80 |

निगम ने सेबों के लिए वैकल्पिक पैकिंग के लिए परियोजना प्रतिवेदन तैयार की है तथा "हाई स्ट्रेन्थ क्राफ्ट पेपर" कारूगेटेड कार्टन चिह्नित कर लिए गए हैं । इस सम्बन्ध में परियोजना के लिए भारत सरकार तथा हिमाचल प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है ।

निगम ने जाच्छ में उपकरण निर्माणी तथा कन्दरौरी में तार खींचने की इकाई की परियोजनाओं को सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है । मद्रास में शीत संग्रहगार का कार्य चल रहा है ।

सहायक कम्पनी—सम्पूर्णतया निजी स्वामित्व से युक्त सहायक कम्पनी हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज विपणन एवं विधायन निगम सीमित सेबों के विपणन, विधायन, भण्डारण तथा एकत्रीकरण के कार्य की देखभाल करती रहीं । निगम ने सहायक कम्पनी के एक एक सौ रुपये के 4 लाख साम्य अंश खरीद लिए हैं और वर्ष के दौरान के 19 लाख रुपए सहित 319 लाख रुपए की पूंजी का भुगतान कर दिया है ।

आलोच्य वर्ष के दौरान प्रबन्धक तथा कर्मचारियों के मध्य सम्बन्ध नितान्त सौहार्दपूर्ण रहे ।

निगम का 31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र तथा 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा क्रमशः तालिका 11.1 और 11.2 में दर्शाए गए हैं ।

# हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, शिमला

## 11.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-1982 को | दायित्व | 31-3-1983 को | 31-3-1982 को | सम्पदा | 31-3-1983 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 अंश पूंजी : | | | | |
| 600.00 | (क) अधिकृत | 650.00 | 248.20 | 1. स्थिर सम्पदा | 395.12 |
| 600.00 | (ख) निर्गमित एवं भरी गई | 650.00 | 300.27 | 2. निवेश | 319.27 |
| 575.50 | (ग) चुकाई गई पूंजी | 615.00 | | 3. वर्तमान सम्पदा, ऋण तथा पेशगी : | |
| 14.00 | 2. अग्रिम भाग—प्रार्थना पत्र धन | — | 194.88 | (क) वर्तमान सम्पदा | 156.25 |
| | 3. आरक्षित एवं अधिशेष: | | 9.41 | (ख) चल रहे कार्य | 2.80 |
| 13.09 | (क) पूंजी आरक्षित | 26.46 | 49.41 | (ग) विविध देनदार तथा अन्य ऋण | 51.01 |
| 37.00 | (ख) सामान्य आरक्षित | 42.58 | | | |
| 1.08 | (ग) विकास छूट आरक्षित | — | 148.40 | (घ) नकद एवं बैंक जमा | 77.33 |
| 6.73 | (घ) निवेश के लिए आरक्षित | 14.40 | 193.68 | (ङ) ऋण एवं पेशगी | 172.11 |
| — | (ङ) केन्द्रीय निवेश सहायक अनुदान | 10.11 | 6.88 | 4. विविध व्यय | 6.33 |
| 2.55 | (च) लाभ-हानि लेखा | 0.52 | | | |
| 27.68 | 4. हिमाचल सरकार से अनुदान एवं सहाय अनुदान | 20.41 | | | |
| 106.46 | 5. प्रतिभूत ऋण | 59.03 | | | |
| 200.56 | 6. अप्रतिभूत ऋण | 227.04 | | | |
| | 7. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान : | | | | |
| 113.97 | (क) वर्तमान दायित्व | 116.21 | | | |
| 52.53 | (ख) प्रावधान | 48.46 | | | |
| 11,51.13 | जोड़ | 11,80.22 | 11,51.13 | जोड़ | 11,80.22 |

# हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित, शिमला

## 11.2—31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| 72.04 | 1. आरम्भिक स्टाक | 153.06 | 545.86 | 1. विक्रय | 556.59 |
| 446.24 | 2. क्रय | 346.97 | 3.70 | 2. सेवा प्रभार | 4.67 |
| 107.37 | 3. कच्चे माल की खपत | 97.15 | 155.26 | 3. बन्द घोषित स्टाक | 105.64 |
| 5.45 | 4. पैकिंग सामग्री की खपत | 4.58 | 4.04 | 4. किराया | 4 53 |
| 0.78 | 5 उपभुक्त भण्डार | 1.55 | 0.06 | 5. विविध साख | 0.09 |
| 9.57 | 6. मजदूरी प्रभार | 11.'49 | | शेष तथा प्रतिलिखित अतिरिक्त प्रावधान | |
| 1.93 | 7. ईंधन एवं ऊर्जा | 3.48 | | | |
| 0.08 | 8. कर्मशाला व्यय | 0.08 | 11.62 | 6. ब्याज (सकल) | 4.45 |
| 0.77 | 9. उत्पादन शुल्क | 1.03 | 0.75 | 7. स्थिर सम्पदा के विक्रय पर लाभ | 0.4 |
| 27.79 | 10. स्थापना व्यय | 37.94 | | | |
| 0.02 | 11. कर्मी कल्याण | 0.01 | 2.61 | 8. विविध प्राप्तियां | 2.16 |
| 1.11 | 12. मुरम्मत एवं अनुरक्षण | 2.19 | | 9. राज्य सरकार से सहाय अनुदान : | |
| 17.68 | 13. प्रशासनिक व्यय | 25.44 | | | |
| 9.91 | 14. वित्त प्रभार | 12.33 | -- | (क) भंगरोटू कृषि कार्यशाला के लिए | 7.00 |
| 0.03 | 15. प्रारम्भिक व्यय अपलिखित | 0.11 | | | |
| 0.03 | 16. अल्प राशि अपलिखित | 0.05 | — | (ख) पावंटा साहिब | 46.06 |
| 3.65 | 17. विक्रय तथा वितरण व्यय | 4.77 | | खण्डसारी फैक्टरी के लिए | |
| — | 18. दान | 0.01 | | | |
| 1.60 | 19. अन्य व्यय | 1.33 | 0.06 | 10. मैटल लेन ऋण पर ब्याज | 0.21 |
| 11.04 | 20. अवमूल्यन | 18.96 | 0.18 | 11. स्क्रैप से आय | 0.42 |
| 4.88 | 21. निवेश भत्ता | 7.68 | 0.01 | 12. भण्डार के विक्रय से लाभ | — |
| 2.65 | 22. आगे ले जाया गया शुद्ध लाभ | 2.49 | 0.47 | 13. कमीशन/छूट एवं कटौतियां | 0.41 |
| 724.62 | जोड़ | 7[illegible].70 | 724.62 | जोड़ | 732.70. |
| 3.00 | 1. सामान्य आरक्षिति को लेखान्तरित | 4.50 | 2.88 | 1. आगे लाया गया शेष | 2.53 |
| 2.53 | 2. सन्तुलन पत्र में ले जाया गया शेष | 0.52 | 2.65 | 2. आगे ले जाया गया शुद्ध लाभ | 2.49 |
| 5.53 | जोड़ | 5.02 | 5.53 | जोड़ | 5.02 |

# हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित, शिमला

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1 सितम्बर, 1972 को भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी सहित पंजीकृत किया गया जिसे कि सितम्बर, 1978 में बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए तथा वर्ष 1979 में पुनः बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। वर्ष 1981 में आंशिक पूंजी बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दी गई। निगम की चुकाई गई पूंजी 31-12-83 को 6.69 करोड़ रुपए थी। कम्पनी की स्थापना पर्यटन विभाग को निगम में परिवर्तित करके की गई तथा विभाग की समस्त सम्पदा एवं दायित्व भी कम्पनी को हस्तान्तरित कर दिए गए। कम्पनी को राज्य में पर्यटन विकास कार्य के साथ-साथ होटल चलाना तथा आहार गृहों जैसे सभी वाणिज्यिक कार्य भी सौंपे गए।

निगम की स्थापना निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के अनुसरण तथा उपलब्ध करने के लिए की गई थी।

(क) प्रदेश में पर्यटन उद्योग को स्थापित, विकसित, उन्नत, निष्पादन करने तथा संचलन के लिए उन योजनाओं, कारोबार और गतिविधियों को जो पर्यटन के विकास को उन्नत तथा सुविधाजनक बनाए, को कार्यान्वित करना।

(ख) हिमाचल प्रदेश में तथा देश के अन्य भागों में पर्यटन सूचना ब्यूरो तथा केन्द्रों का निर्माण संचालन एवं अनुरक्षण करना।

(ग) पर्यटन उद्योग के विकास के लिए व्यापक प्रचार करने हेतु पुस्तकों, पत्रिकाओं, सामयिक पत्रिकाओं, बिल्ज, इश्तहारों, पिकचर कार्डों, डायरियों, कलैण्डरों, सलाइडों, चल चित्रों तथा अन्य सामग्री के संपादन, एकांकन, मुद्रण एवं प्रकाशन तथा विक्रय का आयोजन करना।

(घ) हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास से संबंधित यात्रा एजेंटों, विमान सेवा प्रतिनिधियों और इस तरह की अन्य एजेन्सियों को कम्पनी के खर्चे पर भोजन, ठहरने तथा परिवहन की सुविधाएं देना।

1972 में जब से यह निगम अस्तित्व में आया है, पर्यटन विकास के लिए समस्त प्रदेश में आधारभूत ढांचा स्थापित करने में प्रयत्नशील है जिससे पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि हो सके। निगम का विभिन्न वर्गों के पर्यटकों को विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त आवास तथा जलपान की सुविधाएं देना एक मुख्य उद्देश्य है। निगम ने अपने होटलों इत्यादि में 1972 में 857 शैयाओं से कार्य आरम्भ किया था जिनकी संख्या अब लगभग 1800 हो गई है।

पर्यटन के माध्यम से राज्य पर्यटन निगम के मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक न्याय प्राप्त करना है। पर्यटन विकास के परिणाम स्वरूप अतिरिक्त आय, रोजगार बढ़ाना, रहने के अच्छे तौर तरीके, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत, राज्य में तेजी से आर्थिक विकास, राज्य कोष में अधिक आय, आवास सुविधा प्रदान करना, समाज के सभी वर्गों को उचित मूल्यों पर जलपान तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करवाना है।

वर्ष 1981 के दौरान निगम ने पर्यटकों की सुविधा के लिए एक नई दिशा में कार्य किया और एक नई नीति अपनाई जिसके अन्तर्गत प्रदेश में तीन यात्रा चक्कर निर्धारित किए गए जिस से पर्यटक सुविधाओं की सन्तुलित ढंग से वृद्धि हो सके। ये यात्रा चक्कर इस प्रकार हैं:—

(1) परवाणु-चायल-कुफरी-नारकण्डा-शिमला-परवाणु

(2) मण्डी-कुल्लू-मनाली-कूल्लू-मनीकरण-कुल्लू-मण्डी

(3) डलहौजी - चम्बा-डलहौजी -नुरपुर-त्रिलोकपुर-गगल-धर्मशाला - कांगड़ा-ज्वालामुखी- कांगड़ा-पालमपुर-जोगिन्दर नगर-बरोट जोगिन्दर नगर-मण्डी-बिलासपुर-शिमला-बिलासपुर-नैनादेवी-चण्डीगढ़।

निगम के पास दो और यात्रा चक्करों को विकसित करने का प्रस्ताव है जो इस प्रकार है (क) चण्डीगढ़-नाहन-पावंटा साहिब-रेनुका और (ख) शिमला-खड़ापत्थर-जुब्बल रोहड़ु- नारकण्डा-शिमला।

वर्ष 1983 में निगम ने पर्यटन को नई दिशा प्रदान करने के लिए कठिन परिश्रम किया तथा विभिन्न स्तरों के पर्यटकों जिनमें तीर्थ यात्री भी सम्मिलित हैं, की शीघ्र तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नई योजना बनाई है। सभी पर्यटक स्थलों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए इनकी विशेष मरम्मतें कराई गई। इसके अतिरिक्त नई सुविधाएं जैसे फर्नीचर, फरनीशिंग लीनन, क्रोकरी इत्यादि उपलब्ध करवाई।

पर्यटकों तथा अन्य यात्रियों को आहार सुविधा प्रदान करने के लिए पठानकोट-धर्मशाला तथा पठानकोट-डलहौजी सड़कों पर दो भोजनालयों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

निगम का अपना एक परिवहन अनुभाग है। इसे आरामदेह कोच तथा आयात की गई कारों को सम्मिलित

करके बढ़ाया गया। भारत सरकार ने 6 डीज़ल द्वारा चलाई जाने वाली वातानुकूलित कारें आयात करने तथा आरामदेह कोच के लिए 4 वातानुकूलित यूनिट बढ़ाने का लाइसेंस भी दिया है।

निगम ने वर्ष 1983 के ग्रीष्म मासों में दिल्ली, शिमला तथा मनाली, शीतकाल के दिनों में चण्डीगढ़ से भाखड़ा और दिल्ली से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के बहुत से स्थानों के लिए छोटे टूर संचालित किए। निगम ने 60 विदेशी दलों को दिल्ली से लाहौल, रामपुर बुशहर तथा आनी इत्यादि का भ्रमण करवाया। निगम पर्यटकों के लिए और भी भ्रमण टूर संचालित कर रहा है जैसे मनाली से रोहतांग पास, नग्गर तथा मनीकरण और डलहौजी से खज्जियार इत्यादि। निगम आरामदेह कोच में शिमला के समीपस्थ स्थान चैल तथा नारकण्डा और कई स्थानों के नियमित टूर संचालित करता है।

निगम ने अखिल भारतीय युवा छात्रावास संघ की सहायता से मई तथा जून और फिर सितम्बर तथा अक्तूबर में कुल्लू घाटी में राष्ट्रीय हिमाचल ट्रेकिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें देश के विभिन्न भागों से 3,000 युवाओं ने भाग लिया।

निगम ने भारतीय पर्वतारोहण संस्थान, गुलमार्ग के सहयोग से नारकण्डा में शीत ऋतु में वर्ष 1983 और 1984 में 10 और 21 दिनों के स्कीकोर्स का आयोजन किया। आशा है कि इस मौसम में देश के विभिन्न भागों से 350 लोग स्की प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

पर्यटन तथा होटलों को चलाना बड़ा ही प्रतिस्पर्धात्मक तथा विशिष्ट व्यापार है। अपने कर्मचारियों विशेष कर मध्यम तथा उत्तम दर्जे से संबंधित की व्यावसायिक कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए निगम ने अक्तूबर, 1983 में होटल मैनेजमेंट, केट्रिंग टैक्नालोजी तथा एपलाइड न्यूट्रीशन संस्थान, बम्बई की सहायता से सैमिनार–कम वर्कशाप का आयोजन किया। इस सैमिनार में कुछ स्थानीय होटल मालिकों ने भी भाग लिया। निगम ने अपने कर्मचारियों को होटल मैनेजमेंट तथा भोजनालयों की तकनीकी के संस्थान बम्बई एवं दिल्ली में प्रशिक्षण के लिए भेजा।

वर्ष 1983 में निगम ने शिमला-कालका मार्ग पर बड़ोग में एक प्रतिष्ठित होटल, होटल पाईनवूड चालू किया। इस की निर्माण लागत 50 लाख रुपये है इस में मनोरंजन तथा सभा इत्यादि करने की सुविधाओं के साथ-साथ सुसज्जित आवास सुविधा भी उपलब्ध है। निगम ने इस वर्ष धुनधियारा, पठानकोट-डलहौजी मार्ग तथा तरलोकपुर पठानकोट धर्मशाला मार्ग पर पर्यटकों तथा यात्रियों को जलपान इत्यादि की सुविधा के लिए एक आहारिका को चलाया। निगम ने डलहौजी से 2 किलोमीटर दूर पंजपुला जो कि प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध हैं, में भी जलपान गृह आरम्भ किया। निगम के बड़ोग में होटल तथा दो जलपान गृह आरम्भ होने से शिमला उच्च मार्ग पर पर्यटन विकास में प्रयाप्त उन्नति हुई है। निगम ने वर्ष 1983 में अपने कार्यकलापों का प्रचार नए हस्त पत्र, पुस्तिका, पिक्चर कार्ड, प्रसिद्ध राष्ट्रीय एवं स्थानीय दैनिकीयों तथा पर्यटन पत्रिकाओं के द्वारा किया। निगम ने इस वर्ष भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला तथा भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के रजत जयन्ती समारोह में दिल्ली, अहमदाबाद तथा मद्रास में प्रचार हेतु प्रदर्शनियों में भाग लिया। इन विज्ञापन प्रचार सम्बन्धित प्रयत्नों के फलस्वरूप वर्ष 1983 में 1982 की तुलना में 30 लाख रुपये का अधिक व्यापार हुआ।

निगम पैकेज टूअरों का आयोजन करके, विख्यात उद्यमियों को सम्मेलन करने के लिए आमंत्रित करके तथा फिल्म प्रोडयूसरों को शूटिंग के लिए सर्दियों के दौरान निवास के खर्च पर छूट देकर और शीत कालीन खेलों का आयोजन इत्यादि करके अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है।

निगम द्वारा वर्ष, 1984 में होटल हांली डे होम का तृतीय चरण मनाली में कल्ब हाऊस जो कुल्लू घाटी में मनोरंजन के केन्द्रीय स्थान होंगे, रेणुका में आहारिका तथा पौंटा साहिब में अतिरिक्त आवास सुविधा आरम्भ की जाएंगी। पर्यटक परिसर मनीकरण तथा चम्बा स्थित होटल के निर्माण कार्य में पर्याप्त प्रगति हुई।

निगम ने वर्ष 1984 में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 362.81 लाख रुपये समोदित किए हैं। इन परियोजनाओं में विशेष कर पठानकोट के समीप चक्की नामक स्थान पर होटल, पर्यटकों के लिए शिमला में अस्थाई आवास, डलहौजी में होटल, नाहन तथा बिलासपुर में पर्यटक आवास साथ ही शिमला के समीप वाईल्ड फलांवर में अतिरिक्त आवास का निर्माण शामिल है। विचाराधीन वर्ष के अन्तर्गत निगम द्वारा होटलों के निर्माण कार्य के अतिरिक्त 30 लाख रुपये नई बसें, कारों तथा जीपों पर खर्च करने का प्रस्ताव भी है।

31 दिसम्बर, 1982 का अस्थाई सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 1982 का लाभ-हानि लेखा तालिका क्रमशः 12.1 तथा 12.2 में दर्शाया गया है।

# हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित, शिमला

## 12.1—31 दिसम्बर, 1982 का सन्तुलन पत्र*

(लाख रुपयों में)

| दायित्व | 31-12-82 को | सम्पदा | 31-12-82 को |
|---|---|---|---|
| 1. अंश पूंजी : | | 1. स्थिर सम्पदा | 413.75 |
| (क) अधिकृत | 700.00 | 2. प्रगति पर पूंजी कार्य | 12.75 |
| (ग) चुकाई गई | 563.04 | 3. उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं | 0.04 |
| 2. आर्थिक सहायता | 9.51 | | |
| 3. प्रतिभूत ऋण | 25.48 | 4. स्टाक एवं भण्डार | 10.75 |
| 4. अप्रतिभूत ऋण | 23.06 | 5. विविध देनदार | 58.00 |
| 5. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान : | | 6. नगद | 1.15 |
| (क) सरकार को देय राशि | 2.75 | 7. बैंक बैलंस | 12.01 |
| (ख) ग्राहकों से अग्रिम | 0.88 | 8. अवधि निक्षेप | 0.40 |
| (ग) विविध लेनदार | 21.18 | 9. ऋण एवं अग्रिम | 14.32 |
| (घ) अन्य दायित्व | 20.75 | 10. कार्यों के लिए अग्रिम | 66.14 |
| | | 11. विविध व्यय | 2.90 |
| (ङ) बैंक से ओवर ड्राफ्ट | 8.97 | 12. लाभ हानि लेखा | 83.41 |
| जोड़ | 675.62 | जोड़ | 675.62 |

*अस्थाई

# हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित, शिमला

## 12. 2--31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि लेखा *

(लाख रुपयों में)

| विवरण | 31-12-82 को | विवरण | 31-12-82 को |
|---|---|---|---|
| को— | | से-- | |
| 1. वेतन तथा भत्ते | 53.69 | 1. किराया | 72.13 |
| 2. यात्रा भत्ता | 1.66 | 2. कर्मचारी आवास | 0.51 |
| 3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 0.60 | 3. जलपान गृह | 72.79 |
| 4. अवकाश वेतन तथा सेवा निवृत्ति योगदान | 0.16 | 4. कोल्ड ड्रिंक्स | 5.95 |
| 5. अंशदायी भविष्य निधि | 3.44 | 5. बार | 14.53 |
| 6. अंशदायी भविष्य निधि का प्रशासनिक व्यय | 0.21 | 6. लिफ्ट | 3.43 |
| 7. अंशदायी भविष्य निधि का बीमा प्रभार | 0.22 | 7. वाहन | 41.76 |
| 8. बोनस इत्यादि | 3.00 | 8. साहित्य | 0.70 |
| 9. जलपान गृह का प्रावधान | 38.71 | 9. स्पोर्ट्स | 0.74 |
| 10. ईंधन | 8.38 | 10. ब्याज | 0.19 |
| 11. बार का प्रावधान | 10.25 | 11. विविध आय | 2.98 |
| 12. कोल्ड ड्रिंक्स का प्रावधान | 3.54 | 12. सहाय अनुदान | 15 00 |
| 13. साहित्य पर व्यय | 0.51 | | |
| 14. खेलों पर व्यय | 0.08 | | |
| 15. वाहनों की मरम्मत | 13.08 | | |
| 16. वाहनों पर पी० ओ० एल० | 10.73 | | |
| 17. कर्मचारी कल्याण | 2.39 | | |
| 18 जल एवं विद्युत | 9.26 | | |
| 19. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 2.84 | | |
| 20. डाक व तार | 0.32 | | |
| 21. दूरभाष | 3.71 | | |
| 22. वर्दियां इत्यादि | 2.33 | | |
| 23. समाचार पत्र | 0.24 | | |
| 24. किराया, दर तथा कर | 1.48 | | |
| 25. प्रचार विज्ञापन तथा व्यापार उन्नति | 4.93 | | |
| 26. फोटोग्राफी सामग्री | 0.38 | | |
| 27. बागवानी व्यय | 0.18 | | |
| 28. टोल/टोकन कर | 0.71 | | |
| 29. निगम के अतिथि | 0.34 | | |
| 30. मनोरंजन | 0.40 | | |
| 31. भवन की मुरम्मत | 4.23 | | |
| 32. फर्नीचर की मुरम्मत | 0.22 | | |
| 33. अन्य मुरम्मत | 1.42 | | |
| 34. कर्मचारी प्रशिक्षण | 0.10 | | |
| 35. पिछले वर्ष का व्यय | 0.06 | | |
| 36. धुलाई पर व्यय | 2.18 | | |
| 37. ग्रीष्म तथा शरद ऋतु प्रभार | 0.27 | | |
| 38. ऋणों पर ब्याज | 4.87 | | |
| 39. व्यवसायिक खर्चे | 0.16 | | |
| 40. वाहनो पर बीमा एवं पंजीकरण | 0.46 | | |
| 41. अंकेक्षण फीस | 0.12 | | |
| 42. लेखा परीक्षकों को यात्रा प्रभार | 0.05 | | |
| 43. अपलिखित आरंभिक व्यय | 0.04 | | |
| 44. ग्रेच्युटी | 0.85 | | |
| 45. अवमूल्यन | 27.00 | | |
| 46. विविध व्यय | 7.25 | | |
| 47. सन्तुलन पत्र में ले जाया गया लाभ | 3.66 | | |
| जोड़ | 230.71 | जोड़ | 230.71 |

*अस्थाई

# 13

## हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम सीमित, शिमला

सार्वजनिक वितरण प्रणाली जोकि भारत सरकार के नए बीस सूत्रीय कार्यक्रम का एक सूत्र है के प्रभावशाली एवं कुशल कार्यान्वियन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्च स्तर पर राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम की स्थापना की। यह निगम 6 सितम्बर, 1980 को कम्पनीज अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपए की अधिकृत अंश पूंजी सहित पंजीकृत किया गया। वर्ष 1983 में यह पूंजी बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई।

31 दिसम्बर, 1983 को निगम की चुकाई गई पूंजी 235 लाख रुपए थी। प्रारम्भिक चरणों में निगम की कार्यरत पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ पटियाला, पंजाब नैशनल बैंक तथा युनाइटिड कमर्शियल बैंक नामक वाणिज्यिक बैंकों ने स्टाक को उपप्राधियित करके 299 लाख रुपए की नगद साख सुविधा प्रदान की थी। यह सुविधा जुलाई, 1982 से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ा कर 475 लाख रुपए कर दी गई है। आजकल निम्न बैंकों से नगद साख सुविधा प्राप्त की जा रही है:—

1. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक
2. स्टेट बैंक आफ पटियाला
3. स्टेट बैंक आफ इण्डिया
4. युनाइटिड कर्मशियल बैंक
5. पंजाब नैशनल बैंक
6. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

भविष्य में यह आशा है कि मिट्टी का तेल एवं कोयले इत्यादि अन्य वस्तुओं के वितरण को निगम को देने से निगम के कार्यकलापों के परिमाण में वृद्धि होगी अतः निगम ने सहयोगी बैंकों के माध्यम से एक प्रस्ताव जिसमें निगम की नगद साख सीमा को वर्तमान शर्तों पर ही बढ़ा कर 650 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है, रिजर्व बैंक को भेजा है।

**उद्देश्य**—निगम का मुख्य उद्देश्य राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुवाही बनाना है। निगम यह कार्य प्रदेश भर में खुली हुई उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति एवं वितरण करके तथा वस्तुओं के आदान द्वारा कर रहा है। निगम का मुख्य प्रयत्न जन साधारण को उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखना है।

**संगठन**—निगम का मुख्यालय शिमला में स्थित है। सारे प्रदेश को दो मण्डलों में विभाजित किया गया है जिनके कार्यालय धर्मशाला एवं सोलन में हैं। धर्मशाला मण्डल चम्बा मण्डी तथा धर्मशाला तथा सोलन मण्डल शिमला नाहन एवं सोलन क्षेत्रों के कार्यों को देखता है। क्षेत्रीय प्रबन्धक अपने क्षेत्रों में वस्तुओं की पूर्ति को ठीक बनाए रखने के लिए उत्तरदाई हैं। यह कार्य उन थोक डिपुओं के माध्यम से जोकि जनजातीय क्षेत्र सहित सारे प्रदेश में खुले हैं उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करके एवं फैडरेशन, तहसील सहकारी यूनियन, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, उचित दरों की दुकानों की मांग को पूरा करके करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निगम को परचून व्यापार करने को भी कहा गया है निगम ने अभी तक 49 परचून की दुकानें खोली हैं तथा और अधिक दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। निगम की थोक/उपथोक गोदामों तथा परचून दुकानों का जिलावार ब्यौरा निम्न है :—

| क्रम सं० | जिला का नाम | थोक/उपथोक गोदाम | परचून दुकानें (30-9-83 तक) | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शिमला . . | 8 | 22 | 30 |
| 2. | कुल्लू . . | 4 | — | 4 |
| 3. | किन्नौर . . | 1 | 1 | 2 |
| 4. | मण्डी . . | 11 | 7 | 18 |
| 5. | सोलन . . | 6 | 2 | 8 |
| 6. | बिलासपुर . . | 2 | 1 | 3 |
| 7. | सिरमौर . . | 9 | 6 | 15 |
| 8. | कांगड़ा . . | 14 | 5 | 19 |
| 9. | ऊना . . | 4 | 1 | 5 |
| 10. | हमीरपुर . . | 4 | — | 4 |
| 11. | लाहौल स्पिती . | 1 | 1 | 2 |
| 12. | चम्बा . . | 9 | 3 | 12 |
| | जोड़ : | 73 | 49 | 122 |

यह पहला सरकारी निगम है जो विक्रेताओं को निर्धारित राशि एवं विक्रय पर कमीशन देने का परीक्षण कर रहा है।

**कार्य समीक्षा**—निगम ने प्रभावी रूप से मार्च, 1981 से कार्य आरम्भ किया। वर्ष 1982-83 में निगम को विक्रय से प्राप्त राशि वर्ष 1981-82 के 1,419.98 लाख रुपए की तुलना में 2,596.31 लाख रुपए पहुंच गई तथा वर्ष में आशा है कि 1983-84 में यह राशि 3,000 लाख रुपए हो जाएगी। प्रचलित वित्तीय वर्ष के पहले नौ मासों में दिसम्बर, 1983 के अन्त तक प्राप्त राशि 2174.91 लाख रुपए है। वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक) का वस्तुवार विक्रय का विवरण निम्न हैं:—

(लाख रुपयों में)

| क्रम सं० वस्तु का नाम | विक्रय मूल्य | | |
|---|---|---|---|
| | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 (दिसम्बर, 1983 तक) |
| 1. लेवी चीनी . . | 619.04 | 809.22 | 617.50 |
| 2. रेप सीड तेल . | 313.83 | 310.65 | 232.26 |
| 3. आर० बी० डी०, पाम तेल | 176.20 | 338.87 | 293.67 |
| 4. गेहूं का आटा | 205.09 | 408.47 | 141.60 |
| 5. चावल . . | 8.77 | 360.71 | 419.20 |
| 6. दालें . . | 19.57 | 37.73 | 11.03 |
| 7. कपड़ा . . | 42.37 | 100.07 | 104.47 |
| 8. नमक . . | 3.60 | 4.15 | 5.20 |
| 9. सीमेंट . . | — | 180.00 | 305.65 |
| 10. अभ्यास पुस्तिकाएं . | 5.78 | 19.45 | 15.44 |
| 11. अन्य . . | 25.73 | 26.99 | 28.89 |
| जोड़: | 1419.98 | 2596.31 | 2174.91 |

31 मार्च, 1983 का अस्थाई सन्तुलन पत्र तथा निगम का वर्ष 1982-83 का लाभ-हानि लेखा क्रमशः तालिका संख्या 13.1 तथा 13.2 में दिया गया हैं।

# हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम सीमित, शिमला

## 13. 1—3 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-1982 को | दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | सम्पदा | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 | 1. अंश पूंजी . . | 165.00 | 9.69 | 1. स्थिर सम्पदा . . . | 16.82 |
| 0.07 | 2. आरक्षिति एवं अधिशेष | 0.63 | — | 2. निवेश . . . | — |
| 204.69 | 3. प्रतिभूत ऋण . . . | 389.19 | 438.80 | 3. वर्तमान सम्पदाएं, ऋण एवं अग्रिम . . | 627.12 |
| 10.00 | 4. अप्रतिभूत ऋण . . . | 10.00 | 0.37 | 4. विविध व्यय . . . . | 0.32 |
| 114.10 | 5. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान . . | 79.44 | | | |
| 448.86 | योग | 644.26 | 448.86 | योग | 644.26 |

*लेखा परीक्षा होने की शर्त पर

# हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम सीमित, शिमला

## 13.2—3 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ/हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से — | |
| 25.88 | 1. आरम्भिक स्टाक | 139.09 | 1,427.27 | 1. विक्रय . . . . | 2625.70 |
| 1612.94 | 2. क्रय . . . . | 2,610.12 | 207.98 | 2. राज्य सरकार द्वारा व्यय की प्रतिभूतिपूर्ति | 99.21 |
| 72.11 | 3. व्यय की प्रतिपूर्ति (सहाय अनुदान) . | 98.91 | | (सहाय अनुदान) | |
| 2.83 | 4. किराया, वाहन एवं माल हस्तन प्रभार . | 1.10 | — | 3. एस० टी० सी० से भाड़े की प्रतिपूर्ति . | 14.49 |
| 12.50 | 5. वेतन . . . | 20.30 | — | 4. पूरी की गई कमियां . . . | 1.57 |
| 2.69 | 6. दिक्रेताओं की कमीशन . . | 6.65 | 0.72 | 5. विविध आय . . . . | 0.93 |
| 0.27 | 7. कर्मचारी कल्याण . . . | 0.83 | 0.01 | 6. ब्याज . . . . | 0.18 |
| 0.03 | 8. वर्दियां इत्यादि . . . | 0.08 | 0.25 | 7. कमीशन . . . . | — |
| — | 9. भविष्य निधि अंशदान . . | 0.02 | 1.82 | 8. दावे . . . . | 1.28 |
| 0.88 | 10. अनुग्रह पूर्वक अदायगी . . | 0.64 | 139.09 | 9. अंतिम स्टाक . . . | 224.64 |
| — | 11. बोनस . . . . | 1.16 | | | |
| 0.33 | 12. चिकित्सा प्रतिपूर्ति . . . | 0.34 | | | |
| 4.11 | 13. यात्रा भत्ते . . . | 4.91 | | | |
| 0.39 | 14. जल एवं विद्युत् . . . | 0.37 | | | |
| 0.97 | 15. अनुरक्षण एवं मुरम्मत . . | 3.13 | | | |
| 1.40 | 16. डाक, संचार एवं दूरभाष . . | 1.96 | | | |
| 2.04 | 17. मुद्रण एवं लेखन सामग्री . . | 2.74 | | | |
| 0.07 | 18. समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं . | 0.08 | | | |
| 0.01 | 19. नस्तिकरण फीस . . . | 0.02 | | | |
| 5.60 | 20. किराया . . . | 13.45 | | | |
| 0.01 | 21. दर एवं कर . . . | 0.01 | | | |
| 0.75 | 22. बीमा . . . . | 1.56 | | | |
| 0.52 | 23. व्यापार उन्नति . . . | 0.71 | | | |
| — | 24. प्रदर्शनी पर व्यय . . . | 0.01 | | | |
| 0.26 | 25. विज्ञापन एवं प्रचार . . | 0.33 | | | |
| 24.98 | 26. ब्याज एवं बैंक प्रभार . . | 52.09 | | | |
| 0.12 | 27. लेखा परीक्षा . . . | 0.30 | | | |
| 0.30 | 28. विविध एवं व्यवसायिक प्रभार . | 0.44 | | | |
| 0.79 | 29. विविध व्यय . . . | 0.82 | | | |
| — | 30. उपलिखित दावे . . . | 1.03 | | | |
| 0.05 | 31. अपलिखित आरम्भिक व्यय . | 0.05 | | | |
| 1.58 | 32. अवमूल्यन . . . | 3.35 | | | |
| 0.05 | 33. आयकर के लिए प्रावधान . . | 0.60 | | | |
| 2.68 | 34. नीचे ले जाया गया लाभ . . | 0.80 | | | |
| 1777.14 | जोड़ | 2968.00 | 1777.14 | जोड़ | 2968.00 |

### लाभ तथा हानि समायोजन लेखा

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1. गत वर्ष के व्यय . . . | 1.28 | (—)2.59 | 1. गत वर्ष से लाया गया शेष | 0.06 |
| 0.06 | 2. सन्तुलन पत्र में ले जाया गया शेष . | 0.63 | 2.67 | 2. ऊपर से लाया गया लाभ . . | 0.80 |
| | | | — | 3. गत वर्ष की आय . . | 0.65 |
| | | | — | 4. पूरी की गई कमियां . . | 0.40 |
| 0.08 | जोड़ | 1.91 | 0.08 | जोड़ . . . | 1.91 |

*लेखा परीक्षा होने की शर्त पर

# हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला

हिमाचल पथ परिवहन निगम की स्थापना 2 अक्तूबर, 1974 को मंडी-कुल्लू पथ परिवहन निगम एवं हिमाचल राज्य परिवहन का समावेश करके की गई। यह निगम जनता को कुशल, तत्पर, मितव्ययी तथा पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इस समय राज्य में लगभग 82 प्रतिशत यात्री मार्ग राष्ट्रीयकृत हैं। माल वाहन मुख्यतः निजी संचालकों के हाथ में है।

इस समय निगम के 19 कार्यालय/उप कार्यालय हैं जिनके मुख्यालय नाहन, परवाणु, रामपुर, रोहड़ू, शिमला (ढली), शिमला (स्थानीय), टापरी, बिलासपुर, कुल्लू, मण्डी, बैजनाथ चम्बा, धर्मशाला, हमीरपुर, पठानकोट, ऊना, नालागढ़, सरकाघाट तथा लाहौल-स्पिति (केलांग) में है। एक मण्डलीय कर्मशाला तथा एक अभिदान टिकट कक्ष तारादेवी में कार्यरत है। संचालन इकाइयों के कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए मण्डलीय प्रबन्धकों के नियंत्रण में तीन मण्डलीय कार्यालय जिनके मुख्यालय शिमला मण्डी तथा धर्मशाला में हैं, कार्यरत है। इस समय निगम के पास 1189 वाहन हैं जिनमें 1133 बसें, 15 ट्रक तथा 41 छोटे व अन्य वाहन हैं। इस वर्ष 31 दिसम्बर, 1983 तक 155 नई बसें तथा 2 कैबस वर्तमान गाड़ियों के समूह में जोड़ दिए गये हैं और इसी वर्ष 70 और नई बसें खरीदने की सम्भावना है। यदि धनराशि उपलब्ध हुई तो वर्ष 1984-85 में 125 बसें खरीदने का प्रस्ताव है।

निगम 811 बस मार्गों पर सेवाएं प्रदान कर रहा है जिस में से 227 मार्ग अन्तर्राज्यीय तथा 584 मार्ग राज्य के भीतर हैं। प्रचलित वर्ष में 66 मार्गों पर बस सेवाओं को दोबारा आरम्भ किया गया/नई बस सेवाएं आरम्भ की गई। 96 मार्गों पर बस सेवाएं बढ़ाई गई ताकि जनता को उत्तम सेवा उपलब्ध हो सके। सुंगरा,—दिल्ली—धर्मशाला, दिल्ली, चम्बा—दिल्ली, मण्डी—दिल्ली तथा शिमला—दिल्ली मार्गों पर विडियो लगी हुई आरामदेह/आंशिक आरामदेह/साधारण बस सेवाएं यात्रा को और अधिक आनन्द दायक बनाने के लिए आरम्भ की गई। यह अनुमान है कि निगम की बसें गत वर्ष के 644 लाख किलोमीटर की तुलना में इस वर्ष लगभग 675 लाख किलोमीटर दूरी तय करेंगी। निगम की बसें गत वर्ष के 527 लाख यात्रियों की तुलना में इस वर्ष लगभग 560 लाख यात्री ले जाएंगी। 31-3-83 को 0.85 लाख किलोमीटर बस मार्गों की तुलना में इस वर्ष बस मार्गों की किलोमीटरेज लगभग 0.88 लाख होगी।

निगम जनता को सुविधाजनक बस सेवा प्रदान करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। वाहनों के ठीक रख रखाव, समय पर उनकी मुरम्मत तथा खराबियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रचलित वर्ष में विभंग-आपात प्रति 10,000 किलोमीटर पर 0.67 रहा। यदि इसकी तुलना अखिल भारतीय राज्य पथ परिवहन उपक्रमों के लगभग 1.4 के विभंग आपात से की जाए तो हमारी उपलब्धि सराहनीय है। दुर्घटनाओं को कम करने तथा यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए सभी सम्भव पग उठाए गए हैं। इस वर्ष प्रति लाख कि० मी० पर दुर्घटना आपात 0.30 रहा। भारत के समस्त राज्य पथ परिवहन उपक्रमों का दुर्घटना आपात लगभग 0.90 प्रति लाख किलोमीटर है। दुर्घटना की स्थिति में घायलों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा तुरन्त दी जाती है। घायल एवं अस्पताल में भर्ती हुए लोगों को अनुदान तथा मृतकों के उत्तराधिकारियों को अनुग्रह-पूर्वक अनुदान घटनास्थल पर ही दे दिया जाता है। निगम की बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को यात्रा बीमा योजना के अन्तर्गत लाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 20,000 रुपये की धनराशि हिमाचल प्रदेश में हुई दुर्घटनाओं में मरने वालों के न्यायिक उत्तराधिकारी को दी जाती है। घायलों को घाव की दशा में सीमा एवं अंगहीनता की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए 10,000 रुपये तक की धनराशि क्षति-पूर्ति के रूप में दी जाती है।

निगम की आय गत वर्ष के 22,05 लाख रुपये (अस्थाई) की तुलना में इस वर्ष लगभग 25,30 लाख रुपये होने की सम्भावना है। पिछले वर्ष की 3.37 रुपये प्रति किलोमीटर आय की तुलना में इस वर्ष 3.68 रुपये होने की सम्भावना है जोकि 31 पैसे अधिक है।

आय में वृद्धि के लिए निम्न पग उठाए गए हैं :—

(1) अपनी सीमाओं में चलने वाली गाड़ियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्य स्थानों पर लाइन निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं।

(2) चलती बसों का निरीक्षण करने के लिए विशेष दलों का गठन किया गया है जिसमें मुख्य कार्यालयों, मंडलीय कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं।

(3) मुख्य स्थानों पर उड़न दस्तों का प्रबन्ध किया गया है। यह उड़न दस्ते मुख्य कार्यालयों के अधिकारियों के नियंत्रण में सहसा परीक्षण करते हैं।

(4) निरीक्षक कर्मचारियों के कार्यों पर सख्त निगरानी रखी जाती है और जहां पर कोई कमी पाई जाती है उनके

विरुद्ध कार्यवाही की जाती है जिससे निरीक्षण का स्तर ठीक रहे ।

(5) विभिन्न मार्गों पर आय का सर्वेक्षण किया जाता है जिससे अनुमानित आय का पता लग सके और वास्तव में प्राप्त हुई आय की तुलना इस अनुमानित आय से की जा सके जिससे न केवल वाहन का निरीक्षण आयोजित किया जा सकेगा अपितु कन्डक्टरों में बुरे तत्वों का भी पता लग सकेगा ।

(6) परिचालन आय पर कड़ी निगरानी रखने के लिए सभी को इस दिशा में सतर्क किया गया है।

प्रचलित वर्ष में डीजल तेल, उपस्नेहक, टायर तथा ट्यूब तथा अतिरिक्त पुर्जों इत्यादि के उपभोग में कड़ी निगरानी रखने के व्यय पर नियंत्रण रखा गया है। गुण तथा उत्पादन के आधार पर कर्मशालाओं की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है। क्रय प्रणाली को भी सुवाही बनाया गया है जिससे क्रय में भी बचत हो सके और भंडारों में कम से कम सामग्री रखी जाए टायर अधिकाधिक चलें इसके लिए उनको रद्द करने से पहले बार-बार रिट्रीड किया जाता है। प्रत्येक टायर द्वारा तय की गई औसत दूरी पर भी नजर रखी जाती है। खर्च में कमी करने के लिए पुर्जों का निर्गम कड़ी छानबीन के बाद किया जाता है। गाडियों को कर्मशाला में रखने के समय को कम करने के लिए तथा गाडियों के प्रयोग को अधिकाधिक करने के लिए अत्याधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1983-84 के लिए स्वीकृत 92 प्रतिशत चलन उपयोगिता की तुलना में सितम्बर, 1983 को समाप्त होने वाली तिमाही में बसों की उपयोगिता 94.8 प्रतिशत रही।

प्रचलित वर्ष में प्रति किलोमीटर व्यय गत वर्ष के 3.83 रुपये की तुलना में 4.08 रुपये होने की संभावना है। प्रति किलोमीटर व्यय में यह वृद्धि विविध भण्डारों की कीमतों में वृद्धि, बसों के मूल्यों में वृद्धि तथा महंगाई भत्ते की किस्तें आदि देने के कारण हुई है। इन मदों की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण प्रति किलोमीटर व्यय वृद्धि 7 प्रतिशत हो सकती थी परन्तु कड़े नियंत्रण के कारण यह वृद्धि सीमित रही। वर्ष 1982-83 में 300 लाख रुपये (अस्थाई) का घाटा हुआ जबकि प्रचलित वर्ष में 275 लाख रुपये का घाटा होने की संभावना है। निगम यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए बस स्टेंड का निर्माण तथा अनुरक्षण जिन पर सभी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हों, पर विशेष ध्यान दे रहा है। प्रचलित वर्ष में मुख्य निर्माण कार्य जो कार्यान्वित हुए, हो रहे हैं/संभवतः होने हैं, निम्नलिखित हैं :—

1. धर्मशाला में बस स्टेंड का निर्माण
2. धर्मशाला बस स्टेंड पर जल आपूर्ति
3. रामपुर में बस स्टेंड का निर्माण
4. स्वारघाट में बस स्टेंड का निर्माण
5. चम्बा में बस स्टेंड तथा प्रशासकीय ब्लाक का निर्माण
6. नाहन में सर्विस-डग, बाऊंड्री वाल तथा विविध निर्माण कार्य
7. रामपुर में कर्मशाला का निर्माण
8. रोहड़ू में कर्मशाला का निर्माण
9. ढली में कर्मशाला—शालिकाओं का निर्माण
10. बैजनाथ में कर्मशाला-शालिकाओं का निर्माण
11. नालागढ़ में कर्मशाला का निर्माण
12. कुल्लू में कर्मशाला का निर्माण।

रियायती दरों पर किराए की सुविधा केन्द्रीय राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। शैक्षणिक, खेल-कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को भी किराए में 50 प्रतिशत छूट की सुविधा उपलब्ध है। अन्धे तथा अपंग व्यक्तियों को निगम की बसों में बिना किराए यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा पत्रकारों को भी उपलब्ध है।

कर्मचारियों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न श्रम कानूनों को लागू किया जा रहा है और इन कानूनों के अन्तर्गत कर्मचारियों को समस्त लाभ व सुविधाएं प्रदान की जाती है। दुर्घटना व निधन के समय उनको या उनके न्यायिक आश्रितों को उचित सहायता दी जाती है। निगम की इकाइयों में कार्य समितियां बनाई गई हैं ताकि कर्मचारियों की कार्यव्यवस्था में सुधार हो। खेल-कूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। निगम की टीम ने राज्य स्तरीय वालीबाल प्रतियोगिता में भाग लिया तथा विजय श्री प्राप्त की। चिकित्सा सुविधाएं एल०टी०सी० व उन कर्मचारियों के आश्रितों को जिनका कार्यकाल में निधन हो जाए रोजगार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

निगम अपने कर्मचारियों को तारादेवी, बैजनाथ, बिलासपुर, नाहन तथा धर्मशाला में आवास सुविधा प्रदान करता है। इस सुविधा को अन्य स्थानों पर भी देने का प्रस्ताव है। वर्ष 1982-83 में कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस दिया गया है। प्रचलित वर्ष में प्रबन्धकों एवं मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे रहे।

31 मार्च, 1982 का सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 1981-82 का लाभ-हानि लेखा क्रमश: तालिका 14.1 तथा 14.2 में दिया गया है।

# हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला

## 14.1—31 मार्च, 1982 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-81 को | दायित्व | 31-3-82 को | 31-3-81 को | सम्पदा | 31-3-82 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. पूंजी योगदान: | | | 1. स्थिर सम्पदा: | |
| 10,75.23 | (क) हिमाचल प्रदेश सरकार . . | 12,90.23 | 1,32.50 | (क) भूमि एवं भवन . . . | 2,01.31 |
| 3,69.57 | (ख) केन्द्रीय सरकार (उत्तर रेलवे द्वारा) | 4,32.57 | 13,48.31 | (ख) वाहन . . . . | 15,97,.49 |
| | 2. ऋण: | | 7.99 | (ग) फर्नीचर इत्यादि . . . | 9.28 |
| 7.00 | (क) हिमाचल प्रदेश सरकार से . | 7.00 | 3.48 | (घ) विविध कार्यालय उपकरण . . | 3.58 |
| 1.11 | (ख) उत्तर रेलवे द्वारा अग्रिम . . | 1.11 | | | |
| 39.35 | (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा . . | 77.74 | 17.13 | (ङ) औजार एवं संयंत्र . . . | 19.13 |
| | 3. आरक्षिति एवं निधि: | | 9.23 | (च) निक्षेप कार्य . . . . | 1.80 |
| 5,62.55 | (क) अवमूल्याकन आरक्षित निधि . | 7,94.71 | 10.94 | (छ) प्रगति पर कार्य . . . | 11.42 |
| 1.56 | (ख) वाहन परिवहन आरक्षित निधि . | 2.88 | 1,34.54 | 2. निवेश . . . . | 2,27.72 |
| 0.07 | (ग) श्रम कल्याण निधि . . | 0.07 | 5,32.78 | 3. वर्तमान सम्पदा . . . | 5,08.72 |
| 23.68 | (घ) सामान्य भविष्य निधि . . | 49.79 | 4,76.59 | 4. हानि . . . . | 9,19.63 |
| 1,22.14 | (ङ) अंशदाई भविष्य निधि . . | 1,83.96 | | | |
| 14.00 | (च) पेंशन तथा ग्रैच्यूटी निधि . . | 16.00 | | | |
| 14.22 | 4. निक्षेप . . . | 18.62 | | | |
| | 5. वर्तमान प्रावधान एवं दायित्व: . | | | | |
| 4,38.16 | (क) दायित्व . . . | 6,20.63 | | | |
| 4.85 | (ख) प्रावधान . . . | 4.77 | | | |
| 26,73.49 | जोड़ | 35,00.08 | 26,73.49 | जोड़ | 35,00.08 |

## हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला

### 14.2— वर्ष 1981-82 का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1980-81 | व्यय | 1981-82 | 1980-81 | आय | 1981-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| | (क) संचालन व्यय : | | | (क) संचालन राजस्व : | |
| 281.09 | 1. ट्रैफिक | 318.03 | 1374.67 | 1. यात्रियों से आय | 1672.26 |
| 917.50 | 2. मुरम्मत एवं अनुरक्षण | 1252.08 | 7.35 | 2. डाक सेवा | 6.76 |
| 83.04 | 3. अनुज्ञप्तियां तथा कर | 90.35 | 2.68 | 3. बाह्य एजेन्सी आय | 1.75 |
| 17.48 | 4. कल्याण तथा निवर्तन प्रभार | 18.86 | 22.08 | 4. सामान ढोने से आय | 12.48 |
| 183.29 | 5. सामान्य प्रशासनिक व्यय | 221.82 | 238.02 | 5. अन्य राजस्व | 108.08 |
| 191.28 | 6. अवमूल्यन | 256.97 | 42.88 | 6. नीचे लाया गया संचालन घाटा | 368.99 |
| 14.00 | 7. प्रतिकर, दावे इत्यादि | 12.21 | | | |
| 1687.68 | जोड़ | 2170.32 | 1687.68 | जोड़ | 2170.32 |
| 42.88 | नीचे लाया गया संचालन घाटा | 368.99 | — | नीचे लाया गया संचालन लाभ | — |
| | (ख) गैर संचालन व्यय : | | | (ख) गैर संचालन राजस्व : | |
| 87.97 | 1. पूंजी/ऋण पर ब्याज | 104.60 | 19.01 | 1. अन्य राजस्व | 30.55 |
| — | 2. सन्तुलन पत्र में लाया गया लाभ | — | 111.84 | 2. सन्तुलन पत्र में ले जाया गया घाटा | 443.04 |
| 130.85 | जोड़ | 473.59 | 130.85 | जोड़ : | 473.59 |

# हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम को हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक अधिनियम 1979 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। इस निगम ने वास्तव में 25 अगस्त, 1981 को कार्य करना आरम्भ किया। निगम का मुख्य कार्य भूतपूर्व सैनिकों को सेवा निवृति के बाद उनके पुर्नस्थापन के लिए बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ऋण इत्यादि का प्रबन्ध करना है। निगम को वित्त सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। अब तक निगम 30.50 लाख रुपए प्राप्त कर चुका है जिसका वर्ष वार विवरण निम्न है :—

(लाख रुपयों में)

| वर्ष | राशि |
|---|---|
| 1980-81 . . . | 0.50 |
| 1981-82 . . . | 10.00 |
| 1982-83 . . . | 10.00 |
| 1983-84 . . . | 10.00 |

आरम्भ में निगम ने भूतपूर्व सैनिकों को सीधे तौर पर ऋण देना शुरु किया लेकिन बाद में अपने सीमित वित्त साधनों का लाभ अधिक से अधिक भूतपूर्व सैनिकों को पहुंचाने के लिए विभिन्न बैंकों से ऋण देने के लिए आपसी सहयोग स्थापित किया जिसके अन्तर्गत निगम अब केवल ऋण ग्रहताओं को मारजिन मनी ऋण तथा ब्याज पर सहाय अनुदान देता है ताकि बैंकों के ब्याज के दर निगम के ब्याज दरों के बराबर ही रहे। निगम की विभिन्न ब्याज की दरें निम्न हैं :—

| ऋण राशि (रुपए) | प्रार्थी की आय (रुपए) | ब्याज |
|---|---|---|
| 3000 तक | 3,600 से कम | 2 प्रतिशत |
| 3001—10000 | 3,601—5,600 | 4½ प्रतिशत |
| 10000—15000 | 5,601—7,600 | 6 प्रतिशत |
| 15001—30,000 | — | 7½ प्रतिशत |
| 30000 से ज्यादा | — | 10 प्रतिशत |

वर्ष 1981-82 में तथा वर्ष 1982-83 के प्रथम भाग में निगम ने स्वयं 3.56 लाख रुपए के ऋण दिए उसके बाद बैंकों ने ऋण देना आरम्भ कर दिया। 30 नवम्बर, 1983 तक बैंक 108.79 लाख रुपए के विभिन्न प्रकार के ऋण दे चुके थे जबकि निगम ने 5.36 लाख रुपए के मारजिन मनी ऋण दिए। इसके अतिरिक्त निगम ने 0.35 लाख रुपए का ब्याज सहाय अनुदान भी दिया। निगम की 30 नवम्बर, 1983 तक की ऋण की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है।

| परियोजना का नाम | निगम द्वारा दिए गए सीधे ऋण | | निगम द्वारा दिया गया मारजिन मनी | | ब्याज सहाय अनुदान | | बैंकों द्वारा स्वीकृत केस | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | केस | राशि (लाख रुपयों में) | केस | राशि (लाख रुपयों में) | केस | राशि (लाख रुपयों में) | संख्या | राशि (लाख रुपयों में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1981-82: | | | | | | | | |
| 1. विविध परियोजनाएं . . | 22 | 1.32 | — | — | — | — | — | — |
| योग | 22 | 1.32 | — | — | — | — | — | — |
| 1982-83: | | | | | | | | |
| 1. विविध परियोजनाएं . . | 33 | 2.24 | — | — | — | — | — | — |
| 2. ट्रकों के लिए . . | — | — | 24 | 3.49 | — | — | 29 | 54.42 |
| 3. अन्य वाहन के लिए . . | — | — | — | — | — | — | 2 | 1.32 |
| 4. वाहनों के अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए . . . . | — | — | — | — | — | — | 21 | 1.37 |
| योग | 33 | 2.24 | 24 | 3.49 | — | — | 52 | 57.11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-84 : | | | | | | | | |
| (30-11-83 तक) | | | | | | | | |
| 1. ट्रकों के लिए | — | — | 13 | 1.46 | 17 | 0.32 | 22 | 38.79 |
| 2. अन्य वाहनों के लिए | — | — | 7 | 0.35 | 1 | 0.01 | 9 | 7.03 |
| 3. वाहनों के अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए | — | — | 1 | 0.06 | 12 | 0.02 | 69 | 5.86 |
| योग | — | — | 21 | 1.87 | 30 | 0.35 | 100 | 51.68 |
| कुल योग | 55 | 3.56 | 45 | 5.36 | 30 | 0.35 | 152 | 108.79 |

क्योंकि ट्रकों के ऋणों के लिए निगम के पास अधिकाधिक प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, निगम उनके लिए गगल (बिलासपुर) में स्थित ए०सी०सी० सिमेंट फैक्ट्री में कार्य दिलाने का प्रबन्ध भी कर रहा है। जैसे ही सीमेंट फैक्ट्री, गगल में सीमेंट उत्पादन आरम्भ हो जायेगा, निगम भूतपूर्व सैनिक ट्रांसपोर्ट यूनियन बिलासपुर को जो कि इस निगम का एक भाग है, सीमेंट तथा अन्य सम्बन्धित वस्तुओं की ढुलाई के ठेके में हिस्सा दिलाएगा। यह आशा है कि भूतपूर्व सैनिकों के लगभग 100 ट्रकों को प्रतिदिन काम मिलेगा।

निगम ने वन विभाग से विचार विमर्श करके भूतपूर्व सैनिकों द्वारा वन रोपणियाँ लगाने की एक अन्य योजना बनाई है। प्रचलित वर्ष में प्रदेश में 11 वन रोपणियां लगाई जा चुकी है जिनके पौधे वन विभाग ने इस कार्य में लगे व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 7000 रुपये से 8000 रुपए देकर खरीदे। यह परियोजना लोकप्रिय होती जा रही है तथा यह आशा की जा रही है कि आगामी वर्ष में और अधिक भूतपूर्व सैनिक यह कार्य अपना कर अपनी अल्प आय में वृद्धि कर पाएंगे।

निगम भूतपूर्व सैनिकों के लिए हमीरपुर में हिमकोन, शिमला और एस०आई०एस०आई० सोलन द्वारा संचालित उद्यमी प्रशिक्षण का प्रबन्ध कर रहा है। हिमकोन द्वारा पहले दल को वर्ष 1984 में प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम निर्धारित है।

निगम अपनी गतिविधियों में विभिन्न सरकारी विभागों तथा विविध बैंकों जिनके साथ इसका सहयोग है, की सहायता प्राप्त कर रहा है। बैंकों द्वारा दी गई सहायता लगभग संतोषजनक रही तथा ऋण की दिशा में आ रही किसी भी तरह की रुकावट एवं कठिनाई को उचित स्तर पर बातचीत द्वारा दूर कर लिया गया। निगम बैंकों के क्षेत्रीय/मण्डल प्रबन्धकों एवं निदेशक संस्था वित्त, हिमाचल को पत्र लिख कर बैंकों में बकाया ऋण प्रार्थनापत्रों को शीघ्र निपटाने का आग्रह कर रहा है। वर्ष 1983-84 में योजना राशि बढ़ाने के फलस्वरूप निगम भूतपूर्व सैनिकों को और अधिक लाभ पहुंचाने एवं उनकी आर्थिक दशा सुधारने की दिशा में और अधिक पग उठा सकेगा।

निगम का 31-3-83 का सन्तुलन पत्र एवं वर्ष 1982-83 का लाभ–हानि लेखा क्रमशः तालिका 15.1 एवं 15.2 में दिये गए हैं।

# हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर

## 15.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | सम्पदाएं | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 | 1. अधिकृत पूंजी | 20.50 | 0.10 | 1. स्थिर सम्पदाएं | 0.33 |
| | 2. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान : | | 0.78 | 2. वाहन | 1.27 |
| 0.08 | (क) देय वेतन | 0.17 | 0.07 | 3. कार्यालय उपकरण | 0.14 |
| 0.05 | (ख) देय बिल | 0.09 | — | 4. विद्युत उपकरण | 0.03 |
| — | (ग) कर्मचारी नकद शेष | 0.02 | | 5. वर्तमान सम्पदाएं ऋण एवं अग्रिम : | |
| | | | | (क) वर्तमान सम्पदाएं | |
| | | | 0.09 | (1) चेक/ड्राफ्ट तथा नकद | 5.02 |
| | | | 6.78 | (2) बैंक में जमा | 2.54 |
| | | | 1.40 | (ख) ऋण एवं अग्रिम | 6.73 |
| | | | 1.41 | 6. लाभ तथा हानि लेखा | 4.72 |
| 10.63 | जोड़ | 20.78 | 10.63 | जोड़ | 20.78 |

# हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक निगम, हमीरपुर

## 15.2--1982-83 का लाभ-हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| 0.61 | 1. वेतन एवं भत्ते | 1.80 | 0.03 | 1. ब्याज | 0.40 |
| 0.14 | 2. यात्रा भत्ता | 0.24 | 1.41 | 2. सन्तुलन पत्र में ले जायी गई शुद्ध हानि | 3.31 |
| — | 3. चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 0.03 | | | |
| 0.02 | 4. मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 0.11 | | | |
| 0.02 | 5. विज्ञापन एवं प्रचार | 0.02 | | | |
| — | 6. मनोरंजन | 0.01 | | | |
| 0.01 | 7. डाक एवं तार | 0.09 | | | |
| 0.01 | 8. अखबारें, पुस्तकें एवं पत्रिकाएं | 0.01 | | | |
| 0.02 | 9. ग्रीष्म एवं सर्द ऋतु प्रभार | 0.04 | | | |
| 0.03 | 10. विविध व्यय | 0.02 | | | |
| 0.01 | 11. लेखा परीक्षा शुल्क | 0.02 | | | |
| 0.01 | 12. वर्दियां | 0.03 | | | |
| 0.11 | 13. वाहनों का रख रखाव | 0.46 | | | |
| 0.20 | 14. किराया, दरें एवं कर | 0.42 | | | |
| 0.03 | 15. पानी एवं बिजली | 0.02 | | | |
| 0.22 | 16. अवमूल्यन | 0.39 | | | |
| 1.44 | जोड़ | 3.71 | 1.44 | जोड़ | 3.71 |

# हिमाचल वूल प्रोसैसर्ज सीमित, नालागढ़

(हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित की सहाय कम्पनी)

हिमाचल प्रदेश वूल प्रोसैसर्ज सीमित को एक सार्वजनिक कम्पनी के रूप में 11 अक्तूबर, 1974 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये के दस-दस रुपये के 20 लाख रुपये साम्य अंशों में विभाजित अधिकृत पूंजी सहित पंजीकृत किया गया था। निगम की चुकाई गई पूंजी का 51 प्रतिशत भाग दस-दस रुपये के 4.9 लाख रुपये साम्य अंशों के रूप में हिमाचल प्रदेश एवं खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम द्वारा भरा गया है। तदनुसार 31 मार्च, 1983 को कम्पनी की चुकाई गई पूंजी 94.51 लाख रुपये थी जिसमें से कुल अंश पूंजी का 49 प्रतिशत भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, जीवन बीमा निगम नामक विभिन्न राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, पंजाब नेशनल बैंक, युनाईटिड कमर्शियल बैंक तथा जनता द्वारा धारित है।

1. **प्रोजेक्ट लागत**—संशोधित प्रोजेक्ट लागत का अनुमान निम्न है :

(लाख रुपयों में)

| मद | राशि |
|---|---|
| 1. भूमि एवं स्थल विकास . . | 3.12 |
| 2. भवन . . . . . | 30.80 |
| 3. संयंत्र एवं मशीनें . . . . | 117.39 |
| 4. विविध स्थिर सम्पदाएं . . . | 36.00 |
| 5. चालन से पहले के व्यय . . . | 34.75 |
| 6. कार्यरत पूंजी के लिए राशि . . . | 22.94 |
| जोड़ | 245.00 |

2. **वित्तीय साधन**—प्रोजेक्ट की 245.00 लाख रुपये की कुल लागत को निम्नलिखित साधनों से पूरा किया जा रहा है :—

(लाख रुपयों में)

| मद | राशि |
|---|---|
| 1. साम्य अंश पूंजी . . . . | 95.00 |
| 2. दीर्घ अवधि ऋण . . . . | 135.00 |
| 3. केन्द्रीय सहाय अनुदान . . . | 15.00 |
| जोड़ | 245.00 |

95 लाख रुपये की पूर्ण साम्य पूंजी अभिदत्त कर दी गई है जिसमें से 49,000 रुपये की याचित राशि अभी प्राप्त नहीं हुई है।

3. **दीर्घ अवधि ऋण**—135.00 लाख रुपये के दीर्घ अवधि ऋण कम्पनी को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, भारतीय साख एवं निवेश निगम तथा जीवन बीमा निगम द्वारा समोदित किए जा चुके हैं, जिनमें से 112.43 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इन संस्थाओं से शेष 22.57 लाख रुपये के ऋण प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

4. **केन्द्रीय सहाय अनुदान**—जिला सोलन के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र नालागढ़ में स्थित इस प्रोजेक्ट को केन्द्रीय सहाय अनुदान के रूप में 15.00 लाख रुपये का लाभ पहुंचा है।

5. **कार्य की समीक्षा**—(क) प्रोजेक्ट भवन, प्रशासनिक ब्लाक, कार्य निर्माण शाला, सक्योरिंग कम—पैकिंग—शैड, कच्चे माल एवं निर्मित्त वस्तुओं के लिए गोदाम तथा सफाई की नालियां बनाने एवं बिजली लगाने का कार्य 30 बीघे 4 बिस्वे भूमि में 2,800 वूलन स्पिन्डल्ज लगाने का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है।

(ख) **मशीनों की स्थापना**—जनवरी, 1976 को 4 कार्डिंग मशीनों सहित 1,000 स्पिन्डल्ज पर परीक्षण के तौर पर तथा 1 अप्रैल, 1976 को वाणिज्यिक आधार पर कार्य आरम्भ किया गया था। पोलैण्ड से आयात की गई 5 कार्डिंग मशीनों को लगा दिया गया है तथा यह प्रति दिन तीन शिफ्टों के आधार पर कार्य कर रही हैं। फैक्टरी, गलीचों के लिए (बैलौर तथा शोडी) धागे का उत्पादन कर रही है जिस के लिए स्वदेशी ऊन की आवश्यकता है। जितनी ऊन प्रदेश में उपलब्ध है वह प्राप्त की जा रही है तथा बाकी जरूरत को पूरा करने के लिए ऊन राजस्थान तथा अन्य पड़ौसी राज्यों से खरीदी जा रही है।

(ग) **बिक्री**—कम्पनी ने उत्तर प्रदेश में स्थित बधोई में एक विक्रय कार्यालय खोला है। हिमाचल प्रदेश वर्सटिड मिल्स सीमित द्वारा अमृतसर में खोला गया विक्रय कार्यालय इस कम्पनी के उत्पादन का भी विक्रय करता है।

6. **रोजगार**—13-8-1983 को कम्पनी को बन्द कर दिया गया तथा इस में कार्यरत सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई।

31 मार्च, 1983 को अस्थायी सन्तुलन पत्र एवं 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा क्रमशः तालिका 16.1 तथा 16.2 में दर्शाए गए हैं :

# हिमाचल वूल प्रोसैसर्ज सीमित, नालागढ़

## (हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम की सहाय कम्पनी)

### 16.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र *

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | सम्पदा | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. अंश पूंजी : | | 127.34 | 1. स्थिर सम्पदा | 127.13 |
| 200.00 | क. अधिकृत | 200.00 | | 2. वर्तमान सम्पदा, ऋण एवं अग्रिम : | |
| 95.00 | ख. निर्गमित एवं भरी गई | 95.00 | 56.63 | (क) भण्डार, स्टाक इत्यादि | 37.10 |
| 94.51 | ग. याचित एवं चुकाई गई | 94.51 | 85.18 | (ख) विविध देनदार | 49.93 |
| 15.00 | 2. आरक्षिति एवं अधिशेष | 15.00 | | | |
| 176.12 | 3. प्रतिभूत ऋण | 185.73 | 3.09 | (ग) नगदी एवं बैंक में जमा | 3.40 |
| 139.86 | 4. अप्रतिभूत ऋण | 133.21 | | | |
| 28.78 | 5. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान | 25.06 | 2.90 | (घ) ऋण व पेशगी एवं पहले चुकाया गया व्यय | 4.29 |
| | | | 1.62 | 3. विविध व्यय (जो अभी तक अपलिखित एवं समायोजित नहीं किया गया) | 1.46 |
| | | | 177.51 | 4. लाभ व हानि लेखा | 230.20 |
| 454.27 | जोड़ : | 453.51 | 454.27 | जोड़ : | 453.51 |

*अंकेक्षण होने की शर्त पर

# हिमाचल वूल प्रोसैसर्ज सीमित, नालागढ़

## (हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम की सहाय कम्पनी)

## 16.2--31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा* --क्रमशः

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | व्यय | 1982-83 | 1981-82 | आय | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को-- | | | से-- | |
| | 1. प्रारंभिक भण्डार : | | 57.37 | 1. विक्रय एवं कताई पर कमीशन . | 35.78 |
| -- | (क) कार्य प्रगति पर . . . | -- | 12.86 | 2. कार्य प्रगति पर . . | 3.63 |
| 3.60 | (ख) कच्ची ऊन . . . | 4.61 | 28.19 | 3. निर्मित्त वस्तुएं . . | 20.02 |
| -- | (ग) बेकार ऊन . . . . | -- | -- | 4. ब्याज की वसूली . . | 0.02 |
| 3.01 | (घ) अर्ध निर्मित्त . . . | 3.75 | 0.10 | 5. अन्य आय . . | 0.02 |
| -- | (ङ) काम न आने वाला वेस्ट . . . | 4.50 | 43.13 | 6. शुद्ध हानि . . | 52.69 |
| 28.35 | 2. निर्मित्त वस्तुएं . . . . | 28.19 | | | |
| 42.39 | 3. कच्चे माल की खपत . . . | 7.73 | | | |
| 5.34 | 4. तेल एवं उपस्नेहक . . | 1.68 | | | |
| 1.60 | 5. विविध भण्डार एवं स्पेयरज . . . | 0.71 | | | |
| 0.85 | 6. पैकिंग सामग्री . . . . | 0.28 | | | |
| 0.30 | 7. विद्युत सामग्री का भण्डार . . . | 0.10 | | | |
| 0.35 | 8. कम्बल निर्माण व्यय . . . | 0.02 | | | |
| 0.03 | 9. भाड़ा एवं वाहन शुल्क . . . | -- | | | |
| -- | 10. बॉयलर, रसायन, सफाई, रंगाई इत्यादि . | 0.09 | | | |
| 0.32 | 11. मुरम्मत एवं अनुरक्षण . . . | 0.21 | | | |
| 0.02 | 12. विविध व्यय . . . . | 0.14 | | | |
| 1.17 | 13. विद्युत प्रभार . . . . | 0.97 | | | |
| 20.23 | 14. वेतन, मजदूरी एवं भत्ते . . . | 22.59 | | | |
| 0.48 | 15. निदेशकों को परिश्रमिक . . . | 0.80 | | | |
| 1.66 | 16. भविष्य निधि एवं परिवार पेंशन को योगदान . | 2.24 | | | |
| 0.48 | 17. कर्मचारी एवं श्रमिक कल्याण . . | 0.65 | | | |
| 0.01 | 18. भर्ती व्यय . . . . | -- | | | |
| 0.19 | 19. किराया . . . . | 0.36 | | | |
| 0.18 | 20. डाक तार तथा टेलीफोन . . | 0.20 | | | |
| -- | 21. वर्दियां इत्यादि | 0.10 | | | |
| 1.85 | 22. बीमा . . . . | 1.60 | | | |
| 0.22 | 23. दरें, कर एवं विधि व्यय . . . | 0.25 | | | |
| 0.06 | 24. मुद्रण तथा लेखन सामग्री . . . | 0.12 | | | |
| 0.14 | 25. मनोरंजन . . . . | 0.15 | | | |
| 0.23 | 26. वाहन चालन व्यय . . . | 0.45 | | | |
| 0.83 | 27. यात्रा भत्ता तथा वाहन . . . | 1.01 | | | |
| 0.01 | 28. अतिथि गृह व्यय . . . | -- | | | |
| 0.13 | 29. लेखा परीक्षकों को पारितोषिक . . | 0.19 | | | |
| 0.10 | 30. आन्तरिक लेखा परीक्षा शुल्क . . . | 0.10 | | | |
| 0.13 | 31. बैंक प्रभार . . . . | 0.46 | | | |
| -- | 32. पंजीकरण एवं नस्तीयन शुल्क . . | 0.20 | | | |
| 0.06 | 33. विक्रय पर कमीशन . . . | 0.09 | | | |

## हिमाचल वूल प्रोसैसर्ज सीमित, नालागढ़

(हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम की सहाय कम्पनी)

16.2—31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा—समाप्त

| 1981-82 | व्यय | 1982-83 | 1981-82 | आय | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 34. छूट . . . . . | 0.01 | | | |
| 0.07 | 35. विज्ञापन एवं प्रचार . . . | 0.10 | | | |
| 0.01 | 36. व्यापार उन्नति . . . . | 0.16 | | | |
| 0.30 | 37. प्रारम्भिक व्यय जो अभी तक अपलिखित या समायोजित नहीं किये गये | 0.16 | | | |
| 7.55 | 38. अवमूल्यन . . . . | 7.50 | | | |
| — | 39. आय कर . . . . | 0.01 | | | |
| 19.13 | 40. ब्याज . . . . . | 19.67 | | | |
| 141.65 | जोड़ | 112.16 | 141.65 | जोड़ | 112.16 |

*लेखा परीक्षा होने की शर्त पर

# हिमाचल वर्सटिड मिल्स, नालागढ़

(हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित, शिमला की सहाय कम्पनी)

हिमाचल वर्सटिड मिल्स सीमित 11 अक्तूबर, 1974 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। कम्पनी की अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रुपए है जो दस दस रुपए के 20 लाख साम्य अंशों में विभक्त है। 31 मार्च, 1983 तक कम्पनी की भरी गई एवं चुकाई गई पूंजी 92 लाख रुपए थी, जिसमें से 51 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम, सीमित (होल्डिंग कम्पनी) द्वारा तथा 49 प्रतिशत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, जीवन बीमा निगम, हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम नाम विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा पब्लिक द्वारा चुकाई गई है।

1. **प्रोजेक्ट की लागत**––234 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले 2,400 वर्सटिड स्पिण्डलों की क्षमता वाले प्रोजेक्ट का विवरण निम्न है :––

(लाख रुपयों में)

| मद | राशि |
|---|---|
| 1. संयंत्र, मशीनें और उपकरण . . . | 131.22 |
| 2. भूमि, भवन तथा सिविल कार्य . . | 40.61 |
| 3. प्रोजेक्ट लागत . . . . | 43.82 |
| 4. कार्यरत पूंजी की सीमा . . . | 18.35 |
| जोड़ | 234.00 |

2. **वित्तीय साधन**––प्रोजेक्ट की लागत निम्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूरी की जा रही है :––

(लाख रुपयों में)

| साधन | राशि |
|---|---|
| 1. साम्य पूंजी : | |
| (क) हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम | 47.00 |
| (ख) पब्लिक . . . . | 45.00 |
| 2. दीर्घकालीन ऋण . . . | 127.00 |
| सहाय अनुदान . . . | 15.00 |
| जोड़ | 234.00 |

92 लाख रुपये की समस्त साम्य अंश पूंजी प्राप्त की जा चुकी है। केन्द्रीय सहाय अनुदान का 100 प्रतिशत जो कि 112.43 लाख रू० है वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर लिया गया। शेष 14.57 लाख रुपयों के भुगतान का कार्य प्रगति पर है।

3. **कार्यों की समीक्षा**––(क) प्रोजेक्ट की सभी 2,400 स्पिंडल्ज चल रही है। एक शिफ्ट के आधार पर 5 नवम्बर, 1978 को तथा तीन शिफ्टों के आधार पर एक जनवरी, 1979 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ कर दिया है। वातानुकूल संयंत्र भी कार्य कर रहा है।

(ख) **कच्चा माल**––उत्तम किस्म के धागे को बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल आस्ट्रेलिया से आयात किया जा रहा है। इस ऊन को ऊन टोपस में बदलने के लिए किसी भी और वूल कोम्बिग प्लांट को भेज दिया जाता है। राज्य में जितनी भी अति उत्तम किस्म की मैरिनों ऊन उपलब्ध है को इस प्रोजेक्ट के लिए खरीदा जाता है।

(ग) **उत्पादन**––2/48, 1/48, 1/32, 2/32, 1/19, 2/19, 2/40 तथा 2/42 प्रकार के धागे का प्रतिदिन उत्पादन लगभग 450 किलोग्राम है। वर्ष 1983 के अन्त तक संयत्र 60 प्रतिशत की क्षमता पर कार्य कर रहा था। उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता कम होने का कारण धन की कमी है। नवम्बर, 1983 से मिल ने जॉब-वर्क करना आरम्भ कर दिया है क्योंकि मिल के पास कच्चा माल खरीद कर धागा बनाने के लिए धन नहीं था।

(घ) **श्रम**––कम्पनी ने 127 श्रमिकों को रोजगार पर लगाया है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए 80 मकानों का निर्माण किया जा चुका है तथा इन्हें कम्पनी के इसी वर्ग के कर्मचारियों को अलाट कर दिया गया है।

(ङ) **बिक्री**––अमृतसर में एक विक्रय कार्यालय खोला गया है ताकि मुख्य मार्किट को अधिकार में लिया जा सके। कम्पनी उत्पादन का सारा विक्रय नकद आधार पर ही कर रही है।

31 मार्च, 1983 का अस्थायी संतुलन पत्र एवं 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि लेखा क्रमशः तालिका 17.1 तथा 17.2 में दिया गया है।

# हिमाचल वर्सटिड मिल्ज, नालागढ़

## (हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम सीमित, शिमला की सहाय कम्पनी)

## 17.1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र*

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | सम्पदा | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. अंशपूंजी : | | 176.95 | 1. सकल ब्लाक | 184.81 |
| 200.00 | (क) अधिकृत | 200.00 | | 2. वर्तमान सम्पदा ऋण तथा अग्रिम : | |
| 92.00 | (ख) याचित एवं चुकाई गई | 92.00 | | | |
| 35.44 | 2. आरक्षित एवं अधिशेष | 43.84 | 88.00 | (क) वर्तमान सम्पदा | 37.38 |
| 177.82 | 3. प्रतिभूत ऋण | 195.66 | 11.05 | (ख) प्राप्य | 11.03 |
| 84.55 | 4. अप्रतिभूत ऋण | 85.43 | 5.46 | (ग) ऋण एवं अग्रिम | 2.48 |
| 3.23 | 5. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान | 3.54 | 41.95 | 3. हिमाचल वूल प्रोसेसर्ज सीमित | 60.71 |
| | | | 0.72 | 4. नकदी एवं बैंक में जमा | 4.80 |
| | | | 2.10 | 5. विविध व्यय जो अभी तक अपलिखित एवं समायोजित नहीं किया गया | 1.39 |
| | | | 66.81 | 6. लाभ व हानि लेखा | 117.87 |
| 393.04 | जोड़ : | 420.47 | 393.04 | जोड़ | 420.47 |

*अंकेक्षण होने की शर्त पर

# हिमाचल वर्सटिड मिल्ज, नालागढ़

## (हिमाचल प्रदेश खनिज एवं औद्योगिक विकास निगम, सीमित शिमला की सहाय कम्पनी)

## 17.2—31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ—हानि लेखा*

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को — | | | से — | |
| | 1. प्रारंभिक स्टाक : | | 166.43 | 1. विक्रय | 71.36 |
| 9.45 | (क) कच्चा माल | 22.27 | | 2. बन्द घोषित स्टाक | |
| 17.14 | (ख) निर्मित वस्तुएं | 9.34 | 22.27 | (क) कच्चा माल | 4.45 |
| 8.16 | (ग) कार्य प्रगति पर | 6.45 | | (वसूली मूल्य के आधार पर) | |
| 135.79 | 2. कच्चे माल का क्रय | 53.22 | 9.34 | (ख) निर्मित वस्तुएं | 26.31 |
| 1.39 | 3. भण्डार स्पेयरज पैकिंग तथा तेल का उपभोग | 1.85 | 6.45 | (ग) कार्य प्रगति पर | —— |
| 1.18 | 4. विद्युत ईंधन तथा पानी | 1.34 | 0.61 | 3. विविध प्राप्तियां | 0.27 |
| 12.67 | 5. कर्मचारियों के वेतन | 13.77 | 25.01 | 4. सन्तुलित पत्र में ले जाई गई शुद्ध हानि | 51.06 |
| 0.28 | 6. किराया (निदेशकों सहित) | 0.25 | | | |
| 1.80 | 7. बीमा | 1.72 | | | |
| 2.52 | 8. प्रशासनिक व्यय | 2.43 | | | |
| 30.71 | 9. ब्याज तथा बैंक प्रभार | 31.73 | | | |
| 0.27 | 10. सूची की फीस सहित विविध व्यय | 0.16 | | | |
| 0.08 | 11. आन्तरिक लेखा शुल्क | 0.10 | | | |
| 0.03 | 12. लेखा परीक्षा प्रभार | — | | | |
| 0.08 | 13. मशीनरी तथा अन्य की मुरम्मत व रखरखाव | 0.06 | | | |
| —— | 14. बोर्ड की बैठकों के व्यय एवं शुल्क | 0.02 | | | |
| 8.35 | 15. अवमूल्यन | 8.40 | | | |
| 0.21 | 16. अपलिखित प्रारम्भिक व्यय | 0.28 | | | |
| — | 17. निदेशकों को पारिश्रमिक | 0.06 | | | |
| 230.11 | जोड़ | 153.45 | 230.11 | जोड़ | 153.45 |

*लेखा परीक्षा होने की शर्त पर

18

# हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला

हिमचाल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1968 में हिमचाल प्रदेश सरकार के 1966 के अधिनियम के अनुसार किया गया और यह 8 जनवरी 1968 को अस्तित्व में आया ।

इस के मुख्य लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्न है :—

(क) खादी एवं ग्रामोद्योगों को उन्नत प्रोत्साहित एवं सहयोग देना तथा उन के उत्पादन का व्यापार करना,

(ख) व्यावसायिक रूप से खादी एवं ग्रामोद्योग में लगे लोगों को रोजगार प्रदान करना,

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों, समितियों तथा संस्थाओं को निर्धारित दरों पर ऋण देना

(घ) खादी एवं ग्रामोद्योग की सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहित करना,

(ङ) खादी एवं ग्रामोद्योग को चलाने के लिए प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम द्वारा आवश्यक दक्षता तथा ज्ञान प्रदान करना,

(च) खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास की सुरक्षा करने के लिए औजार तथा उपकरण का निर्माण तथा इनका कच्चे माल सहित आपूर्ति का प्रबन्ध करना,

(छ) खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का विपणन भंडारण, दुकानों इम्पोरिया और प्रदर्शनियों के आयोजन द्वारा प्रचार एवं प्रसार करना और

(ज) खादी एवं ग्रामोद्योग के उत्पादन में सुधार तथा विपणनता के उद्देश्य से अनुसंधान करना तथा इसको प्रोत्साहन देना ।

**कार्य क्षेत्र**——खादी एवं ग्रामोद्योग से सम्बन्धित समस्त हिमाचल प्रदेश बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है ।

निम्नलिखित उद्योग बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आते हैं :—

1. खादी
2. अनाज तथा दालों का विधायन
3. ग्राम तेल उद्योग
4. ग्राम चर्म उद्योग
5. कुटीर माचिस उद्योग
6. गुड़ तथा खांडसारी
7. अखाद्य तेल तथा साबुन
8. हाथ से निर्मित कागज
9. मधु मक्खी पालन
10. ग्राम में मिट्टी के बर्तन बनाना
11. धागा
12. बढ़ई तथा लौहार का काम
13. चूना बनाना
14. दवाइयों के लिए जंगल से पौधे तथा फल एकत्र करना
15. फल विधायन तथा फल परिरक्षण
16. बेंत तथा बांस
17. कत्था
18. गोंद तथा बरोजा
19. गोबर गैस
20. ग्रामोद्योग विक्रय भण्डार
21. पोलिवस्त्र

**वित्त**——खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एक अग्र निकाय है जोकि राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धन राशि देता है । आयोग अग्र निकाय होने के कारण हिमचाल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को योजना कार्यक्रमों के लिए धन राशि प्रदान करता है । राज्य सरकार एक्ट के प्रावधान तथा वचनानुसार प्लान तथा नोन प्लान स्कीमों के प्रशासकीय व्यय के लिए धनराशि देता है ।

वर्ष के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से पहले की भांति ही धन राशि प्राप्त होती रही । बोर्ड ने आयोग से प्राप्त धनराशि का भुगतान उन व्यक्तियों, सहकारी समितियों तथा पंजीकृत संस्थाओं को किया जो खादी एवं ग्रामोद्योग के विकास में लगे हुए हैं । इसके अतिरिक्त आयोग बोर्ड के विभागीय कार्यक्रमों के लिए भी धनराशि प्रदान करता है । बोर्ड को धनराशि अग्रदाय पद्धति में प्राप्त होती है ।

**बजट**——खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 148.57 लाख रुपये आवंटित किये जिसमें से 134.99 लाख रुपये ऋण तथा 13.58 लाख रुपये ग्रामोद्योग के लिए अनुदान के रूप में थे । इसके अतिरिक्त खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 12.44 लाख रुपये ट्राइसम् के अन्तर्गत ग्रामोद्योग प्रशिक्षण

सस्था की स्थापना के लिए सहाय अनुदान के रूप में आबंटित किये । इस संस्थान के लिए मण्डी में भवन निर्माणाधीन है जहां पर वांछित सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं। शीर्ष खादी के अन्तर्गत 11.37 लाख रुपये विकास कार्यों के लिए कार्य निधि के रूप में प्रदान किये गये हैं ।

**भुगतान**—प्रचलित वर्ष के अन्तर्गत बोर्ड ने 142.74 लाख रुपये विभिन्न खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों को बांटे जिसमें से 130.43 लाख रुपये ऋण तथा 12.31 लाख रुपये अनुदान था ।

**सहायता प्राप्त इकाइयों से ऋणों की वसूली**—राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने प्रचलित वर्ष में 52.14 लाख रुपयों के ऋण व्यक्तियों, सहकारी समितियों तथा पंजीकृत संस्थाओं से वसूल किये ।

**एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम**—बोर्ड का ग्रामोद्योग कार्यक्रम 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है । प्रचलित वर्ष में राज्य सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास के अन्तर्गत लाने के लिए 500 परिवारों का लक्ष्य रखा है । बोर्ड ने इस लक्ष्य के विपरीत अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले उद्योगों के अन्तर्गत 508 आई०आर०डी० परिवारों को अपने निजी उद्योगों को स्थापित करने के लिए 2.08 लाख रुपये सहाय अनुदान तथा 11.14 लाख रुपये ऋण के रूप में वितीय सहायता दी ताकि वह स्वयं आजीविका अर्जित कर सकें।

**अन्य कार्यक्रम**—प्रचलित वर्ष के अन्तर्गत बोर्ड ने कताई/बुनाई के दो प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र केलांग (जिला लाहौल स्पिति) तथा पांगी (जिला चम्बा) में जन जातीय उप योजना के अन्तर्गत स्थापित किये। 31 मार्च, 1983 तक चार एसे केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । यह प्रशिक्षण केन्द्र स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे।

**विभिन्न उद्योगों में प्रगति**—बोर्ड ने 31 मार्च, 1983 तक 7,517 निजी कारीगरों, 116 सहकारी समितियों तथा 278 पंजीकृत संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी ताकि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं का कार्यान्वयन हो । इसके अतिरिक्त बोर्ड के अधीन अन्य उत्पादन केन्द्र भी हैं । यह उत्पादन केन्द्र ऊनी रेशमी तथा सूती खादी चर्म वस्तुएं बांस तथा मिट्टी के पात्र बनाने में लगे हैं ।

**अनुसूचित जातीय परिवारों की सहायता**—वर्ष 1982-83 में बोर्ड ने 668 अनुसूचित जातियों के परिवारों को 16.26 लाख रुपये का ऋण तथा 3.81 लाख रुपये का सहाय अनुदान देकर सहायता की । वर्ष 1983-84 के लिए 700 अनुसूचित जातियों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का लक्ष्य था जिस में 21.30 लाख रुपयों का ऋण तथा 5.50 लाख रुपयों का सहाय अनुदान देना था । 31 दिसम्बर 83, तक 317 अनुसूचित जातियों के परिवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 7.18 लाख रुपयों का ऋण तथा 1.78 लाख रुपये का सहाय अनुदान निजी उद्योगों को स्थापित करने के लिए दिया गया ।

**प्रदर्शनियां तथा प्रचार**—बोर्ड के कार्यक्रम प्रसारण करने के लिए वर्ष 1982-83 के अन्तर्गत विशेष मेलों तथा उत्सवों पर दिल्ली, मण्डी तथा कुल्लू में प्रदर्शनियों का आयोजना किया गया । इस के अतिरिक्त विविध ग्रामोद्योग पर फिल्में दिखा कर तथा लोगों में छपा साहित्य बांट कर प्रचार किया गया।

**उपलब्धियां**—वर्ष 1982-83 में खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन 1095.79 लाख रुपयों का हुआ तथा 1240.16 लाख रुपये का विक्रय हुआ इसमें 31,184 कुशल व अकुशल कारीगरों को रोजगार उपलब्ध हुआ ।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बम्बई ने 183.86 लाख रुपयों का ऋण तथा 17.72 लाख रुपयों का सहाय अनुदान तथा 33.13 लाख रुपये बैंक ऋण के रूप में वर्ष 1983-84 में आवंटित किए जिसमें से 45.81 लाख रुपये ऋण 4.96 लाख रुपये सहाय अनुदान तथा 8.20 लाख रुपये बैंक ऋण के रूप में 31-12-83 तक 705 ग्रामीण औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए दिए गए । 31 दिसम्बर, 1983 तक 1220.00 लाख रुपयों का उत्पादन तथा 1490.00 लाख का विक्रय हुआ और 34,950 कारीगरों को रोजगार उपलब्ध हुआ।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने वर्ष 1984-85 के लिए अस्थाई रूप में 271.90 लाख रुपये का ऋण तथा 20.27 लाख रुपये का सहाय अनुदान तथा 27.94 लाख रुपये का बैंक ऋण खादी एवं ग्रामोद्योग विकास कार्यक्रम के लिए आवंटित किया है । इसी वर्ष में 1617.00 लाख रुपयों का उत्पादन, 1675.00 लाख रुपयों का विक्रय तथा 42,028 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।

31 मार्च, 1983 का अस्थायी सन्तुलन पत्र वर्ष 1982-83 कर उत्पादन एवं विक्रय व्यापार लेखा तथा लाभ-हानि लेखा क्रमशः तालिका संख्या 18.1 से 18.3 में दिया गया है।

# हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला

## 18.1-31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र *

(लाख रुपयों में)

| 31-3-82 को | दायित्व | 31-3-83 को | 31-3-82 को | सम्पदा | 31-3-83 को |
|---|---|---|---|---|---|
| 421.72 | 1. व्यापार तथा दस्तकारों को भुगतान के लिए के० वी० आई० सी० से ऋण | 577.22 | 344.24 | 1. व्यापार कार्यों तथा दस्तकारों को ऋण भुगतान | 440.27 |
| 7.41 | 2. व्यापार तथा दस्तकारों को भुगतान के लिए के०वी०आई० सी० से सहायता | 9.27 | 0.21 | 2. सहायता | 0.12 |
| 22.96 | 3. राज्य सरकार से व्यापार कार्यों के लिए सहाय अनुदान | 18.60 | 28.81 | 3. स्थिर सम्पदा | 15.34 |
| 43.36 | 4. राज्य सरकार से स्थापना व्यय के लिए सहाय अनुदान का शेष | 39.53 | 28.07 | 4. फुटकर देनदार | 20.12 |
| 2.17 | 5. के० वी० आई० सी० को देय ब्याज | 2.96 | 9.81 | 5. कमी | 2.35 |
| 21.02 | 6. सी०पी० एफ० | 14.99 | 10.83 | 6. खादी कमीशन छूट | 6.73 |
| 17.18 | 7. अवमूल्यन | 14.76 | 126.76 | 7. अग्रिम | 12.14 |
| 24.10 | 8. अन्य आरक्षिति (आग, चोरी तथा अशोध्य ऋण इत्यादि के लिए) | 20.38 | — | 8. उपहृत तथा बेकार सामान | 1.16 |
| 19.92 | 9. आरक्षिति (सामान्य आरक्षित तथा कर्मचारी कल्याण निधि इत्यादि) | 17.49 | 75.29 | 9. नकद तथा बैंक शेष | 125.94 |
| 0.82 | 10. सिक्योरिटि | 0.84 | 93.91 | 10. बन्द घोषित स्टाक | 95.36 |
| 0.83 | 11. विविध दायित्व | 1.04 | 23.54 | 11. प्राप्य ब्याज | — |
| — | 12. लाभ तथा हानि लेखा | 2.45 | 0.49 | 12 लाभ तथा हानि लेखा | — |
| 23.54 | 13. अप्राप्य देय ब्याज | — | | | |
| 0.11 | 14. बुनकर कल्याण कोष | — | | | |
| 136.82 | 15. फुटकर लेनदार | — | | | |
| 741.96 | जोड़ | 719.53 | 741.96 | जोड़ | 719.53 |

* अंकेक्षण होने की शर्त पर

## हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला

### 18.2–वर्ष 1982-83 का उत्पादन तथा व्यापार लेखा*

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को— | | | से— | |
| 94.70 | 1. आरम्भिक शेष | 80.51 | 65.76 | 1. विक्रय | 69.00 |
| 6.90 | 2. मूल्य मार्जिन | 7.14 | 32.27 | 2. उपभोग | 24.63 |
| 46.22 | 3. उत्पादन | 39.68 | 11.36 | 3. व्यापार चैक | 11.21 |
| 2.29 | 4. व्यय | 1.71 | 93.08 | 4 बन्द घोषित स्टाक | 95.36 |
| 47.36 | 5. क्रय | 67.46 | 6.38 | 5. मूल्य मार्जिन | 4.30 |
| 11.38 | 6. लाभ | 8.00 | | | |
| 208.85 | योग | 204.50 | 208.85 | योग | 204.50 |

*अंकेक्षण होने की शर्त पर

## हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, शिमला

### 18.3-वर्ष 1982-83 का लाभ–हानि लेखा*

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.94 | 1. व्यय | 3.14 | 11.38 | 1. लाभ | 8.00 |
| 2.99 | 2. अवमूल्यन | 0.66 | 1.54 | 2. विविध आय | — |
| 4.74 | 3. प्रावधान | 3.42 | 36.51 | 3. सहाय अनुदान | 38.73 |
| — | 4 शुद्ध लाभ | 0.78 | 1.75 | 4. शुद्ध हानि | — |
| 36.51 | 5 यात्रा भत्ता तथा कन्टिनजैंसी | 38.74 | | | |
| 51.18 | योग | 46.74 | 51.18 | योग | 46.74 |

*अंकेक्षण होने की शर्त पर

# 19

## हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातीय विकास निगम, सोलन

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातीय विकास अधिनियम पारित होने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातीय विकास निगम की स्थापना नवम्बर, 1979 में हुई। निगम ने अप्रैल, 1980 से प्रभावी रूप में कार्य करना आरम्भ किया।

निगम की अधिकृत पूंजी 5.00 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ निगम की अंश पूंजी में 49:51 के अनुपात में निवेश करना स्वीकार कर लिया है। वर्ष 1979-80 के दौरान राज्य सरकार ने निगम की अंश पूंजी में निवेश के लिए 45.00 लाख रुपये दिए। तदानुसार केन्द्रीय सरकार ने 43.00 लाख रुपये का अनुदान दिया। वर्ष 1980-81 के लिए 59 लाख रुपये का योजना प्रावधान है, (30 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा तथा 29 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा) जबकि वर्ष 1982-83 के लिए अनुदान की राशि 137.25 लाख रुपये है (70 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा तथा 67.25 लाख रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा)। 31-3-83 तक निगम में सरकार द्वारा 362.50 लाख रुपये की पूंजी लगाई गई थी। इसमें हिमचाल सरकार का भाग 185.00 लाख रुपये तथा केन्द्रीय सरकार का भाग 177.50 लाख रुपये था। वर्ष 1983-84 के दौरान हिमाचल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रमशः 70 लाख रुपये एवं 67.25 लाख रुपये लगाने की सम्भावना है।

निगम के कार्यक्रम निदेशक मण्डल के निर्देशानुसार तथा उनके नियन्त्रण में बनाए और लागू किये जाते हैं।

निगम का प्राथमिक कर्त्तव्य राज्य में अनुसूचित जाति के सदस्यों के आर्थिक उत्थान हेतु कार्य करना है। निगम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) अनुसूचित जाति के सदस्यों को अच्छे ढंग से जीविकोपार्जन करने के लिए तथा उनके जीवन स्तर को सुधारने में मदद देने के लिए, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित, कृषि विकास, पशु पालन, विपणन, विधायन, पूर्ति, कृषि उपज के भण्डारण, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा अन्य व्यापारिक गतिविधियों की योजना बनाना, उत्थान करना, कार्यान्वित करना तथा उनमें सहायता देना;

(ii) तकनीकी ज्ञान, प्रबन्धकीय सहायता, वित्तीय सहायता तथा किसी भी प्रकार की अन्य सहायता उपलब्ध करवा कर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग तथा रोजगार दिलाने वाले उद्योगों की स्थापना के कार्यक्रम बनाना;

(iii) उपरोक्त उद्देश्यों के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों या अनुसूचित जातीय संगठनों को, प्रत्यक्ष या किसी अभिकरण, संगठन या संस्थान जो निदेशक मण्डल द्वारा पारित हो, के द्वारा ऋण और/या ऋण के लिए मार्जिन मनी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना;

(iv) किसी भी वित्तीय संस्थान से अनुसूचित जाति के सदस्यों या अनुसूचित जातीय संगठनों द्वारा किसी भी वित्तीय संस्था से लिए गए ऋणों को प्रत्याभूत करना;

(v) कृषि या अन्य उत्पादन या अन्य वस्तुओं के आदान एवं पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार हिमाचल प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करना;

(vi) कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों और छोटे व्यापार की कठिनाइयों के सर्वेक्षण एवं अध्ययन के लिए सहायता प्रदान करना जिससे इनकी क्षमता और विकास सम्भावनाओं का अध्ययन हो सके। इससे न केवल इन उद्योगों की उन्नति होगी अपितु अनुसूचित जाति के सदस्यों को रोजगार भी मिल सकेगा;

(vii) लघु पैमाने के उद्योगों में जनजातीय संगठनों द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए विपणन एवं प्रचार प्रबन्ध करना;

(viii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी भी अन्य सरकारी संस्था की ओर से अनुसूचित जाति के सदस्यों या अनुसूचित जातीय संगठनों को अनुदान एवं साहाय देना;

(ix) निदेशक मण्डल द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उधार लेना,

(x) उपहार अनुदान तथा दान ग्रहण करना;

(xi) अनुबन्ध एवं ऋण पत्र जारी करना;

(xii) वचन पत्र, विनिमय पत्र, हुण्डी, विपत्र, अधिपत्र, ऋण पत्र; तथा अन्य पराक्राम्य संलेखों की अदायगी लेना, बनवाना; स्वीकार करना, पृष्ठांकन करना, पूर्वप्रापण करना, निष्पादन तथा जारी करना;

(xiii) सरकारी प्रतिभूतियों में या निदेशक मण्डल द्वारा निर्णित अन्य किसी भी ढंग से निगम के अतिरिक्त धन को जमा करवाना या निवेश करना;

(xiv) संविदाओं में शामिल होना, तथा

(xv) इस अधिनियम के अधीन किसी भी प्रकार्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्य करना।

निगम अपनी स्थापना के समय से ही अनुसूचित जातीय सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उत्थान में व्यस्त है। निगम प्रदेश में सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का प्रचार करता है तथा अधिसूचित अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा इन कार्यक्रमों से लाभ उठाने के लिए प्रार्थना पत्र आमन्त्रित करता है। सामाजिक-आर्थिक आधार तथा प्रार्थी के मानसिक झुकाव को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जाती है तथा वितीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

यह सहायता प्रदान करने के लिए निगम सम्बन्धित विभाग से सहायता लाभ उठाने के लिए तारतम्य बनाए रखता है। इसी प्रकार बैंक से पचास प्रतिशत राशि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाता है तथा शेष 50% अपने साधनों से देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिन परिवारों की वार्षिक आय 2000 रुपये तक है तथा शहरी क्षेत्रों के जिन परिवारों की वार्षिक आय 3000 रुपये तक हैं उनको 4% की दर पर बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाता है। निगम स्वयं 3500 रुपये वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को तथा 4300 रुपये वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों को इसी ब्याज दर पर ऋण देता है। इन ऋणों का भुगतान तथा पुनः प्राप्ती बैंक की उसी शाखा पर की जाती है जो लाभ प्राप्त करने वाले परिवार के गांव में या उसके समीप स्थित हो।

प्रथम चरण में बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए 49 योजनाओं को चुन कर अनुमोदित किया गया। 60 और योजनाएं चुने जाने के पश्चात् अब इसकी संख्या 109 हो गई है। प्रथम दो वर्षों में निगम में 6000 रुपये तक की योजनाओं की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस निगम के कार्यक्रम के अधीन आजकल कृषि, पशु पलान, मछली पालन, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग, छोटा व्यापार/कारोबार के क्षेत्र में बैंक द्वारा ऋण देने के लिए उन्हीं योजनाओं को चुना जाता है जिनकी लागत 15000 रुपये या इससे कम है। इन योजनाओं में 25 प्रतिशत तक की मार्जिन मनी सहायता (3750 रुपये से अधिक नहीं) लाभान्वित परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है तथा शेष 75 प्रतिशत धन की आवश्यकता बैंक से ऋण प्राप्त करके की जाती है। निगम ने अब 50 हजार रुपये तक की लागत वाली योजनाओं को सहायता देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के लागू होने के फलस्वरूप निगम अभी हाल ही में चालू शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वयं रोजगार जुटाने की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। इसके अतिरिक्त निगम अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है जिसमें ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति के युवकों को ट्राइसम के ढांचे पर स्वयं रोजगार जुटाने का प्रशिक्षण देना, कच्चे माल की आपूर्ति करवाना तथा अनुसूचित जाति के लाभान्वित परिवारों के कृषि तथा अन्य उत्पादनों का विपणन करना सम्मिलित हैं।

**योग्यता मानदण्ड**—समस्त सहायता निम्नलिखित योग्यता मानदण्डों के पूर्ण होने पर दी जाएगी :—

(i) प्रार्थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा घोषित एवं अधिसूचित अनुसूचित जाति का होना चाहिए तथा उसे योग्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र देना चाहिए।

(ii) प्रार्थी हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी होना चाहिए तथा उसे इसका लेख्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।

(iii) लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(iv) प्रार्थी सरकार द्वारा पहले प्राप्त सहायता के लौटाने में अशोधी नहीं होना चाहिए।

(v) ग्रामीण हितग्राही की आय 3500 रुपये से अधिक तथा शहरी हितग्राही की आय 4300 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vi) सभी कृषि मजदूरों, सीमान्त किसानों, लघु किसानों तथा अकृषि मजदूरों (बड़े तथा मध्यम पैमाने के उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के अतिरिक्त) जोकि उपरोक्त क्रमांक पांच पर दिए गए मानदण्ड की परिधि में आते हैं, उनसे आय का प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा।

(vii) अनुसूचित जाति के शिक्षित बेरोजगारों (मैट्रिक तथा मैट्रिक से अधिक) जोकि उपरोक्त क्रमांक पांच पर दी गई आय की सीमाओं की परिधि में नहीं आते हैं के लिए मैट्रिक के बाद दी जाने वाली छात्रवृतियों के लिए घोषित आय सीमा लागू रहेगी।

**उपलब्धियां**—निगम की स्थापना के समय से 31 जनवरी, 1984 तक निगम ने अपने साधनों से, बैंकों से तथा विभिन्न

विभागों से 253.36 लाख रुपये देकर 34,636 परिवारों की सहायता की । वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक की भौतिक तथा वितीय उपलब्धियां तथा वर्ष 1984-85 लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित तालिका में दी गई है :-

| क्षेत्र | 1980-81 | | 1981-82 | | 1982-83 | | 1983-84 | (31-12-83 तक) | | 1984-85(प्रस्ताविन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परिवार | राशि (लाख रु० में) | परिवार | राशि (लाख रु० में) | परिवार | राशि (लाख रु० में) | परिवारों का लक्ष्य | लाभान्वित परिवार | राशि (लाख रु० में) | परिवारों का लक्ष्य | (रा (लाख रु० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| कृषि उद्यान . . | 429 | 4.19 | 1143 | 7.20 | 1532 | 10.28 | 3399 | 1201 | — | 2640 | 16.4 |
| पशु पालन . . | 816 | 8.16 | 3626 | 30.23 | 7543 | 55.19 | 7725 | 6750 | -- | 6000 | 40.2 |
| ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग . . | 534 | 2.13 | 1504 | 9.30 | 2189 | 10.17 | 3399 | 1664 | — | 2640 | 16-9 |
| छोटे व्यापारी तथा लघु वाणिज्यिक . | 506 | 2.10 | 1333 | 7.14 | 1245 | 8.20 | 6077 | 1287 | — | 3720 | 24.5 |
| कुल | 2285 | 16.58 | 7606 | 53.87 | 12509 | 83.84 | 20600 | 10902 | 88.16 | 15000 | 98.0 |

नोट—धन राशि निगम के मार्जिन मनी को दर्शाती है ।

छटी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के लिए राज्य का योजना उदव्यय 2 करोड़ रुपये होगा जबकि केन्द्रीय सरकार का अनुपातिक समानान्तर भाग 1.92 करोड़ रुपये होगा । इस अवधि के दौरान 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण सहायता देकर 3.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे लगभग 40 से 45 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा ।

31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र तथा वर्ष 1982-8 का लाभ हानि लेखा क्रमानुसार तालिका 19.1 और 19. में दिया गया है ।

# हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातीय विकास निगम, सोलन

## 19:1—31 मार्च, 1983 का सन्तुलन पत्र

(लाख रुपयों में)

| 31-3-1982 को | दायित्व | 31-3-1983 को | 31-3-1982 को | सम्पदा | 31-3-1983 को |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. पूजी | | 2.91 | 1. स्थिर सम्पदा | 3.48 |
| 500.00 | (क) अधिकृत | 500.00 | | 2. वर्तमान सम्पदा : | |
| — | (ख) चुकाई गई : | — | 0.05 | (क) हस्तन नगद | 0.07 |
| 115.00 | (i) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा | 185.00 | 124.37 | (ख) बैंक में नगद राशि | 183.49 |
| 110.25 | (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा | 177.50 | 0.82 | (ग) ब्याज | 2.29 |
| 1.11 | 2. आरक्षिति एवं अधिशेष | 1.11 | 7.29 | (घ) जिला प्रबन्धकों के पास बकाया राशि | 3.55 |
| 9.75 | 3. लाभ व हानि लेखा | 2.71 | 0.13 | (ङ) विप्रेषण व निलम्बित लेखा | — |
| 0.34 | 4. वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान | 1.47 | | 3. ऋण व पेशगी : | |
| | | | 100.55 | (क) सीमान्त राशि | 174.44 |
| | | | 0.03 | (ख) कर्मचारियों को अग्रिम | 0.11 |
| | | | 0.07 | (ग) आरक्षिति निधि | 0.08 |
| | | | 0.01 | (घ) पहले चुकाये गए व्यय | 0.06 |
| | | | 0.22 | (ङ) ओ०वाई०टी०जमा राशि | 0.22 |
| 236.45 | जोड़ | 367.79 | 236.45 | जोड़ | 367.79 |

# हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जातीय विकास निगम, सोलन

## 19.2—वर्ष 1982-83 का लाभ—हानि लेखा

(लाख रुपयों में)

| 1981-82 | विवरण | 1982-83 | 1981-82 | विवरण | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | को-- | | | से— | |
| 6.74 | 1. वेतन तथा भत्ते (अंशदायी भविष्य निधि निवृति वेतन, अवकाश वेतन तथा शेष योगदान सहित) | 9.37 | 5.79 | 1. ब्याज | 7.30 |
| | | | 13.21 | 2. हिमाचल सरकार से प्राप्त सहाय अनुदान | — |
| 0.42 | 2. किराया, स्थानीय तथा अन्य कर | 0.72 | — | 3. नीचे ले जाया गया शेष | 7.04 |
| 0.10 | 3. विद्युत तथा जल | 0.16 | | | |
| 0.54 | 4. यात्रा तथा वाहन | 0.94 | | | |
| 0.91 | 5. वाहन का चालन तथा अनुरक्षण | 0.86 | | | |
| 0.03 | 6. बोर्ड की बैठक | — | | | |
| 0.48 | 7. मुद्रण तथा लेखन सामग्री | 0.50 | | | |
| 0.36 | 8. दूरभाष, डाक व तार | 0.59 | | | |
| 0.03 | 9. समाचार पत्र इत्यादि | 0.03 | | | |
| 0.02 | 10. ज्ञापन | 0.03 | | | |
| 0.01 | 11. अंकेक्षण शुल्क | 0.01 | | | |
| 0.01 | 12. मनोरंजन | 0.03 | | | |
| 0.13 | 13. कर्मचारी कल्याण | 0.22 | | | |
| 0.05 | 14. बीमा | 0.03 | | | |
| 0.01 | 15. आय कर | — | | | |
| 0.12 | 16. विविध व्यय | 0.13 | | | |
| 0.07 | 17. गर्म-शरद ऋतु प्रभार | 0.08 | | | |
| 0.51 | 18. अमूल्यन | 0.04 | | | |
| 3.46 | 19. नीचे ले जाया गया शेष | — | | | |
| 19.00 | जोड़ | 14.34 | 19.00 | जोड़ | 14.34 |
| — | 1. नीचे लाया गया शेष | 7.04 | 8.46 | 1. नीचे लाया गया शेष | — |
| 0.85 | 2. अशोध्य ऋण हस्तान्तरित | — | -- | 2. संतुलन पत्र में हस्तान्तरित शुद्ध हानि | 7.04 |
| 7.61 | 3. सन्तुलन पत्र में हस्तान्तरित शुद्ध लाभ | — | | | |
| 8.46 | जोड़ | 7.04 | 8.46 | जोड़ | 7.04 |

HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT
PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS
1984-85

# HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION, SHIMLA

Himachal Pradesh Financial Corporation is a statutory Corporation incorporated under the State Financial Corporations Act, 1951 and was established with effect from 1st April, 1967, as a result of reorganisation of the earstwhile Punjab Financial Corporation under section 69 of the Punjab re-organisation Act, 1966.

The object of the Corporation is to provide medium and long-term loans to medium and small scale industries in Himachal Pradesh. The Corporation is authorised to guarantee the loans obtained by the industrial concerns from other agencies and also to guarantee the deferred payments in connection with the purchase of capital goods, under writing of issue of stock/shares, bonds and debentures and grant loans and advances to the industrial concerns repayable within a period not exceeding twenty years from the date of disbursement. The industrial concerns which are engaged in any one or more of the following activities are eligible for financial accommodation:—

(i) manufacture, preservation or processing of goods;

(ii) mining;

(iii) hotel industry;

(iv) transport of passengers or goods by road or by water or by air;

(v) generation or distribution of electricity or any other form of power;

(vi) maintenance, repairs, testing or servicing of machinery of any description or vehicles or vessels or motor boats, trailors and tractors;

(vii) assembling, repairing or packing of any article with the aid of machinery or power;

(viii) development of any contiguous area of land as are industrial estates;

(ix) fishing or providing share facilities for fishing or maintenance thereof; and

(x) providing special technical knowledge or other services for the promotion of industrial growth.

The financial accommodation is also made available for expansion and modernisation of the existing units and for working capital.

*Resources.*—The authorised capital of the Corporation remained unchanged at Rs. 10,00. 00 lakhs during the year 1982-83. With a view to further strengthening its equity base and increasing its borrowing power from Industrial Development Bank of India under their refinance scheme, additional share capital of Rs. 50 lakhs carrying minimum guaranteed dividend of 3-1/2 per cent was jointly and equally contributed by the State Government and IDBI was raised during the year. Thus the subscribed paid-up share capital stood at Rs. 292.95 lakhs including special capital of Rs. 54.00 lakhs raised under section 4A of the State Financial Corporations Act, 1951. The distribution of shares as on 31st March, 1983 was as follows :—

| Sl. No. | Particulars | No. of shares held | Percentage to total |
|---|---|---|---|
| 1. | Himachal Pradesh Government | 1,44,255 | 49.24 |
| 2. | Industrial Development Bank of India . . . . . | 1,44,255 | 49.24 |
| 3. | Scheduled banks, Co-operative Banks, Insurance companies, Investment trusts and other financial institutions . . . | 4,050 | 1.38 |
| 4. | Parties other than those referred to in items No. 1,2 and 3 above . . . . | 385 | 0.14 |
| | Total . . . . | 2,92,945 | 100.00 |

*Bonds.*—With a view to improve liquidity position, Corporation floated two issues of bonds aggregating Rs. 300.00 lakhs during the year under review with a provision to retain excess subscription upto 10 per cent of the amount of issue. The bonds were issued at par carrying interest at 7.50 per cent per annum. Both the series were over subscribed and the Corporation retained subscription of Rs. 330.00 lakhs.

*Refinance.*—Refinance from the Industrial Development Bank of India has been the major source of funds for financing loaning operations of the Corporation. Since the availability of refinance also benefits the borrowing concerns by way of reduction in the rate of interest, the Corporation made particular efforts in obtaining maximum re-finance from IDBI. The Corporation secured sanction of refinance from Industrial Development Bank of India amounting to Rs. 727.69 lakhs as against Rs. 727.33 lakhs during 1981-82. The figures from the year under report are the highest ever achieved by the Corporation so far. The cumulative refinance secured from IDBI upto the end of the year under review stood at Rs. 22,66.85 lakhs of which Rs. 13,93.29 lakhs remains to be repaid.

*Review of Operations.*—The performance of the Corporation during 16 years of its existance bears testimony to the fact that it has made appreciable progress not only quantitatively but also qualitatively in fulfilling the objectives set under the State Financial Corporations Act, 1951. With a modest business of Rs. 2.45 lakhs in 1967-68, the first year of its operation, the Corporation completed its 16 years on 31st March, 1983 with total sanctioned assistance of Rs. 49,19.85 lakhs. Due to an overall improvement in economy and concerted efforts on the part of the State Government in providing infrastructural facilities and liberalising the incentives for new industries,

there was a marked increase in number of applications received for financial assistance during the year under report. The Corporation has now a wide variety of industries in the portfolio and there is hardly any industry of importance in the State which has not been a beneficiary of some assistance from the Corporation. The Corporation continued to evaluate the viability of the projects from several aspects namely technical, financial, commercial and economic giving due importance to the managerial aspects too.

*Term Loan Sanctioned.*—The Corporation during the year under report received 228 applications (including 92 applications for transport industry) for an aggregate term loan amount of Rs. 11,16.92 lakhs (including Rs. 165.60 lakhs for transport industry) which included 31 applications for additional loan from existing units for an amount of Rs. 86.56 lakhs. The applications received during the year under report together with those pending at the close of the last year made a total of 282 applications for Rs. 18,01.10 lakhs (including 39 applications for additional loan for Rs. 108.00 lakhs and Rs. 20.51 lakhs enhanced in respect of 6 applications pending at beginning of the year from a variety of industries). The Corporation considered 250 applications amounting to Rs. 14,89.51 lakhs during the year under review. The Corporation sanctioned 182 applications amounting to Rs. 729.30 lakhs (including 24 applications for additional loan amounting to Rs. 56.68 lakhs and 90 applications amounting to Rs. 161.43 lakhs from transport industry) rejected 20 applications amounting to Rs. 102.87 lakhs (including 1 application for Rs. 1.68 lakhs in respect of transport) and 48 applications amounting to Rs. 623.27 lakhs (including 5 applications for additional loan for Rs. 17.39 lakhs) were closed or withdrawn by the parties. The Corporation after examination, reduced the amount by Rs. 34.07 lakhs in respect of 39 applications. At the close of the year, as many as 32 applications for an amount of Rs. 311.59 lakhs (including 5 applications for additional loan for Rs. 9.95 lakhs) were pending for consideration. The Corporation has sanctioned 1,686 applications since its inception for an amount of Rs. 49,49.15 lakhs.

The position of applications for the year under report as also the cumulative figures at the close of the year are given in the following table :—

| Sl. No. | Item | 1981-82 | | 1982-83 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | Amount (Rs. in lakhs) | No. | Amount (Rs. in lakhs) |
| 1. | Applications pending at the beginning of the year | 39 | 348.12* | 54 | 684.18@ |
| 2. | Applications received during the year | 276 | 19,61.21 | 228 | 11,16.92 |
| 3. | Applications dealt with during the year | 315 | 23,09.33 | 282 | 18,01.10 |
| 4. | Applications sanctioned | 202 | 11,15.50 | 182 | 729.30 |
| 5. | Applied for | — | 11,67.38 | — | 763.37 |
| 6. | Applications withdrawn, lapsed, closed etc. | 41 | 363.78 | 48 | 623.27 |
| 7. | Applications rejected | 18 | 114.50 | 20 | 102.87 |
| 8. | Total applications pending at the close of the year | 54 | 663.67 | 32 | 311.59 |
| 9. | Loans sanctioned (effective) | 547 | 32,10.07 | 678 | 37,13.75 |
| 10. | Loans disbursed | 1,158 | 23,44.17 | 1,328 | 31,60.92 |

*Amount enhanced by Rs. 15.03 lakhs in respect of 14 applications during the year.

@Amount enhanced by Rs. 20.51 lakhs in respect of 6 applications during the current year.

*Term Loans Disbursements.*—The disbursement of assistance during 1982-83 has touched a new high despite constraints on availability of some inputs and infrastructural facilities. Disbursements of term loans of Rs. 816.75 lakhs made during the year is higher by 24.4 per cent as compared to disbursement of Rs. 656.59 lakhs during the previous year. Of this Rs. 590.13 lakhs was in respect of loans sanctioned in previous years and Rs. 159.71 lakhs was to the transport industry.

The total disbursement of term loans since the inception of the Corporation stood at Rs. 31,60.92 lakhs at the close of the year. The following statement will show at a glance the net results of the working of the Corporation upto the year ended 31st March, 1983 :—

| Sl. No. | Particulars | Amount (Rs. in lakhs) |
|---|---|---|
| 1. | Loans sanctioned upto 31st March, 1983 | 49,49.15 |
| 2. | Less: sanctions declined/cancelled/withdrawn | 673.35 |
| 3. | Net sanctions (1) — (2) | 42,87.05 |
| 4. | Less: sanctions fully repaid | 562.05 |
| 5. | Effective sanctions (3) — (4) | 37,13.75 |
| 6. | Net sanctions at (3) above | 42,75.80 |
| 7. | Less: loans not disbursed in respect of sanctions fully repaid | 15.97 |
| 8. | Less: loans disbursed to 1328 concerns | 31,60.92 |
| 9. | Balance of loans comitments (6) — (7 + 8) | 10,98.91 |
| 10. | Loans outstanding as on 31st March, 1983 | 25,75.58 |

*Soft Loans.*—The Corporation during the year 1982-83 sanctioned an assistance of Rs. 2.14 lakhs to 4 entrepreneurs. The Corporation has sanctioned assistance of Rs. 53.84 lakhs for 84 projects since introduction of the scheme. The Corporation during the year under report disbursed Rs. 12.94 lakhs to 18 units. By adding the disbursement of the previous year the Corporation has so far disbursed an amount of Rs. 45.54 lakhs to 76 units. The position of applications received for soft loans since 1977-78 is as follows :—

(Rs. in lakhs)

| Sl. No. | Particulars | 1977-78 | | 1978-79 | | 1979-80 | | 1980-81 | | 1981-82 | | 1982-83 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | No. | Amt. | No. | Amt. | No. | Amt. | No. | Amt. | No. | Amt. | No. | Amt. |
| 1. | Applications pending at the beginning of the year | — | — | — | — | 1 | 0.25 | 4 | 4.13 | 13 | 7.17* | 8 | 13.60 |
| 2. | Applications received during the year | 1 | 2.00 | 4 | 2.17 | 7 | 8.36 | 49 | 28.97 | 61 | 62.91 | 4 | 3.95 |
| 3. | Applications sanctioned | 1 | 0.80 | 3 | 1.92 | 2 | 2.11 | 33 | 16.52 | 44 | 30.35 | 4 | 2.14 |
| 4. | Applications closed | — | — | — | — | 1 | 0.25 | 5 | 5.93 | 8 | 4.48 | 5 | 9.00 |
| 5. | Applications less sanctioned | 1 | 1.20 | — | — | 1 | 0.12 | 8 | 1.32 | 24 | 9.25 | 4 | 1.41 |
| 6. | Applications rejected | — | — | — | — | 1 | 2.00 | 2 | 2.28 | 14 | 12.40 | 3 | 5.00 |
| 7. | Applications pending at the close of the year | — | — | 1 | 0.25 | 4 | 4.13 | 13 | 7.05 | 8 | 13.60 | — | — |

*Amount enhanced by Rs. 0.12 lakhs in respect of 3 applications during the year.

*Bridge Loans.*—The Corporation had introduced a scheme for providing bridge finance to the borrower concerns upto 75 per cent of the sanctioned loan for a period ranging between 6 to 12 months during 1980-81. During the year 1982-83, the Corporation received 4 applications for grant of bridge loan for an amount of Rs. 30.00 lakhs against which assistance was sanctioned. The disbursement during the year under report amounted to Rs. 28.70 lakhs to 5 units. However, the assistance of Rs. 24.10 lakhs was outstanding under the bridge loans scheme at the close of the previous year. The bridge finance to 4 units amounting to Rs. 36.80 lakhs was converted into regular term loan.

*Central Investment Subsidy.*—The Corporation has been acting as an agent for disbursement of Central Investment Subsidy to units which have besen provided financial assistance by it. The State level Committee appointed under the scheme sanctioned an amount of Rs. 203.89 lakhs to 118 units assisted by the Corporation. The total sanction of central investment subsidy upto 31st March, 1983 stood at Rs. 934.09 lakhs. The Corporation disbursed an amount of Rs. 215.66 lakhs during the year under report and the total disbursement since the inception of the scheme was Rs. 535.70 lakhs. The State Government has re-imbursed the amount of central subsidy except Rs. 100.06 lakhs for which the claims were filled by the Corporation during the current year and re-imbursement obtained.

*State Government Subsidy.*—The Corporation also continued to act as an agent of the State Government for disbursement of State Government subsidy to units provided financial assistance by it. The Corporation during the year 1980-81 decided to disburse the amount of State subsidy out of its own funds and claim re-imbursement from the State Government in order to expedite the implementation of the project. The State Government has so far sanctioned an amount of Rs. 17.00 lakhs to 77 units (including Rs. 5.38 lakhs to 16 units during the year 1982-83) assisted by the Corporation. An amount of Rs. 9.60 lakhs (including Rs. 3.30 lakhs during the year) has been disbursed upto the end of the year.

*Margin Money/Seed Capital Scheme.*—The Corporation continued to operate funds on behalf of the State Government under the margin money/seed capital scheme which is applicable to units involving investment in plant and machinery not exceeding Rs. 2.00 lakhs and setup in areas with population of less than 50,000. The admissible assistance @ 10 per cent of the total investment subject to maximum amount of Rs. 20,000 is released by the Corporation after obtaining the sanction of the State Government. During the year under report, seed capital/margin money amounting to Rs. 0.64 lakhs was sanctioned by the State Government in respect of 5 units. The Corporation disbursed an amount of Rs. 0.52 lakhs to 5 units. The sanction and disbursement under the scheme upto 31st March, 1983 stood at Rs. 18.26 lakhs to 133 units and Rs. 16.18 lakhs to 121 units respectively.

*Interest Subsidy Scheme.*—Under this scheme, the State Government has placed funds at the disposal of Corporation and the Corporation released an amount of Rs. 0.43 lakhs during the year under report besides Rs. 3.52 lakhs during the previous year making the total disbursement of Rs. 3.95 lakhs.

*Assistance for Projects in Backward Areas.*—The Corporation rendered assistance to 120 projects located in the notified backward districts/areas amounted Rs. 629.70 lakhs which constitute 76.4 per cent and 86.6 per cent of total assistance during the year 1982-83 amount-wise and number-wise respectively.

*Repayments.*—As a result of vigorous efforts made by the Corporation during 1982-83, an all time high recovery of Rs. 327.20 lakhs was achieved. The recovery target under the Business Plan of the Corporation for 1982-83 was Rs. 347.47 lakhs which was revised to Rs. 280.00 lakhs at the time of mid-term review. The industry-wise break-up of defaults as on 31st March, 1983 is given in the table below :—

(Rs. in lakhs)

| Sl. No. | Industry | No. of units | Principal | Interest | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cement products | 4 | 0.94 | 0.27 | 1.21 |
| 2. | Chemicals | 18 | 15.03 | 4.31 | 19.34 |
| 3. | Cold storage and ice factories | 3 | 7.93 | 1.77 | 9.70 |
| 4. | Electrical and electronic goods | 9 | 12.42 | 3.17 | 15.59 |
| 5. | Engineering goods | 27 | 16.14 | 6.58 | 22.72 |
| 6. | Fertilizers | 2 | 18.83 | 1.71 | 20.54 |
| 7. | Food and beverages | 6 | 12.59 | 0.67 | 13.26 |
| 8. | Hotels | 11 | 3.19 | 1.81 | 5.00 |
| 9. | Metal products | 16 | 16.60 | 6.95 | 23.55 |
| 10. | Mineral products | 2 | 8.45 | 1.03 | 9.48 |
| 11. | Miscellaneous | 41 | 8.05 | 5.14 | 13.19 |
| 12. | Paper and paper products | 11 | 11.10 | 2.58 | 13.68 |
| 13. | Printing press | 7 | 3.06 | 2.01 | 5.07 |
| 14. | Rubber, PVC and plastics | 14 | 18.83 | 3.11 | 21.94 |
| 15. | Stone crushers | 11 | 2.54 | 0.65 | 3.19 |
| 16. | Textiles | 3 | 1.73 | 0.59 | 2.32 |
| 17. | Transport equipment | 9 | 1.49 | 4.67 | 6.16 |
| 18. | Transport operators | 93 | 16.94 | 3.15 | 20.09 |
| 19. | Watches and parts | 4 | 11.04 | 7.33 | 18.37 |
| 20. | Leather products | 2 | — | 2.50 | 2.50 |
| | Total | 293 | 186.90 | 60.00 | 246.90 |

According to schedule of repayments, the total amount of interest which fell due on loans (excluding suit filed cases) during the year under report was Rs. 223.07 lakhs. An amount of Rs. 187.19 lakhs was actually recovered during the year which also included part payment of interest in arrears (Rs. 29.58 lakhs) at the close of the previous year. The total amount of principal which fell due during the year under review was Rs. 195.60 lakhs. The actual repayment of principal, however, amounted to Rs. 121.28 lakhs which also included part repayment in respect of arrears of principal (Rs. 25.48 lakhs) at the close of the previous year. The statement given below shows the figures of repayments and defaults as at the end of the year :—

(Rs. in lakhs)

| Particulars | Principal | Interest |
|---|---|---|
| Arrears at the beginning of the year | 112.58 | 73.60 |
| Due during the year | 195.60 | 223.07 |
| Received during the year | 121.28 | 187.19 |
| Arrears at the close of the year | 186.90 | 109.48 |

An amount of Rs. 3.23 lakhs and Rs. 3.15 lakhs on account of principal and interest respectively in respect of 5 accounts has been excluded from the opening default due to transfer of the amount of the suit filed accounts during the year. The amount of Rs. 8.51 lakhs on account of principal has been excluded from the opening default due to re-scheduling during the year. Further Rs. 4.48 lakhs and Rs. 2.46 lakhs on account of principal and interest respectively have also been included in the opening default on account of 10 cases earlier included in suit filed accounts but now decided. Besides, Rs. 1.23 lakhs has been excluded in the opening default of principal whereas Rs. 1.20 lakhs has been included in the opening defaults of interest as the same was inadvertently included in the last report.

Another amount of Rs. 0.61 lakh was included in the opening default of interest on account of cheques received during previous year but not honoured during the year. Further an amount of Rs. 0.26 lakh and Rs. 0.10 lakh on account of principal and interest respectively has been excluded from the opening default since the same was not allowed by the court in respect of 2 cases.

*Suit Filed Accounts.*—During the year under review the State Government amended H.P. Public Money (Recovery of Dues) Act, 1973 so as to cover the loans of the Corporation which became recoverable as arrears of land revenue. The Corporation initiated action during the year under report against 21 units under the provisions of this Act involving a sum of Rs. 46.14 lakhs with a view to speed up recovery. During the year under report, 11 cases were disposed off, three cases were settled on payment, 5 cases were compromised one case was dismissed by the court and two

ases were withdrawn for taking action under H.P. ublic Money (Recovery of Dues) Act, 1973. During e year under report, the Corporation instituted 6 esh cases involving Rs. 11.57 lakhs. At the close of e year, as many as 59 cases involving an amount s. 224.98 lakhs were pending in various courts out of hich 23 cases pertained to transport industry invol- ing an amount of Rs. 10.67 lakhs. A statement show- g the details of the arrears at the beginning of the ear and the close of the year in respect of suit-filed ases is given below :—

(Rs. in lakhs)

| Particulars | Principal | Interest |
|---|---|---|
| rrears at the beginning of the year | 86.16 | 101.17 |
| )ue during the year | 12.18 | 28.64 |
| eceived during the year | 5.60 | 5.05 |
| rrears at the close of the year | 92.74 | 124.76 |

The amounts of Rs. 4.48 lakhs on account of prin- ipal and Rs. 2.46 lakhs on account of interest have een excluded in respect of cases decided during the ear. Further the amount of Rs. 3.23 lakhs on account f principal and Rs. 3.15 lakhs on account of interest ave been included in the opening default of principal nd interest respectively as the same was inadvertently ncluded in the last report.

*Pre-mature Repayments.*—An amount of Rs. 8.09 akhs was received from the loanee concerns prematu- ely although same was not due during the year.

*Percentage of Overdues to Total Outstanding.*—The overdues as on 31st March, 1983 amounted to Rs. 246.90 lakhs (excluding suit filed cases and in- erest of Rs. 49.48 lakhs on sticky accounts not credited to the profit and loss account of the previous year) against the outstanding loans of Rs. 2575.58 akhs. The amount involved in suit-filed cases as on 31st March, 1983 after excluding the interest of Rs. 104.87 lakhs not credited to profit and loss account was Rs. 120.11 lakhs. The percentage of overdues and suit-filed cases to outstanding loans is 9.59 per cent and 4.66 per cent, respectively as against 11.36 per cent and 6.75 per cent, respectively during the previous year.

*Rate of Interest and Margin.*—The interest structure of the Corporation underwent change during the pre- vious year on account of revision of bank rates. The present lending structure of the Corporation came into force with effect from 2nd July, 1981. There has been no change in the margin retained by the Corporation against the security during the year under report ex- cept in case of loans for transport industry. The rates structure is reproduced in the following table:—

**Interest rate Structure**

| Type of loans | Normal rate (effective) | Effective rate (after refinance) | Rebate in case of prompt payment |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Basic lending rate | 14.50% | — | 1% |
| 2. Concessional rate for small scale industries: | | | |
| (a) Backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| (b) Other than backward areas | 14.50% | 14.50% | 1% |
| 3. Composite loans upto Rs. 25,000/- | | | |
| (a) Backward areas | 14.50% | 11.25% | 1% |
| (b) Other than backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| 4. Concessional rate for new units located in specified backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| 5. Under World Bank Credit (For foreign currency components): | | | |
| (a) (i) Small Scale industries covered under Credit Guarantee Scheme and units in backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| (ii) SSI units in non-backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| (b) Others | | | |
| (i) Backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| (ii) Non-backward areas | 15.00% | 15.00% | 1% |
| 6. Units promoted by persons belonging to scheduled castes/scheduled tribes : | | | |
| (i) Upto Rs. 25,000/- | 14.50% | 11.25% | 1% |
| (ii) Above Rs. 25,000/- and upto Rs. 2.00 lakh: | | | |
| (a) Backward areas | 14.50% | 12.50% | 1% |
| (b) Non-backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| 7. Units promoted by ex-Servicemen with financial asisstance upto Rs. 5.00 lacs in case of individual & Rs. 6.00 lacs in case of group of persons: | | | |
| (i) Backward areas | 14.50% | 12.50% | 1% |
| (ii) Non-backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| 8. Units promoted by physically handicapped persons (Upto Rs. 25,000) | | | |
| (a) Backward areas | 14.50% | 11.25% | 1% |
| (b) Non-backward areas | 14.50% | 13.50% | 1% |
| 9. Units promoted by doctors for X-ray clinics | 14.50% | 13.50% | 1% |
| 10. Rates for road transport | | | |
| (i) Single vehicle | 15.50% | 14.50% | 2% |
| (ii) Others | 17.00% | 17.00% | 2% |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. Bridging loans : | | | |
| (i) Backward areas . | 14.50% | — | — |
| (ii) Non-backward areas | 15.00% | — | — |
| 12. Special capital scheme . | 1.00% | — | — |
| 13. Units located in Kinnaur & Lahaul & Spiti districts | 1.00% below the normal concessional rate for backward areas. | | |
| 14. Penal interest : | | | |
| (i) In locate of default upto 6 months on the default amount | 3.00% | — | — |
| (ii) In case of default persisting beyond 6 months : | | | |
| (a) Loans upto Rs. 3.00 lakh . | 18.00% | — | — |
| (b) Loan exceeding Rs. 3.00 lakh . . | 24.00% | — | — |

*Organisational Development.*—In order to meet fresh challenge, to sustain growth and to improve upon its past performance in all areas, the Corporation strengthened its organisational structure by accepting the recommendations of the Management Development Institute in this regard. Having recognised, the need of continuous follow-up of assisted units, a separate section headed by Deputy General Manager and consisting of one Senior Manager and three Managers was constituted. Further delegation of powers to the Managing Director, General Manager and Branch Managers have been granted during the year.

*Man Power Development.*—To develop and improve the skills, necessary for a financial institution, the corporation has been nominating officers for various training programmes by the National Institutions. During the year six officers were nominated for various programmes. In addition, the Corporation proposes to organise a comprehensive training programme at the Himachal Pradesh Institute of Public Administration in collaboration with Management Development Institute during the current year.

*Welfare Measures.*—In order to provide motivation, as well as to fulfil legitimate aspirations of the employees, the Corporation during the year under report widened the scope of certain existing welfare measures and also introduced some new welfare measures as under :—

(i) The provident fund regulations have been liberalised by the Board with the approval of the State Government/Industrial Development Bank of India.

(ii) The gratuity amount admissible equal to one months pay for each completed year of service subject to a maximum of 15 months pay or Rs. 20,000/- whichever was less has been increased to a maximum amount of 16-1/2 months pay or Rs. 36,000 whichever is less. The sanction concurrence of the State Government/Industrial Development Bank of India to this increase is, however, yet to be received.

(iii) In order to provide immediate relief to the bereaved family of an employee of the Corporation who may die while in service, the Corporation has decided to give ad-hoc ex-gratia grant equal to 20 times the last emoluments of the employees subject to a minimum of Rs. 10,000/- and maximum of Rs. 30,000/-. The family of the deceased can also retain the accommodation, if provided by the Corporation for one year at the same rent and in other cases the house rent allowance admissible to the deceased employee is payable for one year to his family. Employment assistance wil also be provided to one member of the family in non-gazetted posts in the lower rank of cadre according to qualification without getting his name sponsored from the employment exchange. In case, none of the family members is eligible for employment because of the qualifications/age such employment can be provided subsequently when the requirements are fulfilled. It has also been decided to write off the outstanding balance of advance including interest obtained by the employee for construction/repairs/purchase of house etc. without touching the amount of gratuity provided the deceased is survived by his wife/husband, as the case may be, or his sons, daughters father, mother, minor brothers and sisters who are un-employed and who are entirely dependent on the deceased employee.

*New Twenty Point Economic Programme.*—The Corporation took concrete steps for effective implementation of the New Twenty Point Economic Programme, the details of which are outlined hereunder :—

(1) *Assistance to Physically Handicapped Persons.*—With a view to encourage physically handicapped persons to become self-reliant, as also to mitigate their plight, the Corporation formulated as special scheme for concessional financial assistance to such persons. According to the Scheme, any person suffering from physical disability will be eligible for concessional assistance for setting up an industrial unit in which the promoters contribution shall not be insisted upon. The maximum amount of loan has, however, been restricted to Rs. 25,000. The assistance would cover equipment and/or working capital finance. The effective rate of interest to be charged by the Corporation will be 10.25 per cent per annum.

(2) *Scheme for Finance-X-Ray Clinics.*—The Corporation has devised a scheme to provide financial assistance on very soft terms for doctors who are qualified as radiologists and who wish to undertake gainful employment but lack financial resources to set up X-ray clinics. The assistance shall be made available for purchase of X-ray plants and for construction of suitable building for accommodating and operating the X-ray units. Loans upto 90 per cent of the fixed cost shall be available for the purpose (after adjusting central investment subsidy). Period of repayment shall be 5—10 years with initial holiday period of 2 years.

(3) *Composite Loans.*—With greater emphasis of development of industries in rural areas under the

new twenty point economic programme, the Corporation had delegated the powers of sanction to Branch Managers but the disbursement of loan was being made through the Head Office. It has, however, been decided that in future the disbursement of loan shall also be made through the Branch Officers in order to avoid inconvenience to such entrepreneurs.

(4) *District Offices.*—The Corporation's District Offices were located at the district headquarters at Nahan, Solan, Una and Dharamshala. It was however, felt that industrial activity in these districts was taking place at main local points located at Paonta Sahib, Parwanoo/Barotiwala, Mehatpur and Damtal/Kandrori. In order to avoid inconvenience to the entrepreneurs to visit the offices at the district headquarters, which involved more time and money in transporation, it was decided to shift these offices to the industrial focal points at Paonta Sahib, Parwanoo, Mehatpur and Damtal. It has also been decided to provide conveyance to the Branch Managers to improve their mobility and to have a better rapport with the borrowers.

(5) *Interest on Central Investment Subsidy Scheme.*—The Corporation has been disbursing central investment subsidy under the central investment subsidy scheme to the industrial units which have been provided financial assistance by it. Since the Corporation's funds were being utilised for this purpose and subsequently reimbursement was sought from the State Government/Central Government the Corporation had decided to charge interest from the borrowers from the date of disbursement upto the date of reimbursement by the Central/State Government in case re-imbursement of central subsidy was delayed beyond 30 days. The Corporation has been performing the role of a developmental institution and with a view to mitigate the hardship to the borrowers by paying interest on this account, it was decided that henceforth no interest shall be charged by it from the borrower.

(6) *Management Information System.*— The Corporation has been drawing its business plan and resources forecast at the beginning of each year and in order to monitor the progress with regard to various targets fixed in the matter of sanction, disbursement and recovery of loans the Board of Directors have been reviewing the position at each meeting. The Board had also been reviewing the major defaulted accounts and issued necessary directions/guidelines to improve the position. In order to reduce the number of wilful defaulters, it was also decided to charge the highest rate of interest being charged by the banks in respect of persistent defaulters. During the year under report a separate recovery and follow-up wing under the charge of a Deputy General Manager was set up.

(7) *Delegation of Powers.*—In order to reduce the time lag between the receipt of the application and sanction of the same, as also between sanction of loan and disbursement of loans, besides streamlining and simplyfying the procedure, the Board decided to delegate powers of sanction of loans upto Rs. 5.00 lakhs to the Managing Director and of loans upto Rs. 3.00 lakhs to the General Manager. Similarly, powers of disbursement of amount upto Rs. 3.00 lakhs were also delegated to the General Manager. This delegation is providing more time to the Managing Director to concentrate on and provide guidance regarding various policy matters.

The balance sheet as at 31st March, 1983 and the profit and loss account for the year 1982-83 have been given in tables 1.1 and 1.2, respectively.

# HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION, SHIMLA

## 1.1—Balance sheet as at 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-1982 | Capital & liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | Property & Assets. | As at 31-3-1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Capital:— | | 89.11 | 1. Cash and Bank balances | 64.34 |
| 10,00.00 | (a) Authorised | 10,00.00 | | | |
| 222.95 | (b) Issued, subscribed and paid up | 292.95 | 17,62.17 | 2. Loans and advances | 24.01.78 |
| | 2. Reserve fund and other reserves: | | 8.63 | 3. Debentures, shares etc. | 8.63 |
| 4.39 | (a) Reserve fund (under Section 35) | 3.87 | 2.43 | 4. Motor vehicles, furniture & fix ures etc. | 2.69 |
| 25.45 | (b) Special reserve fund (under Section 35A) | 29.83 | 73.79 | 5. Other assets | 176.80 |
| 27.99 | (c) Reserve for bad and doubtful debts | 27.99 | — | 6. Provision for taxation | 6.22 |
| 77.83 | (d) Other reserves | 84.33 | | | |
| 439.50 | 3. Bonds and debentures | 769.50 | | | |
| | 4. Borrowings (under Section 7): | | | | |
| 10,53.53 | (a) Industrial Development Bank of India | 13,93.29 | | | |
| — | (b) State Government | — | | | |
| 69.17 | 5. Other liabilities | 46.51 | | | |
| 9.47 | 6. Outstanding liabilities | 4.65 | | | |
| 0.23 | 7. Interest in suspense account | 0.13 | | | |
| | 8. Provisions: | | | | |
| 1.10 | (a) For income-tax | — | | | |
| 4.52 | (b) For dividend for the year | 7.41 | | | |
| 19,36.13 | Total | 26,60.46 | 19,36.13 | Total | 26,60.46 |

## HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORPORATION, SHIMLA

### 1.2—Profit and loss account for the year ended on 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Expenditure | 1982-83 | 1981-82 | Income | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| 79.17 | 1. Interest on deposits, bonds and debentures and borrowings. | 87.28 | | 1. Interest on : | |
| | | | 148.37 | (a) Loans & advances | 135.29 |
| 10.23 | 2. Salaries and allowances | 10.99 | 0.20 | (b) Investment and deposits | 2.17 |
| 0.94 | 3. Travelling and other allowances | 0.57 | 0.18 | (c) Advances to staff | 0.01 |
| 0.20 | 4. Directors and committee members travelling allowances and sitting fee | 0.08 | — | (d) Commitment of interest | 0.03 |
| 0.44 | 5. Contribution to staff provident fund | 0.51 | — | 2. Profit from sale of other assets | 0.01 |
| 0.78 | 6. Rent, rates, taxes, insurance and lighting etc. | 1.17 | | 3. Other Income : | |
| | | | 0.11 | (a) Miscellaneous income | 0.10 |
| 2.90 | 7. Postage, telegrams & telephones, printing and stationery. | 2.45 | 1.07 | (b) Processing fee (loans) | 0.54 |
| 0.52 | 8. Publicity and advertisement | 0.69 | 0.03 | (c) Sale of application forms | 0.03 |
| 0.08 | 9. Repairs and renewals | 0.17 | | | |
| 0.08 | 10. Bank charges and commission and auditors fee/fee to internal auditors. | 0.02 | 0.02 | 4. Expenses written back | 0.01 |
| 0.12 | 11. Law charges | 0.16 | | | |
| 0.43 | 12. Depreciation | 0.50 | | | |
| 0.20 | 13. Discount on bonds and debenture written off. | 0.20 | | | |
| 5.20 | 14. Brokerage commission and stamp duty and debentures. | 1.65 | | | |
| 5.16 | 15. Other expenses | 8.88 | | | |
| 0.33 | 16. Bad debts written of | 0.34 | | | |
| 43.20 | 17. Net profit | 22.53 | | | |
| 149.98 | Total | 138.19 | 149.98 | Total | 138.19 |

NB :—The Corporation has switched over with effect from 1-4-82, the cash system of accounting from mercantile system followed in a earlier years.

2

# HIMALAYA FERTILIZERS LTD., MANJHOLI (NALAGARH)

(A Subsidiary of H. P. Mineral & Industrial Development Corporation Limited.)

The Himalaya Fertilizers Limited was registered under the Companies Act, in November, 1972. The authorised capital of the Company is Rs. one crore divided into ten lakh equity shares of Rs. 10 each. The paid up capital of the Company as on 31st March, 1983 was Rs. 27.56 lakhs against the issued and subscribed capital of Rs. 30 lakhs. Out of paid up capital, Rs. 15.30 lakhs is being held by the H. P. Mineral & Industrial Development Corporation, Limited and Rs. 12.26 lakhs has been subscribed by the public. There are call-in-arrears to the tune of Rs. 2.44 lakhs.

1. *Operations.*—The Company during the year 1982-83 had produced 11,264 MT. N.P.K. of various grades and sold 8.606 MT. The total sale during this period was Rs. 175.03 lakhs against the comparative figures pertaining to the last six years as below :

| Year | Total Sales (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1976-77 | 105.00 |
| 1977-78 | 156.00 |
| 1978-79 | 218.00 |
| 1979-80 | 145.00 |
| 1980-81 | 274.15 |
| 1981-82 | 216.29 |

The sales of fertilizers both in terms of quantity and value have decreased as compared to the last years. The Company suffered a loss of Rs. 21.79 lakhs. This year the accumulated loss is to the extent of Rs. 22.70 lakhs.

2. *Raw Material.*—During the year the raw material was available to the Corporation without much difficulty.

3. *Marketing.*—Besides Himachal Pradesh, the Company has been marketing its products in the States of Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, Rajashthan and Jammu and Kashmir. During the year under report, there was a glut in fertilizer market. Though the Company had sale permission in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi yet Company could not dispose off all the stocks. At the end of the year the Company had an inventory of approximately Rs. 60 lakhs. Due to this, the Company suffered heavy losses. The Company has arranged exclusive market of N.P.K. fertilizer during the year 1983-84. It is hoped that the Company can sell 8,000 MT. to 10,000 MT. N.P.K. in Himachal Pradesh provided exclusive market for N.P.K. fertilizer is given to it on a continuous basis. The company can sell its surplus production in neghbouring states in case sale permission for neighbouring states is accorded on a permanent basis.

4. *Business Prospects.*—Whereas consumption of N.P.K. fertilizer for Himachal Pradesh is only in the range of 8,000 to 10,000 MT, the capacity of the plant is 30,000 MT per annum. Therefore, the Company is depending on sales in neighbouring states viz. Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan and Jammu & Kashmir. It can sell its product in neighbouring states only after getting the permission from the concerned states. This permission is to be obtained on yearly basis. The Company is trying to finalise long term arrangements for marketing of its product with these states. Efforts are being made to reduce the production cost by optimising the inputs while maintaining the nutrient level in the output . The Company is also considering diversification of its activities. Setting up of a salt iodisation plant is under active consideration of the management.

5. *Labour Relations.*—During the period under review the relations between the management and employees remained cordial and no unpleasant happening of any nature took place.

The balance sheet as at 31st March, 1983 and profit and loss account for the year 1982-83 appear in tables 2.1 and 2.2, respectively.

## HIMALAYA FERTILIZERS LIMITED, MANJHOLI (NALAGARH)

**(Subsidiary of H.P. Mineral and Industrial Development Corporation Limited)**

### 2.1 Balance sheet as at 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| Particulars | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 |
|---|---|---|
| I. Sources of funds : | | |
| 1. Shareholders funds : | | |
| (a) Share capital | 27.56 | 27.45 |
| (b) Reserve and surplus | 6.17 | 6.17 |
| 2. Loan funds : | | |
| (a) Secured loans | 66.06 | 49.03 |
| (b) Unsecured loans | 41.30 | 16.07 |
| Total | 141.09 | 98.72 |
| II. Application of funds : | | |
| 1. Fixed assets : | | |
| (a) Gross block | 69.20 | 68.82 |
| (b) Less : Depreciation todate | 29.23 | 26.71 |
| (c) Net block | 39.97 | 42.11 |
| 2. Current assets, loans and advances : | | |
| (a) Current assets | 84.02 | 68.81 |
| (b) Loans and advances | 2.56 | 4.31 |
| Total | 86.58 | 73.12 |
| Less : Current liabilities and provision: | | |
| (a) Current liabilities | 9.53 | 10.42 |
| (b) Provisions | 0.21 | 8.89 |
| Net current assets | 76.84 | 53.91 |
| III. Miscellaneous expenditure : (To the extent not written off or adjusted) | 1.58 | 1.89 |
| IV. Profit and loss account | 22.70 | 0.91 |
| Total application of funds | 141.09 | 98.72 |

### 2.2—Profit and loss account for the year ended 31st March, 1983.

(Rs. in lakhs)

| Particulars | 1982-83 | 1981-82 |
|---|---|---|
| I. INCOME | | |
| 1. Sales | 175.04 | 216.38 |
| 2. Other incomes | 4.26 | 1.40 |
| Total | 179.30 | 217.78 |
| II. EXPENDITURE | | |
| 1. Raw material consumed | 159.53 | 157.02 |
| 2. Interest | 12.02 | 12.30 |
| 3. Other expenses & write offs | 47.29 | 41.83 |
| 4. Investment allowance reserve | 0.01 | 0.06 |
| 5. Depreciation (including Rs. 442 for previous year) | 2.83 | 4.19 |
| | 221.68 | 215.40 |
| Accretion (—)/Decretion (+) in stocks | (—)20.59 | (—)5.80 |
| | 201.09 | 209.60 |
| Net profit/loss transferred to balance sheet | (—)21.79 | (+)8.18 |
| Total | 179.30 | 217.78 |

3

# HIMACHAL PRADESH MINERAL AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD., SHIMLA

The Himachal Pradesh Mineral and Industrial Development Corporation Limited, Shimla was registered under the Companies Act, 1956 as a public limited company on 25th November, 1966. The authorised capital of the company was Rs. 5 crores divided into 5 lakh equity shares of Rs. 100 each. During 1981-82, the authorised capital of the company was raised to Rs. 10 crores divided into 10 lakh equity shares of Rs. 100 each. The issued capital was Rs. 700.00 lakhs divided into 7 lakh equity shares of Rs. 100 each against which paid-up-capital is Rs. 629.70 lakhs as on 30-11-1983. The affairs of the Corporation are managed by the Board of Directors.

During the year 1982-83 the Corporation earned net profit of Rs. 17.80 lakhs (subject to audit). The profit has been arrived at after providing Rs. 4.40 lakhs towards depreciation. The activities of Corporation are given in the following paragraphs :—

1. *Production and Sales.*—The production and sales of the various units of the Corporation for the years 1981-82 and 1982-83 (subject to audit) are given below :—

(Rs. in lakhs)

| Name of the unit | Production | | Sales | |
|---|---|---|---|---|
| | 1981-82 | 1982-83 | 1981-82 | 1982-83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. C.L.B.P. Mehatpur | 140.50 | 150.20 | 157.81 | 196.21 |
| 2. Silk Filature, Nurpur | 5.50 | 7.50 | 7.88 | 9.03 |
| 3. Silk Weaving, Nurpur | 3.06 | 3.02 | 3.96 | 3.90 |
| 4. Furniture Factory, Bilaspur | 3.80 | 4.10 | 4.54 | 5.45 |
| 5. Mining Project, Bilaspur | 4.90 | 5.10 | 6.33 | 7.43 |
| 6. T.V.R. Solan | 70.50 | 64.80 | 82.69 | 72.22 |
| 7. Furniture Factory, Solan | 1.00 | 1.05 | 2.34 | 2.02 |
| 8. Carpet Factory, Nurpur | 1.58 | 0.90 | 2.46 | 0.82 |
| 9. Hosiery Unit, Nalagarh | 3.55 | 3.70 | 4.14 | 4.47 |
| 10. Motorised Unit, Nalagarh | — | — | 1.19 | — |
| 11. Stone Crusher, Nalagarh | 0.30 | — | 0.47 | — |

The net profit/net loss of the industrial units is given below :—

(Rs. in lakhs)

| Name of the unit | Net Profit (+)/net loss (—) | |
|---|---|---|
| | 1981-82* | 1982-83* |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. C.L.B.P., Mehatpur | (+)15.03 | (+)24.51 |
| 2. Silk Filature, Nurpur | (+) 1.36 | (+) 1.01 |
| 3. Silk Weaving, Nurpur | (+) 0.68 | (+) 0.68 |
| 4. Furniture Factory, Bilaspur | (—) 0.01 | (—) 0.12 |
| 5. T.V.R. Solan | (—) 1.47 | (—) 0.92 |
| 6. Mining Project, Bilaspur | (+) 0.89 | (+) 1.73 |
| 7. Furniture Factory, Solan | (—) 0.48 | (—) 0.59 |
| 8. Carpet Factory, Nurpur | (—) 0.13 | (—) 0.50 |
| 9. Hosiery Unit, Nalagarh | (—) 0.49 | (—) 0.60 |
| 10. Motorised Unit, Nalagarh | (+) 0.28 | — |
| 11. Stone Crusher, Nalagarh | (—) 0.26 | — |

*Subject to audit

2. *Projects under Operation.*

A. The Corporation has promoted the following three subsidiary companies :—

(Rs. in lakhs)

| Name of the Company | Investment in shares |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. Himachal Wool Processors Limited | 49.00 |
| 2. Himachal Worsted Mills Ltd. | 47.00 |
| 3. Himalaya Fertilizers Limited | 15.00 |
| Total | 111.30 |

B. The following Companies have so far been assisted by the Corporation.

(i) *M/s. Rishabh Ispat Limited.*—The Corporation has underwritten one lakh equity shares of Rs. 10.00 lakhs of this company of the total underwriting. The company has been established at Nalagarh, in Solan district for the manufacture of

steel ingots and went into production in August, 1976. The Company is running well and shares valuing Rs. 2.50 lakhs have been purchased back by the promoters.

(ii) *M/s. Thirani Chemicals Limited.*—The Corporation has assisted this company by underwriting 25,850 equity shares of Rs. 10 each amounting Rs. 2,58,500. Full amount has been paid to the Company. The project is located at Paonta Sahib and manufactures Calcium Carbonate. The Company is functioning well and the promoters purchased shares valuing Rs. 50,000 from the Corporation.

(iii) *M/s. Rangar Breweries Limited.*—The Corporation has participated in the share capital of this company to the tune of Rs. 3.00 lakhs. The Project is located at Mehatpur in Una district and produces malt extract. The production was started in May, 1979.

(iv) *M/s. Himachal Pesticides and Chemicals Limited, Barotiwala.*—The Company is manufacturing a chemical known as Malathion which is a basic pesticide. The capacity of the plant is 1,000 t.p.a. The equity participation by the HPMIDC to the tune of Rs. 4.40 lakhs was made in June, 1980.

(v) *M/s. United Diamonds Limited, Parwanoo.*—This unit is manufacturing different types of watch jewels required by the machanical watch factories in the country. The entire plant and machinery and technical know-how has been taken from France. The company has been promoted in public sector where HPMIDC has provided equity participation to the tune of Rs. 4.35 lakhs. The Company has gone into production since August, 1980 and all the shares held by the HPMIDC have been purchased by the promoters.

(vi) *M/s. Himachal Consultancy Organisation.*—This organisation has been sponsored by the Industrial Finance Corporation of India and the HPMIDC has invested Rs. 40,000 in their equity shares. It has been established to provide consultancy services to the entrepreneurs intending to set up industries in Himachal Pradesh and to provide technical guidance including preparation and formulation of project reports. Besides, the organisation is also dealing with the industrial survey to identify/select viable projects in Pradesh.

(vii) *M/s. Pronto Steering Limited.*—The company has been set up at Parwanoo for the manufacture of steering worms and nuts which are used in the automobile industry. The installed capacity of the plant is 42,000 numbers per annum. The Corporation has released a sum of Rs. 4.00 lakhs by way of equity participation to assist the unit.

(viii) *M/s. Scrao Papers and Allied Products Private Limited.*—The Corporation has participated in the share capital of this company to the tune of Rs. 2.90 lakhs. The Company has been set up at Barotiwala to manufacture Kraft paper. The plant has an installed capacity of 7 tonnes per day.

(ix) *M/s. Sidharatha Super Spinning Mills Limited.*—The Company has been set up at Nanlagarh and in the initial stage proposes to instal 16,184 spindles for spinning cotton and synthetic staple fibre. The Corporation has participated in their share capital to the tune of Rs. 42.00 lakhs.

(x) *M/s. Pamwi Speciality and Tissue Paper Limited.*—The Corporation sanctioned Rs. 60.00 lakhs to assist the unit by way of participation in the share capital of the company and full amount of Rs. 60.00 lakhs has been released to the Company. This unit has been set up at Barotiwala for the manufacture of speciality paper (Tissue paper) and its manufacturing capacity is 4,450 tonnes per annum.

(xi) *Ogli Papers Private Limited, Kala Amb.*—The unit is manufacturing Kraft Paper with installed capacity of 7 tonnes per day at Kala Amb. The Company has been provided direct participation into equity captal for an amount of Rs. 1.22 lakhs.

(xii) *United Vanaspati Works Private Limited, Nalagarh.*—The unit is manufacturing vegetable ghee at Nalagarh. HPMIDC has provided direct participation into equity capital of the company for an amount of Rs. 3.90 lakhs. The product of the company is good and it has been accepted by the consumers.

(xiii) *Barotiwala Papers Private Limited, Barotiwala.*—The unit is manufacturing Kraf paper at Nalagarh. HPMIDC has provided direct participation into equity capital of the concern for an amount of Rs. 1.57 lakhs and unit has started production.

(xiv) *Tishu & Fibres Limited, Nalagarh.*—The unit is manufacturing overy board paper at Nalagarh. HPMIDC has provided direct participation into equity capital of the company for an amount of Rs. 4.47 lakhs. The unit has started production since August, 1983.

(xv) *Shell Paper Private Limited, Barotiwala.*—The Company is setting up a unit for the manufacture of Kraft paper at Barotiwala. HPMIDC has sanctioned Rs. 2.60 lakhs as direct participation into its equity capital and has disbursed Rs. 1.30 lakhs. The unit has started trial runs.

(xvi) *Kanwar Papers Private Limited, Kala Amb.*—The Company is setting up a Kraft paper unit at Kala Amb. HPMIDC has sanctioned Rs. 2.60 lakhs as equity to company and has disbursed a sum of Rs. 1.30 lakhs. The Company is in the stage of trial runs.

(xvii) *Des Raj Papers Private Limited, Barotiwala.*—The Company is setting up a Kraft paper unit at Barotiwala. HPMIDC has sanctioned direct participation into equity capital of the Company for an amount of Rs. 1.37 lakhs and has disbursed a sum of Rs. 0.70 lakhs. The unit has started trial runs.

(xviii) *M/s. Winsome Textiles Limited, Nalagarh.*—The Company is setting up a textile unit at Nalagarh. The term loans have been provided by all India Financial Institutions. HPMIDC has sanctioned Rs. 60.00 lakhs as direct participation towards its equity capital and a sum of Rs. 17.00 lakhs has been disbursed to the Company.

(xix) *M/s. Himachal Fibres Limited, Barotiwala.*—The Company is setting up a textile unit at Barotiwala. The term loans have been provided by central financial institutions. HPMIDC has sanctioned Rs. 41.00 lakhs as direct participation into their equity capital and a sum of Rs. 2.00 lakhs has been disbursed.

(xx) *M/s. Him Tubes Limited, Kandrori, Kangra.*—The Company is setting up a unit for the manufacture of seamless tubes. HPMIDC has sanctioned Rs. 19.95 lakhs as direct participation into its equity capital and a sum of Rs. 1.00 lakhs has been disbursed. The Company is going into its public issue shortly.

C. *Term Loans Already Sanctioned and Disbursed.*—The HPMIDC has sanctioned and disbursed term loans to the following companies :—

(Rs. in lakhs)

| Name of the unit | Term loans upto November, 1983 | |
|---|---|---|
| | Sanctioned | Disbursed |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. M/s. Shivalik Agro Poly Product | 41.58 | 29.18 |
| 2. M/s. Khanna Watches | 30.00 | 30.00 |
| 3. M/s. Continental Auto | 60.00 | 60.00 |
| 4. M/s. United Diamond | 60.00 | 60.00 |
| 5. M/s. Eicher Farm Machinery | 60.00 | 50.53 |
| 6. M/s. Pronto Steering | 50.05 | 49.02 |
| 7. M/s. Purolator | 13.34 | 2.93 |
| 8. M/s. Yash Pal Garg | 24.70 | 24.70 |
| 9. M/s. Kalima Enterprises | 30.62 | 27.54 |
| 10. M/s. A. B. Tools | 26.00 | 25.22 |
| 11. M/s. Kumar Cylinders | 25.00 | — |
| 12. M/s. Kamla Dials | 60.00 | 56.13 |
| 13. M/s. Himachal Pesticides | 60.00 | 60.00 |
| 14. M/s. Barotiwala Papers | 59.00 | 43.66 |
| 15. M/s. Des Raj Papers | 50.79 | 43.07 |
| 16. M/s. Kraft Paper | 27.45 | — |
| 17. M/s. Sarao Paper | 60.00 | 60.00 |
| 18. M/s. Shell Paper | 19.24 | 11.07 |
| 19. M/s. Lalji Papers | 40.45 | 39.32 |
| 20. M/s. Gupta Brothers | 7.97 | — |
| 21. M/s. Upkar Industries | 10.68 | 9.29 |
| 22. M/s. Navdurga | 48.00 | — |
| 23. M/s. Shivalik Castings | 1.71 | — |
| 24. M/s. R.K. Bhandari | 16.35 | — |
| 25. M/s. United Vanaspati | 60.00 | 60.00 |
| 26. M/s. Tishu and Fibre | 54.36 | 49.68 |
| 27. M/s. Solar Sciences | 31.00 | — |
| 28. M/s. Him Forging | 7.50 | 7.50 |
| 29. M/s. Aradhana Paper | 60.00 | — |
| 30. M/s. Himachal Air Product | 60.00 | 52.75 |
| 31. M/s. H. P. Rubclame | 60.00 | 55.70 |
| 32. M/s. Ogli Paper | 46.00 | 45.21 |
| 33. M/s. Tej Straw | 2.55 | 2.55 |
| 34. M/s. Kanwar Paper | 45.37 | 38.95 |
| 35. M/s. Ruchira Paper | 23.43 | 23.16 |
| 36. M/s. Thirani Chemicals | 6.58 | 5.96 |
| 37. M/s. International Cylinder | 24.80 | — |
| 38. M/s. Himachal Special Steel Tube | 9.71 | — |
| 39. M/s. Adam Papers | 39.60 | — |
| 40. M/s. Ranger Breweries | 11.30 | 11.23 |
| 41. M/s. Village Paper | 26.48 | 21.11 |
| 42. M/s. Kataria Paper | 6.04 | — |
| 43. M/s. Royal Mouldings | 10.00 | — |
| 44. M/s. Mehatpur Paper | 5.37 | — |
| 45. M/s. J. K. Rexine | 15.00 | 10.66 |
| 46. M/s. Kewal Solvents | 18.40 | 8.65 |
| 47. M/s. G.S. Purewal | 30.00 | 30.00 |
| 48. M/s. HPTDC, Shimla | 13.00 | 13.00 |
| 49. M/s. Castin | 13.60 | — |
| 50. M/s. Gagan Reclaimers | 60.00 | — |
| 51. M/s. United Diamonds Limited | 29.00 | — |
| 52. M/s. M & I Watches | 60.00 | 9.84 |
| 53. M/s. Atul Castings | 25.03 | — |
| 54. M/s. Sukhchain & Co. | 42.87 | — |
| 55. M/s. Unitechno Cylinder | 22.30 | — |
| 56. M/s. Pee Gee Enterprises | 60.00 | — |
| 57. M/s. Yamuna Gases | 10.00 | — |
| 58. M/s. Holiday Resorts Private Limited | 31.45 | — |
| 59. M/s. Auto Breakes | 49.90 | — |
| Total | 1953.57 | 1127.61 |

The engineering wing of the HPMIDC is entrusted with the following engineering jobs :—

1. Development of industrial area at different places such as Mehatpur, Paonta Sahib, Bilaspur, Solan, Kullu, Nagrota Bagwan, Mandi, Hamirpur, Chamba and Baddi.
2. Construction of industrial sheds in different industrial areas as detailed above.
3. Construction of district industrial centres at all district headquarters except Keylong and Kalpa.
4. Construction of residential accommodation at various district headquarters for D.I.C.'s (except Kalpa, Keylong & Shimla).

The work is being done on behalf of the Industries department as deposit work and the execution of work has been done so speedily that the industrial areas started functioning within a period of about 3-4 years. The construction work of district industries centres at various district headquarters remained in progress. The survey work of industrial area at Sansarpur Terrace (Kangra) has also been done and the execution work shall be taken up after administrative approval of expenditure is received. The construction work of industrial sheds at industrial area Mandi and Chamba has been started. The total cost

of works in hand at present and already executed are as under :—

(Rs. in lakhs)

| Name of works | Total cost |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. HPMIDC's own works | 43.50 |
| 2. Subsidiary Companies of HPMIDC | 111.00 |
| 3. Industries department | 345.05 |
| 4. Fruit Growers Society, H.P. | 25.00 |
| 5. H.R.T.C. | 7.59 |
| 6. HPSSI & EC Limited | 33.25 |
| 7. Notified Area Committees | 1.70 |
| 8. Handloom & Handicraft Corporation | 6.70 |
| 9. H.P. Co-operative Department | 22.85 |
| 10. Other works | 99.00 |
| 11. Tender works in H.P. | 57.00 |
| Total | 752.64 |

The H.P.M.I.D.C. is registered as 'A' class contractors in Civil Works and contract works amounting to above Rs. 57.00 lakhs were taken up at Parwanoo and Palampur. The construction work of H.P.M.C. at Parwanoo & H.P. Agricultural University, Palampur is in the final stage of completion.

The balance sheet as at 31st March, 1983 and profit and loss account for the year ended 31st March, 1983 are given in tables 3.1 and 3.2, respectively.

## THE HIMACHAL PRADESH MINERAL AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 3.1—Balance sheet as at 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-82 | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | Assets | As at 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sources of funds : | | | Application of funds : | |
| 450.20 | 1. Share capital | 539.70 | 71.31 | 1. Fixed assets including capital work in progress | 70.39 |
| 4.70 | 2. Reserve & surplus | 7.84 | 198.08 | 2. Investment | 248.53 |
| | 3. Loans : | | 875.62 | 3. Current assets, loans and advances | 1254.82 |
| 27.82 | (a) Secured loans | 20.26 | 115.46 | *Less :* Current liabilities and provision | (—)151.03 |
| 574.85 | (b) Un-secured loans | 864.26 | 760.1 | Net Current Assets | 1103.79 |
| | | | 1.48 | 4. Misc. expenditure to the extent not written off | 0.61 |
| | | | 26.54 | 5. Profit & loss account | 8.74 |
| 1057.57 | Total | 1432.06 | 1057.57 | Total | 1432.06 |

## THE HIMACHAL PRADESH MINERAL AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 3.2—Profit and loss account for the year ended on 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Expenditure | 1982-83 | 1981-82 | Income | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| 192.56 | 1. Raw material consumed (including work in progress) | 206.18 | 273.75 | 1. Sales transfer | 301.55 |
| 16.17 | 2. Excise duty | 13.85 | 49.17 | 2. Other Income | 68.25 |
| 68.93 | 3. Manufacturing, selling and administrative expenditure | 76.58 | | | |
| 39.15 | 4. Interest | 50.99 | | | |
| 3.98 | 5. Depreciation | 4.40 | | | |
| 2.13 | 6. Net profit carried down | 17.80 | | | |
| 322.92 | Total | 369.80 | 322.92 | Total | 369.80 |
| — | 1. Balance brought down | — | 2.13 | 1. Balance brought down | 17.80 |
| 0.50 | 2. Provision for gratuity | — | 26.54 | 2. Surplus of the previous year | 8.74 |
| 0.77 | 3. Profit prior to adjustment | — | | | |
| 27.40 | 4. Loss of previous year carried down | 26.54 | | | |
| 28.67 | Total | 26.54 | 28.67 | Total | 26.54 |

# HIMACHAL PRADESH STATE SMALL INDUSTRIES AND EXPORT CORPORATION LTD., SHIMLA

The H.P. State Small Industries & Export Corporation Ltd., was registered on the 20th October, 1966 as a limited company under the Companies Act, 1956. The paid-up-capital of the Corporation as on 31st March, 1983 was Rs. 93.67 lakhs against the authorised capital of Rs. 1.00 crore.

The main function of the Corporation is to promote and develop small industries in the Pradesh by procuring and distributing all scarce, controlled and imported raw materials allotted to the state for distribution to small scale industrial units. The Corporation is engaged in procurement and distribution of coal and cement, supply of machinery on hire-purchase basis, construction of industrial sheds and common facility workshops providing market assistance to industrial units.

The Corporation has framed liberal schemes for industrial units in importing raw materials and providing financial help to them for this. A brief note on the working of the Corporation during the current year is as under :—

1. *Procurement and Distribution*

(i) *Raw Materials.*—The Corporation has so far handled only scarce, controlled and imported raw materials like iron & steel, paraffin wax, LDPE, palm-fatty acid, soda ash, benzene and sulphuric acid. All items are being handled by the Corporation through its depots at Parwanoo, Mehatpur, Kangra, Nahan and Mandi. Benzene and sulphuric acid are being handled through Paonta Sahib Depot only. The Corporation charges a very nominal service charge for this service. The value of these items sold during 1982-83 was of the order of Rs. 90.40 lakhs.

The Corporation has established a new depot at Kandrori which has started functioning and plans to establish a depot at Bilaspur. It is proposed to strengthen the already existing depots at Nahan, Mandi, Parwanoo, Kangra and Mehatpur. The Industries Department has approved the scheme to this effect. The supplies of raw materials to small scale industrial units are made on the basis of their capacity assessed by the Industries Department of the Pradesh.

(ii) *Cement.*—The Corporation is the sole agency for procurement and distribution of cement to industrial sector in the Pradesh. The distribution of cement is being carried through Parwanoo, Mehatpur, Kangra, Nahan, Mandi, Kandrori and Hamirpur depots of the Corporation. The Corporation sold cement worth Rs. 19.34 lakhs, Rs. 27.96 lakhs and Rs. 27.84 lakhs during the years 1980-81, 1981-82 and 1982-83, respectively

(iii) *Coal.*—The quantity and value of steam coal sold to industrial units since 1977-78 are as under :—

| Year | Qty. (MT) | Amount (Rs. in lakhs) |
|---|---|---|
| 1977-78 | 10,600 | 19.01 |
| 1978-79 | 7,161 | 14.12 |
| 1979-80 | 2,683 | 6.45 |
| 1980-81 | 6,003 | 18.02 |
| 1981-82 | 7,931 | 29.45 |
| 1982-83 | 3,840 | 17.59 |

2. *Production.*—The Corporation has established the Pre-Stressed Concrete Poles manufacturing unit, and Paper Conversion Unit at Parwanoo, Hosiery units at Nahan and Chamba and T.V. Tuners manufacturing unit (Himtron) at Chambaghat, Solan. The production and turnover of these units during the past three years are as below :—

(Rs. in lakhs)

| Name of the unit | Production | | | Turnover | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 |
| P.C.C. Poles Unit | 20.93 | 25.24 | 27.88 | 28.68 | 35.49 | 38.36 |
| Paper Conversion Unit | 3.11 | 4.41 | 2.92 | 4.30 | 5.98 | 3.50 |
| Nahan Hosieries | 2.59 | 2.89 | 2.50 | 3.54 | 3.83 | 3.72 |
| Chamba Hosieries | 1.42 | 1.54 | 2.22 | 2.18 | 2.38 | 2.94 |
| Himtron, Solan | 1.90 | 3.37 | 2.46 | 1.18 | 4.73 | 1.56 |

3. *Exports.*—The role of the Corporation in the matter of exports is to make available necessary trade know-how and information connected with trade export and to act as clearing house only. For this purpose the Corporation has obtained membership with F.I.E.O., I.I.F.T. and T.D.A. from whom the trade enquiries from various buyers are passed on to the manufacturers in Himachal Pradesh for exports. The

Corporation was also an agent of the S.T.C. for the export of Kuth roots, the exports of which have now been decanalised due to fall in production.

4. *Marketing.*—The Corporation has launched a comprehensive scheme for rendering marketing assistance to industrial units located within the state and even outside the state. The Corporation has registered itself with D.G.S.&D. and trade enquiries received are being passed on to the industrial units for execution.

5. *Construction of Sheds and Common Facility Workshops.*—Under this scheme 10 sheds were constructed in the industrial area at Paonta Sahib and these have been utilised for the slurry marketing units for the detergent complex. In future, the sheds will be constructed only against firm demands and after financial arrangements are made by the intending entrepreneurs. Presently, there is no such demand and as such no sheds are being constructed.

A sum of Rs. 8.00 lakhs has been provided to the Corporation for the construction of common facilities workshops at various industrial areas in the Pradesh. The construction work shall be taken up soon in consultation with the Directorate of Industries.

The provisional balance sheet as at 31st March, 1983 and profit and loss account for the year 1982-83 are presented in tables 4.1 and 4.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH STATE SMALL INDUSTRIES AND EXPORT CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 4.1—Balance sheet as at 31st March, 1983*

(Rs. in lakhs)

| As at 1-3-82 | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | Assets | As at 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Share Capital : | | 19.07 | 1. Fixed assets | 18.70 |
| 100.00 | (a) Authorised capital | 100.00 | 0.40 | 2. Investments | 0.40 |
| 100.00 | (b) Issued capital | 100.00 | | 3. Current assets, loans and advances : | |
| 83.67 | (c) Subscribed capital | 83.67 | | (a) Current assets : | |
| 83.67 | (d) Called and paid up capital (including subscription towards share capital) | 93.67 | 51.99 | (i) Closing stock (at cost) | 34.75 |
| | 2. Reserves & surpluses : | | — | (ii) Other stores & loose tools | 1.00 |
| | | | 14.85 | (iii) Cash and bank balances and drafts in hand | 3.00 |
| 5.50 | (a) Capital reserves | 5.50 | 85.04 | (iv) Sundry debtors | 62.00 |
| 7.59 | (b) General and other reserves | 4.97 | 0.14 | (v) Interest accrued but not due | — |
| 1.85 | (c) Investment allowance reserve | 1.86 | 54.24 | (b) Loans and advances | 47.33 |
| 29.91 | 3. Secured loans | 5.74 | 0.05 | 4. Miscellaneous expenditure | 0.05 |
| 14.90 | 4. Unsecured loans | 14.70 | | | |
| | 5. Current liabilities and provisions : | | | | |
| 71.37 | (a) Current liabilities | 30.71 | | | |
| 10.99 | (b) Provisions | 10.08 | | | |
| 225.78 | Total | 167.23 | 225.78 | Total | 167.23 |

*Provisional

## HIMACHAL PRADESH STATE SMALL INDUSTRIES AND EXPORT CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 4.2—Profit and loss account for the year ending 31st March, 1983*

(Rs. in lakhs)

| Particulars | 1982-83 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|
| To— | | By— | |
| 1. Opening stock | 49.19 | 1. Sales | 147.52 |
| 2. Raw materials purchased and consumed | 118.36 | 2. Closing stock | 34.75 |
| 3. Salary, wages, bonus, CPF and staff welfare | 13.64 | 3. Profit on sale of raw materials | 5.24 |
| 4. Rent | 0.52 | 4. Interest received | 0.80 |
| 5. Printing and stationery | 0.31 | 5. Miscellaneous income (Truck) | 0.70 |
| 6. Postage, telegram & trunk calls | 0.83 | 6. Net loss | 3.92 |
| 7. Running and maintenance of vehicles | 1.48 | | |
| 8. T.A. and conveyance | 0.93 | | |
| 9. Electricity, water and fuel | 0.40 | | |
| 10. Publicity and advertisement | 0.11 | | |
| 11. Insurance charges | 0.11 | | |
| 12. Entertainment | 0.12 | | |
| 13. Physical verification | 0.06 | | |
| 14. Business promotion | 0.02 | | |
| 15. Repair and maintanance | 0.43 | | |
| 16. Freight, octroi and cooliage | 0.04 | | |
| 17. Legal charges | 0.07 | | |
| 18. Filing fee | 0.01 | | |
| 19. Bank charges | 0.10 | | |
| 20. Discount and commission | 0.15 | | |
| 21. Interest on borrowings | 3.05 | | |
| 22. Audit fee | 0.30 | | |
| 23. Previous years expenses | — | | |
| 24. Investment allowance reserve | — | | |
| 25. Depreciation | 2.70 | | |
| Total | 192.93 | Total | 192.93 |

*Provisional

# HIMACHAL PRADESH STATE HANDICRAFTS AND HANDLOOM CORPORATION LTD., SHIMLA

The Himachal Pradesh State Handicrafts and Handloom Corporation Ltd. came into existence in April, 1974, after its registration on 30th March, 1974, for the promotion and development of handicrafts and handloom industries of the Pradesh. The authorised capital as on 31-3-1983 is Rs. 1.25 crores and paidup capital is Rs. 1.02 crores.

The brief summary of the various schemes undertaken by the Corporation is given in the following paragraphs :—

1. *Revival of Extinct Crafts (Apprenticeship Schemes)*.—The arts and crafts of the Pradesh reflect the cultural heritage of its people. Thus it is essential to revive such crafts which are in a state of extinction. Presently, the Corporation is running 4 apprenticeship schemes under the ancient indian system of "Guru and Chela" at Chamba in metal craft and horse hair products, Manali and Tabo in Thanka paintings.

2. *Skill Generations.*—In order to generate skill for various crafts, the Corporation is running skill generating centres in the Pradesh. The following are the training centres :

(i) Wood carving training centres at Sangla (Kinnaur distt.) and Garola (Chamba distt.).

(ii) Carpet weaving training centre at Garola (Chamba distt.), Kaza (Lahaul-Spiti distt.) and Chango (Kinnaur distt.).

(iii) Dolls making centre at Garkhal (Solan distt.).

(iv) Weaving centre at Sihunta (Chamba distt.)

(v) Blanket and hospital bed sheets weaving training centre at Sihunta (Chamba distt.)

(vi) Blanket weaving centre at Sarahan (Sirmaur distt.).

(vii) Dari weaving training centre, Nahan (Sirmaur distt.)

(viii) Blanket and Dari weaving training centre at Diggal (Solan Distt.).

3. *Pre-Loom, Loom and Post-Loom Facilities to Handloom Weavers and to Other Craftsmen/Artisans.*—The Corporation through its procurement unit schemes procures raw-materials. improved handlooms and accessories and marketable designs and supplies the same to the weavers for conversion of these into woven products against piece-rate-wage system. On an average a weaver working for 8 hours a day earns from Rs. 15 to Rs. 22 per day. This scheme also covers crafts like carpet weaving hand knitted socks and gloves of Lahaul-Spiti distt. and metal crofts etc. At present 9 such units are functioning in the Pradesh one each at Shimla, Kullu, Kinnaur, Hamirpur, Keylong, Kaza, Pangi, Bharmaur and Una.

4. *Production in Workshops.*—Products are also manufactured in the workshops and for this purpose 51 production centres are being run in the Pradesh of which 22 are textile weaving centres, 20 carpet weaving centres, 5 furniture/wooden utensils/toy making centres and one each of footwears, textile, dolls, Chamba rumal embroidery and bamboo work.

5. *Design Development.*—The Pradesh has its own traditions of designs. The old designs are adopted to evolve new designs to suit the modern customers. In this way the traditional designs of the Pradesh find necessary traditional spirit of their's in the designs thus evolved by the Corporation in its Handicrafts and Handloom Design Development Centres at Shimla.

6. *Marketing (Emporia)*.—In order to provide market facilities, the Corporation is running 15 emporia within and outside the State for the sale of its products as well as the products of weavers, craftsmen/artisans both on cash and carry systems.

7. *Exhibitions.*—The corporation organised exhibitions at various places for the sale of handicrafts and handloom products of the Pradesh. It also participates in Expos, International trade fairs, etc. In Expos, for 60 days in an year, it allows 20 per cent Government discount on handloom products. During the All India Handicrafts Week which is held once in a year, the Corporation allows 5 per cent discount on handicrafts items. During the year 1983-84 the Corporation participated in Expos and Trade Fairs and organised exhibitions at India International Fair, New Delhi, Handloom and Khadi Fair, Delhi, All India Industrial Exhibition at Hyderabad, Hill Expo at Delhi and also at Lucknow, Kanpur, Bareily, Calcutta, Shimoga, Ambala, Chandigarh, Pathankot, Tirupati, Yamunanagar, Agra, Bombay and Baroda.

8. *Export.*—The Corporation is making efforts to export its products in the foreign markets.

9. *Publicity.*—In order to highlight the handicrafts and handloom products, the Corporation takes out hand bills, press advertisements, hoardings etc.

10. *Employment.*—The Corporation has provided employment to about 547 persons, 404 persons and 137 persons during the years 1980-81, 1981-82 and 1982-83, respectively. The target of employment for the year 1983-84 is 219 persons.

11. *Annual Plan for 1983-84 and 1984-85.*—A sum of Rs. 43 lakhs and Rs. 46 lakhs has been ear-

marked for the annual plans for 1983-84 and 1984-85, respectively for the Corporation.

12. *Production in Decentralised Sector.*—The Corporation is making all efforts to organise the production in the decentralised sector. A pilot proposal to cover 250 weavers in Kullu area has been prepared. The credit will be arranged to the weavers from the S.B.I. on differential rate of interest. The Corpora toin will supply the raw-materials to the weavers an procure their products. Under this proposal hand loom items worth about Rs. 39 lakhs will be procu red annually.

The balance sheet as at 31st March, 1980 and profi and loss account for the year 1979-80 are given i tables 5.1 and 5.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH STATE HANDICRAFTS AND HANDLOOM CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 5.1—Balance sheet as at 31st March, 1980

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-79 | Liabilities | As at 31-3-80 | As at 31-3-79 | Assets | As at 31-3-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Share capital : | | 7.52 | 1. Fixed assets | 8.96 |
| 100.00 | (a) Authorised | 100.00 | 150.26 | 2. Current assets, loans and advances | 194.57 |
| 42.50 | (b) Issued and subscribed | 60.25 | 0.11 | 3. Miscellaneous expenditure | 0.18 |
| 42.50 | (c) Called and paid up | 60.25 | 11.19 | 4. Profit and loss account | 20.48 |
| 17.75 | (d) Share application money | 16.25 | | | |
| 1.42 | 2. Grants for capital expenditure | 1.62 | | | |
| 12.32 | 3. Reserves and surplus | 12.15 | | | |
| 27.38 | 4. Unsecured loans | 35.62 | | | |
| 67.71 | 5. Current liabilities and provisions | 98.30 | | | |
| 169.08 | Total | 224.19 | 169.08 | Total | 224.19 |

## HIMACHAL PRADESH STATE HANDICRAFTS AND HANDLOOM CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 5.2—Profit and loss account for the year ending 31st March, 1980

(Rs. in lakhs)

| 1978-79 | Particulars | 1979-80 | 1978-79 | Particulars | 1979-80 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| 27.94 | 1. Finished products | 25.82 | 34.80 | 1. Sales | 37.38 |
| 1.10 | 2. Work in progress | 6.86 | 1.34 | 2. Other income | 2.70 |
| 0.75 | 3. By-Products | 0.11 | 25.82 | 3. Finished goods | 45.12 |
| 8.24 | 4. Purchases | 12.89 | 6.86 | 4. Work in progress | 2.89 |
| 13.58 | 5. Raw materials consumed | 16.08 | 0.11 | 5. By-products | |
| 6.88 | 6. Manufacturing expenses | 13.65 | 9.98 | 6. Grant-in-aid | 16.13 |
| 23.62 | 7. Office and administration expenses | 32.30 | 11.40 | 7. Amount transferred to grants for capital expenditure | 0.24 |
| 1.99 | 8. Selling and distribution expenses | 2.97 | 1.52 | 8. Net losses of grant-in-aid units transferred to special reserve account | 0.17 |
| 1.16 | 9. Finance charges | 1.48 | 5.72 | Net loss for the year carried to balance sheet | 9.29 |
| 2.29 | 10. Depreciation | 1.76 | | | |
| 87.55 | Total | 113.92 | 87.55 | Total | 113.92 |

## 6

# HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD, SHIMLA

Himachal Pradesh Housing Board was constituted in 1972 for executing various housing schemes for the general public. Since its inception H. P. Housing Board is busy in implementing the following schemes :—

1. *Social Housing Schemes.*—H.P. Housing Board has set-up social housing colonies at Shimla, Solan, Parwanoo, Nahan, Una, Bilaspur, Mandi, Hamirpur, Palampur and Dharmsala. The target for completion of various units under this scheme for the year 1983-84 is 38. It is expected that all the units will be completed during the current financial year. The targets of completion for the year 1984-85 are 144 houses and 51 plots.

2. *Self Financing Schemes.*—H.P. Housing Board is constructing self-financing schemes at Shimla and Parwanoo with a scope of 478 units of various categories. The target of completion for the year 1983-84 is 182 units. 104 units at Knoll's wood, Shimla have already been completed. Balance target will be achieved in the remaining part of the year.

3. *Govt. Rental Housing Schemes.*—H.P. Housing Board is busy in constructing 364 units of various categories under rental housing scheme for the Government employees at Shimla, Solan, Nahan, Una, Mandi, Hamirpur and Dharamsala. 116 quarters were completed during 1982-83. The target of completion for year 1983-84 is 112. 32 units have since been completed and the remaining 80 units will be completed by March, 1984.

4. *Police Housing Schemes.*—H.P. Housing Board is executing various police housing schemes under rental housing scheme. The various places covered under these schemes are Junga, Shimla, Solan, Parwanoo, Nahan, Una, Bilaspur, Mandi, Kullu, Hamirpur, Palampur, Dharamsala, Sakoh (Dharamsala) and Chamba. The total scope of work is 461 units (223 units under 7th Finance Commission and the remaining 238 units under State Plan). 87 units were completed during 1982-83. The target of completion for 1983-84 is 140 units out of which 82 units have already been completed and the remaining units will be completed by the close of the year 1983-84.

5. *Experimental Housing Scheme at Parwanoo.*—H.P. Housing Board is constructing 48 LIG flats at Parwanoo under experimental housing scheme of National Buildings Organisation, Government of India. Five flats have already been completed during 1982-83. The target of completion for the year is 11 units. The work is in advanced stage of construction.

6. *Deposit Works.*—H.P. Housing Board is executing various deposit works for different organisations. Bachat Bhawan at Hamirpur and Shimla have already been completed and various other works for HIPA and CPRI at Shimla are at advanced stage.

For future planning, H.P. Housing Board is conducting demand surveys. So far we have received 33,686 applications for various type of houses/plots. Action is being taken for acquiring lands at Shimla, Salogra, Solan, Kunihar, Kasauli, Parwanoo, Barotiwala, Nalagarh, Rajgarh, Nahan, Kala-Amb, Paonta-Sahib, Mehatpur, Una, Bilaspur, Sundernagar, Mandi, Kulu-Manali, Hamirpur, Pragpur, Garli, Jawalamukhi, Dharamsala, Kangra, Palampur, Nagrota, Baijnath, Jachh, Shahpur and Chamba.

The balance sheet as at 31st March, 1983 and income and expenditure statement for the year ending 31st March, 1983 are given in tables 6.1 and 6.2, respectively.

# HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD, SHIMLA

## 6.1—Balance sheet as at 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-82 | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | Assets | As at 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.58 | 1. Capital fund | (—)14.47 | 7.06 | 1. Fixed assets | 8.88 |
| 607.80 | 2. Unsecured loans | 534.60 | | 2. Current assets : | |
| | 3. Secured loans : | | 798.13 | (a) Work in progress | 937.77 |
| 80.94 | (a) HUDCO | 152.38 | 129.60 | (b) Stock in hand | 63.48 |
| 8.00 | (b) Union Bank of India | 7.00 | 7.09 | (c) Loans and advances | 10.52 |
| 14.00 | (c) United Commercial Bank | 10.00 | 0.55 | (d) Profit on T&P capitalised | 0.56 |
| 29.62 | 4. Grants and subsidies | 29.62 | 67.45 | (e) Other advance | 72.37 |
| | 5. Current liabilities : | | 21.10 | (f) Cash and fixed assets | 100.24 |
| 22.29 | (a) Deposit works | 28.72 | | | |
| 4.70 | (b) Expenses paybale | 4.32 | | | |
| 256.05 | (c) Other liabilities | 290.00 | | | |
| — | (e) Seed money govt. rental schemes | 151.65 | | | |
| 1,030.98 | Total | 1,193.82 | 1,030.98 | Total | 1,193.82 |

## HIMACHAL PRADESH HOUSING BOARD, SHIMLA

### 6.2—Income and expenditure account for the year ending 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Expenditure | 1982-83 |
|---|---|---|
| | To— | |
| | A. Head office : | |
| 14.34 | 1. Salaries, pension and leave salary contributions | 17.37 |
| 0.74 | 2. Printing and stationery | 0.43 |
| 0.16 | 3. Postage and telegrams | 0.02 |
| 0.99 | 4. Travelling and conveyance | 0.73 |
| 0.66 | 5. Telephone | 0.78 |
| — | 6. G.P.F. | — |
| 1.18 | 7. Car running and maintenance | 1.68 |
| 0.06 | 8. Audit fee | — |
| 3.09 | 9. All other misc. expenses | 2.00 |
| | B. Shimla division : | |
| 6.44 | 1. Salaries, pension and leave salary contributions | 8.32 |
| 0.06 | 2. Printing and stationery | 0.06 |
| — | 3. Postage and telegrams | 0.01 |
| 0.17 | 4. Telephone | 0.12 |
| 0.06 | 5. Travelling and conveyance | 0.08 |
| 0.09 | 6. Medical expenses | 0.08 |
| 2.15 | 7. All other misc. expenses | 1.61 |
| (—)7.73 | 8. Less expenditure charged to work | (—)13.17 |
| | C. Dharamsala division : | |
| 4.30 | 1. Salaries, pension & leave salary contributions | 5.90 |
| 0.02 | 2. Printing and stationery | 0.03 |
| 0.07 | 3. Telephones | 0.11 |
| 0.35 | 4. Travelling & conveyances | 0.41 |
| 0.69 | 5. All other misc. expenses | 0.57 |
| (—)3.68 | 6. Less charged to works | (—)5.58 |
| | D. Parwanoo division : | |
| 6.28 | 1. Salaries, pension and leave salaries contributions | 7.87 |
| 0.15 | 2. Printing and stationery | 0.26 |
| 0.13 | 3. Telephones, postage & telegram | 0.12 |
| 0.32 | 4. Travelling & conveyances | 0.22 |
| 1.00 | 5. All other misc. expenses | 10.75 |
| (—)7.77 | 6. Less exp. charged to works | (—)10.32 |
| | E. Solan division : | |
| 3.04 | 1. Salaries, pension and leave salaries contributions | 4.69 |
| 0.24 | 2. Travelling & conveyance | 0.22 |
| 0.07 | 3. Printing & stationery | 0.09 |
| 0.04 | 4. Telephone expenses | 0.09 |
| 0.39 | 5. All other misc. expenses | 1.13 |
| (—)3.85 | 6. Less charged to works | (—)5.29 |
| | F. Roofing tiles/Bricks plant Paonta Sahib : | |
| 1.04 | 1. Salaries pension & leave salaries contributions | 1.29 |
| 0.01 | 2. Telephone, postage & telegram | 0.06 |
| 0.30 | 3. Travelling & conveyances | 0.26 |
| 10.46 | 4. All other misc. expenses | 9.64 |
| | G. Depreciation : | |
| 0.51 | 1. Head office | 0.57 |
| 0.51 | 2. Shimla division | 0.19 |
| 0.42 | 3. Parwanoo division | 0.55 |
| 0.27 | 4. Dharmsala division | 0.22 |
| 0.02 | 5. Solan division | 0.02 |
| 0.05 | 6. Brick/tile plant Paonta Sahib | 0.04 |
| 37.84 | Total | 44.28 |

| 1981-82 | Income | 1982-83 |
|---|---|---|
| | By— | |
| 0.25 | 1. Interest | 0.17 |
| 0.05 | 2. Sale of lease deed forms | — |
| 14.57 | 3. Miscellaneous receipts | 3.80 |
| 0.20 | 4. Development charges industrial plots at Parwanoo | — |
| 0.54 | 5. Lease rent on industrial commercial plots | 0.29 |
| 0.09 | 6. Misc. fee approval of map and design | 0.07 |
| 0.17 | 7. Sale of application forms | 0.37 |
| 0.07 | 8. Sale of layout plan/maps | 0.07 |
| 0.55 | 9. House rent from Dharmsala/Paonta Sahib/Solan | 0.20 |
| 8.08 | 10. Water Charges from Parwanoo Division | 6.39 |
| — | 11. Rent from rest house | 0.03 |
| — | 12. Rent from staff at Parwanoo | 0.50 |
| | 13. Misc. receipts through roofing tile factory | 0.16 |
| 8.55 | 14. Sale proceeds Paonta factory | 6.12 |
| 0.03 | 15. Interest receipt Solan | 0.01 |
| 4.60 | 16. Deficit taken to balance sheet | 22.04 |
| 0.09 | 17. Water charges Solan | 0.14 |
| | 18. Forefeiture account | 0.87 |
| — | 19. Penal interest | 2.18 |
| — | 20. Choice cost | 0.87 |
| 37.84 | Total | 44.28 |

7

# HIMACHAL PRADESH STATE FOREST CORPORATION LTD., SHIMLA

The Himachal Pradesh State Forest Corporation Limited was set up in April, 1974 with a view to ensure scientific exploitation of forests and to gradually eliminate the practice of sale of forests to the contractors. It was registered under the Companies Act, 1956 on 25th March, 1974 with an authorised capital of Rs. 5 crores. The Corporation started working with effect from 1st April, 1974 with a paid up capital of Rs. 58.00 lacs. Presently the paid up capital of the Company is Rs. 332.12 lacs as on 31-3-1983 which has been paid by the Himachal Pradesh Government by way of cash (Rs. 250.12 lacs) and other assets (Rs. 82 lacs).

*Object*

The main objects of the Corporation are to achieve complete nationalisation of forest working, development of forest based industries and to gradually eliminate the practice of sale of forests to contractors by the end of Sixth Plan (1984-85).

*Achievements*

The achievements of the Corporation are summarised as under :—

1. *Rosin and Turpentine Factories*.

The two government owned Rosin and Turpentine factories at Nahan and Bilaspur with an annual installed capacity of processing of 11,000 tonnes rosin which were previously being managed by the forest department were taken over w.e.f. 1st April, 1974. The entire resin yield of government forests and part of the resin from private forests is being processed in these two factories. Five Rosin and Turpentine factories are also working in the private sector based on resin from private forests allotted to these factories by the government through the Forest Corporation.

2. *Nationalisation in Resin Tapping Operations*

(a) *Government Forests.*—The resin tapping operations of chil pine trees in government forests have been gradually taken over by the Corporation since 1975-76 and complete nationalisation was achieved during 1978-79. During 1981-82 about 30.65 lacs blazes were tapped and during the year 1982-83 about 25 lacs blazes were tapped. The number has gone down due to removal of chil trees by storms and grant to right holders etc. as well as by implementation of the new policy to give rest to some of the over-tapped chil forests.

(b) *Tapping of Private Trees.*—Under the provision of the Himachal Pradesh Resin and Resin Products (Regulation of Trade) Ordinance, 1981 followed by an Act, the H.P. Forest Corporation during 1981-82 purchased the entire production of resin from private areas at Rs. 4.25 per kg. of net resin plus price of containers @ Rs. 4/- to Rs. 6/- per tin at roadhead depots.

During 1982-83 the Government had fixed the price to be paid by forest Corporation at Rs. 5.40 per kg. plus price of tin at Rs. 4/- to Rs. 6/- per tin. The same rates have been approved for 1983-84.

(c) *Research.*—With a view to improve tapping technique, and ensure minimum damage to the trees the Rill method of resin tapping developed by Forest Research Institute, Dehradun is being taken up on trial basis in some government forests during the current season and after studying its economic and other aspects it may be tried on large scale basis from 1984 season to minimise damage to the trees.

3. *Timber Exploitation Works in Government Forests*

(a) To ensure progressive nationalisation of forests working, the following steps have already been taken :—

(i) To start with, one Deodar-Kail lot was taken for working by the Corporation in Kotgarh Forest Division during 1976-77.

(ii) Two departmental extraction divisions located at Kullu and Sawra were transferred to the Corporation w.e.f. 8-6-1978.

(iii) The Corporation took up the working in the low lying areas by starting exploitation of Sal lots in Nahan Forest Division and Chil forests of Hamirpur and Nurpur Forest Divisions in 1979-80. In addition we also took two more high altitude coniferous forests in Chopal and Dalhousie Forest Divisions during 1979-80.

(iv) In 1981-82 it was decided that instead of working on scattered forests all over the Pradesh division-wise nationalisation of works should be initiated. Accordingly all the new forests marked in the nine forest divisions i.e. Kullu, Seraj, Nahan, Rohroo, Chopal, Shimla, Rajgarh, Nachan and Solan were taken up for working. With this shift to concentrate working in each division the Corporation achieved remarkable increase in timber harvesting of standing volume from 20,615 cum. during 1980-81 to 1,33,000 cum. during 1981-82.

(v) For the year 1982-83 the government during February, 1982 ordered nationalisation of timber working in five more Forest Divisions i.e. Kotgarh, Renuka, Seraj, Dalhousie and Sundernagar. Recently working of coniferous forests in five more divisions viz. Karsog, Mandi, Upper Ravi, Nurpur, Kangra have been ordered to be nationalised thus out of 27 Forest Divisions in the State 19 Divisions now stands nationalised and the Corporation has harvested 2,95,000 cum. of standing timber during 1982-83 including 38,000 cum. for 'Geltu' supply for packing cases.

(vi) for the year 1983-84 the Corporation plans to harvest 3 lacs cum. of standing volume.

(b) *Timber Supply to Apple Packing Cases Industries*

During 1982-83 the Corporation harvested 83,000 cum. of standing volume for Geltus (small small logs) Dimdimas (squared scants) and supplied 21.000 cms. to the saw mill owners @ Rs. 220/- per cum. for Geltu and Rs. 270 - per cum. for Dimdimas. This work is being done on no profit no less basis as directed by the H.P. Government. The Corporation has expanded this operation considerably during the current year so as to meet entire requirement of saw mill owners situated within easy reach of motorable roads all over the Pradesh.

(c) *Harvesting of Timber from Private Lands*

To remove mal-practice of unauthorised fellings/over fellings in private owned areas as well as illicit felling in the adjoining government forests on the garb of private sales, the H.P. Government during 1982-83 enacted the Himachal Pradesh Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1982 to regulate the fellings and sale of timber in the private areas. The Corporation estimates purchase of trees worth Rs. 1.15 crores annually from the private owners who will receive fair price for the same.

(d) *Procedure adopted for Harvesting of Timber and Resin*

The basic idea for nationalisation of forest working is to eliminate the practice of sale of standing timber to the forest contractors. Under this system the contractors could indulge in illicit fellings and carry away the illicit timber along with the timber sold to them. In working of the forests by Forest Corporation we are utilising the services of specialised labour rates/petty labour contractors for various forest operations i.e. felling conversion, land carriage, carriage by ropeway, by waterway and final truck carriage from roadhead depots to the sale depots.

4. *Working Results*

The physical and financial achievements of the Corporation during the past few years are summarised in the following table :—

| | Units | 1979–80 | 1980–81 | 1981-82 | upto 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) Resin Units | | | | | |
| (i) Blazes taken over | lacs | 34.09 | 32.12 | 30.66 | 24.92 |
| (ii) Resin extracted | Tonnes | 7544 | 7754 | 6648 | 4909 |
| (b) *Rosin Factories:* | | | | | |
| (i) Resin Processed | Tonnes | 6901 | 8476 | 7245 | 6735.6 |
| (ii) Resin Produced | -do- | 5286 | 6520 | 5517 | 5151.5 |
| (iii) Turpentine Oil | Lac Lts. | 13.66 | 66.68 | 14.47 | 13.48 |
| (iv) Subsidiary Products (Varnish & Phenyl) | -do- | 2.25 | 2.92 | 3.30 | 3.32 |
| (c) (i) *Timber harvesting* | Lac cum standing volume | 0.369 | 0.206 | 1.30 | 2.14 |
| (ii) Geltu : | -do- | — | — | — | 0.81 |
| Total | | 0.369 | 0.206 | 1.30 | 2.95 |
| (d) *Gross sales* | | | | | |
| (i) Rosin & subsidiary products | Rs. in lacs | 384.52 (60.60 T. Oil) | 528.75 | 481.33 | 586.60 |
| (ii) Timber | Rs. in lakhs | 66.84 | 293.63 | 372.91 | 703.06 |
| (iii) Geltus | -do- | — | — | — | 67.37 |
| Total Sales | | 451.36 | 822.38 | 854.24 | 1357.03 |

5. *Sale of Products*

(a) *Timber.*—The Corporation has opened HIM-KASHTH SALE DEPOTS at Parwanoo, Kandrori, Bilaspur, Mantaruwala (Paonta), Bhadroya, Behdala (Una) and Yamunanagar for sale of timber. Timber is sold in these depots by monthly auctions. We are examining the possibilities of opening a timber depot at Delhi on the lines of M.P. and J&K Forest Corporations. The Corporation also supplies timber to railways, defence organisations, government undertakings on pre-determined rates.

(b) *Rosin.*—The rosin despatch depots are located at Barara and Kiratpur railway stations. Price of various grades of rosin are fixed by a consortium of government owned Corporation of H.P., U.P. and J & K for sale to direct consumers i.e. paper, paint, soap etc. industries and small buyers through agents.

Fourteen selling agents have been appointed in arious States in the Country during the year 1982-83 r ensuring maximum turn-over of Corporation proucts and to cover all corners of the country.

(c) *Turpentine Oil.*—The entire turpentine oil roduced in the two Corporation's factories was tied own for supply on pre-determined rates to two Turene Industries viz. M/s. Terpene Industries Pvt. td. Mehatpur and M/s. Himachal Turpene Products vt. Ltd. Kala Amb, situated in the H.P. State. Now e agreement for the M/s. Himachal Turpene Products Pvt. Ltd. Kala Amb has expired and further egotiations are in progress with the firm for further ipply.

(b) *Subsidiary Products.*—The Nahan factory proces high quality phenyl and varnish which have good market both for private buyers and governent departments of H.P., Punjab and Haryana.

(e) *Export Performance.*—The Corporation has exorted rosin to various developed/developing countes of the world such as West Germany, U.S.A., Italy, enya, England, Singapore, Taiwan, Australia and akistan and earned foreign exchange to the value of s. 132.22 lacs upto 31-3-1981. To remove the rplus rosin from internal market and to ensure eady market for our products both at home and oroad the Corporation exported resin worth Rs. 17 cs to Romania during 1982-83.

6. *Forest Based Industries*

The Corporation is going to set-up a pine needle ased fibre board plant (3 tonnes per day 3 shifts apacity) in Palampur Sub-Division for production f apple packing cases with a view to reduce pressure r valuable fir-spruce wood for the same. The proct is being undertaken with the financial help of ndo-German Dhauladhar Project and based on the echnology developed by the Regional Research Laboatory, Jammu.

To facilitate working and raising of loans from nancial institutions, a separate subsidiary named The Himachal Pradesh State Fruit Packing Cases vt. Ltd." has been floated with Rs. 25 lacs as uthorised capital for setting of this pilot project. n successful completion of this project and acceptance of the product by the apple growers, similar plants would be set-up in the chil belt of the Pradesh to further minimise the demand for timber for making apple packing cases.

7. *Profitability*

In the first year i.e. 1974-75, the Corporation earned pre-tax profit of Rs. 1.48 lacs. Thereafter, the Corporation suffered cumulative loss to the tune of Rs. 96.91 lacs upto 1977-78. From the year 1978-79, the Corporation started making profits and has been able to wipe off previous losses.

The year-wise profit commencing w.e.f. 1974-75 to 1982-83 is as under :—

| Year | Gross Sales (Rs. in lacs) | Pre-tax profit/loss (Rs. in lacs) | |
|---|---|---|---|
| 1974-75 . . . | 254 38 | (+) 1.48 | |
| 1975-76 . . . | 203.06 | (—) 29 01 | |
| 1976-77 . . . | 350.84 | (—) 52.63 | |
| 1977-78 . . . | 315.51 | (—) 15.27 | |
| 1978-79 . . . | 307.21 | (+) 25.00 | |
| 1979-80 . . . | 444.01 | (+) 50.00 | Under Audit |
| 1980-81 . . . | 841.12 | (+) 60.00 | |
| 1981-82 . . . | 974.70 | (+) 30 00 | Provisional |
| 1982-83 . . . | 1285.10 | (+) 15.00 | |

8. *Total Nationalisation* :

From 1983-84 onwards all the forest working in Himachal Pradesh will be done by the H.P. State Forest Corporation Limited. This will require considerable resources mobilisation both man-power and finances as well as opening up of new Directorates and Divisions to handle the additional work load. In order to meet the requirement of funds, a proposal to obtain a term loan of Rs. 20.00 crores from NABARD is under negotiation. To start with, it is proposed to have a separate Directorate for organising timber sales by open auction in our existing depots. This Directorate will also handle timber supplies to railways, DGS&D, other government departments and defence industries. The present two territorial Directorates will ensure intensive supervision of exploitation work in field.

The balance sheet as at 31st March, 1980 and profit and loss account for the year 1979-80 are given in tables 7.1 and 7.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH STATE FOREST CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 7.1—Balance sheet as at 31st March, 1980

(Rs. in lakhs)

| Particulars | As at 31st March, 1980 | As at 31st March 1979 |
|---|---|---|
| I. Funds employed : | | |
| 1. Share capital | 279.95 | 279.95 |
| 2. Unsecured loans | 0.47 | — |
| Total | 280.42 | 279.95 |
| II. Application of funds : | | |
| 1. Fixed assets : | | |
| (a) Gross block | 100.48 | 89.27 |
| (b) Less depreciation | 34.68 | 25.61 |
| Net | 65.80 | 63.66 |
| 2. Investment | 0.05 | 0.05 |
| 3. (a) Current assets, loans & advances. | 1081.86 | 809.60 |
| (b) Less current liabilities & provisions | 878.95 | 665.59 |
| (c) Net current assets | 202.91 | 144.01 |
| 4. Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted) | 11.66 | 72.23 |
| Total | 280.42 | 279.95 |

## HIMACHAL PRADESH STATE FOREST CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 7.2—Profit and loss accout for the year 1979-80

(Rs. in lakhs)

| Particulars | 1979-80 | 1978-79 |
|---|---|---|
| I. Income : | | |
| 1. Sales (Net of returns) | 371 83 | 296.38 |
| 2. Subsidy (T. Ci) | 57.72 | 16.10 |
| 3. Other income | 28.50 | 23.52 |
| Total | 458.10 | 336.00 |
| II. Expenditure : | | |
| 1. Materials, manufacturing and other expenses | 327.62 | 307.43 |
| 2. Depreciation | 4.74 | 3.57 |
| 3. Interest to H.P. Govt. | 60.00 | — |
| Total | 392.36 | 311.00 |
| Profit before taxes | 65.74 | 25.00 |
| Provision for taxation | 5.25 | — |
| Balance of profit carried to balance sheet | 60.49 | 25.00 |

# 8

# HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD, SHIMLA

The Himachal Pradesh State Electricity Board was formed under section 5(1) of the Electricity Supply Act, 1948 and started functioning from 1st September, 1971. The main functions of the Board are (i) power generation (ii) transmission and distribution of electricity and (iii) investigation, planning and execution of hydel projects in the Pradesh.

The main sources of the capital receipts of the Board are plan loans from the State Government besides loans from institutional organisations such as Life Insurance Corporation, Rural Electrification Corporation, loans received through floating bonds and deposits from the consumers.

Himachal Pradesh is blessed with immense power potential as all the five major river systems viz. the Chenab, the Ravi, the Beas, the Sutluj and the Yamuna which emanate from Western Himalayas pass through Himachal Pradesh. These snow fed rivers and their tributaries have copius discharge all the year round and flow with steep bed slope in their mountainous reaches. From preliminary hydrological, topographical and geological investigations it has been estimated that above mentioned five river basins can be economically harnessed to generate about 12,345 MW of power. Out of this potential 3307.5 MW has already been harnessed in the Pradesh out of which the projects of 126.52 MW installed capacity are under the control of Himachal Pradesh.

The challenge of exploiting the balance of its vast hydel potential has developed largely on the Himachal Pradesh State Electricity Board. It came into existence in 1971 and since then has taken upon itself an extensive programme of augmenting the power generation in the State. For maximising the utilisation of power the Himachal Pradesh State Electricity Board has simultaneously taken up the construction of suitable transmission and distribution network, rural electrification and the pump sets energisation.

*I. On Going Projects*

At present four generation projects viz. Sanjay Vidyut Parivojna (Bhaba) 120 MW, Andhra Hydel Project (15 MW), Binwa Hydel Project (6 MW) and Rongtong Hydel Project (2 MW) are under execution. On completion, these projects shall generate 562 MU annually enabling Himachal Pradesh to meet its growing energy demand and to help the neighbouring states to the extent possible. All these four projects would be completed by the year 1986-87. The brief details of these projects are given here under:—

(i) Sanjay Vidyut Priyojna (Bhaba) 120MW.—This project is located on Bhaba Khud, a tributary of river Sutluj in Kinnaur district. The estimated cost of this project is Rs. 125.62 crores. The project has an installed capacity of 120 MW and will generate 435 MU annually. The project is targetted to be commissioned during 1986-87.

(ii) Andhra Hydel Project (15 MW).—The project is located on the Andhra Khud in Rohru Tehsil of Shimla district having an installed capacity of 15MW. The estimated cost of the project is Rs. 25.40 crores. The project will generate 89 MU of energy annually. The work on the project was started during 1978-79 and is targetted to be commissioned in 1985-86.

(iii) Binwa Hydel Project (6 MW).—The project is located on the Binwa Khud, a tributary of river Beas in Kangra district. The installed capacity of the project is 6 MW and will generate 29 MU of energy annually. The estimated cost of the project is Rs. 11.76 crores. Work on this project was started during 1977-78 and is likely to be completed in March, 1984.

(iv) Rongtong Hydel Project (2 MW).—The project is located in Lahaul-Spiti, a tribal district of the Pradesh. This project on completion, will provide electricity to the Spiti Valley of the district. The estimated costs of project is Rs. 10.01 crores. The project with an installed capacity of 2 MW will generate 9 MU of power annually. The Project was started during 1977-78 and is scheduled to be commissioned in the year 1985-86.

In adidtion to the above four projects, four more projects are under execution. These are (i) Baner (6 MW) costing Rs. 720 lakhs (ii) Gaj (10.5 MW) costing Rs. 1286 lakhs, (iii) Thirot (8 MW) costing Rs. 434 lakhs and (iv) Chamba augmentation (250 KW) costing Rs. 42.68 lakhs.

*II. Micro Small Projects*

Under the new 20 point programme attention is now being devoted not only to acceleration of development of larger potentialities but also to small micro and mini hydro developments. As already mentioned above three projects namely Gaj, Baner and Thirot have been taken up for execution during 1982-83 alongwith Chamba augmentation scheme (250 KW).

In addition, there are other small projects which have been identified and the work is proposed to be taken up as and when the investigation are complet-

ed. projects are sanctioned and funds are available. The projects for which feasibility report have been submitted to the Central Electricity Authority are as follows :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Khauli | 10.5MW |
| 2. | Sal-I | 8.5MW |
| 3. | Sal-II | 2.25MW |
| 4. | Pangi | 3MW |
| 5. | Ghanvi | 15MW |
| 6. | Sholding | 15MW |
| 7. | Sarvari | 10.5MW |
| 8. | Nauti | 4MW |
| 9. | Minus | 7.5MW |

Besides above, project report for Holi (4.5 MW) and Neogal (4.5 MW) are already under examination with Central Electricity Authority. Thus, Himachal Pradesh has already an organised programme to take up the small|micro projects and in the process of identifying more projects. Further, a long term perspective plan to exploit 5300 MW of hydel potential by the end of the year 1995 has been drawn which is estimated to cost about Rs. 5000 crores. This perspective plan includes following projects :—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Nathpa Jhakri | 1020MW |
| 2. | Kol Dam | 600MW |
| 3. | Baspa | 400MW |
| 4. | Chamera-II | 240MW |
| 5. | Parwati | 1900MW |
| 6. | Karcham Wangtoo | 600MW |
| 7. | Larji | 120MW |
| 8. | Gyaspa | 240MW |
| 9. | Bassi Stage-III | 68.5MW |
| 10. | Dhanwari Sunda | 60MW |
| 11. | Allain | 48MW |
| | Say | 5300 MW |

While the Pradesh proposes to take up the construction of small hydel projects by itself, negotiations are in progress for the execution of medium and large projects in joint collaboration with the neighbouring states.

Against a target of 592 MU generation target for the year 1983-84, 517.92 MU energy has been generated upto Dec. 1983.

*III. Transmission and Distribution*

The Himachal Pradesh State Electricity Board has drawn up a programme for laying transmission lines and sub-station to evacuate power from its own power houses and the State's share of power from BBMB and NHPC. Priority has also been given to transmission lines to feed the industrial load centres which are developing on the periphery of the State.

The following major lines|sub-stations remained in progress during the year 1983-84:—

(i) Construction of 220 KV sub-station at Jessore with 132 KV line from Jessore to Bathri.

(ii) 132 KV line from Giri to Solan with 132 KV sub-station at Solan and Giri.

(iii) 132 KV sub-station at Gagal with 132 KV line from Dehar to Hamirpur.

(iv) 132 KV Giri—Paonta line with 132 KV sub-station at Paonta Sahib.

(v) 66 KV Jutogh-Bhaba line with 66KV sub-station at Guma and Sungra.

(vi) 66 KV Bhakra to Rakkar (Una).

The following are the achievements :—

(i) 132 KV line from Giri to Solan was energised successfully on 12-12-83 and power from Giri power house is being evacuated for Solan area.

(ii) 132 KV Bay at Gagal was energised and connection to cement factory was released on 3-7-83.

(iii) The 18 MVA, 66 KV Bank at Gumma sub-station has been energised and 66 KV line from Gumma to Sungra has been completed and energised at 22 KV.

(iv) 33 KV line beyond Rohtang Pass was energised on 11 KV, which is a unique achievement.

The H. P. State Electricity Board has taken up number of measures to minimise transmission and distribution losses. These include sealing of all the energy meters, replacement of all dead stop/defective meters, checking of power factor of all industrial|agricultural consumers, monitoring of circle feeder wire line losses expediting of completion of 33|11 KV grids|stations and surprise checks of electric connection by flying squads etc. During 1982-83, a target to reduce the transmission and distribution losses to 17.5 percent was fixed which has almost been achieved.

In respect of Transmission and Distribution schemes following targets have been fixed for the year 1984-85:—

(i) 220 KV Jessore sub-station would be completed to utilise power from Baira-Suil. which would also improve the quality of supply in Nurpur tehsil of Kangra distt.

(ii) Considerable work would be carried out on 132 KV Jessore-Bathri line.

(iii) All the major works for 132 KV Solan-Shimla line would be completed.

(iv) The 66 KV line from Bhakra to Rakkar (Una) would be completed and 66 KV sub-station at Rakkar would be commissioned to improve the availability and quality of supply in Una district.

(v) The 33 KV switch yard at 132 KV sub-station at Gagal shall be commissioned to reduce the line losses in Mandi and Bilaspur districts.

(vi) The 66 KV bank and 132 KV Solan sub-section would be commissioned to evacuate more power from Giri Project and part of our share from Yamuna Power Houses from UPSEB.

(vii) Per capita consumption in the State, which stood at 76 units in 1982-83 is likely to increase beyond 90 units during the year 1983-84. The all India average of per capita consumption for the year 1981-82 is 140.65 units per year.

*IV. Rural Electrification* :

There are in all 16,916 inhabited villages in the Pradesh. Out of these 12,794 villages were electrified upto the end of March, 1983 thereby covering 82.8 per cent of the population living in 75.63 per cent villages of the Pradesh. By the end of January, 1984, 13,519 villages were electrified thereby providing electricity to 79.92 per cent villages. During the year 1983-84, 122 pumpsets have been energised upto December, 1983 against a target of 100 pumpsets.

*V. Electrification of Harijan Houses* :

For electrifying 27,000 harijan houses in the Pradesh, a scheme costing Rs. 512 lacs was prepared and submitted to the Government for providing subsidy. During the year 1980-81, a sum of Rs. 50 lacs were sanctioned for the electrification of 2,000 such houses against which 2268 houses were electrified during the same year. During the year 1981-82, electricity facilities was provided to 5,147 harijan houses against a target of 5000 houses. During the year 1982-83, a target of electrifying 5,500 houses was fixed against which 5980, houses were electrified. Target to extend electricity to 3,200 Harijan Houses has been fixed for the year 1983-84 and 4,487 houses have already been electrified upto December, 1983.

The balance sheets as at 31st March, 1983 and consolidated revenue account for the year 1982-83 appear in tables 8.1 and 8.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD, SHIMLA

### 8.1—Balance sheet as at 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-82 | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | Assets | As at 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Capital liabilities: | | | 1. Fixed assets : | |
| 10,393.38 | (i) Loans from State Government | 11,562.38 | 8,118.60 | (i) Capital amount expended on assets . . . | 8,160.27 |
| 5,478.66 | (ii) Loans from others . . . . | 7,516.29 | (—)5.79 | (ii) Written down cost of obsolete and unserviceable assets | (—)7.76 |
| | 2. Reserve and Surplus : | | | | |
| — | (i) General reserve. . . . | — | 736.92 | (iii) Less: Depreciation | 752.45 |
| 675.51 | (ii) Capital reserve . . . . | 854.97 | 8,685.20 | (iv) Capital works in progress | 12,354.64 |
| 39.83 | (iii) Consumer contribution . . | 46.77 | 417.80 | 2. Investments . . . | 560.44 |
| — | (iv) Other reserve . . . | — | | 3. Current assets : . . | |
| | 3. Current liabilities and other liabilities : | | 519.73 | (i) Other operating stores . | 537.99 |
| 2,994.69 | (i) Sundry creditors . . . | 3,756.79 | 603.72 | (ii) Capital stores . . . | 589.73 |
| 162.20 | (ii) Pre-Board formation liabilities . | 162.13 | 541.42 | (iii) Loans and advances . | 648.55 |
| 784.90 | (iii) Miscellaneous liabilities . . . | 1096.60 | 1,200.36 | (iv) Sundry debtors less provision for bad and doubtful debts . . . . | 1611.63 |
| | | | 1,274.48 | (v) Other receivables . . | 1617.94 |
| | | | (—)472.87 | (vi) Cash bank Balances . . | (—)207.86 |
| | 4. Provisions: | | 993.86 | 4. Miscellaneous expenses . | 709.07 |
| — | (i) Provision for income tax payable. | — | | | |
| — | (ii) Provision for dividend on share capital . . . . . | — | | | |
| 515.38 | (iii) Provision for general and contributory provident fund . | 710.54 | | | |
| 95.04 | (iv) Provision for Pension, gratuity and staff benevolent fund . . . | 115.72 | | | |
| 21,139.59 | Total | 25,822.19 | 21,139.59 | Total | 25,822.1 |

# HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD, SHIMLA

## 8.2—Revenue account for the year ending 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| 16.09 | 1. Expenditure on operation and generation stations . . . . | 0.44 | 1761.58 | 1. Sale of power . . . | 2376.15 |
| 87.07 | 2. Excise duty on generation . . | 117.16 | 91.68 | 2. Miscellaneous revenue from customers . . . | 120.05 |
| — | 3. Cost of fuel . . . . . | — | 4.55 | 3. Revenue from trading . | 27.94 |
| 269.54 | 4. Power purchase . . . . | 386.13 | 34.57 | 4. Interest on loans and investment . . . . . | 55.20 |
| 531.01 | 5. Salaries and wages . . . | 657.08 | 33.37 | 5. Miscellaneous receipts | 61.02 |
| 275.97 | 6. Repairs and maintenances . . | 353.26 | | | |
| 421.68 | 7. General administration expenses . | 517.99 | | | |
| — | 8. Depreciation . . . . . | — | | | |
| 324.39 | 9. Recoupment to capital on account of short fall of O&M expenditure met there from in previous year add years . . . . . . . | 608.30 | | | |
| — | 10. Net surplus carried over to net revenue and appropriation account . | — | — | | |
| 1925.75 | Total | 2640.36 | 1925.75 | Total | 2640.36 |

Net revenue and appropriation account

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490.68 | 1. Balance of loss from the last account after recoupment of Rs. 608.30 lakhs | 261.81 | — | 1. Net surplus from revenue account . . . . | — |
| 379.43 | 2. Interest on loans/Bonds etc. other than Govt. loans . . . | 520.31 | — | 2. Subvention from stats Govt. | 226.00 |
| | | | 870.11 | 3. Balance of loss carried over to next account . . | 556.12 |
| 870.11 | Total | 782.12 | 870.11 | Total | 782.12 |

9

# NAHAN FOUNDRY LTD., NAHAN

Nahan Foundry was established by the then Maharaja of erstwhile Sirmaur State in 1875. Initially, the Foundry was known for the manufacture of weights and later on it specialised in the manufacture of bullock-driven and power-driven cane crushers. Besides, the Foundry now manufactures agricultural implements, electric motors, monoblock pumping sets and manhole covers, C.I. soil pipes, G.I. drums, wheel barrows, hydrant posts etc. At the time of merger of Sirmaur State into Himachal Pradesh on 15th April, 1948, it was decided by the Government of India that the Foundry would be owned by the Government and the Maharaja on 50:50 basis. In March, 1952 the share of Maharaja was also purchased by the Government of India. The Nahan Foundry Limited was incorporated under the Companies Act, on 25th October, 1952. Consequent upon the negotiations held in September, 1964, Himachal Pradesh Government was given the administrative control of the Foundry by the Government of India.

On the attainment of Statehood by Himachal Pradesh on 25th January, 1971, the Foundry completely became the property of Himachal Pradesh Government and is now being controlled by a Board of Directors appointed by the Himachal Pradesh Government.

1. *Capital.*—The authorised capital of the Company is Rs. 3.00 crores divided into 30,000 equity shares of Rs. 1,000 each. The paid-up capital of the company stands at Rs. 2,16.50 lakhs divided into 21,650 equity shares of Rs. 1,000 each as at 31st March, 1983.

2. *Working Results.*—Subject to audit, the net loss on the working results of the Foundry during the year 1982-83 is expected to be about Rs. 36.87 lakhs as against a loss of Rs. 12.70 lakhs during the year 1981-82. The loss has been arrived at after making a provision of Rs. 10.66 lakhs towards depreciation and Rs. 15.21 lakhs towards interest as against Rs. 11.03 lakhs towards depreciation and Rs. 14.63 lakhs towards interest during 1981-82. The accumulated loss of the Foundry has thus risen to Rs. 1,83.06 lakhs as against Rs. 1,46.50 lakhs during the year 1981-82. The production figures of major items for the last three are given below:—

| Item | Number | | |
|---|---|---|---|
| | 1980-81 | 1981-82 | 1982-83 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Sugarcane crushers (BD) | 901 | 1,881 | 1,399 |
| 2. Sugarcane crushers (PD) | 222 | 176 | 108 |
| 3. Juice boiling Pans . | 59 | 50 | — |
| 4. Electric motors . . | 507 | 332 | 235 |
| 5. Monoblock and centrifugal Pumps . . . | 837 | 418 | 89 |
| 6. Wheel barrows . . | 386 | 285 | 184 |
| 7. C.I. Soil pipes . . | 2,021 | 763 | 794 |
| 8. Hydrant posts . . | 2,292 | 1,447 | 85 |
| 9. Man hole covers . . | 367 | 342 | 386 |

The tonnage of castings was 1,032 tonnes during the year 1982-83 as against 1,409 tonnes during the year 1981-82. The value of production was Rs. 92.74 lakhs during the year 1982-83 as against Rs. 1,16.56 lakhs during 1981-82 upto December end the Foundry had reached a production level of over rupees one crore while the scales turnover was Rs. 80 lakhs. With this tempo, the Foundry may be able to reduce losses during 1983-84. The Foundry has also entered into an agreement with Rajasthan Government for supply of medium range power motors.

3. *Hiring.*—Income from hiring of sugarcane crushers and juice boiling pans during the year under review was Rs. 29.05 lakhs as against Rs. 41.54 lakhs during the year 1981-82.

4. *Sales.*—Income from sales during the year under review was Rs. 68.04 lakhs as against Rs. 85.20 lakhs during the year 1981-82. The break up of sales for the last three years is as under:—

(Rs. in lakhs)

| Item | 1980-81 | | 1981-82 | | 1982-83 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qty. No. | Amount | Qty. No. | Amount | Qty. No. | Amount |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Cane crusher . . . . . . . . . . . | 1,495 | 24.45 | 2,162 | 51.34 | 1,206 | 33.35 |
| 2. Spare parts . . . . . . . . . . | — | 5.25 | — | 5.28 | — | 3.51 |
| 3. Miscellaneous items and contract jobs . . . . | — | 14.96 | — | 17.56 | — | 19.98 |
| 4. Electric motors . . . . . . . . . . | 452 | 9.43 | 261 | 6.05 | 336 | 6.84 |
| 5. Monoblock and centrifugal pumps . . . . . | 621 | 8.70 | 223 | 4.97 | 272 | 4.36 |
| Total | — | 62.79 | — | 85.20 | — | 68.04 |

5. Employment.—As on 31-3-83 there were 674 permanent employees in the Foundry. The labour relations during the year continued to be cordial.

6. Staff Welfare.—The Foundry provides a dispensary with a qualified doctor and a canteen for its workers. The Foundry also provides safety measures, aprons, safety shoes and uniforms to the workers who are working on hard jobs for attending to heavy machines. The Foundry grants stipends to the children of the deserving employees, milk to hard duty bound employees and monetary relief in distress. The Foundry also helps to run the employees co-operatives society. All the employees of the Foundry have been covered under the Provident Fund Schemes.

The balance-sheet, profit and loss account and manufacturing and sales trading account for the year 1982-83 have been given in tables 9.1 to 9.3, respectively.

## NAHAN FOUNDRY LIMITED, NAHAN

### 9.1—Balance sheet as at 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-82 | | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | | Assets | As at 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.50 | 1. | Share capital | 216.50 | 16.67 | 1. | Fixed assets | 17.83 |
| 60.04 | 2. | Secured loans | — | 0.08 | 2. | Capital works in progress | 0.08 |
| 14.00 | 3. | Unsecured loans | 97.26 | 0.30 | 3. | Investment | 0.30 |
| 53.06 | 4. | Current liabilities and provisions | 54.35 | | 4. | Current assets : | |
| | | | | 81.22 | | (i) Inventories | 86.82 |
| | | | | 36.70 | | (ii) Debtors | 26.87 |
| | | | | 9.62 | | (iii) Cash and bank balances | 11.25 |
| | | | | 34.89 | | (iv) Other current assets . | 30.27 |
| | | | | 9.89 | 5. | Loans and advances | 11.63 |
| | | | | 149.23 | 6. | Miscellaneous expenditure (Losses) | 183.06 |
| 338.60 | | Total | 368.11 | 338.60 | | Total | 368.11 |

## NAHAN FOUNDRY LIMITED, NAHAN

### 9.2—Profit and loss account for the year 1982-83

(Rs. in lakhs

| 1981-82 | | Expenditure | 1982-83 | 1981-82 | | Income | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | To— | | | | By— | |
| 10.10 | 1. | Loss brought forward from manufacturing and sales trading account. | 28.32 | 10.31 | 1. | Gross profit from hiring trading account | 0.60 |
| | | | | 0.15 | 2. | Rent | 0.15 |
| — | 2. | Loss of hiring trading account | — | | | | |
| 13.34 | 3. | Interest to bank and securities | 13.92 | 0.02 | 3. | Interest (Gross) | — |
| 0.06 | 4. | Director's fee and T. A. | 0.05 | 0.37 | 4. | Profit on sale of assets | 0.01 |
| 0.04 | 5. | Insurance of stock | 0.05 | 0.09 | 5. | Miscellaneous income | 2.10 |
| 0.23 | 6. | Government fee on loan guarantee | — | — | 6. | Auction of stores | 2.27 |
| — | 7. | Misc. expenditure written off | 2.73 | 0.06 | 7. | Service after sales | 0.05 |
| | | | | 0.07 | 8. | Sale of stores | — |
| | | | | 12.70 | 9. | Balance net loss carried down | 36.87 |
| | | | | — | 10. | Profit on sale of land | 3.02 |
| 23.77 | | Total | 45.07 | 23.77 | | Total | 45.07 |
| 133.82 | 1. | Balance Brought forward from previous year. | 146.50 | 0.02 | 1. | Excess provision written back | 0.31 |
| 12.70 | 2. | Net loss brought down | 36.87 | 146.50 | 2. | Net loss carried over to next year | 183.06 |
| 146.52 | | Total | 183.37 | 146.52 | | Total | 183.37 |

## NAHAN FOUNDRY LIMITED, NAHAN

### 9.3—Manufacturing and sales trading account for the year ending 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | To— | | | | By— | |
| 53.46 | 1. | Opening stock | 61.50 | 85.20 | 1. | Sales | 68.04 |
| 2.09 | 2. | Purchase of mft. goods | 4.08 | 0.26 | 2. | Packing and insurance (net) | 0.22 |
| 0.75 | 3. | From hiring stock | 0.10 | 17.37 | 3. | Finished goods transferred to hiring stock including tools | 9.81 |
| 50.46 | 4. | Raw material and stores consumed | 37.88 | — | 4. | Finished goods transferred to shops | — |
| 1.35 | 5. | Electricity and power charges | 1.42 | 1.11 | 5. | Over heads on capital addition and development. | 1.40 |
| 3.88 | 6. | Setting and distribution charges | 3.91 | 61.50 | 6. | Closing stock | 67.45 |
| 45.35 | 7. | Salaries, wages and benefits | 49.92 | 10.10 | 7. | Loss carried forward to profit and loss account | 28.32 |
| 1.26 | 8. | Interest on term loan | 1.26 | | | | |
| 5.13 | 9. | Other expenses | 4.36 | | | | |
| 0.17 | 10. | Audit fee and expenses | 0.25 | | | | |
| 3.14 | 11. | Repair and maintenance | 2.78 | | | | |
| 3.32 | 12. | Bonus | 3.51 | | | | |
| 2.26 | 13. | Depreciation of fixed assets and loose tools | 3.05 | | | | |
| 0.38 | 14. | Store written off | — | | | | |
| 1.49 | 15. | Provision for D. A. | 0.61 | | | | |
| 1.05 | 16. | Provision for doubtful debts | 0.61 | | | | |
| 175.54 | | Total | 175.24 | 175.54 | | Total | 175.24 |

# 10

# HIMACHAL PRADESH HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING AND PROCESSING CORPORATION LTD., SHIMLA.

The Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Ltd. was incorporated as a subsidiary company of the Himachal Pradesh Agro Industries Corporation Ltd. under the companies Act, 1956, on 10th June, 1974, with an authorised capital of Rs. 2.00 crores which has now been raised to Rs. 4.00 crores. The paid-up capital as on 31-12-1983 was Rs. 3.27 crores. The Corporation was incorporated to implement the commercial components of World Bank assisted H. P. Apple Processing and Marketing Project under IDA Credit No. 456-IN.

*World Bank Project*

The project outlay initially for both commercial and non-commercial components as envisaged in the Appraisal Report of World Bank was Rs. 16.31 crores. As against this, the actual expenditure was Rs. 17.26 crores. Item-wise detail of the same is given as under :

(Rs. in crores)

| Sl.No. | Item | Amount |
|---|---|---|
| 1. | Marketing/processing facilities (packing/grading houses, coldstorages, processing plant) | 6.33 |
| 2. | Rehabilitation of Delhi cold Storage | 0.27 |
| 3. | Technical assistance & training | 0.27 |
| 4. | Development programme | 0.02 |
| 5. | Project evalution | 0.09 |
| 6. | Road works | 7.42 |
| 7. | Road maintenance equipments | 0.86 |
| 8. | HPMC permanent working capital | 2.00 |
| | Total Project cost : | 17.26 |

The World Bank asisted H.P. Apple Processing and Marketing Project IDA Credit No. 456-IN has been completed successfully. Under the Project, on the commercial side, 10 packing houses together having a capacity to grade|pack 36,000 tonnes of apples in a season, five cold storages specially designed for the fruit storage each having capacity to store 1,000 tonnes of fruits, a fruit processing plant, which has a capacity to process 18,000 tonnes of apples and a cannery to process 400 tonnes of peaches and pears vegetables during the season, rehabilitation of Delhi cold storage and a transhipment centre at Kundli have been set up. All the components have since been commissioned after successful test|trial runs. Outside the project, hpmc has a number of modern infrastructural facilities for post harvest handling of fruit and processing and marketing of fruits and fruit products as well. A processing plant with a capacity to process 1½ tonnes apples per hours has been installed under the Indo German Agricultural Assistance Programme at Jarol. There are two canning units transferred by the State Government to hpmc in Sirmour district which have together a capacity to handle about 50 tonnes of peaches and pears during the season. The hpmc is operating two cold storages, one rented by the Government (rehabilitated under World Bank Project) and another in Bombay owned by the Corporation. It also runs two transit warehouses. The hpmc has also undertaken the manufacture of compost at Solan. In addition to above referred infrastructural facilities, two more packing|grading houses one at Reckong Peo is under construction and another in Bharmour for which the site selection has been undertaken. A Tetra Pak System for packaging juices and juice drinks is being installed at Fruit Processing Plant, Parwanoo. It is a modern aseptic packaging system and will help reducing the packaging cost of juice and drinks. The construction of 11 Kms. length of cableways at Thanedhar and Rohru is in progress.

The Non-commercial components relating to road construction and road maintenance equipment were executed by the State P.W.D. and the funds for Rehabilitation of Delhi Cold Storage, Technical Assistance & Training, Project Evaluation Studies and Development Programmes were channelised through the Department of Horticulture.

The Govt. of India has conveyed its appreciation to the Govt. of H.P. on successful completion of the project and for achieving both physical and financial targets and for full utilisation of IDA Credit of U.S. $ 13.00 Ml. As desired by the Govt. of India, steps have been taken to formulate the 2nd Phase of the Project and to undertake preliminary work. Under the 2nd Phase it is proposed to provide Pectin extraction unit, cableways, controlled atmosphere cold storages, mushroom development, refrigerated vans and tankers, technical assistance, construction of additional packing/grading houses in apple producing areas and in lower hills and additional equipment for existing packing/grading houses to modernise packing and grading.

*Tribal Development Schemes*

HPMC is setting up packing houses in tribal areas, one packing house with a capacity to handle over 50,000 boxes during apple season will be ready for operation in the coming season at Reckong Peo in Kinnaur District. The packing house will be linked with cableways. Another packing house is being set up in Bharmour in Chamba District, which is expec-

ted to be ready in the next apple season. This complex will also be linked with cableways. To complete these projects, the Government has already released Rs. 18.32 lakhs.

*UNDP Button Mushroom Project*

Under the scheme, the Corporation has taken up production of pasteurised compost for growing button mushroom and the same is being marketed. The Corporation is also undertaking marketing of mushrooms.

*Fruit Marketing and Processing Operation*

HPMC undertakes grading|packing of fruits such as apple, peach, pear & plum etc. at the packing houses provides precooling and cold storage facilities in the producing areas. Grading and packing at these units are done on scientific lines by adopting grades and standards established. The Corporation also undertakes forwarding and transit warehousing of the fruits. It has marketing infrastructural facilities developed in the terminal markets of the country.

At the Fruit Processing Plant, Parwanoo set up under the World Bank Project and under Indo-German Project at Jatol, the Corporation has processed 5,000 tonnes of apples and canned 74 tonnes of peaches.

*Marketing of Fruit Products*

The Corporation has built up marketing infrastructure through out the country and has set up 131 Kiosks at Air Ports, Railway Stations, Hospitals and busy marketing centres and Inter State Bus Terminal for the sale of juice at cheaper rates. The total sale of fruit products upto December, 1983 has been of the order of Rs. 88.45 lackhs as against the total sale of Rs. 91.77 lakhs in the previous year.

A Summarised position of marketing of fruits and fruit products undertaken by the Corporation during last year and current year is given below :—

| Sl. No. | Particulars | Unit | 1982-83 | 1983-84 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Handling of boxes | | | |
| | (a) In markets | Lakhs boxes | 1.28 | 1.76 |
| | (b) At Forwarding centre | ,, | 5.45 | 9.82 |
| | (c) At packing/grading houses | ,, | 0.35 | 1.04 |
| 2. | No. of boxes cold stored in producing areas | ,, | 0.09 | 0.35 |
| 3. | Marketing of processed products | | | |
| | (a) Cull fruit processed | Tonnes | 3,000 | 5,000 |
| | (b) Total Sales | Rs. lakhs | 91.77 | 88.45 (upto Dec. 83) |
| 4. | Handling of mushrooms | Kgs. | 1,323 | 12,542 |
| | (a) Purchase of mushroom | ,, | 1,018 | 7,204 |
| | (b) Sale of mushroom | ,, | 300 | 5,215 |
| | (c) Processing of mushrooms | | | |
| 5. | Pasteurised compost trays prepared | No. | 7,239 | 8,136 (upto Dec. 1983) |

The balance Sheet as at 31st March, 1982 and profit and loss account for the year 1981-82 are given in tables 10.1 and 10.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING AND PROCESSING CORPORATION LIMITED, SHIMLA

**10.1—Balance sheet as at 31st, March, 1982**

(Rs. in lakhs)

| Sl. | Particulars | As at 31-3-1982 | As at 31-3-1981 |
|---|---|---|---|
| I. | **Sources of Funds** | | |
| 1. | Share h lders funds | | |
| | (a) Share capital | 300.00 | 240.00 |
| | (b) Advance against share money | 14.00 | — |
| | (c) Reserve and surplus | 73.33 | 73.33 |
| 2. | Loan Funds : | | |
| | (a) Secured loans | 760.06 | 387.92 |
| | (b) Unsecured loans | 50.13 | 5.08 |
| | TOTAL : | 1197.52 | 706.33 |
| II. | **Applications of Funds** | | |
| 1. | Fixed assets : | | |
| | (a) Gross block | 503.75 | 140.72 |
| | (b) Less depreciation | 95.47 | 37.75 |
| | (c) Net block | 408.28 | 102.97 |
| | (d) Capital works in progress | 325.02 | 417.23 |
| | TOTAL: | 733.30 | 520.20 |
| 2. | Investment | 0.01 | 0.01 |
| 3. | Current assets loans and advances : | | |
| | (a) Inventiones | 185.20 | 92.27 |
| | (b) Sundry debtors | 55.33 | 43.52 |
| | (c) Cash and bank balance | 43.29 | 25.95 |
| | (d) Loans and advances | 200.58 | 62.38 |
| | TOTAL: | 484.40 | 224.12 |
| | *Less :* current liabilities and provisions : | | |
| | (a) Liabilities | 178.15 | 108.45 |
| | (b) provisions | 1.00 | — |
| | NET ASSETS | 305.25 | 115.67 |
| 4. | (a) Miscellaneous expenditure to the extent not written off or adjusted | 5.71 | — |
| | (b) Profit and loss account | 153.25 | 70.45 |
| | TOTAL : | 1197.51 | 706.33 |

# HIMACHAL PRADESH HORTICULTURAL PRODUCE MARKETING AND PROCESSING CORPORATION LIMITED, SHIMLA

## 10.2—Profit and loss account for the year ended on 31st March, 82

(Rs. in lakhs)

| Particulars | 1981-82 | 1980-81 |
|---|---|---|
| **INCOME** | | |
| 1. Sales | 119.42 | 76.96 |
| 2. Other incomes | 63.17 | 35.76 |
| | 182.59 | 112.72 |
| **EXPENDITURE** | | |
| 1. Raw-material consumed | 93.18 | 22.23 |
| 2. Workin Progress purchases and finished goods | (—)55.53 | 27.97 |
| 3. Manufacturing, selling and administrative expenses | 76.00 | 37.08 |
| 4. Staff expenses | 44.38 | 24.94 |
| 5. Interest | 29.57 | 3.42 |
| 6. Other charges/expenses | 3.28 | 0.12 |
| 7. Excise duty | 13.18 | 6.29 |
| 8. Lease money | 0.01 | 0.01 |
| 9. Depreciation | 58.78 | 11.23 |
| 10. Net loss on UNDP Mushroom Projects | 0.53 | (—)0.28 |
| | 263.38 | 133.01 |
| Loss for the year | 80.79 | 20.29 |
| Adjustment relating to previous year(s) Net | 2.01 | 1.62 |
| Net loss for the year | 82.80 | 21.91 |
| Deficit of the previous year(s) | 70.45 | 48.53 |
| Balance carried over to Balance Sheet | 153.25 | 70.44 |

# 11

# HIMACHAL PRADESH AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD., SHIMLA

The Corporation was registered on 24th September, 1970 under the companies Act, 1956 with an authorised capital of rupees one crore. The authorised capital as on 31st March, 1983 was Rs. 6.50 crores divided into 6.5 lakh equity shares of Rs. 100/- each.

During the year under report the Government of Himachal Pradesh has further released equity of Rs. 19.00 lakhs towards share capital of the Corporation. A sum of Rs. 24.50 lakhs due from the Government of India share holders as calls in arrears has also been paid. The paid up capital of the Corporation was Rs. 615.00 lakhs on 31st March, 1983. The details of the shares held and paid up as on 31st March, 1983 are as under :—

(Rs. in lakhs)

| Sl. No. | Share holders | Shares held | | Paid up Capital | Calls in arrears |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Number | Value | | |
| 1. | Government of Himachal Pradesh | 4,54,000 | 454.00 | 419.00 | 35.00 |
| 2. | Government of India | 1,96,000 | 196.00 | 196.00 | — |
| | Total | 6,50,000 | 650.00 | 615.00 | 35.00 |

*Financial Results.*—The financial results are as under :—

(Rs. in lakhs)

| Particulars | 1982-83 | 1981-82 |
|---|---|---|
| 1. Profit after charging all expenses excluding depreciation | 21.45 | 13.69 |
| 2. Less : Depreciation | 18.96 | 11.04 |
| 3. Profit before tax | 2.49 | 2.65 |
| 4. Provision for taxation | — | — |
| 5. Net profit | 2.49 | 2.65 |
| 6. Proposed dividend | — | — |
| 7. Carried to general reserve | 4.50 | 3.00 |
| 8. Carried over to next year | 0.52* | 2.53** |

*Inclusive of Rs. 2.53 lakhs of previous year.

**Inclusive of Rs. 2.88 lakhs of the previous year.

The net pre-tax profit was Rs. 2.49 lakhs as against Rs. 2.65 lakhs during the previous year. An amount of Rs. 4.50 lakhs is proposed to be carried to general reserve as against Rs. 3.00 lakhs during the previous year. A sum of Rs. 13.37 lakhs has been transferred from grants and subsidy to capital reserve on completion of the works.

*Turnover and other receipts.*—The gross turnover including income from other sources was Rs. 732.70 lakhs during the year under report as against Rs. 724.62 lakhs during the previous year. The turnover increased by Rs. 8.08 lakhs over that of previous year.

The broad details of the turnover are as under :—

(Rs. in lakhs)

| Particulars | 1982-83 | 1981-82 |
|---|---|---|
| 1. Sales | 556.59 | 545.86 |
| 2. Stocks at close | 105.64 | 155.26 |
| 3. Other income | 65.47 | 18.65 |
| 4. Rent and subsidy | 4.53 | 4.10 |
| 5. Profit on sale of fixed assets | 0.47 | 0.75 |
| Total | 732.70 | 724.62 |

The sales registered an upward trend during the year as compared to last year. Item-wise sales are as under :—

(Rs. in lakhs)

| Sl. No. | Item | Total value of sales | |
|---|---|---|---|
| | | 1982-83 | 1981-82 |
| 1. | Iron and steel | 186.10 | 165.59 |
| 2. | Tractors and power tillers | 38.73 | 63.28 |
| 3. | Tyres and tubes | 80.44 | 66.54 |
| 4. | Fertilizer | 6.29 | 18.87 |
| 5. | Insecticides and pesticides | 13.86 | 1.75 |
| 6. | Implements and spare parts | 29.23 | 31.31 |
| 7. | Batteries | 5.30 | 3.72 |
| 8. | Cement and accoproof | 47.36 | 37.92 |
| 9. | Cattle and poultry feed | 76.80 | 95.23 |
| 10. | A.C. Sheets | 4.73 | 3.10 |
| 11. | Veterinary medicines | 12.37 | 15.04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 12. Nails | | 0.20 | 0.05 |
| 13. Implements etc. (manufactured) | | 30.56 | 31.79 |
| 14. Fodder/others | | 5.47 | 11.67 |
| 15. Plant protection equipment | | 11.04 | — |
| 16. Sugar | | 8.03 | — |
| 17. Mollases | | 0.08 | — |
| | Total | 556.59 | 545.86 |

*Activities*.—The following activities continued to be undertaken by the corporation during the year under report.

(i) *Procurement and Distribution of Tractors*.—The Corporation continued to hold the agency of HMT Zetor tractors for whole of Himachal Pradesh. The Corporation sold 61 tractors and power tillers during the year against 99 during the previous year. The value of tractors and power tillers sold was Rs. 38.73 lakhs as against Rs. 63.28 lakhs of the previous year.

(ii) *Matching Implements and Spare Parts*.—The sale of matching implements and spare parts was Rs. 29.23 lakhs as against Rs. 31.31 lakhs of the previous year.

(iii) *Tyres and Tubes*.—The Corporation sold tyres and tubes of the value Rs. 80.44 lakhs against Rs. 66.54 lakhs of the previous year. The sale has increased by adding the sale of tyres of commercial vehicles.

(iv) *Agro-service-cum-customs Hiring Centres*.—The Corporation is running agro service-um-custom hiring centres at Jachh, Amb, Paonta Sahib, Nalagarh, Kullu, Himirpur and Jawalamukhi. The income from custom cultivation and repairs and transportation was Rs. 4.67 lakhs as against Rs. 3.70 lakhs during the previous year. These centres are also functioning as outlet for the sale of cement, steel and other items of trading.

(v) *Procurement and Distribution of Iron and Steel Material*.—The procurement and distribution of iron and steel material continued during the year. The Corporation sold iron and steel material especially G.C. sheets worth Rs. 186.10 lakhs as against Rs. 165.59 lakhs during the previous year.

(vi) *Cement*.—The Corporation continued to procure and sell cement under free sale. The Corporation sold cement and accoproof worth Rs. 47.36 lakhs as against Rs. 37.92 lakhs during the last year.

(vii) *Cattle and Poultry Feed*.—The Corporation compounded balanced cattle and poultry feed and sold the same worth Rs. 76.80 lakhs as against Rs. 95.23 lakhs of the previous year from both its units at Parwanoo and Jachh.

(viii) *Batteries*.—The Corporation continued to sell Exide batteries mainly for tractors as dealers for Himachal Pradesh. Batteries worth Rs. 5.30 lakhs were sold during the year as against Rs. 3.72 lakhs during the previous year.

(ix) *Warehouses*.—The warehouses at Parwanoo and Jachh continued to be with the Food Corporation of India on rent.

(x) *Veterinary Medicines*.—The Corporation continued to sell veterinary medicines of different Pharmaceutical Companies alongwith feed. Medicines worth Rs. 12.37 lakhs were sold during the year as against Rs. 15.04 lakhs of the previous year.

(xi) *Nails*.—The Corporation registered sales of Rs. 0.20 lakhs against Rs. 0.05 lakhs of the previous year.

(xii) *Agricultural Workshop*.—The agricultural workshop sold fabricated implements worth Rs. 30.56 lakhs during the year. Grant of Rs. 1.00 lakh received in 1980-81 for replacement of machinery was utilised during the year under report.

(xiii) *Agro-service-cum-sales Centres*.—The Board of Directors have approved the opening of Agro service-cum-sales centres at district headquarters and important sub divisional headquarters. To begin with the Corporation opened the service centres at Jawalamukhi, Hamirpur, Maranda (Palampur) Kullu and Chamba. During the year 1982-83 the Corporation opened Agro service-cum-sales centres at Bilaspur, Sainj, Rampur Bushahr and Nagrota Bagwan.

*Loans and Public Deposits*.—The Corporation has contracted term loan of Rs. 236.00 lakhs from the Government of Himachal Pradesh as well as commercial banks for the following projects—

(i) Implements factory at Jachh ;

(ii) Wire drawing unit at Kandrori;

(iii) Cold storage at Calcutta;

(iv) Cold storage at Madras;

(v) Preliminary expenses for alternative packaging of apples; and

(vi) Construction of warehouses and fabrication of metal storage bins.

In order to bridge the gap of working capital requirements, the Corporation had taken a cash credit limit of Rs. 80 lakhs against stores from the State Bank of Patiala.

The Corporation had floated a scheme of Public Deposit. In the scheme investors had contributed Rs. 25.80 lakhs up to 31-3-83 as per details given below :—

(Rs. in lakhs)

| Particulars | No. of Depositors | Amount |
|---|---|---|
| 1. For a period of one year | 59 | 3.29 |
| 2. For a period of two years | 29 | 2.08 |
| 3. For a period of three years | 361 | 20.43 |
| Total | 449 | 25.80 |

The Corporation has prepared project reports for finding alternative packaging for apples and the High Strength Kraft Paper Corrugated Cartons have been identified. The project is awaiting clearance from the Government of India and the Government of Himachal Pradesh.

The Corporation had successfully completed the projects of implements factory at Jachh and wire drawing unit at Kandrori. The work on cold storage at Madras is progressing.

*Subsidiary Company.*—A wholly owned subsidiary company 'Himachal Pradesh Horticultural Produce Marketing and Processing Corporation Ltd. (hpmc) continued to look after the work of marketing, processing, warehousing and storage of apples. The Corporation has subscribed 4 lakh equity shares of Rs. 10( each of the subsidiary company and has paid capita to the tune of Rs. 319 lakhs including Rs. 19 lakh during the year under report.

The relations between the management and the employees remained extremely cordial during the yea under report.

The balance sheet of the Corporation as at 31s March, 1983 and profit and loss account for the yea ending 31st March, 1983 are given in tables 11.1 an 11.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH AGRO-INDUSTRIES CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 11.1—Balance sheet as at 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-1982 | Liabilities | As at 31-3-1983 | As at 31-3-1982 | Assets | As at 31-3-1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Share capital : | | 248.20 | 1. Fixed assets | 395.12 |
| 600.00 | (a) Authorised | 650.00 | 300.27 | 2. Investments | 319.27 |
| 600.00 | (b) Issued and subscribed | 650.00 | | 3. Current assets, loans and advances: | |
| 575.50 | (c) Called and paid up | 615.00 | 194.88 | (a) Current assets | 156.25 |
| 14.00 | 2. Advance against share money | — | 9.41 | (b) Work in progress | 2.80 |
| | 3. Reserves and surplus : | | 49.41 | (c) Sundry debtors and other debts | 51.01 |
| 13.09 | (a) Capi al reserve | 26.46 | | | |
| 37.00 | (b) General reserve | 42.58 | 148.40 | (d) Cash and bank balances | 77.33 |
| 1.08 | (c) Development rebate reserve | — | 193.68 | (e) Loans and advances | 172.11 |
| 6.73 | (d) Investment allowance reserve | 14.40 | | | |
| — | (e) Central investment subsidy reserve | 10.11 | 6.88 | 4. Miscellaneous expenditure | 6.33 |
| 2.53 | (f) Profit and loss account | 0.52 | | | |
| 27.68 | 4. Grant and subsidies from H.P. Govt. | 20.41 | | | |
| 106.46 | 5. Secured loans | 59.03 | | | |
| 200.56 | 6. Unsecured loans | 227.04 | | | |
| | 7. Current liabilities and provisions : | | | | |
| 113.97 | (a) Current liabilities | 116.21 | | | |
| 52.53 | (b) Provisions | 48.46 | | | |
| 1151.13 | Total | 1180.22 | 1151.13 | Total | 1180.22 |

## HIMACHAL PRADESH AGRO-INDUSTRIES CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 11.2—Profit and loss account for the year ending 31st March, 1983

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| 72.04 | 1. Opening stock | 153.06 | 545.86 | 1. Sales | 556.59 |
| 446.24 | 2. Purchases | 346.97 | 3.70 | 2. Service charges | 4.67 |
| 107.37 | 3. Raw material consumed | 97.15 | 155.26 | 3. Closing stock | 105.64 |
| 5.45 | 4. Packing material consumed | 4.58 | 4.04 | 4. Rent | 4.53 |
| 0.78 | 5. Stores consumed | 1.55 | 0.06 | 5. Sundry credit balances and excess provisions written back | 0.09 |
| 9.57 | 6. Labour charges | 11.49 | 11.62 | 6. Interest (Gross) | 4.45 |
| 1.93 | 7. Power and fuel | 3.48 | 0.75 | 7. Profit on sales of fixed assets | 0.47 |
| 0.08 | 8. Workshop expenses | 0.08 | 2.61 | 8. Miscellaneous receipts | 2.16 |
| 0.77 | 9. Excise duty | 1.03 | | 9. Subsidies from State Govt. : | |
| 27.79 | 10. Establishment expenses | 37.94 | — | (a) Against agricultural workshop, Bhangroutu | 7.00 |
| 0.02 | 11. Workers welfare | 0.01 | — | | |
| 1.11 | 12. Repairs and maintenance | 2.19 | — | (b) Against khandsari factory Paonta Sahib | 46.06 |
| 17.68 | 13. Administrative expenses | 25.44 | | | |
| 9.91 | 14. Finance charges | 12.33 | 0.06 | 10. Interest on metal bin loan | 0.21 |
| 0.03 | 15. Preliminary expenses written off | 0.11 | 0.18 | 11. Income from scrap | 0.42 |
| 0.03 | 16. Petty balances written off | 0.05 | 0.01 | 12. Profit on sales of stores | — |
| 3.65 | 17. Selling and distribution | 4.77 | 0.47 | 13. Commission/rebates and discounts | 0.41 |
| — | 18. Donation | 0.01 | | | |
| 1.60 | 19. Other expenditure | 1.33 | | | |
| 11.04 | 20. Depreciation | 18.96 | | | |
| 4.88 | 21. Investment allowance | 7.68 | | | |
| 2.65 | 22. Net profit carried down | 2.49 | | | |
| 724.62 | Total | 732.70 | 724.62 | Total | 732.70 |
| 3.00 | 1. Transferred to general revenue | 4.50 | 2.88 | 1. Balance brought forward | 2.53 |
| 2.53 | 2. Balance carried over to balance sheet | 0.52 | 2.65 | 2. Net profit brought down | 2.49 |
| 5.53 | Total | 5.02 | 5.53 | Total | 5.02 |

12

# HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD., SHIMLA

The Himachal Pradesh Tourism Development Corporation was registered under the Companies Act, 1956, on 1st September, 1972 with an authorised capital of Rs. 2.00 crores which was raised to Rs. 4.00 crores in September, 1978 and was further raised to Rs. 5.00 crores in 1979. The share capital was further raised to Rs. 7.00 crores in 1981. The paid up capital of the Company stood at Rs. 6.69 crores as on 31st December, 1983. This Company was formed by converting the Department of Tourism into a Corporation. All the assets and liabilities owned by the department were also transferred to the Company. Apart from promoting tourism in the Pradesh, the Company was entrusted with all the commercial activities like running of hotels and catering establishments in the State.

The Corporation was established to pursue and achieve the following main objectives :—

1. To establish, develop, promote, execute, operate and otherwise carry out project schemes, business and other activities which are likely to facilitate or accelerate the development of tourism in the Pradesh.
2. To construct, run and maintain tourist information bureaus and centres in the State of Himachal Pradesh and within the country.
3. To edit, design, print, publish, sell or otherwise deal with books, magazines, periodicals, pamphlets, bills, posters, picture cards, diaries, calenders, slides, cinematograph films and other materials for the purpose of giving publicity for the development of tourism.
4. To provide boarding, lodging and transport facilities at the expense of the Company to travel agents, airline representatives and other similar agencies promoting tourist traffic to Himachal Pradesh.

Ever since its formation in 1972, the Corporation has been engaged in creating infrastructure throughout the State so that the flow of tourists registers a further boost. The main emphasis is to create additional accommodation at different places suiting the requirements of different categories of visitors and to provide catering facilities. The Corporation started with 857 beds in 1972 which at present stands at approximately 1800 beds in its hotels and tentage accommodation.

Through the medium of tourism, the State Tourism Corporation aims at achieving the twin objectives of promoting economic growth and social justice. The obvious results of tourism development would be creation of additional wealth, increased employment potential, better living standard, earning of valuable foreign exchange, faster economic development in the State, higher revenue to the State exchequer and providing accommodation, catering and other facilities to all sections of society at reasonable rates.

During the year 1981, the Corporation gave a new direction for the development of tourism and adopted a new policy under which three travel circuits in the State have been indentified for achieving a balanced growth of tourist facilities. The travel circuits are :—

1. Parwanoo-Chail-Kufri-Narkanda-Shimla-Parwanoo.
2. Mandi-Kullu-Manali-Kullu-Manikaran-Kullu-Mandi.
3. Dalhousie-Chamba-Dalhousie-Nurpur-Trilokpur-Gaggal - Dharmsala - Kangra - Jawalamukhi-Kangra - Palmpur - Jogindernagar - Barot - Jogindernagar - Mandi - BBilaspur-Shimla - Bilaspur - Nainadevi - Chandigarh.

The Corporation proposes to develop two more travel circuits which are: (i) Chandigarh-Nahan-Paonta Sahib-Renuka and (ii) Shimla-Kharapathar-Jubbal-Rohru-Narkanda-Shimla.

During the year 1983, the Corporation made serious efforts to give tourism a new direction and adopted a new policy for its promotion keeping in view the immediate as well as future needs of various categories of tourists including pilgrims. Special repairs were carried out in almost all the tourist complexes and a face lift was given to them. Besides, new amenities like furniture, furnishing, linen, crockery etc. were added.

With a view to provide catering facilities to the tourists and other travelling public, the construction work of the two cafetarias on Pathankot-Dharamsala and on Pathankot-Dalhousie road remained under progress.

The Corporation has a full-fledged transport wing. It was further strengthened by adding luxury coaches and imported cars. The Government of India has also given an import licence for importing 6 dieselised air-conditioned cars and 4 air-conditioned units for the luxury coaches.

The Corporation organised/conducted package tours from Delhi, Shimla and Manali during the summer months of year 1983, as also during the winter months of this year from Chandigarh to Bhakra and from Delhi to many places in Rajasthan, Uttar Pradesh and in South India. It also conducted visits of more than 60 foreign groups from Delhi to Lahaul, Rampur

Bushehar, Ani etc. The Corporation has also been organising conducted tours for the tourists from Manali to Rohtang Pass, Naggar and Manikaran and from Dalhousie to Kahjjir etc. It organises regular tours in its luxury coaches from Shimla to nearby places of interest including Chail and Narkanda.

The Corporation also collaborated with the Youth Hostel Association India in organising National Himalayan Trekking Programmes in May and June and again in September and October in the Kullu Valley in which more than 3000 youths from various parts of the country had participated.

The Tourism Corporation is organising 10 days and 21 days duration Ski-courses at Narkanda during the winter months of 1983 and 1984 in collaboration with the Indian Institute of Mountaineering at Gulmarg. It is expected that more than 350 persons from various parts of the country would receive Ski-instructions during the season.

Tourism and hoteliering are highly specialised and competitive business. With a view to raise professional competency of its employees especially of those belonging to the middle and senior levels, the Corporation organised a seminar-cum-workshop in October, 1983 in collaboration with the Institute of Hotel Management, Catering Technology and Applied Nutrition, Bombay. Some local hoteliers also participated in this seminar. The Corporation had also sponsored employees for training in the Institute of Hotel Management and Catering Technology at Bombay and Delhi.

The Corporation commissioned its prestigious hotel named as Hotel Pinewood at Barog on Shimla-Kalka road during 1983. Built at a cost of Rs. 50 lakhs, this hotel provides convention and recreational facilities besides well furnished accommodation. The Corporation also commissioned restaurants at Dhundiara on Pathankot-Dalhousie road and at Trilokpur on Pathankot-Dharamsala road during the year with a view to provide catering facilities to the tourists and travelling public. It also started a restaurant at Panjpula, 2 km. from Dalhousie which is well-known for its scenic beauty. With the commissioning of the hotel at Barog and the two restaurants, the Corporation has made a considerable progress in the development of highway tourism.

In the year 1983, the Corporation gave a big boost to its publicity efforts by way of bringing out new folders, brochures and picture post-cards, as also issuing advertisements in the national and well known regional dailies and tourism magazines. The Corporation also put up its exhibition in the India International Trade Fair and in the Silver Jubilee Celebrations of the Indian Mountaineering Foundation at Delhi and at Ahmedabad and Madras during this year. The result of its publicity and promotional efforts is evident from the increase in the turnover of the Corporation in 1983, by more than Rs. 30 lakhs over the turn-over in 1982.

The Corporation is making efforts to increase its capacity utilization by organising package tours, inviting reputed industrial concerns to hold conferences and conventions and film producers for location shooting by offering rebate on accommodation during winter period and by organising winter sports, etc.

In the year 1984, the Corporation shall be commissioning 3rd phase of the Hotel Holiday Home, Club House at Manali which will be nucleus of recreational facilities in the Kulu valley, restaurant at Renuka and additional accommodation at Paonta Sahib. Construction of the tourist complex at Manikaran and the hotel at Chamba also made considerable progress

To implement various schemes and projects a capital budget of Rs. 362.81 lakhs has been approved for the year, 1984. Some of the major schemes which have been included in the capital budget for this year are construction of a hotel at Chakki near Pathankot, tourist transit accommodation at Shimla, hotel at Delhousie, tourist accommodation at Nahan, Bilaspur and additional accommodation at Hotel Wildflower Hall near Shimla. During this year the Corporation, besides continuing construction of existing hotels, also proposes to spend Rs. 30 lakhs on purchasing new coaches, cars and jeeps for augmenting its transport fleet.

The provisional balance sheet as on 31st December, 1982, and provisional profit and loss account for the year ended December, 1982 have been given in tables 12.1 and 12.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD., SHIMLA

### 12.1—Balance sheet as at 31st December, 1982.*

(Rs. in lakhs)

| Liabilities | As at 31-12-1982 | Assets | As at 31-12-1982 |
|---|---|---|---|
| 1. Share Capital : | | 1. Fixed assets | 413.75 |
| (a) Authorised | 700.00 | 2. Capital works in progress | 12.75 |
| | | 3. Interest accrued but not due | 0.04 |
| (b) paid up | 563.04 | | |
| 2. Subsidy | 9.51 | 4. Stock and store | 10.75 |
| 3. Secured loans | 25.48 | 5. Sundry debtors | 58.00 |
| 4. Unsecured loans | 23.06 | 6. Cash in hand | 1.15 |
| 5. Current liabilities and provisions: | | 7. Bank balances | 12.01 |
| (a) Due to government against expenses incurred | 2.75 | 8. Fixed deposits | 0.40 |
| (b) Advances from customers | 0.88 | 9. Loans and advances | 14.32 |
| (c) Other liabilities | 20.75 | 10. Works advances | 66.14 |
| (d) Sundry creditors | 21.18 | 11. Miscellaneous expenditure | 2.90 |
| (e) Bank over draft | 8.97 | 12. Profit and loss account | 83.41 |
| Total | 675.62 | Total | 675.62 |

*Prvisional.

## HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD., SHIMLA

### 12.2—Profit and loss account for the year ending 31st December,1982

(Rs. in lakhs)

| Sl. No. | Particulars | 1982 | Sl. No. | Particulars | 1982 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *To—* | | | *By—* | |
| 1. | Pay and allowances | 53.69 | 1. | Income from rent | 72.13 |
| 2. | Travelling expenses | 1.66 | 2. | Staff quarters | 0.51 |
| 3. | Medical reimbursement | 0.60 | 3. | Canteen | 72.79 |
| 4. | Leave salary and pension contribution | 0.16 | 4. | Cold drinks | 5.95 |
| 5. | Share of C.P.F. | 3.44 | 5. | Bar | 14.53 |
| 6. | Administrative charges on C.P.F. | 0.21 | 6. | Lift | 3.43 |
| 7. | Insurance charges on C.P.F. | 0.22 | 7. | Vehicles | 41.76 |
| 8. | Bonus/ex-gratia | 3.00 | 8. | Litrature | 0.70 |
| 9. | Provision for canteen | 38.71 | 9. | Sports | 0.74 |
| 10. | Fuel expenses | 8.38 | 10. | Interest | 0.19 |
| 11. | Provision for bar | 10.25 | 11. | Miscellaneous income | 2.98 |
| 12. | Provision for cold drinks | 3.54 | 12. | Grant-in-aid | 15.00 |
| 13. | Literature expenses | 0.51 | | | |
| 14. | Sports expenses | 0.08 | | | |
| 15. | Repair of vehciles | 13.08 | | | |
| 16. | P.O.L. of vehicles | 10.73 | | | |
| 17. | Staff welfare | 2.39 | | | |
| 18. | Water and electricity | 9.26 | | | |
| 19. | Printing and stationery | 2.84 | | | |
| 20. | Postage and telegram | 0.32 | | | |
| 21. | Telephone expenses | 3.71 | | | |
| 22. | Uniform and liveries | 2.33 | | | |
| 23. | News papers | 0.24 | | | |
| 24. | Rent, rates and taxes | 1.48 | | | |
| 25. | Publicity, advertisement and business promotion | 4.93 | | | |
| 26. | Photographic material | 0.38 | | | |
| 27. | Gardening expenses | 0.18 | | | |
| 28. | Toll /token taxes | 0.71 | | | |
| 29. | Corporation guests | 0.34 | | | |
| 30. | Entertainment | 0.40 | | | |
| 31. | Repair of building | 4.23 | | | |
| 32. | Repair of furniture | 0.22 | | | |
| 33. | Other repairs | 1.42 | | | |
| 34. | Training to staff | 0.10 | | | |
| 35. | Expenses of previous year | 0.06 | | | |
| 36. | Washing expenses | 2.18 | | | |
| 37. | Hot and cold weather | 0.27 | | | |
| 38. | Interest on loans | 4.87 | | | |
| 39. | Professional charges | 0.16 | | | |
| 40. | Insurance/registration of vehicles | 0.46 | | | |
| 41. | Audit fee | 0.12 | | | |
| 42. | T.A. to statutory auditors | 0.05 | | | |
| 43. | Preliminary expeneses written off | 0.04 | | | |
| 44. | Gratuity | 0.85 | | | |
| 45. | Depreciation | 27.00 | | | |
| 46. | Miscellaneous expenses | 7.25 | | | |
| 47. | Profit carried over to balance sheet | 3.66 | | | |
| | Total | 230.71 | | Total | 230.71 |

*Provisional.

# 13

# HIMACHAL PRADESH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD., SHIMLA

With a view to remove the bottlenecks coming in the way of an effective and efficient public distribution system which is one of the programmes under the 20-point Economic Programme enunciated by the Govt. of India, the State Government set up an apex level H.P. State Civil Supplies Corporation. The Corporation was registered as a Public Ltd. Company under Companies Act, 1956 on 6th Sept. 1980, with an authorised share capital of Rs. 2 crores which has been enhanced to Rs. 3 crores during 1983.

The Corporation has a paid up capital of Rs. 235 lakhs as on 31st Dec., 1983. At the initial stages in order to meet the working capital requirements of the Corporation, the Commercial Banks namely State Bank of India, State Bank of Patiala, Punjab National Bank and United Commercial Bank had sanctioned cash credit facility to the extent of Rs. 299 lakhs against hypothecation of stocks. This was subsequently enhanced to Rs. 475 lakhs from July, 1982 by the Reserve Bank of India. At present the cash credit facility of Rs. 475 lakhs is available from the following banks :—

1. H.P. State Coop. Bank.
2. State Bank of Patiala.
3. State Bank of India.
4. United Commercial Bank.
5. Punjab National Bank.
6. Punjab & Sind Bank.

It is expected that the magnitude of the operation would be widened to cover other commodities such as Kerosene oil, coal etc. A case to enhance the cash credit limit on the existing terms and conditions to the extent of Rs. 650 lakhs has been sent to the Reserve Bank of India through consortium banks.

*Objective.*—The main objective of the Corporation is to streamline the public distribution system in the State. This is being done by undertaking procurement, supply and distribution of essential commodities to the rural and urban masses through the net work of fair price shops scattered throughout the Pradesh. The Corporation's main endeavour is to maintain the supply line of the essential commodities to general public in the Pradesh and to ensure easy availability of all essential goods at reasonable rates.

*Organisation.*—The headquarters of the Corporation are located in Shimla. The entire Pradesh has been divided into two divisions and the divisional headquarters are located at Dharamsala and Solan. Dharamsala division looks after three areas namely Chamba, Mandi and Dharamsala whereas Solan division is responsible for Solan, Shimla and Nahan areas. The area Managers are responsible for effective maintonance of supply line in their respective areas through a number of wholesale depots which are scattered throughout the Pradesh including tribal belts to cover a wide spectrum of consumers and cater to demand of State Federation, Tehsil Coop. Unions, Primary Agricultural Cooperative Societies and Fair Price Shops. In order to further strengthen the public Distribution System, the Corporation has been asked to enter into the retail trade as well. The Corporation has so far opened 49 retail outlets and proposes to open a few more retail points in the Pradesh. The district-wise position of the wholesale sub wholesale godowns and retail shops is as under:—

| Sl. No. | Name of the Distt. | Whole-sale/sub-whole-sale godowns | Retail outlets (as on 30-9-83) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shimla | 8 | 22 | 30 |
| 2. | Kullu | 4 | — | 4 |
| 3. | Kinnaur | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Mandi | 11 | 7 | 18 |
| 5. | Solan | 6 | 2 | 8 |
| 5. | Bilaspur | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Sirmaur | 9 | 6 | 15 |
| 8. | Kangra | 14 | 5 | 19 |
| 9. | Una | 4 | 1 | 5 |
| 10. | Hamirpur | 4 | — | 4 |
| 11. | Lahaul & Spiti | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Chamba | 9 | 3 | 12 |
| | Total | 73 | 49 | 122 |

This is the first Government Corporation which is experimenting with the idea of paying fixed stipend to salesmen plus commission on sales.

*Review of Operation.*—The Corporation started the effective business from March, 1981. The sales turnover of the Corporation went upto Rs. 2596.31 lakhs during the year 1982-83 as compared to Rs. 1419.98 lakhs last year. It is expected that the sales turnover during the year 1983-84 will touch the figures of Rs. 3000 lakhs. By the end of Dec., 1983 the total sales turnover in the first nine months of the current financial year stood at Rs. 2174.91 lakhs. The commodity-wise and year-wise sales during the year 1981-82, 1982-83 and 1983-84 (upto Dec., 1983) is as under:

(Rs. in lakhs)

| Name of Commodity | 1981-82 | 1982-83 | 1983-84 (upto Dec. 1983) |
|---|---|---|---|
| 1. Levy sugar | 619.04 | 809.22 | 617.50 |
| 2. Rapeseed oil | 313.83 | 310.65 | 232.26 |
| 3. RBD palm oil | 176.20 | 338.87 | 293.67 |
| 4. Rice | 8.77 | 360.71 | 419.20 |
| 5. Wheat atta | 205.09 | 408.47 | 141.60 |
| 6. Pulses | 19.57 | 37.73 | 11.03 |
| 7. Cloth | 42.37 | 100.07 | 104.47 |
| 8. Salt | 3.60 | 4.15 | 5.20 |
| 9. Cement | — | 180.00 | 305.65 |
| 10. Exercise books | 5.78 | 19.45 | 15.44 |
| 11. Others | 25.73 | 26.99 | 28.89 |
| Total | 1419.98 | 2596.31 | 2174.91 |

The provisional balance sheet as at 31st March, 1983 and profit and loss account of the Corporation for the year 1982-83 are given in tables 13.1 and 13.2 respectively.

## HIMACHAL PRADESH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LIMITED, SHIMLA

### 13.1—Balance sheet as at 31st March, 1981*

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-1982 | Liabilities | As at 31-3-1983 | As at 31-3-1982 | Assets | As at 31-3-1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.00 | 1. Share capital | 165.00 | 9.69 | 1. Fixed assets | 16.82 |
| 0.07 | 2. Reserve and Surpluses | 0.63 | — | 2. Investments | — |
| 204.69 | 3. Secured loans | 389.19 | 438.80 | 3. Current assets, loans and advances | 627.12 |
| 10.00 | 4. Unsecured loans | 10.00 | 0.37 | 4. Miscellaneous expenditure | 0.32 |
| 114.10 | 5. Current liabilities and provisions | 79.44 | | | |
| 448.86 | Total | 644.26 | 448.86 | Total | 644.26 |

*Subject to audit.

# HIMACHAL PRADESH STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION LTD., SHIMLA

## 13.2—Profit and loss account for the year ended on 31st March, 1983*

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | *TO—* | | | *By—* | |
| 25.88 | 1. Opening stock | 139.09 | 1427.27 | 1. Sales | 2625.70 |
| 1612.94 | 2. Purchases | 2610.12 | 207.98 | 2. Amount reimbursed by State Govt. (Subsidy) | 99.21 |
| 72.11 | 3. Expenditure reimbursed (subsidy) | 98.91 | | | |
| 2.83 | 4. Freight, transport and handling charges | 1.10 | — | 3. Freight subsidy received from STC | 14.49 |
| 12.50 | 5. Salaries | 20.30 | — | 4. Shortage recovered | 1.57 |
| 2.69 | 6. Salesmen commission | 6.65 | 0.72 | 5. Miscellaneous income | 0.93 |
| 0.27 | 7. Staff welfare | 0.83 | 0.01 | 6. Interest | 0.18 |
| 0.03 | 8. Uniforms and liveries | 0.08 | 0.25 | 7. Commission | — |
| — | 9. Provident fund contribution | 0.02 | 1.82 | 8. Claims | 1.28 |
| 0.88 | 10. Ex-gratia | 0.64 | 139.09 | 9. Closing stock | 224.64 |
| — | 11. Bonus | 1.16 | | | |
| 0.33 | 12. Medical reimbursement | 0.34 | | | |
| 4.11 | 13. Travelling expenses | 4.91 | | | |
| 0.39 | 14. Electricity and water | 0.37 | | | |
| 0.97 | 15. Repairs and maintenance | 3.13 | | | |
| 1.40 | 16. Postage, telephone and telegram | 1.96 | | | |
| 2.04 | 17. Printing and stationery | 2.74 | | | |
| 0.07 | 18. Newspapers and periodicals | 0.08 | | | |
| 0.01 | 19. Filing fee | 0.02 | | | |
| 5.60 | 20. Rent | 13.45 | | | |
| 0.01 | 21. Rates and taxes | 0.01 | | | |
| 0.75 | 22. Insurance | 1.56 | | | |
| 0.52 | 23. Business promotion | 0.71 | | | |
| — | 24. Exhibition expenses | 0.01 | | | |
| 0.26 | 25. Advertisement and publicity | 0.33 | | | |
| 24.98 | 26. Interest and bank charges | 52.09 | | | |
| 0.12 | 27. Auditors remuneration | 0.30 | | | |
| 0.30 | 28. Legal and professional charges | 0.44 | | | |
| 0.79 | 29. Miscellaneous expenses | 0.82 | | | |
| — | 30. claims written off | 1.03 | | | |
| 0.05 | 31. Preliminary expenses written off | 0.05 | | | |
| 1.58 | 32. Depreciation | 3.35 | | | |
| 0.05 | 33. Provision for income tax | 0.60 | | | |
| 2.68 | 34. Profit carried down | 0.80 | | | |
| 1777.14 | Total | 2968.00 | 17,77.14 | Total | 29,68.00 |

### Profit and Loss appropriation account

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1. Expenses pertaining to previous year | 1.28 | (—)2.59 | 1. Balance brought forward from previous year | 0.06 |
| 0.06 | 2. Balance carried to balance sheet | 0.63 | 2.67 | 2. Profit brought down | 0.80 |
| | | | — | 3. Income relatingt to previous year | 0.65 |
| | | | — | 4. Shortage recovery | 0.40 |
| 0.08 | Total | 1.91 | 0.08 | Total | 1.91 |

*Subject to audit.

# 14

# HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION, SHIMLA

The Himachal Road Transport Corporation was constituted on 2-10-1974, after the amalgamation of the then existing Himachal Govt. Transport and Mandi Kullu Road Transport Corporation, which were both Government undertakings. This was done to provide quick, efficient, economical and adequate transport facilities to the public. At present nearly 82 per cent of the passenger transport is nationalized in Himachal Pradesh, while the goods transport is mainly in the hands of private operators.

The H.R.T.C. has 19 operating units/sub-units at present, with their headquarters at Nahan, Parwanoo, Rampur, Rohroo, Shimla (Dhalli), Shimla (local), Tapri, Bilaspur, Kullu, Mandi, Baijnath, Chamba, Dharamsala, Hamirpur, Pathankot, Una, Nalagarh, Sarkaghat and Lahaul & Spiti (Kelong). There is one divisional workshop and one denominational ticket cell at Taradevi. To exercise eeffctive control on operating units 3 diivsional offices headed by Divisional Manager are functioning with their headquarters at Shimla, Mandi and Dharmsala. At present the Corporation has a fleet of 1189 vehicles comprising of 1133 buses, 15 trucks and 41 cabs and other vehicles. This year, uptil 31-12-83, 155 new buses and 2 cabs have been added to the fleet and 70 more buses are likely to be added during this year. During the year 1984-85, it is proposed to add 125 buses depending on the availability of funds.

The Corporation is running buses on about 811 routes out of which 227 are Inter-State routes and 584 are Intera-State routes. During the current year new bus services have been introduced/restarted on 66 routes and services on 96 routes have been extended so far in order to provide better services to the public. Video fitted deluxe/semi deluxe|ordinary services on Sungra-Delhi, Dharamsala-Delhi, Chamba-Delhi, Mandi-Delhi and Shimla-Delhi have been started to make the journey more enjoyable.

It is anticipated that H.R.T.C. buses will cover approximately 675 lakh kms. during the current year as against 644 lakh kms. last year. The H.R.T.C. buses are anticipated to carry 560 lakh passengers during the current year against nearly 527 lakh passengers carried last year. The route kilometrage on which our services are operating is likely to be 0.88 lakh kms. at the close of the current year as against 0.85 lakh kms. as on 31-3-1983.

The Corporation is paying special attention to provide trouble free services to the public. The proper maintenance and upkeep of vehicles and timely servicing and attending to defects of vehicles is being ensured. The incidence of breakdowns per 10,000 kms. is 0.67 during the current year. This is creditable when compared with All India average figures of State Road Transport Undertakings which is nearly 1.4.

All possible steps have been taken to reduce the number of accidents and to make the travel in our buses safe. The incidence of accidents per one lakh kms. during the current year is 0.30. The All India incidence of accidents of State Road Transport Undertakings is nearly 0.90. Immediate medical relief is arranged for the injured etc. whenever an accident takes place. Also relief on the spot in the form of ex-gratia grant is given to those who are injured and hospitalized and to the heirs of those who die in the accidents. Besides, the passengers insurance scheme, according to which, in case of death in accident within Himachal Pradesh, a sum of Rs. 20,000 is paid to the legal heirs of the deceased. Also in case of those losing limbs as a result of accident, a graded amount upto Rs. 10,000 is paid, depending upon the extent and nature of loss of the limbs.

During the current year, it is anticipated that the income of the Corporation will be approximately Rs. 2530 lakhs against Rs. 2205 lakhs (provisional) during last year. The per kms. income during 1983-84 is anticipated at Rs. 3.68 against Rs. 3.37 during the last year showing an increase of 31 paise per km. To boost up income, the following measures have also been taken :—

(i) Line Inspectors have been posted at important palces who check buses running within their jurisdictions.

(ii) Special checking of buses is being carried out through special squads accompanied by Officers of Head-Office, D.M. Offices and Regional Offices.

(iii) Flying Squads have been deployed at important places. These flying squads conduct surprise checking under direct control of the officers of Head Office.

(iv) The performance of the checking staff is closely watched and where it is found deficient, action against the checking staff is being taken so that the quality of checking improves.

(v) A survey of income on various routes is being carried out so that normal expectancy of income could be known and actual income obtained can be compared with that, not only to plan checking of vehicles more effectively but also to identify bad elements amongst conductors.

(vi) Constant review of operational income is being under-taken to make all concerned highly conscious in this regard.



1 HP 83 —20

The expenditure has been controlled, strict watch is being kept over consumption of diesel, oil and lubricants, tyres and tubes and spare parts. The working efficiency of the workshop both regarding output and quality has been improved. The purchase system has been streamlined to make purchase economical and store inventory is being kept low. Maximum use is taken from the tyres before these are scrapped by increasing the retreadability and keeping a check on average life obtained from tyres. The issue of spare parts is being scrutinized so that expenditure is kept minimum. All out-efforts to cut down the detention of vehicles in the workshop and to increase the utilisation are being made. During the quarter ending September, 1983, utilisation of buses was 94.8 per cent against an operational utilisation of 92.0 per cent for 1983-84 approved by the Planning Commission.

It is anticipated that the per km. expenditrue during the current year will be Rs. 4.08 against Rs. 3.83 last year. This increase in per km. expenditure is directly attributable to the increase in prices of some items as sundry stores, increase in average price per bus operating and increase in wages of employees on account of grant of additional dearness allowance instalments to them and other fringe benefits. Normally, on account of these factors there could have been about over 7 per cent increase in per km. expenditure but on account of better control, the same has been contained. A loss of Rs. 275 lakhs is expected during the current year against a loss of Rs. 300 lakhs (provisional) during 1982-83.

The Corporation is paying due attention to provide the amenities to the travelling public in the form of construction/maintenance of the bus stands with proper facilities. The main construction works executed/undertaken or likely to be undertaken during the current year are as under :—

1. Construction of bus stand at Dharamsala.
2. Providing of water supply scheme at Dharamsala.
3. Construction of bus stand at Rampur.
4. Construction of bus stand at Swarghat.
5. Construction of workshop and administrative block at Chamba.
6. Construction of Service dug, boundry wall and other miscellaneous works at Nahan.
7. Construction of workshop at Rampur.
8. Construction of workshop at Rohroo.
9. Construction of workshop sheds at Dhalli.
10. Construction of workshop sheds at Baijnath.
11. Construction of workshop at Nalagraph.
12. Construction of workshop at Kullu.

Concessional fare facilities are allowed to certain categories such as Central Government Staff, State Government employees and students etc. Concession of 50 per cent in fare is being given to students going on educational, sports or cultural meets. Blind and handicapped persons are being allowed free travel in H.R.T.C. buses. Free travel facility is also being given to journalists.

The welfare of the employees is also being properly taken care of. Various labour laws are being implemented and benefits and concession to which the workers are entitled under these laws, are being provided to them. In case of any accident or death, necessary relief is granted to the workers or to their legal heirs. Works Committee have been constituted in the units to improve the working conditions of the workers. Sports and cultural activities are being organised. The teams of the Corporation participated in the Volley Ball tournaments at the State level and won the championship. Medical facilities, leave travel concessions and employment to the nearest relation of the deceased employees are being provided.

Residential accommodation has been provided at Tara Devi, Baijnath, Bilaspur, Nahan and Dharmsala to some of the workers. It is proposed to extend this facility further to the employees at other places. The workers have been paid statutory bonus @ 8.33 per cent for the year 1982-83. The relations between the management and the workers remained cordial during the year under review.

The balance sheet as at 31-3-82 and profit and loss account for the year 1981-82 are given in the tables 14.1 and 14.2, respectively.

## HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION SHIMLA

### 14.1—Balance sheet as at 31st March, 1982

(Rs. in lakhs)

| 1980-81 | Liabilities | 1981-82 | 1980-81 | Assets | 1981-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Capital Contiibution : | | | 1. Fixed Assets : | |
| 10,75.23 | (a) Himachal Pradesh Govt. | 12,90.23 | 132.50 | (a) Land and buildings | 201.31 |
| 369.57 | (b) Central Government (through Northern Railway) | 432.57 | 13,48.31 | (b) Vehicles | 15,97.49 |
| | | | 7.99 | (c) Furniture & fixture | 9.28 |
| | 2. Loans : | | 3.48 | (d) Misc. office equipment | 3·58 |
| 7.00 | (a) From H.P. Govt. | 7.00 | 17.13 | (e) Tools and plants | 19.13 |
| 1.11 | (b) Advance from Northern Railway | 1.11 | 9.23 | (f) Deposit works | 1.80 |
| 39.35 | (c) From Nationalised banks | 77.74 | 10.94 | (g) Work in progress | 11.42 |
| | 3. Reserve and Funds : | | 134.54 | 2. Investment | 227.72 |
| 562.55 | (a) Depreciation reserve fund | 794.71 | 532.78 | 3. Current assets | 508.72 |
| 1.56 | (b) Motor transport reserve fund | 2.88 | 476.59 | 4. Loss | 919.63 |
| 0.07 | (c) Labour welfare fund | 0.07 | | | |
| 23.68 | (d) General provident fund | 49.79 | | | |
| 122.14 | (e) Contributory Provident Fund | 183.96 | | | |
| 14.00 | (f) Pension and gratuity fund | 16.00 | | | |
| 14.22 | 4. Deposits | 18.62 | | | |
| | 5. Current Liabilities and provisions : | | | | |
| 438.16 | (a) Liabilities | 620.63 | | | |
| 4.85 | (b) Provisions | 4.77 | | | |
| 26,73.49 | Total | 35,00.08 | 2,673.49 | Total | 35,00.08 |

## HIMACHAL ROAD TRANSPORT CORPORATION, SHIMLA

### 14.2—Profit and loss account for the year 1981-82

(Rs. in lakhs)

| 1980-81 | Expenditure | 1981-82 | 1980-81 | Income | 1981-82 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| | A. Operating Expenses : | | | A. Operating revenue : | |
| 281.09 | 1. Traffic | 318.03 | 1,374.67 | 1. Passengers' less refunds | 16,72.26 |
| 917.50 | 2. Repairs and maintenance | 1,252.08 | 7.35 | 1. Postal mail services | 6.76 |
| 83.04 | 3. Licences and taxes | 90.35 | 2.68 | 3. Out agencies | 1.75 |
| 17.48 | 4. Welfare and superannuation | 18.86 | 22.08 | 4. Goods booking | 12.48 |
| 183.29 | 5. General administration expenses | 221.82 | 238.02 | 5. Other revenue | 108.08 |
| 191.28 | 6. Depreciation | 256.97 | 42.88 | 6. Operating loss carried down | 368.99 |
| 14.00 | 7. Compensation and claims etc. | 12.21 | | | |
| 16,87.68 | Total | 21,70.32 | 16,87.68 | Total | 21,70.32 |
| 42.88 | Balance operating loss brought down | 368.99 | — | Operating profit brought down | — |
| | B. Non-operating expenses : | | | B. Non-Operating revenue : | |
| 87.97 | 1. Interest on Capital /Loans | 104.60 | 19.01 | 1. Other revenue | 30.55 |
| — | 2. Profit carried to balance sheet | — | 111.84 | 2. Loss carried over to balance sheet | 443.04 |
| 130.85 | Total | 473.59 | 130.85 | Total | 473.59 |

# 15

# HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION, HAMIRPUR

Himachal Pradesh Ex-Servicemen Corporation was established under H.P. Ex-Servicemen Corporation Act, 1979. The Corporation actually started functioning from 25th August, 1981. The main activities of the Corporation are arranging loans for the ex-servicemen through Banks and other Government financing institutions for their rehabilitation in civil life. The finances of the Corporation come from the Government in the shape of annual grant. So far the Corporation has received Rs. 30.50 lakhs from the Government as detailed below:—

(Rs. in lakhs)

| Year | Amount |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1980-81 | 0.50 |
| 1981-82 | 10.00 |
| 1982-83 | 10.00 |
| 1983-84 | 10.00 |

Initially the Corporation started advancing loans directly to the ex-servicemen, but subsequently in order to cover a larger population of the ex-servicemen with the limited resources, the Corporation entered into tie-up arrangements wth the various banks for advancing loans to the ex-servicemen whereby the Corporation undertook to advance only margin money loans to the loanees and pay interest subsidy so as to bring the interest rates charged by the banks at par with the Corporation's rates of interest which are as below :—

**Corporation Rate of Interest**

| Loan amount | Income of applicant | Interest |
|---|---|---|
| Upto Rs. 3000/- | Rs.3,600/- and below | 2% |
| Rs. 3001/- —10,000/- | Rs. 3601/- —5,600/- | 4½% |
| Rs. 10,001/- —15,000/- | Rs. 5,601/- —7,600/- | 6% |
| Rs. 15,001/- —30,000/- | — | 7½% |
| Above Rs. 30,000/- | — | 10% |

In the year 1981-82 and first part of 1982-83, the Corporation advanced direct loans worth Rs. 3.56 lakhs. Thereafter, the banks started advancing loans and upto 30th November, 1983 the banks advanced loans of different types worth Rs. 108.79 lakhs whereas the Corporation gave margin money loans amounting to Rs. 5.36 lakhs. In addition to this the Corporation has given interest subsidy to the tune of Rs. 0.35 lakh. The position of loans upto 30th November, 1983 may be seen in the table given below:—

| Name of the Project | Direct loans given by the Corporation | | Margin money advanced by the Corporation | | Interest Subsidy advanced by the Corporation | | Cases sanctioned by the banks | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cases | Amount (Rs. in lakhs) | Cases | Amount (Rs. in lakhs) | Cases | Amount (Rs. in lakhs) | No. | Amount (Rs. in lakhs) |
| **1981-82** | | | | | | | | |
| 1. Various types of projects | 22 | 1.32 | — | — | — | — | — | — |
| Total | 22 | 1.32 | — | — | — | — | — | — |
| **1982-83** | | | | | | | | |
| 1. Various types of projects | 33 | 2.24 | — | — | — | — | — | — |
| 2. For trucks | — | — | 24 | 3.49 | — | — | 29 | 54.42 |
| 3. For other Vehicles | — | — | — | — | — | — | 2 | 1.32 |
| 4. For Projects other than Vehicles | — | — | — | — | — | — | 21 | 1.37 |
| Total | 33 | 2.24 | 24 | 3.49 | — | — | 52 | 57.11 |
| **1983-84 (Upto 30-11-1983)** | | | | | | | | |
| 1. For trucks | — | — | 13 | 1.46 | 17 | 0.32 | 22 | 38.79 |
| 2. For other Vehicles | — | — | 7 | 0.35 | 1 | 0.01 | 9 | 7.03 |
| 3. For Projects other than Vehicles | — | — | 1 | 0.06 | 12 | 0.02 | 69 | 5.86 |
| Total | — | — | 21 | 1.87 | 30 | 0.35 | 100 | 51.68 |
| Grand Total | 55 | 3.56 | 45 | 5.36 | 30 | 0.35 | 152 | 108.79 |

As more and more applications are pouring in for truck loans, the Corporation is trying to arrange work for them with the ACC factory at Gagal (Bilaspur) and as soon as the production of cement starts the Ex-Servicemen Transport Union, a wing of this Corporation set up with head office at Bilaspur, will get a share in carriage contract of cement and other allied items of ACC factory at Gagal. It is thus expected that about 100 trucks per day of the ex-servicemen will get work.

The Corporation has framed another scheme for raising forest nurseries by the ex-servicemen in the Pradesh in consultation with the Forest department and so far 11 forest nurseries have been raised during the current year in the Pradesh and their produce has been lifted by the Forest department who have paid Rs. 7,000 to Rs. 8,000 per individual engaged in this work. The scheme has become popular and it is expected that more and more ex-servicemen will adopt it next year and thus earn some money to supplement their meagre incomes.

Ex-Servicemen Corporation is arranging entrepreneurship courses to be conducted at Hamirpur for the ex-servicemen by the HIMCON Shimla and SISI, Solan. The first batch is scheduled to be trained by HIMCON early in 1984.

In its activities the Corporation is enlisting the help of different Government Departments and various Banks with whom it has tie-up arrangements. The co-operation of the Banks is by and large satisfactory and any bottlenecks/snags noticed are cleared after discussion at appropriate level. The Banks have been requested to clear the large backlog of loan applications through communications addressed to their Regional/Divisional Managers as well as through reference made to the Director Institutional Finance, Government of Himachal Pradesh. With the increased planned allotment of funds for the year 1984-85 the Corporation will be able to produce better results in its efforts to serve the ex-servicemen of the Pradesh and improve their economic conditions.

The balance sheet as at 31st March, 1983 and profit and loss account for the year 1982-83 have been given in tables 15.1 and 15.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION, HAMIRPUR

### 15.1—Balance sheet as at 31st March,1983

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-82 | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | Assets | As at 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.50 | 1. Authorised Capital | 20.50 | 0.10 | 1. Fixed assets | 0.33 |
| | 2. Current liabilities and provisions : | | 0.78 | 2. Vehicles | 1.27 |
| 0.08 | (a) Salary payable | 0.17 | 0.07 | 3. Office equipments | 0.14 |
| 0.05 | (b) Bills payable | 0.09 | — | 4. Electrical equipment | 0.03 |
| — | (c) Staff credit balances | 0.02 | | 5. Current assets, loans and advances : | |
| | | | | (a) Crrent assets | |
| | | | 0.09 | (i) Cheques/drafts and cash in hand | 5.02 |
| | | | 6.78 | (ii) Cash with bank | 2.54 |
| | | | 1.40 | (b) Loans and davances | 6.73 |
| | | | 1.41 | 6. Profit and loss account | 4.72 |
| 10.63 | Total | 20.78 | 10.63 | Total | 20.78 |

## HIMACHAL PRADESH EX-SERVICEMEN CORPORATION, HAMIRPUR

### 15.2—Profit and loss account for the year 1982-83

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| 0.61 | 1. Pay and allowances | 1.80 | 0.03 | 1. Interest | 0.40 |
| 0.14 | 2. Travelling allowances | 0.24 | 1.41 | 2. Net loss carried to balance sheet | 3.31 |
| — | 3. Medical re-imburesment | 0.03 | | | |
| 0.02 | 4. Printing and stationery | 0.11 | | | |
| 0.02 | 5. Advertisement and publicity | 0.02 | | | |
| — | 6. Entertainment | 0.01 | | | |
| 0.01 | 7. Postage and telegraphs | 0.09 | | | |
| 0.01 | 8. News papers, books and periodicals | 0.01 | | | |
| 0.02 | 9. Hot and cold weather charges | 0.04 | | | |
| 0.03 | 10. Miscellaneous expenses | 0.02 | | | |
| 0.01 | 11. Audit fee | 0.02 | | | |
| 0.01 | 12. Liveries | 0.03 | | | |
| 0.11 | 13. Maintenance of vehicles | 0.46 | | | |
| 0.20 | 14. Rent, rates and taxes | 0.42 | | | |
| 0.03 | 15. Water and electricity | 0.02 | | | |
| 0.22 | 16. Depreciation | 0.39 | | | |
| 1.44 | Total | 3.71 | 1.44 | Total | 3.71 |

# HIMACHAL WOOL PROCESSORS LTD., NALAGARH

(A Subsidiary Company of H.P. Mineral and Industrial Development Corporation Limited, Shimla)

The Himachal Wool Processors Limited was registered on the 11th October, 1974 as a public Limited Company under the Companies Act, 1956 with an authorised capital of Rs. 2.00 crores divided into 20 lakh equity shares of Rs. 10 each. The Himachal Pradesh Mineral & Industrial Development Corporation Limited (Holding Company) has subscribed 4.9 lakhs equity shares of Rs. 10 each which is 51 per cent of the paid-up capital. Accordingly, the paid-up capital as on 31st March, 1983 stood at Rs. 94.51 lakhs, out of which 49 per cent of the total share capital is held by various national financial institutions namely : IDBI, IFCI, ICICI, LIC, Punjab National Bank, United Commercial Bank and general public.

1. *Project Cost*.—The revised project cost has been estimated as under:—

| Item | Amount (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1. Land and site development | 3.12 |
| 2. Buildings | 30.80 |
| 3. Plant & machinery | 117.39 |
| 4. Miscellaneous fixed assets | 36.00 |
| 5. Pre-operative expenses | 34.75 |
| 6. Margin for working capital | 22.94 |
| Total | 245.00 |

2. *Sources of finance*—The entire project cost of Rs. 245 lakhs is being met as under:—

| Sl. No. | Item | Amount (Rs. in lakhs) |
|---|---|---|
| 1. | Equity share capital | 95.00 |
| 2. | Long term loan | 135.00 |
| 3. | Central Subisdy | 15.00 |
| | Total | 245.00 |

Full equity capital of Rs. 95.00 lakhs has been subscribed out of which calls amounting to Rs. 49,000 are in arrears.

3. Long Term Loan.—The long term loans for Rs. 135.00 lakhs have been sanctioned to the Company by IFCI, IDBI, ICICI and LIC. An amount of Rs. 112.43 lakhs has been received and efforts are being made to secure the balance amount of loan of Rs. 22.57 lakhs from these institutions.

4. Central Subsidy.—The project being located in the industrially backward area at Nalagarh in district Solan has obtained an advantage of Central subsidy of Rs. 15.00 lakhs.

5. *Review of Operations*

(a) The Project building administrative block, workshop, scouring-cum-packing shed, raw material and finished goods godown as well as sewerage and electric fittings have been completed on a plot measuring 30 Bighas and 4 Biswas for 2,800 woollen Spindles project.

(b) *Erection of Machinery*—Trial Production on 1,000 spindles with 4 carding machines commenced during January, 1976 and commercial production with effect from 1st April, 1976. Five carding machines imported from Poland have been erected and commissioned. Presently 2,200 spindles have been installed and are working on three shift basis. The factory is producing carpet yarn (Vallore and shoddy) for which indigenous wool is required and the same is being obtained with in the State to the extent available and the further requirements are met through the purchases from Rajasthan and other adjoining States.

(c) *Sales*.—The Company has opened a sales office at Badohi in Uttar Pradesh. Sales Office set up at Amritsar by the sister concern of the Company Himachal Worsted Mills Limited is also handling the sale of the Company.

*Employment*.—The Company was closed w.e.f. 13-8-1983 and all the workers, staff and officers were retrenched.

The provisional balance sheet as at 31st March, 1983 and the profit and loss account for the year ending 31st March, 1983 are presented in tables 16.1 and 16.2, respectively.

# HIMACHAL WOOL PROCESSORS LIMITED, NALAGARH

## (A Subsidiary Company of H.P. Mineral and Industrial Development Corporation Limited, Shimla)

### 16.1—Balance sheet as at 31-3-83*

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-82 | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | Assets | As at 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Share Capital : | | 127.34 | 1. Fixed Assets : | 127.13 |
| 200.00 | (a) Authorised | 200.00 | | 2. Current assets, loans & advances : | |
| 95.00 | (b) Issued & subscribed | 95.00 | 56.63 | (a) Stock, store & spare parts | 37.10 |
| 94.51 | (c) Called & paid up | 94.51 | 85.18 | (b) Sundry debtors | 49.93 |
| 15.00 | 2. Reserves & surplus | 15.00 | 3.09 | (c) Cash & bank balances | 3.40 |
| 176.12 | 3. Secured loan | 185.73 | 2.90 | (d) Loans and advances and prepaid expenses. | 4.29 |
| 139.86 | 4. Unsecured loan | 133.21 | 1.62 | 3. Misc. expenditure to the extent not written off(or) adjusted | 1.46 |
| 28.78 | 5. Current liabilities & provisions | 25.06 | 177.51 | 4. Profit & loss account | 230.20 |
| 454.27 | Total | 453.51 | 454.27 | Total | 453.51 |

*Subject to audit

# HIMACHAL WOOL PROCESSORS LIMITED, NALAGARH

## (A Subsidiary Company of Himachal Pradesh Mineral & Industrial Development Corporation Limited, Shimla)

### 16.2—Profit and loss account for the year ended on 31st March, 1983*

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Expenditure | 1982-83 | 1981-82 | Income | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| | 1. Opening Stock : | | 57.37 | 1. Sale and Commissi on spinning | 35.78 |
| — | (a) Work in progress | — | 12.86 | 2. Work in progress | 3.63 |
| 3.60 | (b) Raw wool | 4.61 | 28.19 | 3. Finished goods | 20.02 |
| — | (c) Wool waste | — | — | 4. Interest released | 0.20 |
| 3.01 | (d) Semi finished | 3.75 | 0.10 | 5. Other income | 0.02 |
| — | (e) Unuseable waste | 4.50 | 43.13 | 6. Net loss | 52.69 |
| 28.35 | 2. Finished goods | 28.19 | | | |
| 42.39 | 3. Raw Material consumed | 7.73 | | | |
| 5.34 | 4. Oils & Lubricants | 1.68 | | | |
| 1.60 | 5. Miscellaneous stores & spares | 0.71 | | | |
| 0.85 | 6. Packing material | 0.28 | | | |
| 0.30 | 7. Electrical stores | 0.10 | | | |
| 0.35 | 8. Blanket manufacturing expenses | 0.02 | | | |
| 0.03 | 9. Freight and transportation | — | | | |
| — | 10. Boiler, scouring, dyeing and chemicals | 0.09 | | | |
| 0.32 | 11. Repair & maintenance | 0.21 | | | |
| 0.02 | 12. Sundry expenses | 0.14 | | | |
| 1.17 | 13. Electric Charges | 0.97 | | | |
| 20.23 | 14. Salary, wages and allowances | 22.59 | | | |
| 0.48 | 15. Remunerations to Director | 0.80 | | | |
| 1.66 | 16. Contribution to provident fund, family pension etc. | 2.24 | | | |
| 0.48 | 17. Staff and labour welfare | 0.65 | | | |
| 0.01 | 18. Recruitment expenses | — | | | |
| 0.19 | 19. Rent | 0.36 | | | |
| 0.18 | 20. Postage, telegram and telephones | 0.20 | | | |
| — | 21. Uniforms & liveries | 0.10 | | | |
| 1.85 | 22. Insurance | 1.60 | | | |
| 0.22 | 23. Rate, taxes and legal exp. | 0.26 | | | |
| 0.06 | 24. Printing and stationery | 0.12 | | | |
| 0.14 | 25. Entertainment | 0.15 | | | |
| 0.23 | 26. Vehicle running expenses | 0.45 | | | |
| 0.83 | 27. T.A. & conveyance | 1.01 | | | |
| 0.01 | 28. Guest house expenses | — | | | |
| 0.13 | 29. Auditor remunerations | 0.19 | | | |
| 0.10 | 30. Internal audit fee | 0.10 | | | |
| 0.13 | 31. Bank charges | 0.46 | | | |
| — | 32. Registration and filling fee | 0.20 | | | |
| 0.06 | 33. Commission on sale | 0.09 | | | |
| 0.27 | 34. Discount | 0.01 | | | |
| 0.07 | 35. Advertisement and publicity | 0.10 | | | |
| 0.01 | 36. Business promotion | 0.16 | | | |
| 0.30 | 37. Preliminary expenses to the extent not written off or adjusted | 0.16 | | | |
| 7.55 | 38. Depreciation | 7.50 | | | |
| — | 39. Income tax | 0.01 | | | |
| 19.13 | 40. Interest | 19.67 | | | |
| 141.65 | Total | 112.16 | 141.65 | Total | 112.16 |

*Subject to audit.

# 17

# HIMACHAL WORSTED MILLS LTD., NALAGARH

**(A Subsidiary Company of H. P. Mineral and Industrial Development Corporation Limited, Shimla)**

The Himachal Worsted Mills Limited was registered on 11th October, 1974 as a public limited Company under the Companies Act, 1956 with an authorised capital of Rs. 2 crores divided into 20 lakh equity shares of Rs. 10 each. The subscribed and paid-up capital of the Company as on 31st March, 1983 was Rs. 92 lakhs out of which 51 percent paid up capital is held by the Himachal Pradesh Mineral and Industrial Development Corporation Limited (holding Company) and 49 percent is held by various National and State Financial Institutions namely, IDBI, IFCI, ICICI, LIC, HPFC and the public.

1. *Project Cost.*—The Cost of the 2400 worsted spindles project was envisaged at Rs. 234 lakhs as per following details :—

| Item | Amount (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1. Plant, machinery and equipments | 131.22 |
| 2. Land, building and civil works | 40.61 |
| 3. Project Cost | 43.82 |
| 4. Working Capital margin | 18.35 |
| Total | 234.00 |

2. *Source of Finance.*—The cost of the project is being financed as follows :—

| Source | Amount (Rs. in lakhs) |
|---|---|
| 1. Equity Capital : | |
| (a) H.P. MIDC | 47.00 |
| (b) Public | 45.00 |
| 2. Long term loan | 127.00 |
| 3. Central Subsidy | 15.00 |
| Total | 234.00 |

Full equity capital of Rs 92 lakhs has been raised. In addition, 100 percent central subsidy amounting to Rs. 112.43 lakhs has been obtained from the financial institutions and disbursement of the balance amount of Rs. 14.57 lakhs is in process.

3. *Review of Operations* :

(a) All the licensed 2400 worsted spindles are in operation. Commercial production on single shift basis commenced on 5th November, 1978 and on three shift basis with effect from 1st January, 1979. Air-conditioning plant is also in operation.

(b) *Raw Materials.*—The raw material required for manufacturing fine yarn is being imported from Australia. The imported raw wool in the form of greasy wool is sent to any of the wool combing plants for conversion into wool tops. High quality Himachal Marino wool to the extent available, is also being purchased for the project.

(c) *Production.*—The daily Production of yarn types 2|48, 1|48, 1|32, 2|32, 1|19, 2|19, 2|40 and 2|42 is approximately 450 kg. An efficiency of 60 per cent has been achieved by the year ending 31-3-1983. The reason for low production and efficiency is lack of liquidity. The mill after November, 1983 onwards is doing job-work as the same has left with no liquidity to purchase and spin its own material.

(d) *Labour.*—In all 127 workers and staff have been employed by the Company. The Company has constructed 80 quarters for weavers section of the workers and allotted to them.

(e) *Sales.*—A sales Office has been opened at Amritsar in order to cover the main market. All the sales are being effected on cash basis.

The provisional balance sheet as at 31st March, 1983 and profit and loss account for the year 1982-83, are presented in tables 17.1 and 17.2, respectively.

## HIMACHAL WORSTED MILLS LIMITED, NALAGARH

**(A Subsidiary Company of Himachal Pradesh Mineral & Industrial Development Corporation Limited, Shimla)**

**17.1—Balance sheet as at 31st March, 1983***

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-82 | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-82 | Assets | As at 31-3-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Share Capital: | | 176.95 | 1. Gross block | 184.81 |
| 200.00 | (a) Authorised | 200.00 | | 2. Current assets, loans and advances: | |
| 92.00 | (b) Called and paid up | 92.00 | 88.00 | (a) Current assets | 37.38 |
| 35.44 | 2. Reserve and surplus | 43.84 | 11.05 | (b) Receivables | 11.03 |
| 177.82 | 3. Secured loans | 195.66 | 5.46 | (c) Loans and advances | 2.48 |
| 84.55 | 4. Unsecured loans | 85.43 | 41.95 | 3. Himachal Wool Processors Ltd. | 60.71 |
| 3.23 | 5. Current liabilities and provisions | 3.54 | 0.72 | 4. Cash and bank balances | 4.80 |
| | | | 2.10 | 5. Miscellaneous expenditure to the extent not yet written off or adjusted | 1.39 |
| | | | 66.81 | 6. Profit and loss account | 117.87 |
| 393.04 | Total | 420.47 | 393.04 | Total | 420.47 |

*Subject to audit.

## HIMACHAL WORSTED MILLS LIMITED, NALAGARH

**(A Subsidiary Company of Himachal Pradesh Mineral & Industrial Development Corporation Limited, Shimla)**

**17.2—Profit and loss account for the year ended 31st March, 1983***

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| | 1. Opening stock: | | 166.43 | 1. Sales | 71.36 |
| 9.45 | (i) Raw material | 22.27 | | 2. Closing stock: | |
| 17.14 | (ii) Finished goods | 9.34 | 22.27 | (i) Raw material | 4.45 |
| 8.16 | (iii) Work in progress | 6.45 | 9.34 | (ii) Finished goods (at realisable Value.) | 26.31 |
| 135.79 | 2. Raw material purchased | 53.22 | 6.45 | (iii) Work in progress | — |
| 1.39 | 3. Stock, Spares, packing and oil consumed | 1.85 | 0.61 | 3. Miscellaneous receipts | 0.27 |
| 1.18 | 4. Power, fuel and water | 1.34 | 25.01 | 4. Net loss carried over to balance sheet | 51.06 |
| 12.67 | 5. Staff and Workers salary | 13.77 | | | |
| 0.28 | 6. Rent including Directors | 0.25 | | | |
| 1 80 | 7. Insurance | 1.72 | | | |
| 2.52 | 8. Administrative expenditure | 2.43 | | | |
| 30.71 | 9. Interest and bank charges | 31.73 | | | |
| 0.27 | 10. General expenses including listing fee | 0.16 | | | |
| 0.08 | 11. Internal audit fee | 0.10 | | | |
| 0.03 | 12. Statutory audit fee | — | | | |
| 0.08 | 13. Repair and maintenance of machinery & others | 0.06 | | | |
| — | 14. Board meeting expenses & sitting ee | 0.02 | | | |
| 8.35 | 15. Depreciation | 8.40 | | | |
| 0.21 | 16. Preliminary expenses written off | 0.28 | | | |
| — | 17. Remuneration to Directors | 0.06 | | | |
| 230.11 | Total | 153.45 | 230.11 | Total | 153.45 |

*Subject to audit.

# 18

# HIMACHAL PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD, SHIMLA.

The Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board was constituted for the first time in year 1968 by the Himachal Pradesh Government as per its Act of 1966 and came into existence on 8th January, 1968.

The main aims and objects of the Board are as under :—

(a) to promote, encourage and assist the development of Khadi and Village Industries and carry on trade or business in the products of such industries ;

(b) to provide work to persons who have been professionally engaged in Khadi and Village Industries ;

(c) to grant loans to individuals, societies or institutions engaged in Khadi and Village Industries on such terms as may be prescribed ;

(d) to encourage establishment of cooperative societies in Khadi and Village Industries ;

(e) to conduct training courses with a view to impart the necessary skill and knowledge for carrying on Khadi and Village Industries ;

(f) to manufacture tools and implements and to arrange supply of such tools and implements and raw material in order to secure development of Khadi and Village Industries ;

(g) to conduct publicity and propaganda and to organise marketing of finished goods of Khadi and Village Industries by opening stores, shops emporia and exhibitions ; and

(h) to undertake and encourage research with a view to improve the quality and marketability of Khadi and the products of Village Industries.

*Area of Operation.*—The area of operation of the Board extends to the whole of Himachal Pradesh for the purpose of Khadi and Village Industries.

The following industries come within the purview of the Board :—

1. Khadi
2. Processing of Cereals and Pulses
3. Village Oil
4. Village Leather
5. Cottage Match
6. Gur and Khandsari
7. Non-edible Oil and Soap
8. Hand Made Paper
9. Bee Keeping
10. Village Pottery
11. Fibre
12. Carpentry and Blacksmithy
13. Lime Manufacturing
14. Collection of Forest Plants and Fruits for medicinal purposes
15. Fruit Processing and Fruit Preservation
16. Cane and Bamboo
17. Katha
18. Gums and Resin
19. Gobar Gas
20. Gramodyog Sales Depot
21. Polyvastra.

*Finances.*—The Khadi and Village Industries Commission is an apex body and provides funds to the State Khadi and Village Industries Board for the purpose of implementation of the agreed programme under the Khadi and Village Industries. As an apex body, the Commission provides funds to the Himachal Pradesh Khadi and Village Industries Board for the schematic programmes. The State Government according to the commitments and provisions of the Act of Legislature, feed the administrative expenditure of the staff under Plans and Non-Plan schemes. During the year under report the flow of funds from the Khadi and Village Industries Commission continued as here to fore. The Board disbursed funds received from the Commission to various individuals, co-operative societies and registered institution engaged in the task of development of Khadi and Village Industries. Besides this, the Commission provided funds for the departmental activities of the Board. The funds are received by the Board under imprest system.

*Budget.*—The Khadi and Village Industries Commission allotted a sum of Rs. 148.57 lakhs out of which Rs. 134.99 lakhs was loan and Rs. 13.58 lakhs as grant for village industries. Apart from this, the Khadi and Village Industries Commission also allotted Rs. 12.44 lakhs as grant under 'Trysem' for the establishment of a Village Industries Training Institute for which the building at Mandi is under construction where required infrastructure is already available. The working fund provided for developmental activities under head 'Khadi' was Rs. 11.37 lakhs.

*Disbursement.*—During the year under report the Board disbursed Rs. 142.74 lakhs to various units of Khadi and Village Industries out of which Rs. 130.43 lakhs was loan and Rs. 12.31 lakhs was grant.

*Recoveries of Loans from the Financed Units.*—The State Khadi and Village Indusries Board recovered during the year, under report, loan amounting to Rs. 52.14 lakhs from the individual co-operative societies and registered institutions who were financed by the Board.

*Integrated Rural Development Programme.*—Village industries programme of the Board ialls under the 20-point Economic Programme. The State Government fixed a target of 500 families to be covered under IRD programme for the year under report. Against this target, the Board financed 508 IRD families under various village industries within the purview of the Board giving them financial assistance to the tune of Rs. 2.08 lakhs as grant and Rs. 11.14 lakhs as loan for setting up their individual village industrial units in order to make them eligible for earning their livelihood.

*Other Activities.*—During the year under report, the Board established two more Training-cum-Common Facility Centres in spinning/weaving at Keylon (District Lahaul-Spiti) and Pangi (District Chamba) under Tribal Sub-Plan and thus four such centres had so far been established upto 31st March, 1983. The said training centres will provide training facilities to local people of the areas.

*Institutional Progress under Various Industries.*—The Board has extended financial assistance to 7517 individual artisans, 116 co-operative societies and 278 registered institutions upto 31st March, 1983 to implement the schemes of Khadi and Village Industries Commission.

Besides this, there are other production centres under the direct management of the Board. These production centres are engaged in the production of woollen Khadi, silken khadi, cotton khadi, lether goods, bamboo and pottery articles.

*Assistance to Scheduled Castes Families.*—The Board has provided financial assistance to 668 scheduled castes families involving Rs. 3.81 lakhs as grant and Rs. 16.26 lakhs as loan during the year 1982-83. For the year 1983-84, a target of providing financial assistance to 700 scheduled castes families was fixed and Rs. 5.50 lakhs as grant and Rs. 21.30 lakhs as loan was earmarked for the purposes. Out of this target, financial assistance to 317 scheduled caste families has been provided upto 31-12-1983 and Rs. 1.78 lakhs as grant and Rs. 7.18 lakhs as loan have been disbursed to them for setting up their village industrial units.

*Exhibitions and Publicity.*—In order to propagate the activities of the Board, the exhibitions were organised at Delhi, Mandi and Kullu during the year 1982-83 on the eve of important fairs|occasions. Besides this, publicity was also made by arranging a number of film-shows on various village Industries and by distributing printed literature in the public.

*Performance.*—During the year 1982-83 (as on 31-3-83) the production of khadi and village industries goods was recorded to the tune of Rs. 1095.79 lakhs and sale worth Rs. 1240.16 lakhs providing employment to 31,184 skilled and unskilled artisans.

The Khadi and Village Industries Commission, Bombay has allocated Rs. 17.72 lakhs as grant and Rs. 183.86 lakhs as loan and Rs. 33.13 lakhs through bank finance for the year 1983-84 out of which Rs. 4.96 lakhs as grant and Rs. 45.81 lakhs as loan and Rs. 8.20 lakhs as bank loan has been disbursed by the Board upto 31-12-83 for setting up 705 village industrial units. The production and sale as on 31-12-83 has been recorded to the tune of Rs. 1220.00 lakhs and Rs. 1490.00 lakhs, respectively providing employment to 34,950 artisans.

The Khadi and Village Industries Commission has tentatively allocated Rs. 20.27 lakhs as grant, Rs. 271.90 lakhs as loan and Rs. 27.94 lakhs as bank finance under Khadi and Village Industries development programme of the Board for the year 1984-85. The target of production, sale and employment has been fixed to the order of Rs. 1617.00 lakhs, Rs. 1675.00 lakhs and 42,028 persons, respectively.

The balance sheet as at 31st March, 1983 production and trading account and profit and loss account for the year 1982-83 of the Board appear in tables 18.1 to 18.3, respectively.

## HIMACHAL PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD, SHIMLA

### 18.1—Balance sheet as at 31st March, 1983*

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-1982 | Liabilities | As at 31-3-83 | As at 31-3-1982 | Assets | As at 31-3-1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| 421.72 | 1. Loans from KVIC for trading and disbursement to artisans | 577.22 | 344.24 | 1. Loans disbursed to artisans and for trading activities | 440.27 |
| 7.41 | 2. Grant from KVIC for trading and disbursement to artisans | 9.27 | 0.21 | 2. Grant | 0.12 |
| | | | 28.81 | 3. Fixed assets | 15.34 |
| 22.96 | 3. Grant-in-aid from State Govt. for trading activities | 18.60 | 28.07 | 4. Sundry debtors | 20.12 |
| | | | 9.81 | 5. Shortage | 2.35 |
| 43.36 | 4. Balance of grant-in-aid from State Govt. for estt. charges | 39.53 | 10.83 | 6. Khadi Commission rebate | 6.73 |
| | | | 126.76 | 7. Advance | 12.14 |
| 2.17 | 5. Interest payable to KVIC | 2.96 | — | 8. Damaged and unserviceable goods | 1.16 |
| 21.02 | 6. C.P.F. | 14.99 | 75.29 | 9. Cash and bank balance | 125.94 |
| 17.18 | 7. Depreciation | 14.76 | 93.91 | 10. Closing stock | 95.36 |
| 24.10 | 8. Other reserves (fire, theft, losses, bad debts etc.) | 20.38 | 23.54 | 11. Interest recoverable | — |
| | | | 0.49 | 12. Profit and loss account | — |
| 19.92 | 9. Reserves (General reserves, workers welfare fund etc.) | 17.49 | | | |
| 0.82 | 10. Security | 0.84 | | | |
| 0.83 | 11. Miscellaneous liabilities | 1.04 | | | |
| — | 12. Profit and loss account | 2.45 | | | |
| 23.54 | 13. Interest accured but not recovered | — | | | |
| 0.11 | 14. Weavers welfare fund | — | | | |
| 136.82 | 15. Sundry creditors | — | | | |
| 741.96 | Total | 719.53 | 741.96 | Total | 719.53 |

*Subject to audit

## HIMACHAL PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD, SHIMLA

### 18.2—Production and trading account for the year 1982-83*

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| 94.70 | 1. Opening balance | 80.51 | 65.76 | 1. Sales | 69.00 |
| 6.90 | 2. Price margin | 7.14 | 32.27 | 2. Consumption | 24.63 |
| 46.22 | 3. Production | 39.68 | 11.36 | 3. Trade cheques | 11.21 |
| 2.29 | 4. Expenses | 1.71 | 93.08 | 4. Closing stock | 95.36 |
| 47.36 | 5. Purchases | 67.46 | 6.38 | 5. Price Margin | 4.30 |
| 11.38 | 6. Profit | 8.00 | | | |
| 208.85 | Total | 204.50 | 208.85 | Total | 204.50 |

*Subject to audit.

# HIMACHAL PRADESH KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD, SHIMLA

## 18.3—Profit and loss account for the year1982-83 *

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.94 | 1. Expenses | 3.14 | 11.38 | 1. Profit | 8.0 |
| 2.99 | 2. Depreciation | 0.66 | 1.54 | 2. Miscellaneous income | — |
| 4.74 | 3. Provision | 3.42 | 36.51 | 3. Grant-in-aid | 38.74 |
| — | 4. Net profit | 0.78 | 1.75 | 4. Net loss | — |
| 36.51 | 5. T.A. and contingency | 38.74 | | | |
| 51.18 | Total | 46.74 | 51.18 | Total | 46.74 |

*Subject to audit

# 19

# HIMACHAL PRADESH SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT CORPORATION, SOLAN

The H. P. Scheduled Castes Development Corporation was set up in November, 1979 after the H. P. Scheduled Castes Development Corporation Act was passed. It started working effectively w.e.f. April, 1980.

The authorised capital of the Corporation is Rs. 5.00 crores. The Government of India have agreed to participate in the share capital investment of this corporation alongwith the State Government in the ratio of 49:51. During 1979-80, the State Government released a sum of Rs. 45.00 lakhs towards share capital investment of this Corporation. The Central Government released corresponding grant of Rs. 43.00 lakhs. The plan allocation for the year 1980-81 was Rs. 59 lakhs (Rs. 30 lakhs by the State Government and Rs. 29.00 lakhs by the Central Government) while for the year 1982-83, the grant was Rs. 137.25 lakhs (Rs. 70 lakhs by the State Government and Rs. 67.25 lakhs by the Central Government). The Capital employed by the Government in the corporation upto 31-3-1983 is as follows:—

| | |
|---|---|
| H.P. Government | 185.00 lakhs |
| Central Government | 177.50 lakhs |
| Total | 362.50 lakhs |

The H. P. Government and Central Government are exptected to contribute Rs. 70 lakhs and Rs. 67.25 lakhs, respectively in 1983-84. The programmes of the Corporation are formulated and implemented under the overall direction and control of the Board of Directors.

The primary duty of the Corporation is to undertake the task of economic upliftment of the members of Scheduled Castes in the State. The following are the functions of the Corporation :—

(i) to plan, promote, undertake and assist programmes of agricultural development, animal husbandry, marketing, processing, supply and storage of agricultural produce, small scale industries, village industries and such other trade, business or activity which will enable the members of the scheduled castes to earn a better living and help them to improve their standard of living as may be approved in this behalf by the Government;

(ii) to undertake programmes for setting up employment oriented industries, cottage and small scale industries etc. by providing technical know-how, managerial assistance, financial assistance and any other form of assistance which may be required in achieving the above objectives;

(iii) to provide financial assistance to the members of scheduled castes or scheduled castes organisations by advancing to them loans and|or loan toward margin money for any of the purposes specified above either directly or through such agency, organisation or institution as may be approved by the Board;

(iv) to guarantee loans taken by the members of scheduled castes or scheduled castes organisations from any financial banking institutions;

(v) to get as the agent of the Government of Himachal Pradesh or Central Government for procurement, supply and distribution of agricultural or other produce or other goods as and when required to do so.

Ever since its formation, the Corporation is engaged in raising the socio-economic status of persons belonging to scheduled castes. The Corporation publicises the various Government policies, programmes and schemes in various corners of the Pradesh and invites applications from intending persons belonging to notified scheduled castes to derive benefits from these programmes. Keeping in view the socio-economic factors and the aptitude of the applicant, a scheme is worked out and assistance, both financial and technical is provided. For providing assistance, the Corporation gets in touch with the concerned Department for getting subsidy benefit, the banks for providing 50 per cent loan and provides the remaining 50 per cent loan from its own resources. The banks advance loans at the rate of 4 per cent for families having annual income upto Rs. 2000|- in rural areas and Rs. 3000|- in urban areas. The Corporation provides loan at this rate to families having an annual income upto Rs. 3,500|- in rural areas and Rs. 4300/- in urban areas. Disbursement and repayment of the loan is done at the bank branch located in or near the village where the beneficiary happens to reside.

In the beginning 49 schemes were identified and pproved by the banks for financing. With identifiation of 60 more schemes, the number has gone upto 09. In the initial two years, the Corporation financd schemes with financial limit of Rs. 6,000|-. At present bankable schemes in the core sectors of griculture, animal husbandry, pisciculture, cottage nd village industries, small business|vocation each nvolving Rs. 15,000 or lesser amount are envisaged o be covered under the programme of this Corporaion, where upto 25 per cent margin money assistance (not exceeding Rs. 3750) is available to the beneficiary to raise bank loan for the remaining 75 per cent of the funds requirement. The Corporation has now decided to assist scheme even upto the projects cost of Rs. 50,000. With the implementation of this decision, the Corporation is likely to play a vital role in the recently introduced self employment scheme for educated unemployed youth. Besides, the Corporation also intends to diversify its activities towards training of scheduled castes youth in rural and urban areas for self employment on TRYSEM pattern, supplying of raw material and marketing of agricultural and allied products of the scheduled castes beneficiaries.

*Eligibility Criteria*

All assistance is subject to the fulfilment of the following eligibility criteria :—

(i) The applicant should belong to Scheduled Caste recognised and notified by the H. P. Government and furnish prescribed certificate issued by competent authority.

(ii) The applicant should be a bonafied resident of Himachal Pradesh and produce documentary evidence to this effect.

(iii) Age of the beneficiary should not be less than 18 years.

(iv) The applicant should not be a defaulter in respect of any Government assistance received previously.

(v) Income of beneficiary should not exceed Rs. 3500/- if residing in the rural areas and Rs. 4300/- if living in a urban locality.

(vi) All agricultural labourers, marginal farmers, small farmers, non-agricultural labourers other than those regularly employed in large and medium scale industries.

(vi) To provide facilities for survey, research or study the problems relating to cottage and village industries, small scale business to assess potentiality of village cottage and small scale industries and scope of their development with a view to promoting such industries and business for the purpose of providing employment for the members of the scheduled castes.

(vii) To arrange for publicity and marketing of the finished products manufactured by the scheduled castes organisations in the small scale industries.

(viii) To give grants and subsidies to the members of scheduled castes or scheduled castes organisations on behalf of the State or Central Government or any other Government institutions.

(ix) To borrow money subject to such conditions as the Board may specify.

(x) To receive gifts, grants and donations.

(xi) To issue bonds and debentures.

(xii) To draw, make, accept, endorse, discount, execute and issue promisory notes, bill of exchange, hundies, bills, warrants, debentures and other negotiable instruments.

(xiii) To invest or deposit surplus funds of the Corporation in Government securities or in such other manner as the Board may decide.

(xiv) To enter into contracts.

(xv) To discharge such other functions as may be prescribed or as are supplemental, incidental or consequential to any of the functions conferred on it under this act which are presumed to be within the eligibility citeria mentioned at serial No. (v) and in that case no income certificate will be required.

(xvi) In case of scheduled caste educated un-employed (matric and above) who do not fall within the categories of income specified in serial No. (V) above, income limit prescribed for post-matric scholarships will apply.

*Achievements.*—Since inception and upto 31st January, 1984, the Corporation has assisted 34,636 families with an amount of Rs. 253.36 lakhs from the Corporation, Rs. 636.00 lakhs from the banks and sectoral departments. The physical and financial achievements for the year 1980-81 to 1983-84 and targets for 1984-85 are given in the table below :—

**Physical/Financial Targets and Achievements**

| Sector | 1980-81 | | 1981-82 | | 1982-83 | | 1983-84 achievements (upto 31-12-83) | | | 1984-85 (Targets) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fami-lies covered | Amount | Fami-lies covered | Amount | Fami-lies covered | Amount | Targets | Fami-lies Covered | Amount | Fami-lies to be covered | Amount |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Agriculture/Horticulture . . | 429 | 4.19 | 1143 | 7.20 | 1532 | 10.28 | 3399 | 1201 | .. | 2640 | 16.40 |
| Animal Husbandry . . . | 816 | 8.16 | 3626 | 30.23 | 7543 | 55.19 | 7725 | 6750 | .. | 6000 | 40.20 |
| Village & Cottage Industries . . | 534 | 2.13 | 1504 | 9.30 | 2189 | 10.17 | 3399 | 1664 | .. | 2640 | 16.90 |
| Petty traders & Small business . | 506 | 2.10 | 1333 | 7.14 | 1245 | 8.20 | 6077 | 1287 | .. | 3720 | 24.50 |
| Total | 2285 | 16.58 | 7606 | 53.87 | 12509 | 83.84 | 20600 | 10902 | 88.16 | 15000 | 98.00 |

Note:—Amount represents the Margin Money of the Corporation.

During the entire Sixth Plan 1980—85, State Plan outlay will be of the order of Rs. 2 crores while proportionate matching share of Rs. 1.92 crores will come from the Central Government. In all Rs. 3.92 crores will be spent by way of 25 per cent margin money loan assistance to benefit about forty to fortyfive thousand beneficiaries during this period.

The balance sheet of the Corporation as at 31st March, 1983 and profit and loss account during the year 1982-83 are given in tables 19.1 and 19.2, respectively.

## HIMACHAL PRADESH SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT CORPORATION, SOLAN

### 19.1—Balance sheet as at 31st March,1983

(Rs. in lakhs)

| As at 31-3-1982 | Liabilities | As at 31-3-1983 | As at 31-3-1982 | Assets | As at 31-3-1983 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Capital: | | 2.91 | 1. Fixed assets | 3.48 |
| 500.00 | (a) Authorised | 500.00 | | 2. Current assets: | |
| | (b) Paid-up: | | | | |
| 115.00 | (i) H.P. Govt. | 185.00 | 0.05 | (a) Cash in hand | 0.07 |
| 110.25 | (ii) Central Govt. | 177.50 | 124.37 | (b) Cash in bank | 183.49 |
| 1.11 | 2. Reserves and surplus | 1.11 | 0.82 | (c) Interest | 2.29 |
| 9.75 | 3. Profit and loss account | 2.71 | 7.29 | (d) Balance with Distt. Manager | 3.55 |
| 0.34 | 4. Current liabilities and provisions | 1.47 | 0.13 | (e) Remittances and suspense | — |
| | | | | 3. Loans and advances: | |
| | | | 100.55 | (a) Margin money | 174.44 |
| | | | 0.03 | (b) Advance to Staff | 0.11 |
| | | | 0.07 | (c) Security deposits | 0.08 |
| | | | 0.01 | (d) Repaid expenses | 0.06 |
| | | | 0.22 | (e) O.Y.T. Deposits | 0.22 |
| 236.45 | Total | 367.79 | 236.45 | Total | 367.79 |

## HIMACHAL PRADESH SCHEDULED CASTES DEVELOPMENT CORPORATION, SOLAN

### 19.2—Profit and loss account for the year 1982-83

(Rs. in lakhs)

| 1981-82 | Particulars | 1982-83 | 1981-82 | Particulars | 1982-83 |
|---|---|---|---|---|---|
| | To— | | | By— | |
| 6.74 | 1. Salaries and allowances (including contribution to C.P.F., leave salary, pension and liveries) | 9.37 | 5.79 | 1. Interest | 7.30 |
| | | | 13.21 | 2. Grants in aid received from H.P. Government | — |
| 0.42 | 2. Rent, rates and taxes | 0.72 | — | 3. Balance carried down | 7.04 |
| 0.10 | 3. Electricity and water | 0.16 | | | |
| 0.54 | 4. Travelling and conveyance | 0.94 | | | |
| 0.91 | 5. Vehicles running and maintenance | 0.86 | | | |
| 0.03 | 6. Board's meeting | — | | | |
| 0.48 | 7. Printing and stationery | 0.50 | | | |
| 0.36 | 8. Postage, telephone and telegrame | 0.59 | | | |
| 0.03 | 9. Newspaper etc. | 0.03 | | | |
| 0.02 | 10. Advertisement | 0.03 | | | |
| 0.01 | 11. Audit fee | 0.01 | | | |
| 0.01 | 12. Entertainment | 0.03 | | | |
| 0.13 | 13. Staff welfare | 0.22 | | | |
| 0.05 | 14. Insurance | 0.03 | | | |
| 0.01 | 15. Income tax | — | | | |
| 0.12 | 16. Miscellaneous expenses | 0.13 | | | |
| 0.07 | 17. Hot and cold weather expenses | 0.08 | | | |
| 0.51 | 18. Depreciation | 0.64 | | | |
| 8.46 | 19. Balance carried down | — | | | |
| 19.00 | Total | 14.34 | 19.00 | Total | 14.34 |
| — | 1. Balance brought-down | 7.04 | 8.46 | 1. Balance brought down | — |
| 0.85 | 2. Transfer to bad debts | — | — | 2. Net loss transferred to balance sheet | 7.04 |
| 7.61 | 3. Net profit transferred to balance sheet | — | — | | |
| 8.46 | Total | 7.04 | 8.46 | Total | 7.04 |



MGIPRRND—1 HP/83—Sec. III-N.S.—14-3-84—1,500.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
1984